अष्टम माला, खंड 4, अंक 24

मंगलवार, 16 अप्रैल, 1985
26 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

दूसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 4 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खण्ड 4, दूसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 24, मंगलवार, 16 अप्रैल, 1985/26 चैत्र, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	1—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 445 से 452 और 455	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	20—132
तारांकित प्रश्न संख्या : 453, 454 और 456 से 464	20—25
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3112 से 3140, 3142, 3144 से 3238, 3240 से 3245, 3247 से 3257 और 3259 से 3274	25—132
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	132—133
दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन तथा दिल्ली के निवासियों की समस्याओं के बारे में याचिका	134
नियम 377 के अधीन मामले	134—138
(एक) सिंचाई मंत्रालय में जल-प्रबन्धन और कमान-क्षेत्र विकास डिवीजन में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता	
श्री गंगा राम	134
(दो) सहजनवां और बलरामपुर के बीच बरास्ता बांसी एक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता	
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी	135
(तीन) पूर्वी रेल के गया-फियूल सेक्शन पर चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों के चलने के समयों को बदलने तथा गया और देवघर के बीच एक तीव्र गति वाली रेलगाड़ी चलाने की आवश्यकता	
श्रीमती कृष्णा साही	135

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(चार) कोठागुडम ताप-बिजली घर के जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त धन मंजूर करने की आवश्यकता	
श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव	136
(पांच) पश्चिम बंगाल में कंगासाबती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी देने की आवश्यकता	
श्री अजित कुमार साहा	136
(छः) मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रैस तथा दक्षिण एक्सप्रैस रेलगाड़ियों के विदिशा तथा गंज बसौदा रेलवे स्टेशनों पर रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता	
श्री प्रताप भानु शर्मा	137
(सात) पूर्णिया (बिहार) के लिये विमान सेवा आरंभ करने की आवश्यकता	
श्री डूमर लाल बैठा	137
(आठ) गंगानगर जिले में इन्दिरा मुख्य नहर में से निकाली गई नहरों का निर्माण कार्य पूरा करने की आवश्यकता	
श्री बीरबल	138
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण	138—157
संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव में प्रदर्शन हेतु दुर्लभ मूर्तियों संहित भारतीय कला और संस्कृति की अमूल्य निधियों को हटाकर जलयानों द्वारा भेजे जाने का समाचार	
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	139
श्री के० पी० सिंह देव	143
श्री एस० जयपाल रेड्डी	148
अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86 (जारी)	157—224
(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (जारी—समाप्त)	157—209
श्री दिग्विजय सिंह	157
श्री एस० कृष्ण कुमार	160
श्रीमती वैजयन्ती माला बाली	163
श्री सत्यगोपाल मिश्र	165
श्री सोमनाथ रथ	169

विषय	पृष्ठ
श्री चिरंजी लाल शर्मा	173
डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी	177
डा० वी० वेंकटेश	179
प्रो० एम० आर० हाल्दर	182
श्री अनन्त प्रसाद सेठी	184
डा० सी० पी० ठाकुर	187
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह	190
श्री मदन पांडे	191
श्री मनोज पांडे	193
श्री मूल चन्द डागा	195
डा० जी० विजय राम राव	198
श्रीमती मोहसिना किदवई	200
(2) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय (—असमाप्त)	209—224
श्री एम० सुब्बा रेड्डी	210
श्री ब्रह्म दत्त	215
श्री भोला नाथ सेन	220
श्री डी० पी० यादव	224
(भाषण असमाप्त)	
कार्य-मंत्रणा समिति	224
पांचवां प्रतिवेदन	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	224

लोक सभा

मंगलवार, 16 अप्रैल, 1985/26 चैत्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी ट्रेड मार्क और ब्रांड नाम

[अनुवाद]

*445. के० पी० उन्नीकृष्णन† :
श्री आनन्द पाठक :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विदेशी ट्रेड मार्कों का प्रयोग करने की मंजूरी देने के बारे में कोई निश्चय किया है;

(ख) क्या उक्त मामले में जांच कर रही समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और स्वदेश से बिक्री के लिए भी विदेशी ट्रेड मार्कों और ब्रांड नामों के प्रयोग से कौन से प्रौद्योगिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे जिनके आधार पर समिति ने इसे युक्तिसंगत ठहराया है; और

(ग) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार का विचार व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम और भारतीय पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सरकार की सामान्य नीति के अनुसार विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग हतोत्साहित किया जाता है। सामान्यतया आन्तरिक बिक्री हेतु उत्पादनों पर विदेशी ब्रांड नामों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती, फिर भी निर्यात किये जाने वाले उत्पादों हेतु उनके उपयोग पर आपत्ति नहीं की जाती। विदेशी सहयोग हेतु सभी अनुमोदनों में इसके लिए एक शर्त सम्मिलित की जा रही है।

इस मामले में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, मंत्री महोदय ने बहुत निराशाजनक उत्तर दिया है। ऐसी अनेक रिपोर्टें सामने आई हैं कि हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन तथा सरकार के द्वारा कई दशकों तक विरोध किये जाने के बाद विदेशी ब्रांड नाम बहुत जोर शोर से वापिस लौट रहे हैं। सरकार ने सातवें दशकों में देश में विनिर्मित नये उत्पादों के लिये आयातित ब्रांड नाम के उपयोग को सक्रिय रूप से हतोत्साहित किया था। लेकिन अब अचानक हम यह देखते हैं कि हाल ही के महीनों में

हमारे यहां विज्ञापनों के अधिप्लाव की बाढ़-सी आ गई है। इन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय उपभोक्ताओं को बहुत शीघ्र देश में ही उत्पादित या विनिर्मित नये उत्पादों का लाभ या विशेष सुविधा प्राप्त होगी परन्तु इनकी विश्व विख्यात ब्रांड नामों से बिक्री की जाती है।

उदाहरण के लिए स्कूटर उद्योग में वेंस्पा, जिस पर सरकार ने प्रतिबन्ध लगा रखा है, मंत्री महोदय द्वारा हाल ही के अधिवेशनों में संसद के दोनों सदनों में घोषणा किये जाने के बावजूद अब देश में वापिस आ गया है। बिना किसी भय के इसको विज्ञापन दे रहा है। अतः महोदय आपको वह समय याद होगा जब हम स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात किया करते थे। इसी प्रयोजन के लिये आठवें दशक में हमने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम तथा व्यापार और वस्तु चिह्न अधिनियम कानून बनाया है।

अब यह कहा जाता है कि सचिवों की एक समिति ने इस मामले की जांच की है और कुछ ठोस परिवर्तन लाने के सुझाव दिये हैं। यदि मैं सचिवों की समिति की रिपोर्ट को मानता हूं तो उसके अनुसार इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि इसके लिये उपयुक्त वातावरण विद्यमान है।

इसलिए मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय सचिवों की समिति के दृष्टिकोणों को स्पष्ट करेंगे और इसकी रिपोर्ट को सभा पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि कौन-सी नीति का अनुसरण किया जा रहा है। हमने वह नीति बता दी है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है।

अब यह मामला विचाराधीन है और इसीलिए सचिवों की समिति गठित की गई। उन्होंने कुछ सिफारिशें की हैं। लेकिन सरकार ने अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। इसलिये सरकार एक बार जब अन्तिम निर्णय ले लेगी तो इसे संसद तथा जनता को बता दिया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा प्रश्न यह है कि सचिवों के समिति ने क्या कहा है और क्या इसे सभा पटल पर प्रस्तुत किया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : वे कहते हैं कि मामले पर विचार करने के पश्चात् इसे बता दिया जायेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : तो इस पर पूरी तरह से विचार करने के पश्चात् बताया जायेगा।

मंत्री महोदय का कहना है कि विदेशी सहयोग की शर्तों के रूप में, एक शर्त सम्मिलित कर दी गई है कि वे विदेशी ब्रांड नाम का उपयोग नहीं करेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि प्रत्येक विदेशी सहयोग में इस विशेष शर्त की यह सुनिश्चित करने के लिए संवीक्षा की जायेगी ताकि वे इसका पूरी तरह से पालन करें और क्या वह कोई प्रणाली बना रही हैं, जिससे वे उसका पालन करें ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने पहले ही कह दिया है कि एक नीति के रूप में हम विदेशी ब्रांड नामों के उपयोग की अनुमति नहीं दे रहे हैं। यह विदेशी सहयोग करार में ही समाविष्ट है। यदि इसका उल्लंघन किया गया है तो माननीय सदस्य इसे अवश्य ही हमारे ध्यान में ला सकते हैं। परन्तु जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि यह मामला विचाराधीन है। इस पूरे मामले की पुनरीक्षा की जा रही है कि क्या हमें इस बात पर बल देते रहना चाहिए···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह आश्वासन देने के लिये तैयार नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम इस बात पर बल दे रहे हैं कि वे विदेशी ब्रांड नामों का उपयोग न करें। लेकिन वे मिश्रित नामों का उपयोग कर रहे हैं। मैं मारुति का उदाहरण देता हूं। मारुति के मामले में हमने एक मिश्रित नाम अर्थात् मारुति सुजुकी उपयोग करने की अनुमति दी है। इसी प्रकार तोशीबा आनन्द और ऐसे अन्य उदाहरण हैं। हमने किसी को कोई विदेशी ब्रांड नाम उपयोग करने की अनुमति नहीं दी। यह तो विदेशी सहयोग करार में भी समाविष्ट है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वैस्पा के बारे में क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं नहीं समझता वैस्पा को वैस्पा कह कर बेचा जाता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसका वैस्पा के रूप में विज्ञापन किया जाता है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे यह नहीं मालूम कि विदेशी सहयोग करार को अन्तिम रूप कब दिया गया और क्या कोई ऐसी शर्त है कि उन्हें कोई विदेशी ब्रांड नाम का उपयोग नहीं करना चाहिए और क्या उन्होंने इसका उल्लंघन किया है। माननीय सदस्य इसको मेरे ध्यान में ला रहे हैं। मैं निश्चित रूप से इस मामले की जांच करूंगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा विदेशी ब्रांड नाम के उपयोग से सम्बन्धित पूरी नीति पर विचार किया जा रहा है और इसकी पुनरीक्षा की जा रही है। जब हम कोई नीति सम्बन्धी निर्णय एक बार ले लेते हैं और वह नीति सम्बन्धी निर्णय चाहे जैसा भी हो उसके अनुसार ही विदेशी सहयोग करार को अन्तिम रूप देना पड़ता है।

श्री आनन्द पाठक : मंत्री महोदय द्वारा दिये गये मुख्य उत्तर में दिया गया शब्द "साधारणतया" बहुत अधिक अस्पष्ट है। इसका अर्थ है कोई भी विदेशी ब्रांड नाम का उपयोग कर सकता है और इसमें उसके बचाव के कई रास्ते हैं। "साधारणतया" शब्द का क्या अर्थ है ? इसको स्पष्ट किया जाये। मंत्री महोदय ने कहा है कि पूरे मामले पर विचार किया जा रहा है। विद्यमान नियमों और विनियमों के अन्तर्गत यह स्पष्ट है कि भारत में उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले किसी भी उत्पाद के बारे में किसी विदेशी ब्रांड नाम का उपयोग करने की उन्हें अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्हें इस पर पुनर्विचार करने दीजिए; उन्हें इसकी पुनरीक्षा करने दीजिये और नीति सम्बन्धी मामले पर निर्णय लेने दीजिए, लेकिन प्रतिबन्ध पहले से ही विद्यमान हैं। उसके आधार पर मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह इन मामलों की जांच कर रहे हैं। मेरे माननीय मित्र ने कुछ उदाहरण भी दिये हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने इस प्रश्न का पहले ही उत्तर दे दिया है। वह सरकार से आश्वासन लेना चाहते थे। इसके लिए मैं यही कह सकता हूं कि पूरे मामले की पुनरीक्षा की जा रही है। सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है, इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कोई आश्वासन देने की स्थिति में नहीं हूं।

उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम

*446. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उर्वरकों का वर्तमान वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने का है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए कुछ अन्य देशों से बातचीत चल रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उर्वरकों का उत्पाद बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान उर्वरकों का उत्पादन लगभग 39.17 लाख टन नाइट्रोजन तथा 12.63 लाख टन पी2 ओ5 है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) भारत में संयुक्त उद्यम उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में किसी विदेशी कंम्पनी के साथ इस समय कोई वार्ता नहीं चल रही है ।

(ङ) देश में उर्वरकों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम आरंभ किया गया है । इस कार्यक्रम के भाग के रूप में, बहुत से नए उर्वरक संयंत्र पहले ही कार्यान्वित किए जा रहे हैं और क्रमिक रूप से कुछ और संयंत्रों का कार्यान्वयन आरम्भ करने का प्रस्ताव है । इसके अतिरिक्त चालू उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन निष्पादन के सुधार लाने के लिए भी उपचारी उपाय किए गए हैं/करने की योजना है ।

श्री चिंतामणि जेना : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने विवरण में यह कहा है कि देश में उर्वरकों की मांग पूरी करने हेतु देश में उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार हर-सम्भव प्रयास कर रही है । लेकिन उनके इन समस्त प्रयासों के बावजूद मैं यह जानना चाहता हूं, कि क्या पोटाश, जिसका उत्पादन देश में नहीं किया जा रहा, के अतिरिक्त वे विदेश से उर्वरक आयात करने पर भारी धनराशियां खर्च कर रहे हैं । यदि हां, तो छठी योजना अवधि में आयातित उर्वरकों की मात्रा, उसकी लागत तथा सातवीं योजना अवधि में इसके संभावित आयात की मात्रा और उसकी लागत क्या है ?

सातवीं योजना के दौरान अपेक्षित पोटाश, यूरिया और अमोनिया के उत्पादन के लिए मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किये गए है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इस पर कल चर्चा हुई थी और मैंने देश में उर्वरकों की स्थिति के बारे में विस्तार से उत्तर दिया था और मैंने इस तथ्य को भी स्वीकार किया है कि जहां तक उर्वरक के उत्पादन का सम्बन्ध है, हम इसमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम नहीं हुए हैं और मैंने आंकड़े भी दिये हैं ।

माननीय सदस्य 1985-86 के लिए मांग और उत्पादन के बीच अन्तर के बारे में जानना चाहते थे । यह अंतर 15.50 लाख टन का होने वाला है । सातवीं योजना के अन्त तक, 1989-90 में यह अन्तर 15.50 लाख टन से घट कर 8.03 लाख टन रह जायेगा । सरकार

ने पहले ही नये उर्वरक एकक, विशेष रूप से प्राकृतिक गैस पर आधारित, स्थापित करने के लिए कार्यवाही की है तथा सातवीं योजना में भी और अधिक स्थापित करने के लिए प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसीलिये, जहां तक देशी उर्वरक का सम्बन्ध है; सरकार यथाशीघ्र आत्म-निर्भर बनने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और मैंने कल के वाद-विवाद के अपने उत्तर में इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि फास्फेट उर्वरक और पोटाश के मामले में आत्म-निर्भर बनने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि देश दुर्भाग्यवश इन उर्वरकों का उत्पादन करने के लिए अपेक्षित कच्चा माल प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है।

श्री चिन्तामणि जेना : अध्यक्ष महोदय, एक कुशल कृषक होने के नाते आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी जमीन में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है जो इसके लिए बहुत आवश्यक हैं। इसी वजह से हम अधिक कार्बनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व सुपर फास्फेट में उपलब्ध हैं और इन सुपर फास्फेट उर्वरकों का उत्पादन मुख्यतया लघु उद्योगों द्वारा किया जाता है। सुपर फास्फेट का उत्पादन करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड बहुत आवश्यक है। इन लघु एककों तथा लघु उद्योगों के पास अपने खुद के सल्फ्यूरिक एसिड के संयंत्र स्थापित करने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं हैं। इसलिए, ये भारी लागत पर खुले बाजार से सल्फ्यूरिक एसिड खरीद रहे हैं। उर्वरक पर राज सहायता देने के लिए सरकार बड़े संयंत्रों के मालिकों को तथा लघु उद्योगों के मालिकों को समान दर से सहायता दे रही है। लेकिन बड़े संयंत्रों के मालिकों के अपने खुद के सल्फ्यूरिक संयंत्र हैं और उनकी उत्पादन लागत काफी कम है। इन लघु एककों को घाटा हो रहा है और इसलिए, उनमें से अधिकांश अपने उद्योगों को बन्द करने के बारे में गम्भीरता से विचार कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय बड़े एककों की तुलना में छोटे एककों को अधिक राज सहायता देने पर विचार करेगा ?

मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार एक चरणबद्ध तरीके से कुछ उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत लम्बा प्रश्न है। आप संक्षेप में बोलिए।

श्री चिन्तामणि जेना : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या बिजली की कमी पूरी करने के लिए सरकार गैस पर आधारित संयंत्रों की स्थापना करेगी, जैसा कि मंत्री महोदय ने कल सभा में कहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं वर्तमान सभा के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि हमें पूरक प्रश्न पूछने की मूल धारणा को समझने का प्रयास करना चाहिए। यह संवाद अथवा वक्तव्य बनता जा रहा है अथवा यह चाहे जो कुछ भी हो, यह वाद-विवाद नहीं है। आप सारा समय ले रहे हैं। मैं सभी सदस्यों से भी यह अनुरोध करूंगा कि रोजाना प्रत्येक सदस्य को बोलने का मौका देना बिल्कुल सम्भव नहीं है क्योंकि सभा में 544 सदस्य हैं और प्रत्येक सदस्य को मौका दिया जाता है और उसे कुछ कहने का मौका दिया जाना चाहिए। मैं सभी सदस्यों को मौका नहीं दे सकता। वस्तुतः यह मेरे लिए परेशानी की बात बन जाती है। कुछ माननीय सदस्य रोजाना अपने हाथ उठाते हैं। मेरे लिए उन्हें प्रतिदिन मौका देना सम्भव नहीं। वस्तुतः यह मेरे लिए परेशानी की बात है। यदि मंत्री महोदय चाहें, तो इस खिचड़ी वाद-विवाद का उत्तर दे सकते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि सरकार की नीति उन क्षेत्रों में और अधिक एस० एस० पी० एककों को बढ़ावा देने की है। जहां कोई एस० एस० पी० एकक नहीं है और खपत तथा मांग अधिक हैं अथवा उन क्षेत्रों में जहां ऐसे एकक विद्यमान हैं और जो सम्पूर्ण मांग को पूरी करने की स्थिति में नहीं हैं। जहां तक एस० एस० पी० एककों का सम्बन्ध है, एस० एस० पी० में पहले ही सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे जस्ता, बोरान आदि शामिल हैं और एस० एस० पी० उर्वरक भी हैं जिसे राजसहायता मिल रही है। जहां तक सल्फर का संबंध है, उन्हें खनिज एवं धातु व्यापार निगम के माध्यम से रियायती दर पर सल्फर मिल रहा है, और जहां तक पोटाश का सम्बन्ध है, हम इसका उत्पादन करने की स्थिति में नहीं हैं, इसका आयात किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती चन्द्रा त्रिपाठी : मैं मंत्री जी से यह कहना चाहूंगी कि उर्वरकों के उत्पादन के सम्बन्ध में कल इन्होंने यह निवेदन किया था कि सोडा एश यहां पर काफी मात्रा में है और जो कमी होगी, उसे इम्पोर्ट करके पूरा करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में, जहां सोडा एश बनाया जाता है और उसी से एल्मोनिया नाइट्रेट निकाला जाता है, वे कारखाने बन्द पड़े हैं। उनका कहना यह है कि उनके पास रा-मैटीरियल की शार्टेज है। उनको सोफ्ट कोक, कोल साल्ट की जरूरत होती है और वे कहते हैं कि हमारे पास सोफ्ट कोक और दूसरा रा-मैटीरियल नहीं है और इस कारण उन्होंने फैक्टरी में ले-आफ कर रखा है। मैं जानना चाहती हूं कि ऐसे कारखानों को चलाने के लिए, रा-मैटीरियल उन्हें दिलाने के लिए क्या कोई प्रबन्ध मंत्री जी करेंगे और क्या शासन इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही कर रहा है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, माननीय सदस्या ने सोडा एश के बारे में प्रश्न पूछा है और यह प्रश्न फर्टीलाइजर्स के बारे में है। सोडा एश फर्टीलाइजर नहीं है। सोडा एश का प्रोडक्शन हमारे देश में हो रहा है। जब हम मैनुफैक्चरर्स से पूछते हैं, तो वे यही कहते हैं कि जितनी इसकी डिमांड है, उतना प्रोडक्शन हो रहा है। कभी-कभी हमारे पास शिकायत आती है कि सोडा एश हम लोगों को नहीं मिलता है। इसलिए सोडा एश को ओ० जी० एल० में रखा गया है। जिस किसी को सोडा एश नहीं मिलता है, इम्पोर्ट के जरिये उनको मुहय्या किया जाता है।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ रथ : मैं मंत्री महोदय से उड़ीसा में राऊरकेला स्थित उर्वरक संयंत्र की प्रगति के बारे में जानना चाहूंगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मुझे इसके लिए अलग सूचना चाहिए। मेरे पास जानकारी नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : असम और त्रिपुरा में प्राकृतिक गैस की भारी मात्रा में उपलब्धता को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की वहां गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की कोई योजना है जिससे इस क्षेत्र का औद्योगिक पिछड़ापन समाप्त हो और उत्पादन में भी वृद्धि हो ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सातवीं योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिए मेरे लिए यह कहना सम्भव नहीं है कि कितने एकक स्थापित किए जा रहे हैं।

सेना चिकित्सा कोर में चिकित्सकों के रिक्त पद को भरना

*447. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना चिकित्सा कोर द्वारा चलाए जाने वाले शिक्षा और प्रशिक्षण के पाठ्यक्रमों को पूरा-पूरा फायदा उठाया गया है;

(ख) सेना चिकित्सा कोर में विभिन्न शाखाओं में कितने चिकित्सकों की आवश्यकता है और क्या सभी रिक्त पद भरे जाते हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) सेना चिकित्सा कोर के डाक्टरों में सामान्य ड्यूटी डाक्टर और विशेषज्ञ आते हैं। इनकी स्वीकृत संख्या और उसमें कमी इस प्रकार है :—

	स्वीकृत संख्या	कमी
सामान्य ड्यूटी डाक्टर	3320	420
विशेषज्ञ	1635	33

सेना चिकित्सा कोर में डाक्टरों की स्वीकृत संख्या की तुलना में कुल कमी 9.14 प्रतिशत है जबकि विशेषज्ञों के मामले में यह कमी केवल 2 प्रतिशत है।

(ग) इस कमी के कारण इस प्रकार हैं :

(i) सेना से बाहर उनकी उन्नति के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं।

(ii) कठिन सेवा शर्तें; और

(iii) सेना की स्वीकृत संख्या में समय-समय पर होने वाली वृद्धि।

इसके अलावा मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करता हूं कि सरकार प्रत्येक वर्ष अनुकम्पा के आधार पर कतिपय त्यागपत्रों को स्वीकार करती है और इस प्रकार पहले से ही कम डाक्टरों की संख्या में और कमी आ जाती है।

श्री जी० जी० स्वैल : मंत्री महोदय की यह बात सुनकर प्रसन्नता हुई कि सेना द्वारा दी गई सभी सुविधाओं का लाभ उठाया जा रहा है और कमियां मामूली-सी हैं। फिर भी, मैं यह जानना चाहूंगा कि पुणे स्थित आरमड फोर्सिस मेडिकल कालेज द्वारा दिखाए गए खाली स्थानों की कितनी संख्या है, प्रति वर्ष कितने उम्मीदवार उत्तीर्ण होते हैं और इस संख्या की 135 डाक्टरों, विशेष रूप से विशेषज्ञ वर्ग में जिसके बारे में पता चला है कि वे प्रति वर्ष समय पूर्व सेवा निवृत्ति लेकर सेवा निवृत्त हो रहे हैं, के साथ किस प्रकार तुलना की जाती है ? 20 वर्ष के बाद उन्हें पेन्शन मिलती है और वे सेवा-निवृत्त हो सकते हैं और यही वह अवधि होती है जिसमें ये डाक्टर विशेषज्ञता के शिखर पर पहुंचते हैं लेकिन वे नौकरी छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें विदेशों में अथवा बाहर खुले बाजार में बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि इन आंकड़ों का वास्तव में कोई अर्थ है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : आरम्ड फोर्सिस मेडिकल कालेज में 130 विद्यार्थी लिए जाते

हैं। लेकिन ए० एम० एम० सी० से हमें प्रतिवर्ष 90 के आस पास डाक्टर मिलते हैं इसमें 78 और 91 के बीच का अन्तर होता है और पास करने वालों की प्रतिशतता कुछ कम है। सीधी भर्ती से वर्ष 1982 से लेकर 1984 तक हमें 1982 में 205, 1983 में 305 और 1984 में 350 डाक्टर मिले हैं। हम कमी को पूरी कर रहे हैं और मुझे आशा है कि अगले 1 या 2 वर्षों में डाक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी।

तत्पश्चात्, विशेषज्ञों के मामले मे ये कमियां वास्तव में थोड़ी-सी हैं, उदाहरण के तौर पर, सर्जरी में प्राधिकृत 269 और उपलब्ध 264 विशेषज्ञ हैं। इसलिए 5 विशेषज्ञों की मामूली-सी कमी है। केवल एक क्षेत्र में अर्थात् अनेसथेसिया में हमारे पास 10 विशेषज्ञों की कमी है। अन्य क्षेत्रों में यह संख्या केवल 2, 3, 4 है। मेरे विचार में यह कोई गम्भीर कमी नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को निश्चित रूप से यह आश्वासन देना चाहूंगा कि इस कमी को भी पूरा कर लिया जाएगा।

श्री जी० जी० स्वैल : क्या यह सही है कि देश के सर्वोत्तम मेधावी व्यक्ति, हमारे देदीप्यमान नौजवान सेना द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए आगे नहीं आते हैं ? यदि यह सच है तो क्यों ? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार हमारे विशेषज्ञों को दी गई सुविधाओं में सुधार लाने पर विचार कर रही है ताकि वे समय से पूर्व सेवा निवृत्त होने के लिए प्रेरित न हों और अपने पदों पर बने रहें और अन्तिम क्षणों तक जितनी सेवा वे कर सकते हैं, सेना की भरसक सेवा करें, चाहे आप उनके वेतन बढ़ाने, उनकी पदोन्नति की सम्भावनाओं, अन्य सुविधाओं, जो आप उन्हें दे रहे हों, के बारे में सोच रहे हों क्योंकि विशेषज्ञ बाजार में हैं और हर जगह हैं और जब तक हम उस बारे में कुछ नहीं करेंगे तब तक हम उन्हें रोक नहीं सकते।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं कि भर्ती की मात्रा जो भी रही हो, विशेषज्ञों के वर्ग में कमी केवल 2 प्रतिशत ही है। इसलिए मैं इसे गम्भीर नहीं समझता और इस 2 प्रतिशत की कमी को भी पूरा किया जा सकता है और अनुकम्पा के आधार पर दिए गए त्यागपत्रों को केवल इसलिए स्वीकार नहीं किया जाता है कि उन्हें बहुत लाभ मिलेगा, मुझे यहां एक बात और कहनी है कि केवल अनुकम्पा के आधार पर ही सरकार द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि जहां कहीं कोई कमी है, जहां कहीं सेवा शर्तों में कोई सुधार लाया जा सकता है, यह एक चालू प्रक्रिया है। मैं यह नहीं समझता कि हमारे लिए उन्हें यहां रखने के लिए उन्हें अन्य देशों में दी जा रही परिलब्धियों के बराबर परिलब्धियां दिया जाना सम्भव होगा। यह सम्भव नहीं होगा। लेकिन हमारे पास उपलब्ध साधनों के अन्दर, हमारी अपनी सीमाओं के भीतर, जो कुछ भी सम्भव है, वह किया जा रहा है और जैसा कि मैंने कहा, यह एक चालू प्रक्रिया है।

श्री डी० एन० रेड्डी : क्या मंत्री महोदय सेना की सेवा के लिए विकल्प देने वाले उम्मीदवारों के भविष्य को सुधारने की सम्भावनाओं पर विचार करेंगे, ताकि विद्यमान रिक्त पदों को भरने के लिए अधिक संख्या में विशेषज्ञों और अन्य उम्मीदवारों को आकर्षित किया जा सके ? चूंकि देश की सुरक्षा के लिए उनकी सेवाएं बहुत आवश्यक हैं, अतएव, इन रिक्त स्थानों को लम्बे समय तक न भरा जाना वांछनीय नहीं है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : विशेषज्ञों के स्तर पर, जैसा कि मैं पहले निवेदन कर चुका हूं 2 प्रतिशत कमी, जैसी कि आज मौजूद है, गम्भीर कमी नहीं है और हम इस कमी को अगले एक

अथवा दो वर्षों में पूरी कर सकते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेवा शर्तों को अधिक आकर्षक बनाने की प्रक्रिया एक चालू प्रक्रिया है। ऐसी कोई आपातकालीन स्थिति नहीं है जिसकी वजह से इस बात पर अभी एक विशेष मामले के रूप में विचार किया जाए कि उन्हें अधिक से अधिक संख्या में आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। वास्तव में हमारे अधिकारी प्रति वर्ष मेडिकल कालेजों में जा रहे हैं और चुने गए अंतिम वर्ष के एम० बी० बी० एस० विद्यार्थियों पर 7200 रुपए का भुगतान कर रहे हैं। विद्यार्थी द्वारा एम० बी० बी० एस० पास करने के बाद उसे सेना में स्थायी कमीशन दे दिया जाता है। इसलिए जो कुछ किए जाने की आवश्यकता है सभी कुछ किया जा रहा है। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा कि यह एक चालू प्रक्रिया है। यदि इस बारे में कोई विशिष्ट सुझाव हैं, हम उन पर हमेशा विचार कर सकते हैं।

श्री महेन्द्र सिंह : क्या यह सच है कि सेना चिकित्सा कोरों में दो विभिन्न संवर्गों को मिलाने के कारण मैं समझता हूं कि वे प्रशासनिक और विशेषज्ञों के संवर्ग हैं—कुछ वरिष्ठ अधिकारी सेवा निवृत्त होने थे और दूसरे संवर्ग के कुछ कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नत किए गए थे? अब हुआ यह कि उसके फलस्वरूप वे न्यायालय चले गए और उन्होंने अपने मामले में जीत हासिल की और उन्हें नौकरी पर वापस लाना पड़ा। क्या मंत्री महोदय नियमों में ऐसे बार-बार होने वाले परिवर्तनों के कारणों की जांच करेंगे जिससे कुछ अधिकारियों को लाभ मिला और दूसरे अधिकारियों को नुकसान पहुंचाया गया और सेना में काम करने वाले अधिकारियों के मनोबल पर प्रभाव पड़ा है?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। यदि माननीय सदस्य मुझे विस्तृत जानकारी दे सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से इस मामले की जांच करूंगा।

सियोल में हुआ अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल का छठा वार्षिक सम्मेलन

*448. **श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उद्योगपतियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में सियोल में हुई अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मण्डल के छठे वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को उक्त सम्मेलन में हुए विचार-विमर्श के निष्कर्षों के बारे में रिपोर्ट और अन्य ब्यौरा प्राप्त हो गया है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां। एक गैर-सरकारी निकाय इन्डियन नेशनल कमेटी ने, जो अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का एक सदस्य है सियोल में 25 से 28 मार्च, 1985 तक हुए सम्मेलन में एक 14 सदस्यीय शिष्टमंडल भेजा था।

(ख) जी, नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती ऊषा चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने प्रश्न के भाग 'ख' के उत्तर में बताया है 'जी नहीं', इसलिए मैं यह पूछना चाहती हूं कि यह रिपोर्ट कब तक मिलेगी। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि प्रतिनिधिमण्डल भेजने से पहले क्या सरकारी स्तर पर कोई विचार-

विमर्श किया जाता है। जब प्राइवेट सेक्टर से या एसोसिएशन से लोग जाते हैं तो उससे पहले सरकारी नीति को ध्यान में रखकर कोई विचार-विमर्श किया जाता है या नहीं, ताकि सरकार की आर्थिक नीति एवं प्रतिनिधिमण्डल के दृष्टिकोण में कोई विरोधाभास न रहे।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने उत्तर में कहा था कि यह एक गैर-सरकारी संस्था है और उस संस्था ने अपनी तरफ से इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए 14 सदस्यों का एक प्रतिनिधिमण्डल भेजा था। उनके लिए यह भी आवश्यक नहीं है कि वहां से आने के बाद जो वे रिपोर्ट तैयार करें, वह सरकार को दें। इसलिये यह कहना भी संभव नहीं होगा कि वे कब तक अपनी रिपोर्ट देंगे।

श्रीमती ऊषा चौधरी : मंत्री महोदय ने यह जवाब दिया है, हम तो चाहते थे, चाहे गलत हो या सही, लेकिन हमारी भावना थी कि वह रिपोर्ट शासन के पास आए और सरकार की आर्थिक नीति को लेकर उस पर विचार-विमर्श हो। वैसे गाइड-लाइन्स उन उद्योगपतियों को मिले। लेकिन, मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया कि कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूं क्योंकि निजी क्षेत्र पर सरकार बहुत निर्भर है। ऐसी लोगों की भावना है और ऐसा माहौल बना हुआ है। निजी क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए क्या सरकार कोई नयी नीति अपना रही है?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : नीतियां और कानून पहले से ही बने हुए हैं। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों यानी दोनों पर ही हम निर्भर करते हैं और दोनों का ही विकास चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कानून बदल तो सकता है।

(व्यवधान)

'आन्ध्र रेजिमेंट' बनाने का अनुरोध

[अनुवाद]

*449. **श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सिक्ख, जाट, मद्रास, गोरखा आदि रेजिमेंटों की तरह पैदल सेना की एक रेजिमेंट को 'आन्ध्र रेजिमेंट' का नाम देने के बारे में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है और उक्त रेजिमेंट का कब तक गठन कर लिया जाएगा?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क), जी, हां।

(ख) आजादी के बाद से सरकार की नीति किसी राज्य, क्षेत्र, जाति या समूह के आधार पर नयी रेजिमेंट बनाने की नहीं है। क्षेत्र आदि पर आधारित मौजूदा रेजीमेंट आबादी से पहले की हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त अनुरोध का उत्तर भी भेज दिया गया है।

श्री वी० सोमनाद्रीसवरा राव : मंत्री महोदय ने बताया कि सरकार की नीति किसी राज्य, क्षेत्र, जाति या समूह के आधार पर नयी रेजिमेंट बनाने की नहीं है। किन्तु जिन रेजिमेंटों को इस आधार पर नाम दिये गए हैं उन नामों को नहीं हटाया गया है और अभी तक उनके वही

नाम हैं। यदि राज्य सरकार के अनुरोध पर कुछ रेजिमेंटों का नाम रखा जाए, उदाहरण के तौर पर आंध्र सरकार के अनुरोध पर यदि आंध्र रेजीमेंट गठित की जाए तो मेरा ख्याल है यह गलत नहीं होगा। क्या सरकार अपने पिछले निर्णय पर फिर से विचार करेगी और निकट भविष्य में सम्बन्धित राज्य सरकारों के अनुरोधों के अनुसार कुछ रेजीमेंटों का नामकरण करेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : इसके बारे में एक बार नहीं बल्कि अनेक बार विचार किया जा चुका है। हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ब्रिटिश काल के दौरान जो भी हो रहा था वह अपने आपमें वांछनीय नहीं था; उसे अब बदला जाए या नहीं, इसके बारे में अवश्य ही विचार किया जा सकता है, किंतु उस सूची में बढ़ोतरी का तो सवाल ही नहीं उठता।

अन्य अनेक स्रोतों से भी अनुरोध प्राप्त हुए हैं, अहीर रेजिमेंट के लिए अनुरोध मिला है, कर्नाटक रेजिमेंट के लिए अनुरोध मिला है; हर तरह के वर्गों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं, किन्तु मेरी यही राय है कि इस नीति में परिवर्तन लाना सम्भव नहीं होगा जिसे आजादी के बाद सोच विचार कर निर्धारित किया गया है, और मंजूर किया गया है।

श्री अजय मुशरान : जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जानते हैं ब्रिटिश शासकों ने सम्भवतः उन क्षेत्रों के आधार पर रेजिमेंट के नाम रखे थे जहां से सैनिक भरती किए जाते थे। क्या सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि मैं जिन रेजिमेंटों का नामकरण क्षेत्रीय आधार पर किया गया है—उनमें उस क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से भी भरती की जाए ? इसके अतिरिक्त मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार आर्म्ड कोर के समान ही रेजिमेंटों को संख्या दिये जाने के बारे में विचार क्यों नहीं करती ? इसी प्रकार विभिन्न रेजिमेंटों को संख्या दी जा सकती है। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; यदि नहीं, तो क्या सरकार इस पर विचार करेगी ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है उसका उत्तर यही है कि इस समय सभी राज्यों, जातियों आदि से सभी रेजिमेंटों में भरती की जा रही है। किसी एक रेजिमेंट में किसी एक राज्य या जाति से ही भरती किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ रेजिमेंट अभी भी ऐसे हैं जिनका नाम अभी भी वही है किंतु उनमें लम्बे समय पहले भरती की गई थी, किन्तु अब सभी वर्गों आदि से भरती की जाती है।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, मैं यह नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : रेजिमेंटों को भी आर्म्ड कोर के समान संख्या क्यों नहीं दी जाती ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यदि इनका नामकरण समुदाय, राज्य या क्षेत्रीय आधार नाम पर नहीं किया जाए, तो यदि कोई ठीक सुझाव आने पर विचार किया जा सकता है कि इनका नाम वास्तव में किस प्रकार रखा जाए।

[हिन्दी]

श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती थी कि जाति के आधार पर और रेजिमेंटों के नाम नहीं रखे, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं और इतिहास उनकी गवाही रहे हैं, उनमें से बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए रेजिमेंट के नाम इस तरह से रखे जायें ताकि वहां के लोग इतिहास की याद दिला सकें और वीरता को याद रखें। क्या मंत्री महोदय इस तरफ ध्यान देंगे ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वे उसे अपवाद रूप में चाहती हैं।

[हिन्दी]

श्री पी० वी० नरसिंह राव : अध्यक्ष महोदय, वहां के लोगों को अपने पुरखों की वीरता याद दिलाने के लिए कई और तरीके हो सकते हैं। ब्रिटिश सरकार के जमाने में यह सोचा जाता था कि भारत में कुछ ऐसे प्रान्त हैं, जहां के लोग बड़े बहादुर हैं, और प्रान्तों के लोग उतने बहादुर नहीं हैं और उनको मार्शल क्लासिस कहा जाता था। आजादी के बाद हमने वह हाइपोथेसिज छोड़ दिया है। हम सोचते हैं कि भारत का हर नागरिक उतना ही बहादुर है, बशर्ते कि उसे मौका दिया जाये।

गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

*450. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में कितने छोटे टेलीफोन एक्सचेंज हैं तथा उनसे कितने टेलीफोन कनैक्शन दिये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां टेलीफोनों के बारे में शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि छोटे टेलीफोन एक्सचेंज ठीक तरह काम नहीं करते हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार छोटे एक्सचेंजों के स्थान पर 1000 लाइन वाले बड़े एक्सचेंज स्थापित करने का है, जिससे शिकायतों की संख्या में कमी होगी, कार्य-कुशलता बढ़ेगी और वे कम खर्चीले सिद्ध होंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) गुजरात में छोटे टेलीफोन एक्सचेंजों (एम० ए० एक्स-III) की संख्या 514 हैं जिनसे 30-9-84 तक 16135 कनैक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ख) गुजरात में छोटे टेलीफोन एक्सचेंज आमतौर पर संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। इस बारे में शिकायत मिलते ही कार्रवाई की जाती है।

(ग) छोटे एक्सचेंज के बदले 1000 लाइनों वाले बड़े एक्सचेंज की स्थापना टेलीफोनों की मांग, वित्तीय व्यवहार्यता एवं स्वचल स्विचन उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वहां टेलीफोन की शिकायतों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि छोटे टेलीफोन एक्सचेंज ठीक से काम नहीं करते। जवाब में यह नहीं बताया गया है कि शिकायतों की संख्या कितनी है। मैं जानना चाहूंगा कि शिकायतों की क्या तादाद है और उसके लिए क्या किया जा रहा है।

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमान्, शिकायतों की तादाद बताना अभी सम्भव नहीं है, लेकिन हमने एक प्रक्रिया बना रखी है कि शिकायतें आयें तो उस पर किस तरह गौर किया जाये, किस तरह उनको ठीक किया जाये। जब भी शिकायत आती है और दर्ज की जाती है तो सम्बन्धित

अधिकारी के पास भेजी जाती है और सारी बात करके उनको ठीक करने की कोशिश की जाती है।

मैं बताना चाहूंगा कि दिसम्बर माह की गुजरात की अगर हम बात करेंगे कि कितनी शिकायतें आईं तो जो छोटे एक्सचेंज हैं, उनमें जो कालें नहीं गईं उसका प्रतिशत केवल 1.9 प्रतिशत है और जो दूसरे एक्सचेंज हैं उनमें 2.6 प्रतिशत है। जहां तक ट्रंक कॉल का सवाल है जो एफेक्टिव ट्रंक-कॉल हुई हैं उनका प्रतिशत 1970-71 से लगाकर 76 प्रतिशत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी ज्यादा अच्छी सुविधा हमारे जो टेलीफोन उपभोक्ता हैं, उनको दी जाये और गुजरात के लिए हमने खासतौर से सातवीं पंचवर्षीय योजना में एक योजना भी बनायी है ताकि यह पुराने एक्सचेंज जो हैं, जिनमें छोटे एक्सचेंज भी शामिल हैं, उनका शनैः शनैः नवीनीकरण किया जाये और नये एक्सचेंज स्थापित किये जायें।

श्री नरसिंह मकवाना : माननीय मन्त्री जी ने अभी जो उत्तर दिया है वही लिखित उत्तर में कहा है "छोटे एक्सचेंज के बदले 1000 लाइनों वाले बड़े एक्सचेंज की संस्थापना टेलीफोन की मांग, वित्तीय व्यवहार्यता एवं स्वचल स्विचन उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करती है।" मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा क्या सरकार ने आटोमैटिक उपकरणों के लिए कोई डिमाण्ड रखी है, उसके लिए कोई कार्यक्रम बनाया है या कोई योजना बनाई है ? यदि बनाई है तो वह क्या है ?

श्री राम निवास मिर्धा : मैं गुजरात के सम्बन्ध में एक दो मिसालें दे दूं। इस वर्ष गांधीधाम और वैरावल में दो-दो हजार लाइन के एलेक्ट्रानिक एक्सचेंज बाहर से मंगाकर के, बाहर से इम्पोर्ट करके आधुनिक तरीके से लगाए जा रहे हैं तथा 1985-86 में पोरबन्दर, मेहसाना और गांधी नगर में भी एलेक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाए जायेंगे। वैसे तो सातवीं पंचवर्षीय योजना बड़ी महत्वाकांक्षी है, औरों के लिए तो निश्चित नहीं कहा जा सकता लेकिन यह जो 5 जगहें मैंने बताई हैं वहां पर काम हो रहा है और जल्दी ही उसको पूर्ण करने की कोशिश की जायेगी।

श्री प्रताप भानु शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जो छोटे टेलीफोन एक्सचेंज हैं वहां पर अधिकतर शिकायतें मेंटिनेन्स ठीक न होने के कारण ही होती हैं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जानकारी के आधार पर कहना चाहूंगा कि मेंटिनेन्स स्टाफ में जो टैक्नीशियंस और लाइमैन वगैरह होते हैं वह पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से एक्सचेंज में खराबी ठीक करने के लिए वे जा नहीं पाते हैं। मैं जानना चाहूंगा क्या टेलीफोन डिपार्टमेन्ट ने ऐसा कोई सर्कुलर भेजा है कि जो स्वीकृत पोस्टें हैं उन पर भी टैक्नीशियन्स और लाइनमैन का चयन नहीं किया जा सकता ? क्या अगले साल भर के लिए यह पाबन्दी लगा दी गई है ?

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें तथ्य है। कहीं-कहीं जो लाइन स्टाफ है या जो दूसरे तकनीकी व्यक्ति हैं उनकी कमी पड़ जाती है और उसका मुख्य कारण यह है कि पिछले डेढ़ साल से नयी पोस्टों पर बैन लगा है···

श्री प्रताप भानु शर्मा : जो आलरेडी पोस्टें हैं उन पर तो बैन नहीं है ?

श्री राम निवास मिर्धा : उन पर भी नयी नियुक्ति करने पर पाबन्दी लगी है लेकिन हम वित्त मंत्रालय से आग्रह कर रहे हैं कि टेलीफोन सेवाओं—जिसके सम्बन्ध में सदन में काफी चर्चा होती रहती है—उसको ध्यान में रखते हुए इसकी आपरेशनल पोस्ट्स पर बैन न लगाया जाए।

यदि यह बात मान ली जाती है तो माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें काफी हद तक सुधार हो जायेगा।

श्री मोहन भाई पटेल : माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहां यहां जूनागढ़ का जो टेलीफोन एक्सचेंज है वह एशिया में सबसे बड़ा मानव चालित टेलीफोन एक्सचेंज है। जूनागढ़ एक्सचेंज की शिकायतों के सम्बन्ध में मेरे पास तीन दिनों में सैकड़ों टेलीग्राम आए हैं और मन्त्री जी के पास भी गए हैं तो मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं? जैसे आप जानते ही हैं कि जूनागढ़ का एक्सचेंज एशिया में सबसे बड़ा मानव-चालित एक्सचेंज है।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह कुछ हद तक सही है। यह मेरी जानकारी में है कि यह 3200 लाइनों का काफी बड़ा मैनुअल एक्सचेंज है और मैं स्वीकार करता हूं कि जब बाढ़ आई थी उसके बाद से इस एक्सचेंज को चलाने में काफी परेशानियां हो रही हैं। इस एक्सचेंज को हम बदलने जा रहे हैं, जिसकी योजना भी बन चुकी है और मेरा विश्वास है कि सातवीं योजना में इसको पूरा कर लिया जायेगा।

श्री मोहन भाई पटेल : आटोमैटिक एक्सचेंज तो एक साल बाद आयेगा लेकिन तब तक के लिए आप क्या करना चाहते हैं?

श्री राम निवास मिर्धा : अभी वहां पर जो संयंत्र हैं उनको जितने अच्छे तरीके से चला सकेंगे चलायेंगे और नए जो लगाए जा रहे हैं वह जल्दी से जल्दी लगाए जायें इसकी कोशिश करेंगे।

श्री मोहन भाई पटेल : कंप्लेन्ट्स के बारे में नहीं बतलाया।

श्री राम निवास मिर्धा : माननीय सदस्य कंप्लेन्ट कर रहे हैं, इससे बड़ी कंप्लेन्ट और क्या होगी।

श्री सोमजीभाई डागोर : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां गुजरात में टेलीफोन एक्सचेंज में यह हालत है कि दस मिनट तक एक्सचेंज से कोई बोलता नहीं है और यदि आप कंप्लेन्ट करेंगे तो कनेक्शन काट देते हैं। इस तरह वे लोकल कनेक्शन भी नहीं देते हैं और ट्रंक काल्स भी नहीं देते हैं। नो रेप्लाई कहकर टेलीफोन बन्द कर देते हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, इस मैनुअल एक्सचेंज को आप ओटोमैटिक एक्सचेंज में कब तक बदल देंगे?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, मैंने बताया है कि सारे एक्सचेंज एकदम जल्दी नहीं बदल सकेंगे, लेकिन जहां स्थिति दुविधाजनक है, उनको प्राथमिकता देकर जल्दी बदलने की कोशिश की जा रही है।

श्रीमती ऊषा ठक्कर : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने गांधी धाम में एक्सचेंज के बारे में जो कहा है, मैं उसका स्वागत करती हूं। कच्छ, आबड़ासा, लखपत और मांडवी एक बार्डर एरिया है, जहां पर टेलीफोन काफी दिनों तक क्षुब्ध रहता है, इसको बदलने के बारे में मंत्री महोदय ने क्या विचार किया है?

श्री राम निवास मिर्धा : श्रीमन्, माननीय सदस्या ने जिन स्थानों के बारे में विशेष तौर से पूछा है, उसके बारे में मेरे पास कोई सूचना नहीं है। यदि आप मुझे पत्र लिखेंगी तो मैं उसकी पूरी जानकारी आपको भेज दूंगा।

औद्योगिक और पेय प्रयोजनों के लिए अल्कोहल का आबंटन

[अनुवाद]

*451. **श्री सत्यगोपाल मिश्र :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ चीनी उत्पादक राज्यों ने केन्द्रीय शीरा बोर्ड की सलाह के विपरीत औद्योगिक और पेय प्रयोजनों के लिए अल्कोहल के आबंटन को 2 : 1 के अनुपात में परिवर्तन करना शुरू कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप समूचे देश में अल्कोहल पर आधारित उद्योगों और रसायन उद्योगों के उत्पादन कार्यक्रम में अव्यवस्था पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसमें परिवर्तन को बदलकर पूर्ववत स्थिति लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) उक्त उपायों के क्या परिणाम निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

विवरण

केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा औद्योगिक और पेय प्रयोजनों के लिए अल्कोहल के आबंटन का कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है । तथापि 1980 से केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठकों में राज्य सरकारों से पेय और औद्योगिक प्रयोजनार्थ अल्कोहल के प्रयोग के बीच उचित संतुलन बनाने के लिए निरन्तर अनुरोध किया जाता रहा है ताकि रसायन उद्योगों की मांग को पूर्णरूपेण पूरा किया जा सके ।

दिनांक 19.11.1975 से सरकार ने 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख मामलों को छोड़कर अतिरिक्त क्षमता के सृजन अथवा आसवन की विद्यमान क्षमता के विस्तार अथवा अल्कोहालिक पेय के मद्यकरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है । तथापि, गुण-दोष के आधार पर अनुमोदन प्रदान करने हेतु औद्योगिक अल्कोहल के निर्माण हेतु एककों पर विचार किया जाता है ।

अल्कोहल वर्ष 1983-84 (दिसम्बर, 1983 नवम्बर, 1984) के लिए अन्तर-राज्य आबंटन करते समय पेय प्रयोग के लिए अल्कोहल की कमी वाले राज्यों की मांग को 1982-83 में हुई खपत के स्तर पर स्थिर रखा गया था और औद्योगिक तथा पेय प्रयोग हेतु अलग-अलग आबंटन किये गये थे । चालू अल्कोहल वर्ष, 1984-85 के लिए केन्द्रीय शीरा बोर्ड की उप समिति ने सभी राज्य/संघ शासित राज्यों की पेय प्रयोग हेतु अल्कोहल की मांग को 1982-83 के खपत स्तर तक सीमित रखने का निर्णय लिया है और औद्योगिक प्रयोजनार्थ 10 प्रतिशत वृद्धि की अनुमति दी गई है । अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को अपनी क्षमता का बेहतर उपयोग करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से सरकार ने औद्योगिक प्रयोग हेतु 30.11.1985 तक परिशोधित स्प्रिट के आयात पर सीमा-शुल्क समाप्त कर दिया है और अलग-अलग मामलों के आधार पर आयातों को स्वीकृति दी है ।

इन उपायों के परिणामस्वरूप पेय प्रयोग के लिए अल्कोहल की खपत और उत्पादन पर रोक लगाने और औद्योगिक प्रयोजनार्थ अल्कोहल की उपलब्धता में सुधार होने की सम्भावना है ।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : औद्योगिक अलकोहल की कमी के कारण विभिन्न राज्यों, जैसे—आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश के रासायनिक कारखाने या तो बंद हो रहे हैं या कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री से पूछ सकता हूं कि हमारे देश में औद्योगिक अलकोहल की वास्तविक आवश्यकता क्या है, उत्पादन की मात्रा क्या है तथा कमी को पूरा करने के लिये सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं उत्पादन तथा मांग की वस्तुस्थिति बता सकता हूं। हाल ही में हमारे केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक हुई थी जिसमें राज्यों के आबकारी मंत्रियों ने भी भाग लिया था। औद्योगिक तथा पेय दोनों प्रयोजनों के लिये अल्कोहल के अनुमानित उत्पादन पर विस्तृत परिचर्चा की। चालू वर्ष में अल्कोहल का लगभग 6,000 लाख लिटर उत्पादन होने का अनुमान है। हमें सूचित की गई विभिन्न राज्यों की कुल आवश्यकता लगभग 8,600 लाख लिटर है। अत: इस आवश्यकता के अनुसार 2,600 लाख लिटर की कमी है। किन्तु हमारा विचार है कि बहुत से राज्यों की मांग दिखायी गई मांग के बराबर नहीं है। वे अपनी मांग को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। इसलिए एक उपसमिति नियुक्त की गई और उस उप-समिति में यह निर्णय लिया गया कि जहां तक पेय अल्कोहल की मांग का सम्बन्ध है, इसे 1982-83 की खपत के स्तर पर स्थिर कर देना चाहिए, तथा औद्योगिक कार्यों के लिए गत वर्ष की खपत से दस प्रतिशत और अधिक मात्रा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ये दोनों मानदण्ड स्वीकार कर लिए जाते हैं तो मैं समझता हूं देश में अल्कोहल की कोई कमी नहीं होगी। तथापि, यदि कोई कारखाना, जो अल्कोहल पर आधारित है, अल्कोहल की कमी का अनुभव करता है तो हमने सभी कारखानों तथा राज्य सरकारों को बता दिया है कि औद्योगिक अल्कोहल की जितनी भी आवश्यकता हो, वे उसका आयात करने के लिए स्वतन्त्र हैं, इस पर कोई सीमा-शुल्क नहीं है, यह पूर्णतया शुल्कमुक्त है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : वर्ष 1956 में सरकार ने कोयला, इस्पात आदि पर भाड़े की दर समान बनाने के लिए एक विधान लागू किया था। सरकार ने विभिन्न राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक अल्कोहल का वितरण एक ही मूल्य पर करने के लिए क्या-क्या उपाय किए हैं ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक अल्कोहल के वितरण का सवाल है, भारत सरकार की भूमिका समन्वयकर्ता की है। बोर्ड की बैठकों में हम राज्यों से उत्पादन तथा मांग के तथा इस बारे में चर्चा करते हैं कि क्या वे इसमें कुछ बचत करने में समर्थ हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आबंटन आदेश दिए जाते हैं। आबंटन के ये आदेश में अतिरिक्त मात्रा वाले राज्य से अल्प मात्रा वाले राज्य के लिए दिए जाते हैं। हमारा अल्कोहल को किसी विशेष राज्य को देने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि अल्कोहल राज्यों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह विषय राज्यों का है। किन्तु एक समन्वयकर्ता के रूप में हम यह देखते हैं कि जहां भी कमी हो उसकी पूर्ति अतिरिक्त मात्रा रखने वाले राज्यों से हो जाये।

श्री वाई० एस० महाजन : क्योंकि औद्योगिक अल्कोहल की मांग बढ़ रही है, पेय अल्कोहल की सप्लाई को क्यों न घटा दिया जाये ? मद्यनिषेध एक मान्य राष्ट्रीय नीति है तथा शराब परिवारों को बरबाद करती है और इस देश में लाखों लोग इसकी हानि को भोग रहे हैं क्यों न पांच या दस वर्षों में धीरे-धीरे पेय अल्कोहल के आबंटन में कमी कर दी जाये ? क्या माननीय मन्त्री इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पेय अल्कोहल की पूर्ति में कमी लाने के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं सरकार कुछ विशेष नहीं कर सकती। हमने कई राज्य सरकारों को पहले से ही यह बता दिया है कि जहां तक अल्कोहल की पूर्ति का सम्बन्ध है, औद्योगिक कार्यों को प्राथमिकता दी जाये तथा पीने के लिए अल्कोहल तभी दी जायेगी जब औद्योगिक प्रयोजनार्थ अल्कोहल की पूर्ति पूर्णतया हो जाये। किन्तु मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि पीने के लिए अल्कोहल का उपयोग बढ़ रहा है। पहले औद्योगिक प्रयोजनार्थ अल्कोहल की खपत पीने के लिए प्रयुक्त अल्कोहल से कहीं अधिक थी। किन्तु 1980-81 से पीने के लिए इसकी खपत बढ़ रही है तथा औद्योगिक कार्यों की तुलना में पीने की खपत अधिक है क्योंकि राज्य सरकारों की नीति ऐसी है। कुछ राज्य सरकारों ने नशाबन्दी की नीति को उदार बना दिया है। स्वभाविक ही है कि पेय अल्काहल की मांग में वृद्धि हो रही है किन्तु, यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि वे इस बात पर विचार करें कि वे कितना अल्कोहल पेय प्रयोजनों के लिए तथा कितना औद्योगिक प्रयोजनों के लिए आबंटित करना चाहते हैं। किन्तु, भारत सरकार ने राज्य सरकारों पर इस बात के लिए जोर दिया है कि वे औद्योगिक प्रयोजनों को प्राथमिकता दें।

त्रिपुरा में गैस के भंडार

*452. **श्री अजय बिश्वास** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रिपुरा क्षेत्र में गैस के कुल भंडारों का कोई विस्तृत सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक कुल कितने गैस-भंडार होने का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) क्या ताप विद्युत संयंत्र के अलावा गैस भंडारों के उचित उपयोग के लिए त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी, हां 11.1.1984 तक 10820 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस के प्रतिलभ्य भण्डारों का पता लगा है।

(ग) त्रिपुरा में विभिन्न क्षेत्रों में और अन्वेषण जारी है तथा यह कुल परिणामों पर निर्भर करेगा। गैस के प्रयोग का एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाएगा। इस दौरान बिजली के उत्पादन के लिए त्रिपुरा राज्य बिजली बोर्ड को गैस मुहैया कराने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सहमत हो गया है।

और स्थानों पर गैस का पता लगने पर ही गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना की योजना बनायी जा सकती है।

श्री अजय बिश्वास : मन्त्री जी ने भण्डारों का तो जिक्र किया किन्तु उन्होंने यह नहीं बताया कि गैस की कुल कितनी मात्रा उपलब्ध होगी। अतः, मैं आपको बताता हूं कि अधिकारी लोग मन्त्री जी को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं। यह पहले से ही उलझा हुआ मामला है बाराम्रा, रोखिया और गुजालिया तीन स्थान हैं। हम अभी एक लाख पचास हजार घन मीटर गैस प्राप्त कर सकते हैं। सातवीं योजना के दौरान, हमें दस लाख घन मीटर गैस उपलब्ध होगी।

त्रिपुरा में गैस बहुत मात्रा में उपलब्ध है। त्रिपुरा औद्योगिक रूप से एक पिछड़ा हुआ राज्य है तथा केन्द्र सरकार त्रिपुरा में कोई भी उद्योग स्थापित नहीं कर रही। त्रिपुरा के लोगों के प्रति यह एक सौतेला व्यवहार है। सातवीं योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है। क्या मन्त्री जी सभा को इस बात का आश्वासन देंगे कि सातवीं योजना में वे त्रिपुरा के लिए गैस पर आधारित एक उर्वरक संयन्त्र को शामिल करेंगे ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मेरे द्वारा दी गई सूचना के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र को गैस की उपलब्धि के विषय में शंका है। मैंने प्रश्न (क) तथा (ख) के उत्तर में विशेष तौर पर बताया है कि 19820 लाख घन मीटर गैस के प्रतिलभ्य भण्डारों का पता लगा है, जहां तक मेरे योग्य मित्र द्वारा सातवीं योजना के दौरान मिलने वाली गैस के सम्बन्ध में दी गई सूचना का सम्बन्ध है, हमें इसके विषय में निश्चित जानकारी नहीं है। ड्रिलिंग चल रही है तथा जब तक भण्डारों का पता नहीं लग जाता, हम अपने विद्वान मित्र के सुझावों अथवा भविष्य से सहमत नहीं हो सकते। यह कहना अनुचित होगा कि उद्योगों की स्थापना के बारे में केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा को नजरन्दाज कर रही है। वास्तव में त्रिपुरा सरकार ने सिर्फ बिजली घरों के लिए ही गैस की मांग की है। और इस विषय में हम त्रिपुरा सरकार से पहले ही बचनबद्ध हैं। जहां तक औद्योगीकरण का सम्बन्ध है—उन्होंने यह नहीं बताया कि वह कौन से उद्योगों की स्थापना करने जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ यह लिखा है कि 1987 के बाद गैस उपलब्ध करा दी जाये। किन्तु गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रयोजन नहीं बताया। जब तक हमारे पास पर्याप्त गैस के भण्डार नहीं हो जाते तब तक हम कुछ भी कह सकते की स्थिति में नही हैं, यदि हमने गैस के भंडारों के पता लगा लिया हो तो हम निश्चय ही उर्वरक संयंत्र को स्थापित करने के प्रस्ताव पर, यदि यह इस योग्य है, विचार कर सकते हैं।

श्री अजय बिश्वास : इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने त्रिपुरा में गैस पर आधारित उद्योगो की स्थापना करने के लिस सर्वेक्षण किया था। क्या केन्द्रीय सरकार इस मामले की जांच करेगी तथा इस प्रस्ताव को स्वीकार करेगी ?

श्री नवल किशोर शर्मा : जैसा कि मैंने पहले कहा, जब तक हमें गैस के निश्चित भण्डारों का पता नहीं लग जाता, हम कोई वचन नहीं दे सकते। वर्तमान उपलब्ध गैस उस क्षेत्र में किसी उद्योग की स्थापना के लिए पर्याप्त नहीं है। जब भी हमें पर्याप्त गैस भण्डारों का पता लगेगा, निश्चय ही हम उन सभी प्रस्तावों पर विचार करेंगे जो इस मंत्रालय को भेजे जाएंगे।

[हिन्दी]

श्री सी० पी० ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले बिहार में मोतीहारी में गैस का भण्डार मिला था, उसमें कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है।

श्री नवल किशोर शर्मा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर वे नोटिस दें और लिख कर दें, तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

[अनुवाद]

डा० रुपालिबु भोई : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने त्रिपुरा में हाईड्रो कार्बन के बनने के क्षेत्र को प्रथक कर दिया है, यदि हां, तो उस संगठन का क्या नाम है जिसने यह कार्य

किया है ? संसार में कोई भी ऐसी तकनीकी नहीं है जिससे हाईड्रोकार्बन अथवा गैस के प्रतिलभ्य भण्डारों का अनुमान लगाया जा सके । इसके आधार पर क्या मन्त्री जी यह बता सकते हैं कि क्या यह एक सम्भावित प्रतिलभ्य भंडार है अथवा निश्चित भण्डार ?

श्री नवल किशोर शर्मा : मैं यह पहले ही कह चुका हूं कि एक निश्चित गैस भण्डार है, जिसका तात्पर्य गैस का वह भण्डार है जो विभिन्न कूपों से प्राप्त की जा सकती है ।

लघु उद्योग एककों का पंजीकरण

[हिन्दी]

*455. **श्री बालकवि बैरागी† :**
श्री महेन्द्र सिंह :

क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्रों के एककों के पंजीकरण की प्रारम्भिक अवधि एक वर्ष के लिए वैध है;

(ख) यदि हां, तो उद्यमी द्वारा एक वर्ष की अवधि के भीतर एकक की स्थापना न किये जाने की स्थिति में इस अवधि को कितना बढ़ाया जा सकता है;

(ग) क्या लघु क्षेत्र के एककों के प्रस्तावित पंजीकरण की वैधता अवधि बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव विकास आयोग (लघु आयोग) के पास विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में नियमों को सरल बनाने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक वर्ष की अवधि के भीतर एकक की स्थापना न किए जा सकने की दशा में राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा अस्थायी पंजीकरण की वैधता एक वर्ष के लिए और बढ़ायी जा सकती है । इसके बाद, अस्थायी पंजीकरण की वैधता विकास आयुक्त (लघु उद्योग) की सहमति से राज्य के उद्योग निदेशक द्वारा दो वर्षों से और आगे बढ़ायी जा सकती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस मामले में अभी अंतिम रूप से निर्णय किया जाना है ।

श्री बालकवि बैरागी : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार का जो प्रस्ताव आपके पास है, वह कब से है, क्या है और उसे अभी तक आपने मान्य या अमान्य क्यों नहीं किया है ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो गया है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बम्बई हाई के उप-उत्पाद

[अनुवाद]

*453. **श्री शान्ताराम पोतदुखे** : क्या पेट्रोलियन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई हाई का वर्ष 1984-85 में कुल उत्पादन कितना था;

(ख) बम्बई हाई के उप-उत्पाद क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनका दोहन करने का है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान पश्चिमी क्षेत्रों से कुल 20.1 मि० मी० टन कच्चे तेल का उत्पादन हुआ ।

(ख) और (ग) कच्चे तेल का उपोत्पाद वह सम्बद्ध प्राकृतिक गैस है जो कच्चे तेल के साथ निकलती है । इस गैस का लगभग 60 प्रतिशत उर्वरक तथा विद्युत उत्पादन तथा बम्बई में तेल शोधक कारखानों में प्रयुक्त होता है ।

उर्वरकों के लिए अवधारण मूल्य प्रणाली

*454. **श्री आर० अनानाम्बी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सच है कि उर्वरकों सम्बन्धी अवधारण मूल्य प्रणाली अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही है और इसके फलस्वरूप राज सहायता की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उक्त प्रणाली की असफलता के कारण सरकार को अधिक आयात करने पर विवश होना पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की वर्तमान विचारधारा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उर्वरकों के लिए प्रतिधारण मूल्य योजना, किसानों को उपयुक्त और नियंत्रित मूल्यों पर उर्वरक, जो कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण निवेश है, उपलब्ध कराने की सरकार की नीति से संबद्ध है । प्रतिधारण मूल्य योजना का उद्देश्य निर्माताओं को अपने निवेश पर उपयुक्त न्याय प्राप्त करके उर्वरकों के स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देना और उसमें वृद्धि करना है । गत वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन में काफी वृद्धि करके प्रतिधारण मूल्य योजना के उद्देश्य को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया गया है । प्रासंगिक तौर पर प्रतिधारण मूल्य योजना की समय-समय पर तथा यह सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षा की जाती है कि उद्देश्य की ओर प्राप्ति के लिये उसकी प्रभावशीलता में सुधार करने हेतु परिवर्तनों को भलीभांति सुनिश्चित किया जाए और आर्थिक सहायता में वृद्धि के भार को टाला जाए, केवल उन मामलों को छोड़कर जहां (क) निवेश की लागत में वृद्धि और (ख) स्वदेशी उत्पादन की मात्रा में वृद्धि के कारण ऐसी वृद्धि करना युक्ति-संगत हो । इस दृष्टि से इस समय एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति वर्तमान पद्धति में सुधारात्मक सुझाव देने हेतु उसकी समीक्षा कर रही है ।

(ख) यद्यपि प्रतिधारण मूल्य योजना की सहायता से कई वर्षों से उर्वरकों के उत्पादन में वृद्धि हुई है, तथापि कृषि के विकास के कारण मांग में भी तीव्र वृद्धि हुई है। अतः अपने उत्पादन की प्रतिपूर्ति हेतु आयात करने पड़ते हैं।

(ग) चूंकि उर्वरकों के पर्याप्त आयात का कारण मांग में वृद्धि होना है जो कि स्वदेशी उत्पादन क्षमता से अधिक हो गई है, अतः सरकार की भावी नीति मुख्य रूप से इस बात पर जोर देती है कि विश्वसनीय प्रौद्योगिकी पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना सुनिश्चित की जाय। इस संदर्भ में यह भी नोट किया जाये कि गैस पर आधारित बड़े आकार के दो जुड़वां एकक प्रारम्भण के अन्तर्गत हैं और शीघ्र ही उत्पादन प्रारम्भ कर देंगे, इसके अतिरिक्त सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन हेतु गैस पर आधारित 6 संयंत्रों की भी मंजूरी दे दी गई है। इन संयंत्रों द्वारा उत्पादन शुरू कर दिये जाने के पश्चात आयातों में कमी होने की सम्भावना है।

फैजाबाद (उ० प्र०) को सीधी डायल सेवा द्वारा प्रमुख नगरों से जोड़ना

[हिन्दी]

*456. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिला मुख्यालय को अगस्त, 1984 में दिल्ली, पटना, जयपुर, भुवनेश्वर सहित प्रमुख टेलीफोन एक्सचेंजों के साथ सीधी डायल सेवा द्वारा जोड़ा गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सेवा अभी भी चालू है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस सुविधा को पुनः उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ङ) क्या सरकार का फैजाबाद जिले के प्रमुख औद्योगिक नगरों, अर्थात् अकबरपुर, जलालपुर, टांडा, जहां पर भारी संख्या में बुनकर रहते हैं, को भी सीधी डायल सेवा उपलब्ध कराने का विचार है और यदि हां, तो कब ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। इसे कानपुर टी० एस० एक्स० के जरिए जोड़ा गया है।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(ङ) फैजाबाद कानपुर ट्रंक स्वचल एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है और फैजाबाद से अनेक स्टेशनों के लिए एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध है। फैजाबाद और अनेक शहरों के बीच सातवीं योजना के दौरान एस० टी० डी० सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव है।

स्विचन और संचारण उपस्कर सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण काफी संख्या में जिला मुख्यालयों जैसे प्राथमिकता वाले स्टेशनों पर अभी एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जानी है। प्राथमिकता स्टेशनों की आवश्यकता पूरी करने के बाद ही अकबरपुर, जलालपुर एवं टांडा जैसे स्टेशनों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

मैसर्स वर्मैन गोर्डन फोर्ज एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज को सहायता

[अनुवाद]

*457. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह महाराष्ट्र के पिछड़े क्षेत्र कोंकण के सिंधु दुर्ग जिले में, कुदाल नामक स्थान पर प्रतिरक्षा सामान बनाने वाली "वर्मैन गोर्डन फोर्ज एण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड" को सहायता दे ताकि यह कम्पनी पूरी क्षमता से अपना कार्य कर सके, अथवा श्रमिकों और उत्पादन के हित में इसके विकल्प स्वरूप इस औद्योगिक संस्थान का अधिग्रहण कर ले; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस बारे में क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) वर्मैन गोर्डन फोर्ज एण्ड अलाइड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को अपने अधिकार में लेने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया था। अनुरोध की जांच की गयी लेकिन इसे मंजूर नहीं किया जा सका।

रक्षा मंत्रालय द्वारा फर्म को दिये गये अग्रिम धन की वसूली के मामले में सहायता देने के लिये एक अन्य अनुरोध प्राप्त हुआ था जिस पर विचार किया जा रहा है।

नाइलोन फैबरिक्स की कमी

*458. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी नाइलोन फैबरिक्स की उपलब्धता कम होने और अत्यधिक सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क के कारण आयातित माल के मूल्य असाधारण रूप से ऊंचे होने के कारण रबड़ उद्योग में भारी चिन्ता व्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या नाइलोन फैबरिक्स की अपर्याप्त उपलब्धता का रबड़ उत्पादन पर प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति पर काबू पाने के लिये रबड़ उद्योग की सहायता करने हेतु सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) देश में एक प्रमुख टायर कोर्ड एकक के बन्द हो जाने के कारण आटोमोटिव टायर उद्योग की आवश्यकताओं की तुलना में देश में नायलोन टायर कोर्ड की उपलब्धता में मामूली गिरावट आई है। किन्तु, इससे नायलोन टायर कोर्ड का उपयोग कर रहे टायर और रबड़ पर आधारित अन्य उद्योगों का उत्पादन प्रभावित नहीं हुआ है।

तेल का आयात

*459. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में कितने तेल का आयात करने का अनुमान है;

(ख) क्या तेल आयात करने सम्बन्धी सभी ठेके दे दिये गये हैं;

(ग) क्या प्रमुख औद्योगिक देशों से प्राप्त आंकड़ों के एक विश्लेषण के अनुसार तेल की मांग जिसमें 1984 में वृद्धि के लक्षण दिखायी दे रहे थे उसमें पुनः पर्याप्त कमी आने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो मंदी वाले बाजार में तेल की खरीद करने के बारे में सरकार का क्या विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) कलेंडर वर्ष 1985 के दौरान 146 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के आयात का अनुमान लगाया गया है।

(ख) राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ सभी करारों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(ग) और (घ) वर्ष 1985 के दौरान विश्व में तेल की मांग के अनुमान के सम्बन्ध में रिपोर्टें परस्पर विरोधी हैं। फिर भी बाजार पर लगातार नजर रखी जा रही है। कम मूल्यों का लाभ उठाने के लिए हमारे तेल की आवश्यकता का लगभग एक तिहाई भाग स्पाट मार्किट से खरीदा जाता है।

भारत ब्रिटेन उर्वरक शिक्षा परियोजना

*460. **श्री के० राममूर्ति** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में भारत ब्रिटेन उर्वरक शिक्षा परियोजना के नाम से उर्वरक शिक्षा और कृषि विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है;

(ख) क्या इसे अगले वर्ष बन्द किया जा रहा है;

(ग) क्या ब्रिटिश सरकार के समुद्र पारीय विकास प्रशासन निगरानी दल ने मार्च, 1985 के पहले सप्ताह में इन परियोजनाओं का दौरा किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस दल ने क्या सिफारिशें की हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इन्डो ब्रिटिश उर्वरक शिक्षण परियोजना का कार्यान्वयन मै० हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० द्वारा आसाम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उ० प्र० और पश्चिम बंगाल के चुनींदा जिलों में किया जा रहा है।

(ख) परियोजना पांच वर्ष की अवधि के लिए है जो 1986 के मध्य में समाप्त हो रही है।

(ग) और (घ) जी, हां। इस मानिटरिंग दल की सिफारिशें अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

*461. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में समुद्र तट पर और गहरे समुद्र में तेल की खुदाई आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने तेल खुदाई कार्य (ड्रिलिंग आपरेशन) आरम्भ किये गये हैं और उनके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस द्वीप समूह में तेल तथा प्राकृतिक गैस के खोज कार्य में तेजी लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तट दूर क्षेत्र में अन्वेषण संबंधी ड्रिलिंग का काम केवल तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया गया है तथा अब तक 4 कुएं खोदे गए हैं। इनमें से एक में से 1.8 लाख क्यूबिक मीटर गैस प्रतिदिन की दर से निकाली जा रही है।

(ग) और (घ) एक और तट दूर कुंआ अप्रैल, 1985 में खोदा गया। 1985-87 की अवधि के दौरान तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 5 कुंओं की खुदाई अपेक्षित है। आयल इंडिया लिमिटेड भी बेसिन के कुछ भागों में खुदाई का काम करने की योजना बना रहा है।

कच्चे तेल का आयात

*462. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** तह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना में कच्चे तेल के आयात में वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) क्या तेल का आयात जो चालू वर्ष में 135 लाख टन है उसका सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1989-90 में बढ़कर 220 लाख टन होने की संभावना है;

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान वर्तमान मूल्यों पर कितने मूल्य के तेल का आयात किया गया और सातवीं योजना में तेल के आयात मूल्य में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) कच्चे तेल की आवश्यकता के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए सातवीं योजना में स्वदेशी सप्लाई बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) योजना आबंटनों के अनुसार तेल उत्पादन अनुमानों को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही सातवीं योजना में कच्चे तेल के आयात का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए उठाए गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :—

वृद्धिशील तेल प्राप्ति विधियों का प्रयोग, वर्क ओवर कार्य-संचालनों में वृद्धि तथा अपेक्षाकृत कम ज्ञात भू-वैज्ञानिक स्थानों में खोज कार्य को टेग करना तथा विकसित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना।

जामनगर और गोरखपुर में भारतीय वायु सेना के विमानों का दुर्घटनाग्रस्त होना

*463. **श्री सी० माधव रेड्डी :**
श्री हरीश रावत :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मार्च, 1985 के तीसरे सप्ताह में जामनगर और गोरखपुर में वायुसेना के दो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटनाओं के क्या कारण थे;

(ग) उनमें जान-माल का अनुमानतः कितना नुकसान हुआ; और

(घ) क्या इस बीच इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) गोरखपुर और जामनगर में 19 मार्च और 20 मार्च, 1985 को हुई दुर्घटनाओं के दौरान भारतीय वायु सेना के तीन विमान नष्ट हुए थे ।

(ख) और (घ) इन दुर्घटनाओं के कारणों का पता लगाने के लिए जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए हैं ।

(ग) उपर्युक्त दो दुर्घटनाओं में भारतीय वायु सेना के तीन अफसर मारे गए थे—दो 19 मार्च को गोरखपुर में और एक 20 मार्च को जामनगर में । दुर्घटनाग्रस्त तीनों विमान पूरी तरह नष्ट हो गये थे । सम्पत्ति की कोई अन्य क्षति या हानि होने की सूचना नहीं मिली है ।

पश्चिम बंगाल में विदेश डाक सेवा

*464. **श्री चित्त महाता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विदेश डाक सेवायें नितांत अस्त-व्यस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं ।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए कोई कारण नहीं है ।

(ग) नौभार उपलब्ध न होने तथा श्रमिकों की समस्याओं के कारण कलकत्ता में डाक की पावती एवं प्रेषण में कभी-कभी विलम्ब होता रहा है । मौजूदा प्रक्रिया को कारगर बनाया जा रहा है ।

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

[अनुवाद]

3112. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि सेना से सेवा निवृत्त होने की उम्र के बाद सैनिकों को स्वत: ही अर्ध सैनिक, पुलिस अथवा सुरक्षा बलों में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए जिससे अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही वे भी 58 वर्ष की उम्र तक नौकरी में रह सकें और इस प्रकार भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास की समस्या भी हल हो सके; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां। इस प्रस्ताव पर भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर उच्च स्तरीय समिति ने भी विचार किया है और महसूस किया कि इस पर बहुत सावधानीपूर्वक और सहानुभूतिपूर्ण विचार करने की आवश्यकता है।

(ख) जैसा कि उच्चस्तरीय समिति ने स्वयं स्वीकार किया है कि अन्तिम निर्णय लेने के लिए इस प्रस्ताव के सभी पहलुओं से व्यापक समीक्षा करनी जरूरी है।

रक्षा अनुसंधान संगठन का विस्तार

3113. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपकरणों और हथियारों आदि सम्बन्धी रक्षा अनुसंधान संगठन का विस्तार किएँ जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या इस संगठन को विदेशी प्रौद्योगिकी सहायता की आवश्यकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मानव शक्ति/उपकरण आदि के रूप में रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन का आक्षार सुदृढ़ करना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और आवश्यकता के अनुसार उसे आगे बढ़ाया जाता है।

(ख) जी हां। कुछ अधिक उच्च तकनालाजी के क्षेत्रों में विदेशी सहायता की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) विदेशी राष्ट्रों के साथ आवश्यकता के अनुसार सहयोग कार्यक्रम और परामर्श समझौते किए जाते हैं।

एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग द्वारा उपभोक्ता संघों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

3114. **श्री सी० गंगा रेड्डी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 10(क)(i) तथा 36(ख)(क) के अन्तर्गत 1 अगस्त, 1984 से एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार पद्धति आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक शिकायतकर्ता का नाम/पता, प्रत्येक शिकायत का स्वरूप क्या है तथा प्रारम्भिक जांच को प्रारम्भ करने/पूरा करने की तारीख सहित प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई;

(ख) 'वाइस' द्वारा शीतल पेयों के मूल्यों में, जिनका खुदरा मूल्य उनके कारखाना मूल्यों से तिगुना है, धोखेबाजी करने के विरुद्ध की गई शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन शिकायतों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच पूरी हो गई है और यदि नहीं, तो क्या विशेषत: शीतल पेय कम्पनियों द्वारा अप्रैल, 1985 में उन मूल्यों में प्रस्तावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अपेक्षित सूचना समाविष्ट करते हुए विवरण-I और II सभा-पटल पर रखे जाते हैं। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 936/85**]

(ख) तथा (ग) अपेक्षित सूचना उपरोक्त विवरण-II में गई है।

विधिक सहायता स्कीम के लिए एक निदेशालय का गठन

3115. **श्री सन्त राम नायक** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : सरकार का प्रस्ताव विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए एक निदेशालय गठित करने का है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : सरकार कोई विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन निदेशालय गठित नहीं करना चाहती है, किन्तु सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति गठित की है।

नालंदा (बिहार) में हिलसा और इस्लामपुर के लिए पेट्रोल/डीजल पम्पों हेतु लाइसेंस

3116. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है बिहार में नालंदा जिले के अन्तर्गत उप-मण्डलीय, मुख्यालय, हिलसा में कोई पेट्रोल या डीजल पम्प नहीं है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस्लामपुर में पेट्रोल/डीजल पम्प के लिए यद्यपि लाइसेंस कई वर्ष पहले मन्जूर किए गए हैं, किन्तु लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति ने अभी तक वहां पर कोई ऐसा पम्प नहीं खोला है;

(ग) क्या हिलसा और इस्लामपुर में पेट्रोल/डीजल पम्पों के न होने के कारण उपभोक्ताओं और किसानों को भारी कठिनाई हो रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या बिहार के नालंदा जिले में हिलसा और इस्लामपुर के लिए पेट्रोल/डीजल पम्प मंजूर करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) तेल उद्योग ने इस्लामपुर में खुदरा पैट्रोल बिक्री केन्द्र के लिए कोई डीलर नियुक्त नहीं किया है।

(ग) कृषि मौसम के दौरान उपभोक्ताओं में कुछेक उपभोक्ता को असुविधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि इकानगर सराय और दिदारगंज स्थित सबसे नजदीक पैट्रोल बिक्री केन्द्र 10 किलोमीटर से भी अधिक दूर हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। आई० ओ० सी० का खुले वर्ग के अन्तर्गत नालंदा जिले में हिल्सा नामक स्थान पर एक पेट्रोल बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। इस्लामपुर में खुदरा पैट्रोल बिक्री केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उपभोक्ता सामान के लिए विदेशी सहयोग के करार

3117. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीतल पेय, आइसक्रीम, चाकलेट तथा बिस्कुट और सौन्दर्य प्रसाधन बनाने के लिए भी विदेश से करार किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित उत्पादन वस्तुओं को उपभोक्ता उद्योग के रूप में माना जाता है जिसके लिए सामान्यतया विदेशी सहयोग वित्तीय अथवा तकनीकी आवश्यक नहीं समझा जाता है। किन्तु इन वस्तुओं के लिए विदेशी सहयोग प्राप्त करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर भी गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है, बशर्ते ऐसा सहयोग करारों में निहित प्रौद्योगिकी की किस्म से निर्यात सम्वर्धन में सहायता मिलने की सम्भावना हो। भारतीय और विदेशी फर्मों के नाम, विनिर्माण की वस्तु, अनुमत सहयोग की किस्म आदि को दर्शाने वाला ब्यौरा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मन्थली न्यूज लैटर के पूरक अंक में तिमाही आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

लघु औद्योगिक एकक को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए मीटरों के पुर्जों के निर्माण और उन्हें जोड़ने का काम दिया जाना

3118. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने मीटरों के पुर्जों की जांच, निर्माण और उन्हें जोड़ने का काम गैर-सरकारी क्षेत्र के लघुतम औद्योगिक एककों को दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और पश्चिम बंगाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कितने लघु औद्योगिक एककों को यह काम दिया है और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इस नीति से इन राज्यों में सहायक एककों के विकास में कितनी मदद मिली है; और

(ग) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को इन राज्यों से पिछले तीन वर्षों के दौरान इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन या राज्य विद्युत बोर्डों के मीटरों के लिए कितने मूल्य के आर्डर प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बी० एच० ई० एल० ने मीटरों के पुर्जों को जोड़ने तथा जांच का कार्य निजी क्षेत्र के किसी भी लघु औद्योगिक एकक को नहीं सौंपा है। मीटरों के केवल कुछ पुर्जों के निर्माण के ठेके उन्हें दिये गये हैं। एक औद्योगिक एकक जिसका प्रबन्ध कूर्ग जिले में पूनमपेट में तालुक विकास मण्डल द्वारा किया जाता है, मीटरों की जांच तथा असेम्बली का कार्य करता है। इन मीटरों की अन्तिम रूप से जांच बी० एच० ई० एल० के गुणवत्ता निरीक्षकों की देख-रेख में की जाती है।

(ख) छः राज्यों में मीटरों के पुर्जों के निर्माण का कार्य जिन लघु एककों को सौंपा गया है उनकी संख्या निम्नलिखित है :—

राज्य	संख्या
1. कर्नाटक	137
2. आन्ध्र प्रदेश	3
3. तमिलनाडु	12
4. महाराष्ट्र	21
5. गुजरात	18
6. पश्चिम बंगाल	कुछ नहीं

मीटरों के निर्माण हेतु, बी० एच० ई० एल० ने सहायक सामान के एककों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम शुरू नहीं किया है। मीटरों के पुर्जों के निर्माण के लिए कम्पनी वर्तमान औद्योगिक एककों की सुविधाओं का उपयोग कर रही है।

(ग) इन छः राज्यों से बी० एच० ई० एल० द्वारा प्राप्त क्रयादेशों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

(लाख रु० में)

राज्य	1982-83	1983-84	1984-85
कर्नाटक	43.71	131.62	244.86
आंध्र प्रदेश	9.74	37.15	6.18
तमिलनाडु	28.86	19.11	52.07
महाराष्ट्र	115.60	18.69	20.24
गुजरात	148.39	23.92	200.99
पश्चिम बंगाल	19.89	57.52	68.09

संयुक्त स्टाक कम्पनियों में किया गया पूंजी निवेश

3119. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में, सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र दोनों में, संयुक्त पूंजी कम्पनियों की शेयर पूंजी (केवल प्रदत्त पूंजी) में कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र की ऐसी कितनी कम्पनियां हैं, जिनकी प्रदत्त पूंजी 25 लाख रुपये और इससे अधिक हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 31 दिसम्बर, 1984 तक कार्यरत शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी निम्न प्रकार थी :

	करोड़ रुपये में
सरकारी कम्पनियां	17,369
गैर सरकारी कम्पनियां	5,782
योग	23,151

(ख) कम्पनी कार्य विभाग द्वारा प्रत्येक पांच वर्षों में शेयरों द्वारा सीमित देयता सहित सभी कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी का विस्तृत ब्यौरा एकत्र किया जाता है। 31-3-1980 तक कार्यरत कम्पनियों के सम्बन्ध में अन्तिम अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, 2,444 गैर सरकारी कम्पनियां और 571 सरकारी कम्पनियां कार्यरत थीं, जिन प्रत्येक की प्रदत्त पूंजी 25 लाख रु० या अधिक थी।

औषधियां बनाने वाली कंपनियां

3120. **श्री एन० डेनिस** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में औषधियों के उत्पादन में लगी कम्पनियों की संख्या कितनी है और उनमें कितनी भारतीय और विदेशी कंपनियां हैं; और

(ख) प्रत्येक कंपनी में कितनी पूंजी लगी हुई है और प्रत्येक कम्पनी ने कितने कर्मचारियों को काम पर लगाया हुआ है;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार संगठित क्षेत्र लगभग 253 एकक औषधों और भेषजों का उत्पादन कर रहे हैं। इनमें से 16 फेरा कम्पनियां हैं।

(ख) इन कंपनियों के पूंजी निवेश तथा नियोजन के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उनको इस मंत्रालय द्वारा मानीटर नहीं किया जाता है।

उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना

3121. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल ही में जिन उद्योगों को लाइसेंस-मुक्त कर दिया गया है उनका ब्यौरा क्या है और ऐसा किन शर्तों पर किया गया है; और

(ख) क्या सरकार का विचार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने तथा औद्योगिक लाइसेंस नीति और प्रक्रियाओं को आसान बनाने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और अधिक उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अपेक्षित सूचना इस मंत्रालय की 18 मार्च, 1985 की अधिसूचना में उपलब्ध है जो इसी तिथि के भारत के असामान्य राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसकी प्रति संसद-पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) इस समय और उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सातवीं योजना में तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्यक्रम

3122. **श्री सोभनाथ रथ** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान तेल की वर्ष-वार औसत खपत और उत्पादन कितना था;

(ख) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना में तेल का उत्पादन बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस कार्य के लिए विभिन्न तेल क्षेत्रों में कौन से विभिन्न कार्यक्रम शुरू करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) छठी योजना की अवधि के दौरान कच्चे तेल का वार्षिक उत्पादन तथा मांग नीचे दी गई है :

(मिलियन टन)

वर्ष	उत्पादन	मांग
1980-81	10.51	34.56
1981-82	16.19	35.84
1982-83	21.06	37.89
1983-84	26.02	39.55
1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर)	20.10	30.74

(ख) और (ग) सातवीं योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

डाक और दूरसंचार बोर्डों द्वारा आवासीय कालोनियों और विभागीय भवनों का निर्माण

3123. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और दूरसंचार बोर्डों द्वारा वर्ष 1985-86 हेतु डाकघरों/टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए आवासीय कालोनियों और विभागीय भवनों के निर्माण का कोई कार्यक्रम बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनका सर्किल-वार क्या ब्यौरा है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार की योजना को यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिया जाएगा; और

(ङ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख)	डाकघर भवन	स्टाफ क्वार्टर
आन्ध्र	2	—
बिहार	2	—
दिल्ली	1	—
गुजरात	2	—
जम्मू व कश्मीर	4	10
कर्नाटक	2	—
केरल	2	—
मध्य प्रदेश	2	10
महाराष्ट्र	2	—
उत्तर-पूर्वी	4	10
उत्तर-पश्चिमी	4	40
उड़ीसा	2	10
राजस्थान	3	40
तमिलनाडु	2	—
उत्तर प्रदेश	3	40
पश्चिम बंगाल	3	40

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

हजारीबाग

(क) आवासीय कालोनियों व टेलीफोन एक्सचेंज के भवनों के निर्माण का कार्यक्रम 5 वर्ष के लिए तैयार किया जाता है और जो निर्माण कार्य किया जाता है वह संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

क्षय रोग के उपचार के लिए औषधियों का मूल्य

3124. श्री आर० एम० भोये : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षय रोग के उपचार के लिए व्यापक रूप से उपयोग में लाई जाने वाली प्रमुख औषधियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या देश में निर्धन मरीजों के लिए ये औषधियां आसानी से उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो उनके मूल्य क्या हैं;

(घ) क्या इन औषधियों के वर्तमान वास्तविक मूल्य, बिक्री मूल्यों की तुलना में काफी कम हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) अत्यधिक खपत वाली प्रमुख क्षय-निरोधी औषधें और औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन निर्धारित किये गये उनके मूल्य निम्न प्रकार हैं :

क्रमांक	बल्क औषध का नाम	मूल्य (रु०/कि० ग्रा०)
1.	स्ट्रैप्टोमाइसिन	847.42
2.	पाइरेजिनेमाइड	1273.55
3.	सोडियम पी० ए० एस०	99.92
4.	पी० ए० एस० एसिड	105.34
5.	आ० एन० एच०	174.00
6.	इथमबुटोल	681.00

रिफाम्पिसिन का देश में उत्पादन नहीं किया जाता और इस प्रकार इस पर आधारित

फार्मूलेशनों के मूल्य समय-समय पर प्रचलित आयातों की औसत अवतरित लागत के आधार पर विनियमित किये जाते हैं। मरीजों के लिए ये सभी औषधें आसानी से उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य अधिकतम बिक्री मूल्य है और निर्माता इस मूल्य तक इन बल्क औषधों को बेचने के लिए स्वतन्त्र है। जब कभी सरकार द्वारा फार्मूलेशनों में अनुमेय मूल्यों से कम बिक्री मूल्य की कोई घटना सरकार के ध्यान में आती है तो उस अन्तर की वसूली के लिए औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन कार्यवाही की जाती है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा हाइड्रोकार्बनों का उत्पादन

3125. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपने यहां हाईड्रोकार्बन के उत्पादन को दुगना करने का है;

(ख) यदि हां, तो अपने प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा चुने गये उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां खोज कार्यों का आधुनिकीकरण किया जाएगा;

(घ) उन क्षेत्रों को अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ङ) सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन लक्ष्य तथा निकालने के कार्यक्रम के ब्यौरों का पता लग सकेगा।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिए डीलरों की नियुक्ति

3126. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए इस समय कितने डीलरों की नियुक्ति होनी बाकी है;

(ख) इतने बड़े पैमाने पर उक्त नियुक्तियां बाकी रह जाने के क्या कारण हैं;

(ग) पिछली बकाया रिक्तियों पर नियुक्तियां करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और पिछली बकाया रिक्तियों पर कब तक नियुक्तियां हो जाने की संभावना है; और

(घ) डीलरों के चयन के लिए बनाई गई पद्धति की मुख्य बातें क्या हैं और उस पद्धति में कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 1 अप्रैल, 1985 को लगभग 1,779 डीलरशिपों के चयन लम्बित पड़े हुये थे।

(ख) और (ग) डीलरों की नियुक्ति के लिए चयन 4 तेल चयन बोर्डों द्वारा किया जाता

है। चयन प्रक्रिया भी कुछ समय लेती है क्योंकि इसमें आवेदन पत्र आमंत्रित करना पर्याप्त विज्ञापन देकर साक्षात्कार लेने और अपेक्षित क्षेत्रगत जांच पड़ताल करना आदि कार्य निहित होता है। कभी-कभी पर्याप्त आवेदनों के अभाव और योग्य उम्मीदवारों के न मिलने से चयन में विलम्ब हो जाता है। लम्बित चयनों के शीघ्र निपटान के विचार से दो और तेल चयन बोर्डों का गठन किया जा रहा है। आशा है कि आरंभिक 1985-86 में लम्बित कार्यों का निपटान वर्ष के दौरान किया जाएगा।

(घ) विपणन योजना में शामिल स्थानों के लिए विज्ञापन सम्बन्धित तेल कम्पनी द्वारा समाचार पत्रों में दिया जाता है जिसमें विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए डिस्ट्रीब्यूटरशिप के आरक्षण के अनुसार पात्र और इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उपयुक्त तेल चयन बोर्ड द्वारा पत्र उम्मीदवारों में से चयन किया जाता है। सम्बन्धित तेल कम्पनी तब तेल चयन बोर्ड द्वारा तैयार किये गये पैनल के अनुसार आशय-पत्र जारी करती है।

शांतिनगर, कानपुर के आसपास प्रवाहपूर्ण शौच व्ययन व्यवस्था प्रणाली का प्रावधान

3127. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में छावनी क्षेत्र के अन्दर सीवर लाइन बिछाने का प्रस्ताव अधिकारियों के पास कई वर्षों से लम्बित पड़ा है;

(ख) क्या कानपुर छावनी बोर्ड के निवासी पिछले कई वर्षों से उक्त काम के लिए भारी दबाव डाल रहे हैं;

(ग) क्या छावनी बोर्ड ने अभी तक शांतिनगर के आसपास प्रवाहपूर्ण शौच व्ययन प्रणाली की अभी तक व्यवस्था नहीं की है;

(घ) यदि हां, तो उपरोक्त व्यवस्था कब तक कर दी जाएगी; और

(ङ) कानपुर छावनी बोर्ड द्वारा इस समय शौचालयों को हाथ से साफ करने की प्रणाली को शीघ्र ही सेनिटरी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ङ) कानपुर छावनी के कुछ क्षेत्रों में फ्लश वाले शौचालयों की व्यवस्था है। यद्यपि छावनी के निवासियों ने इस सारे क्षेत्र में इसी तरह के शौचालय सुलभ कराने के लिए बार-बार मांग की है। लेकिन पर्याप्त जल पूर्ति और धन की कमी के कारण छावनी बोर्ड ने ऐसे किसी प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू नहीं की है। जैसे ही जल पूर्ति की स्थिति में सुधार होगा और इस सारे क्षेत्र के शौचालयों में फ्लश आदि की व्यवस्था पर आने वाली लागत के लिए धन उपलब्ध होगा, छावनी बोर्ड इस प्रस्ताव पर विचार करेगा और आगे कार्रवाई करेगा।

मिजोरम में गैस की खोज

3128. **श्री लाल डहोमा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिजोरम में गैस की खोज के लिए कभी विशेषज्ञों का कोई दल भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो कब और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्थानीय लोगों को मिजोरम के उत्तर-पश्चिमी भाग में बैरवी के समीप गैस मिली है; और

(घ) क्या मिजोरम में गैस की संभावनाओं को खोज करने का कोई प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1972-73 और 1977-79 के दौरान इस क्षेत्र की खोज की है। अभी तक भूगर्भीय क्षेत्र सर्वेक्षण के चार पार्टी वर्ष पूरे हो चुके हैं। अनेक तेल एवं गैस में होने के संकेत देने वाले स्थानों की जांच भी की गई है, परन्तु इसके परिणाम बहुत अधिक उत्साहवर्धक नहीं रहे हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) मिजोरम का पड़ाड़ी-मार्ग हाईड्रोकार्बनों की सम्भाविता वाला नहीं समझा गया है और निकट भविष्य में इस क्षेत्र में अन्वेषण कराने का प्रस्ताव नहीं है।

डाक वितरण सेवाओं की पुनरीक्षा

3129. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में डाक वितरण सेवाओं की पुनरीक्षा करने का कोई प्रस्ताव सुरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या सरकार ने उन गांवों के संबंध में और विशेष रूप से उड़ीसा राज्य में, कोई सर्वेक्षण कराया है जहां डाक वितरण सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभाग समूची डाक प्रणाली के कार्यकरण की निरंतर पुनरीक्षा करता है तथा इसके सुधार के लिए उपायों की जांच कर रहा है।

(ख) डाक मानीटर करने की विधि को सख्त बनाया जा रहा है, और इसके कार्यकरण को कारगर बनाने व सुधार के लिए अनेक सुझाव विचाराधीन हैं।

(ग) जी हां, उड़ीसा राज्य में वर्ष 1982 में एक सर्वेक्षण किया गया था और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक वितरण सेवा संतोषजनक पाई गई थी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के लिए पंजीकरण

3130. **टी० बाला गौड़** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम खाना पकाने की गैस के कनैक्शनों के लिए नए पंजीकरण करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या निगम वर्तमान उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी कर सकेगा;

(ग) क्या निगम ने लघु सिलेंडरों का भी निर्माण किया है; और

(घ) यदि हां, तो लघु सिलेंडर के विपणन संबंधी योजनाएं क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सीधी (मध्य प्रदेश) जिले में पेट्रोल पम्पों का आवंटन

3131. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हाल में कुछ व्यक्तियों को कुछ पेट्रोल पम्प आवंटित किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस हेतु साक्षात्कार के लिए कुल कितने व्यक्ति बुलाये गये थे;

(घ) आदिवासियों, अनुसूचित जातियों और अन्य लोगों को दिए गए पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त जिले में निकट भविष्य में कुछ और पेट्रोल पम्प दिए जाने की सम्भावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) चूंकि एच०पी०सी०एल० द्वारा निकवेल में खुदरा पेट्रोल बिक्री केन्द्र खोलने के संबंध में तेल चयन बोर्ड (पूर्वी) द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाये गये दोनों व्यक्ति अयोग्य पाये गये, अतः आवेदन पत्र आमंत्रित करने के लिए नये सिरे से एक और विज्ञापन दिया गया है। आई०ओ०सी० द्वारा बेहरी में खोले जाने वाले खुदरा पेट्रोल-बिक्री केन्द्र के लिए आया एक मात्र उम्मीदवार भी तेल चयन बोर्ड द्वारा अयोग्य पाया गया था।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) और (च) सीधी जिले में तेल उद्योग की पेट्रोल/डीजल पम्प खोलने की योजना है, जो निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	स्थान	श्रेणी
1	2	3
1.	बेहरी	एक टी
2.	मजौली	एस डी

1	2	3
3.	निकवेल	खुले
4.	सिंघरौली	एस टी
5.	दयोसर	एस टी
6.	भागवर	यू जी/यू ई जी

गोल बाजार, खड़गपुर में डाकघर खोलना

3132. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल में खड़गपुर के गोल बाजार में एक डाकघर खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृति कब प्रदान की गयी थी;

(ग) क्या सरकार ने डाकघर के भवन के निर्माण के लिए भूमि अर्जित कर ली है;

(घ) यदि हां, तो कब;

(ङ) क्या भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(छ) भवन का निर्माण कब तक पूरा कर लिया जाएगा और उक्त डाकघर कब तक पूरा खुल जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) 25-9-1977.

(ग) जी हां।

(घ) 23-2-1983.

(ङ) जी, नहीं।

(च) डाकघर से संबंधित भवन के विस्तृत नक्शे और प्राक्कलन पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

(छ) कार्य 1985-86 में आरम्भ होने की संभावना है और ऐसी संभावना है कि यह कार्य अपने आरंभ होने की तारीख से लगभग 12 महीनों में पूरा हो जाएगा।

इलाहाबाद के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का आबंटन

3133. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इलाहाबाद शहर के लिए मिट्टी के तेल, खाना पकाने की गैस और पेट्रोल का कितना वार्षिक कोटा निर्धारित किया गया है;

(ख) जनवरी, 1978 से फरवरी, 1985 तक की अवधि के दौरान इलाहाबाद शहर के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का कुल वार्षिक कोटा क्या था;

(ग) इलाहाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने लोग रहते हैं और उपर्युक्त भाग (ख) में दी गई अवधि के दौरान उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को मिट्टी के तेल, पेट्रोल और खाना पकाने की गैस की एजेंसी दी गई है;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भाग (ग) के क्षेत्रों के कितने लोगों को इस प्रकार की एजेंसियां दी जायेंगी;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इलाहाबाद शहर के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के कोटा का पुनरीक्षा का कोई निवेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) चार-मासिक ब्लाक के आधार पर राज्यों को मिट्टी के तेल का आबंटन सरकार द्वारा और जिलों को आबंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। एल० पी० जी० और मोटर स्पिरिट के बारे में किसी जिले के लिए वार्षिक कोटा अथवा मात्रा निर्धारित करने की कोई प्रणाली नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

सोनीपत, हरियाणा में जिला सैनिक बोर्ड के कृत्य

3134. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोनीपत, हरियाणा में भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए एक जिला सैनिक बोर्ड कार्य कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त बोर्ड के मुख्य कृत्य क्या हैं तथा अगस्त, 1984 से अब तक कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) जिला सैनिक बोर्ड का मुख्य कार्य, भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण और पुनर्वास का ध्यान रखना है। 1.8.1984 से 31.3.1985 के दौरान जिला सैनिक बोर्ड, सोनीपत ने लगभग 1270 भूतपूर्व सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों की लगभग 300 विधवाओं को सहायता और लाभ प्रदान किए।

लोक अदालतें

[हिन्दी]

3135. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लोगों को सस्ता और शीघ्रता से न्याय दिलाने के लिए प्रथम लोक अदालत अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण के तौर पर 31 लोक अदालतें स्थापित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इन अदालतों के कार्यकरण के परिणामों के आधार पर देश के अन्य भागों में भी ऐसी अदालतें स्थापित करने का है और यदि हां, तो कब तक; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मेरठ जिला विधिक सहायता और सलाह समिति के तत्वावधान में एक लोक अदालत का आयोजन 23.9.1984 को मेरठ में किया गया था। इस कैंप में 31 लोक अदालतें भी लगाई गई थीं।

(ख) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति ने सरकार को सूचित किया है कि लोक अदालतें ढेर में निरंतर लगाई जाती रहेंगी। ऐसी लोक अदालतों का आयोजन राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा किया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्वालियर रेयन एककों को कारण बताओ नोटिस

[अनुवाद]

3136. श्री राम भगत पासवान : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि मध्य प्रदेश और केरल में ग्वालियर रेयन की कुछ यूनिटें उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियमों का उल्लंघन कर रही हैं;

(ख) क्या उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अंतर्गत उक्त कम्पनी को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षित बेरोजगारों को ऋण मंजूर करने के लिए गठित समितियां

[हिन्दी]

3137. श्री बुद्धि चन्द जैन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रिक पास तथा इससे अधिक शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने की दृष्टि से उनको उद्योग स्थापित करने हेतु ऋण तथा अनुदान मंजूर करने के लिए जिला स्तर पर जिन

समितियों का गठन किया जाता है उनमें केवल सरकारी कर्मचारी होते हैं और जनता का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस त्रुटि को दूर करने तथा उक्त समितियों में जन प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का निर्णय लेने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और इस सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) कृतिक बल एक व्यावसायिक निकाय है जिसे शिक्षित बेरोजगार युवकों द्वारा भेजी गई योजनाओं की तकनीकी-आर्थिक संभाव्यता तथा जीव्यता सम्बन्धी जांच करने और यह सुनिश्चय करने का दायित्व सौंपा गया है कि उचित मामलों में ही ऋण के लिए सिफारिश की जाए। कार्य संचालन की समीक्षा करने पर यदि निचले स्तरों पर जन प्रतिनिधियों का सहयोग लेना आवश्यक नहीं समझा जाए तो उन्हें जिला उद्योग केन्द्रों की जिला सलाहकार समितियों में सदस्य के रूप में पहले ही रख लिया जाता है।

केरल में मिट्टी के तेल सम्बन्धी दुर्घटना के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान कारपोरेशन, इण्डियन आयल कारपोरेशन के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

[अनुवाद]

3138. **श्री राम बहादुर सिंह :**

श्री हरीश रावत :

क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्नाकुलम में सरकारी क्षेत्र के हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन के प्रबन्धक और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और इण्डियन आयल कारपोरेशन दोनों के कुछ कर्मचारी हाल ही में केरल में हुई मिट्टी के तेल सम्बन्धी दुर्घटना के सम्बन्ध में 16 मार्च, 1985 को गिरफ्तार किए गए थे; और

(ख) अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) 16 और 18 मार्च, 1985 को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के गिरफ्तार कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है—

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री डी० एल० पाल	स्थापना प्रबन्धक, कोचीन

1	2	3
2.	श्री एम० एस० वेंकटेशन	वरिष्ठ ऑपरेशन अधिकारी
3.	श्री एम० चन्द्रन	ऑपरेशन अधिकारी
4.	श्री पी० एम० वर्गीज	ऑपरेशन अधिकारी
5.	श्री के० बी० हैदरोज	जनरल वर्कमैन
6.	श्री सी० टी० जोसफ	जनरल वर्कमैन
7.	श्री सी० जी० मोहनदास	जनरल वर्कमैन
8.	श्री टी० एल० एंथनी	फिटर

इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड सैन्टर

क्रम सं०	नाम	पदनाम
1.	श्री टी० एस० आर० गोपालाराव	ऑपरेशन अधिकारी ग्रेड-1
2.	श्री० एस० सीथारमन	ऑपरेशन अधिकारी ग्रेड-1
3.	श्री के० सुरेश बाबू	ऑपरेशन अधिकारी ग्रेड-1
4.	श्री पी० एस० एंथनी	खलासी
5.	श्री पी० जी० अब्रहम	खलासी
6.	श्री के० आई० जोसफ	ऑपरेटर
7.	श्री ए० बी० रामाचन्द्रन	वरिष्ठ खलासी
8.	श्री पी० ई० श्रीधारण	वरिष्ठ खलासी
9.	श्री टी० ए० मार्टिन	खलासी
10.	श्री टी० एल० जोसफ	ऑपरेटर
11.	श्री पी० टी० चाको	ऑपरेटर
12.	श्री बी० जी० जार्ज	ऑपरेटर
13.	श्री के० टी० प्रभाकरण	ऑपरेटर

उनके विरुद्ध गिरफ्तारी के अतिरिक्त अन्य कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का निर्माण

3139. **श्री वांगफा लोवांग** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय ने अरुणाचल प्रदेश में (एक) हवाई से वालोंग और किबिथु, (दो) अनिनि से मिपिदेन, (तीन) मिंगिंग से टूटिंग, और (चार) पुंगिंग से पालिंग के लिये सड़कों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान नहीं की है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सीमा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण के प्रस्तावों की राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है। प्रश्न में बताई गई सड़कों की स्थिति इस प्रकार है :—

(1) **हवाई से वालोंग और किबिथु**:—हवाई और केलन के बीच सड़क निर्माण के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है।

(2) **अनिनि से मिपिदेन** :

और

(3) **मिपिदेन से टूटिंग** : फिलहाल निर्माण के लिये स्वीकृति देना वांछनीय नहीं समझा गया है।

(4) **पुंगिंग से पालिंग** : सड़क को स्वीकृति नहीं दी गई है क्योंकि सियांग नदी के पश्चिमी किनारे पर पुंगिंग और पालिंग को जोड़ने वाली एक सड़क का पहले से ही निर्माण हो रहा है।

भोपाल गैस दुर्घटना में हुई मौतों का अनुमान

3140. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस दुर्घटना में हुई मौतों के नवीनतम आकड़े क्या हैं;

(ख) इस अनुमान के क्या आधार हैं;

(ग) क्या मृतकों की सूची घोषित कर दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या लोगों से अपने मृतक रिश्तेदारों के नाम सरकार के पास दर्ज कराने के लिये कहा गया है; और

(च) ऐसे मामलों में, जिनमें पूरा परिवार ही समाप्त हो गया, मृतकों का पता लगाने के लिये सरकार द्वारा क्या तरीका अपनाया गया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (च) राज्य सरकार से उपलब्ध अद्यतन जानकारी के अनुसार दुर्घटना के पश्चात् मृत व्यक्तियों की कुल संख्या 1430 बताई गई है। यह जानकारी, सरकारी शवगृह भोपाल के आंकड़ों, कब्रिस्तानों, श्मशानों, निजी चिकित्सा गृहों, प्रभागीय रेलवे प्राधिकारियों और आस-पास के गांवों में की गई स्थानीय छानबीन से एकत्र किए गए आंकड़ों और आस-पास के जिला मजिस्ट्रेटों से प्राप्त हुए आंकड़ों पर आधारित है।

मृत व्यक्तियों की एक सूची तैयार की गई थी और उसे नगर निगम, भोपाल, पुलिस

नियंत्रण कक्ष और प्रभावित क्षेत्रों के सभी पुलिस थानों पर आम जनता की जानकारी हेतु प्रकाशित किया गया था। यह भी अधिसूचित किया गया था कि जनता के सदस्य ऐसे मृत व्यक्तियों की जानकारी दे सकते हैं जिनके नाम सूची में शामिल नहीं हैं। इसके उत्तर में अनेक आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे जिनकी छानबीन/जांच पड़ताल अभी चल रही है।

राज्य सरकार ने विभिन्न संस्थानों के माध्यम से प्रभावित क्षेत्र में घर-घर का सर्वेक्षण भी करवाया है।

उपरोक्त दर्शाए गये मृतकों के आंकड़ों में की जा रही जांच पड़ताल के पश्चात, परिवर्तन होने की सम्भावना है।

बिहार में रेबीजनिरोधी टीके की कमी

3142. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विशेषकर बिहार में रेबीजनिरोधी टीके की भारी कमी रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) राज्य औषध नियंत्रकों, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन तथा जनता की शिकायतों के आधार पर मेरा मंत्रालय आवश्यक तथा जीवन रक्षक दवाओं की बाजार में उपलब्धता की देख-रेख करता है।

जनवरी से मार्च, 1985 के दौरान बिहार में रेबीजनिरोधी टीके की कमी की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। तथापि, इस टीके की फरवरी, 1985 में स्थानीय कमी की महाराष्ट्र से सूचना मिली थी।

मैसर्स हैफकिन्स, इस टीके के संबंधित उत्पादक, को सलाह दी गयी कि प्रभावित स्थान में इस टीके के भण्डार तत्काल भेजें और कम्पनी ने सूचित किया है उन्होंने ऐसा कर दिया था।

छावनी क्षेत्र, सिकन्दराबाद में पौधों की सप्लाई की सुविधा

3144. **डा० विजय रामा राव :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनी क्षेत्रों के बगीचों संबंधी मांग पूरी करने के लिए पौधों की सप्लाई हेतु इस समय क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या सिकन्दराबाद जैसे छावनी क्षेत्र में उक्त सुविधा उपलब्ध है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) और (ग) सिकन्दराबाद छावनी के अनेक स्थानों में 24.34 एकड़ भूमि पर बगीचों की सुविधाएं उपलब्ध हैं और उनकी देखभाल भी की जा रही है। छावनी बोर्ड क्षेत्र में निम्नलिखित बगीचे हैं :—

1. पिकेट गार्डन
2. त्रिभुलगरी
3. बोलाराम
4. जिमखाना रोड पर आरनामेंटल गार्डन
5. बावन पल्ली गार्डन

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना

3145. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना हेतु श्रीराम फर्टिलाइजर्स को दिया गया आशय-पत्र बाद में वापिस ले लिया गया और कैपरो ग्रुप को दे दिया गया;

(ख) क्या कैपरो ग्रुप भी इसकी स्थापना के लिए अनिच्छुक है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नवीनतम स्थिति क्या है तथा यह संयंत्र कब तक स्थापित हो जाएगा ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में गैस पर आधारित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने हेतु सरकार द्वारा आशय पत्र न तो मैं० श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० को दिया गया है और न ही कैपरो ग्रुप को। पहले मैं० श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० इस परियोजना के कार्यान्वयन में उत्सुक थे और उनको आशयपत्र जारी करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। बाद में वित्तीय और अन्य समस्याओं के कारण उन्होंने अपना प्रस्ताव वापस लेने की इच्छा व्यक्त की। तथापि, कुछ अन्य पार्टियों ने परियोजना में अत्यन्त रुचि दर्शाई और कैपरो ग्रुप, अपने भारतीय सहयोगकर्ताओं के साथ संयुक्त रूप से उन पार्टियों में से एक है जिन्होंने परियोजना हेतु आशयपत्र के लिये आवेदन किया था और इस आवेदक ने कोई अनिच्छा नहीं दर्शाई है, बल्कि अपने आवेदन पत्र पर कार्यवाही के लिए सभी अपेक्षित जानकारी/बाध्यताएं उपलब्ध कर रहे हैं। तथापि, आशयपत्र जारी करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय अभी लिया जाता है।

स्वदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित तेल इंजनों और विद्युत मोटरों के मूल्यों में वृद्धि

[हिन्दी]

3146. **श्री दिलीप सिंह भूरिया :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित तेल इंजनों और विद्युत मोटरों के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी; और

(ग) सरकार ने इनके मूल्य कम करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में डीजल इंजनों, इन्टर्नल कम्बसशन इंजनों तथा बिजली की मोटरों के थोक मूल्यों का सूचकांक दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। इन वस्तुओं पर सरकार की ओर से कोई वैधानिक मूल्य नियंत्रण नहीं है।

विवरण

वर्ष 1982-83 से 1984-85 के दौरान डीजल इंजनों, इन्टर्नल कम्बसशन इंजनों तथा बिजली की मोटरों के थोक मूल्यों का सूचकांक।

(आधार : 1970-71 = 100)

वर्ष	डीजल इंजन	इन्टर्नल कम्बसशन इंजन	बिजली की मोटरें
1982-83	192.8	139.0	258.0
1983-84	192.8	139.0	244.5
1984-85	192.8 (अ)	139.0 (अ)	271.5 (अ)

(अ) = अनन्तिम।

एक्रिलिक रेशे का उत्पादन और मांग

[अनुवाद]

3147. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कारखाने एक्रिलिक रेशे का उत्पादन कर रहे हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक कारखाने में एक्रिलिक रेशे का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में एक्रिलिक रेशे की वार्षिक घरेलू मांग क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार एक्रिलिक रेशे की कितनी मात्रा का आयात किया गया तथा उस पर कितनी धनराशि खर्च हुई ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में इस समय दो यूनिटें एक्रेलिक फाइबर का उत्पादन कर रही हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके उत्पादन

(मी० टनों में) का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1982	:	12012, 4165
1983	:	11909, 2714
1984	:	11988, 7710

(ख) वर्तमान मांग 25,000 मी० टन प्रतिवर्ष है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान एक्रेलिक फाइबर के आयात का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	मात्रा (टन)	मूल्य (रु०/लाख)
1982	462.60	84.82
1983	2241.83	398.06
1984	1072.09	192.35

उड़ीसा में नए डाक मंडलों और टेलीफोन तथा तार उप-मंडलों का गठन

3148. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में नए डाक मंडल और टेलीफोन और तार उप-मंडल बनाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या आदिवासी क्षेत्रों में उप मंडलों के गठन के लिए कोई रियायतें दी जाती हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कालाहांडी जिले में एक नए डाक मंडल के सृजन के लिए हमें एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। भुवनेश्वर तार इंजीनियरी मंडल के अधीन एक अतिरिक्त उप मंडल के सृजन के लिए भी एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इन प्रस्तावों के कारण पदों का सृजन करना अनिवार्य है। अतः नये पदों के सृजन पर लगी रोक के मौजूदा आदेशों के परिणामस्वरूप इन्हें कार्यरूप नहीं दिया जा सकता है।

(घ) जनजातीय क्षेत्रों के लिए कोई छूट नहीं दी जाती है। फिर भी दूरसंचार शाखा में पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों को कुछ छूट दी जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सेवा का विस्तार

[हिन्दी]

3149. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शनों का अनुपात क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए टेलीफोन सेवाओं का विस्तार करने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) मार्च, 84 के आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण/अर्ध शहरी से शहरी क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन का औसत 16:100 है।

(ख) जी हां। ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के विस्तार के लिये दूरसंचार विभाग ने इस प्रकार के क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर और 100 लाइनों वाले नए टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लिए अपनी नीति उदार बना दी है।

इस नीति के अनुसार :—

(एक) 1990 तक 5 कि० मी० के दायरे के अन्तर्गत देश की अधिकांश आबादी को लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर उत्तरोत्तर उपलब्ध कराये जाने की संभावना है।

(दो) किसी ग्राम अथवा किसी केन्द्रीय ग्राम की 5 कि० मी० की अरीय दूरी के भीतर बसे ग्रामों के समूह में यदि 5 टेलीफोन कनेक्शनों की मांग हो, तो 10 लाइनों का एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है बशर्ते कि इससे प्राक्कलित वार्षिक आवर्ती व्यय की तुलना में कम से कम 35 प्रतिशत अनुमानित राजस्व की आय होने की संभावना हो।

(तीन) किसी स्थान पर 10 लाइनों के मौजूदा एक्सचेंज के बदले 25 लाइनों का एक नया टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया जा सकता है बशर्ते कि वहां 10 उपभोक्ता टेलीफोन के लिये अपनी मांग दर्ज करा लें और उससे वार्षिक प्राक्कलित आवर्ती व्यय की तुलना में कम से कम 40 प्रतिशत अनुमानित राजस्व की आय होने की संभावना हो।

(चार) जब मांग 23 कनेक्शनों तक पहुंच जाती है, तो 25 लाइनों के मौजूदा एक्सचेंज को 50 लाइनों के एक्सचेंज में तथा जब मांग 46 तक पहुंच जाती है, तब 50 लाइनों के मौजूदा एक्सचेंज की क्षमता बढ़ाकर 100 लाइन की जा सकती है बशर्ते कि इससे प्राक्कलित वार्षिक आवर्ती व्यय की तुलना में क्रमशः 60 और 70 प्रतिशत अनुमानित राजस्व की आय होने की संभावना हो।

(पांच) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्तमान मैनुअल और स्ट्रोजर एक्सचेंजों को एस० पी० सी० डिजिटल इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों द्वारा बदलने के लिये समन्वित डिजिटल नेटवर्क योजनाएं शुरू करने की भी योजना है।

क्षय रोग निरोधी औषधियों की कमी

[अनुवाद]

1350. श्री एडुआर्डो फैलीरो : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में क्षय रोग निरोधी औषधियों जैसी अनेक महत्वपूर्ण औषधियों का उत्पादन हाल ही में कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस गिरावट के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। क्षय रोग निरोधी औषधों के सम्बन्ध में, केवल पी० ए० एस० और इसके लवणों का उत्पादन कम हुआ है। पी० ए० एस० और इसके लवणों को के उत्पादन को मांग के अनुकूल बनाया जा रहा है क्योंकि पी० ए० एस० और इसकेलवणों को अधिक आधुनिक औषधों जैसे कि इथम्बुटोल, रिफाम्पिसिन इत्यादि, से प्रतिस्थापित किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी की नई योजनाएं

3151. **श्री आर० प्रभु** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी द्वारा अगले पांच वर्षों में कौन-कौन-सी नई योजनाएं कार्यान्वित की जायेंगी;

(ख) क्या नीलगिरी में रंगीन फिल्म बनाने की परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कब कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ने सरकार को निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं :—

(1) सिने कलर फिल्म संयंत्र;

(2) पोलिस्टर आधार पर एक्सरे तथा ग्राफिक आर्ट फिल्मों के विनिर्माण के लिए योजना; और

(3) मैग्नेटिक टेपों के विनिर्माण के लिए योजना।

इन परियोजनाओं को स्थापित करने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

सागर, मध्य प्रदेश में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की इंजन परियोजना

[हिन्दी]

3152. **श्री नन्द लाल चौधरी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स का विचार सागर, मध्य प्रदेश में एक इंजन परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च होगी;

(ग) इस परियोजना में किस किस्म के इन्जन बनाये जायेंगे; और

(घ) इस परियोजना पर कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) भारी अर्थ मूविंग उपस्करों की विभिन्न किस्मों में प्रयोग आने वाले इन्जनों के निर्माण के लिए मैसर्स भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड नामक सरकारी क्षेत्र के रक्षा उपक्रम का एक प्रस्ताव विचाराधीन है। ऐसा बताया गया है कि इस पर अनुमानतः 30 करोड़ रुपये का खर्च आयेगा और लगभग 1500 व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा।

मध्य प्रदेश सरकार से इस परियोजना को सागर में स्थापित करने के बारे में एक अनुरोध प्राप्त हुआ है।

इस परियोजना की स्थापना के बारे में जब भी निर्णय लिया जाएगा उस समय राज्य सरकार के अनुरोध पर भी उसके औचित्य के आधार पर विचार किया जायेगा।

कर्नाटक उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति

[अनुवाद]

3153. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, 1985 के अन्त तक कर्नाटक उच्च न्यायालय में निपटारे के लिए कितने मामले लंबित थे;

(ख) कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के कितने पद रिक्त हैं; और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव लंबित मामलों को निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) कर्नाटक उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1.3.1985 को 95,602 मामले लंबित थे।

(ख) 8.4.1985 को, कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश का पद रिक्त था।

(ग) सरकार कर्नाटक उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की विद्यमान रिक्तियां भरने के अतिरिक्त, वहां अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाने पर भी विचार कर रही है।

पन्ना जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए कदम

[हिन्दी]

3154. श्री डाल चन्द्र जैन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पन्ना जिले में जहां कोई उद्योग नहीं है, कोई उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : जिला विशेष का औद्योगिक विकास करने की प्रमुख जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होती है। केन्द्रीय सरकार पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए विभिन्न रियायतें/प्रोत्साहन देकर उनके प्रयासों को बढ़ाती है। पन्ना जिले को उद्योग रहित जिला माना गया है और इसे वर्ग 'क' में शामिल किया गया है। इस जिले में उद्योग लगाने वाले उद्यमी लाइसेंसों की मंजूरी में सर्वोच्च प्राथमिकता पाने, केन्द्रीय निवेश राज सहायता की सबसे अधिक राशि प्राप्त करने रियायती वित्त की सुविधाएं, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार/विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कंपनियों के लिए निर्यात के उत्तरदायित्व में छूट और अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के विकास के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली केन्द्रीय संहायता आदि पाने के हकदार हैं। वर्ष 1984 के दौरान पन्ना जिले में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है।

बाहरी व्यक्तियों का डाक-तार संघों का पदाधिकारी बनना

[अनुवाद]

3155. **श्री ललित माकन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाहरी व्यक्तियों को एक विशेष महासंघ से संबद्ध कुछ डाक-तार संघों का पदाधिकारी बनने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इस उपबन्ध को अन्य महासंघों से सम्बद्ध अन्य संघों/संगठनों पर लागू न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या डाक-तार बोर्ड ने डाक-तार संघों को किसी भी स्तर पर किसी बाहरी व्यक्ति को इसका पदाधिकारी न चुनने के लिए कोई आदेश/अनुदेश जारी किए थे; और

(घ) यदि हां, तो आदेश कब जारी किया गया और इसे किस तिथि से लागू किया गया है और उसकी प्रति सभा पटल पर रखी जाये ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। आमतौर पर बाहरी व्यक्तियों को किसी यूनियन का पदाधिकारी नहीं बनाया जाता, सिवाय औद्योगिक कर्मचारियों के यूनियन के सदस्यों के। तथापि, सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त कर्मचारियों को डाक-तार यूनियनों का पदाधिकारी बनाया जाता है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी हां।

(घ) 17-1-75 और 9-10-84 को दो आदेश जारी किए गये थे, जिन्हें जारी होने की तारीख से लागू किया गया था। दोनों आदेशों की प्रतियां संलग्न सभा पटल पर रखी जाती हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 937/85]

मथुरा तेल शोधक कारखाना

3156. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने में पूर्ण रूप से कार्य शुरू हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों संबंधी संस्थापित क्षमता कितनी है और वर्ष 1983-84 और 1984-85 का वास्तविक उत्पादन कितना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के सम्बन्ध में स्थापित क्षमता, डिजायन उत्पादन प्रतिमान, वास्तविक क्रूड थ्रूपुट तथा उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

(आंकड़े '000' मी० टनों में)

	स्थापित	1983-84	1984-85 (प्रावधान)
(क) क्रूड थ्रूपुट	6000.0	5223.5	6238.7
(ख) उत्पादन प्रतिमान			
एल० पी० जी०	197.0	106.7	146.6
नैफ्था	809.0	682.3	694.1
एम० एस०	350.0	285.0	354.6
ए० टी० एफ०	480.0	158.7	204.0
एस० के०	658.0	663.4	678.3
एच० एस० डी०	2043.0	1608.2	2075.3
एल० डी० ओ०	36.0	61.2	78.9
एफ० ओ०	84.0	855.5	1024.8
एच० पी०एस/आर०एफ०ओ०	640.0	356.0	499.3
बिटुमन	300.0	135.4	151.6
सल्फर	6.0	1.4	1.8
कुल उत्पाद	5603.0	4913.8	5909.3

गुजरात को मंजूरशुदा कोटे की तुलना में सीमेंट की कम सप्लाई

[हिन्दी]

3157. **श्री सी० डी० गामित :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार ने विभिन्न प्रयोजनों के लिए जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1984 तक के लिए सीमेंट की कितनी मात्रा की मांग की, उसे सीमेंट की कितनी त्रैमासिक मात्रा मंजूर

की गयी तथा राज्य को कितनी मात्रा में सीमेंट सप्लाई किया गया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) गुजरात को उसकी आवश्यकता के अनुरूप सीमेंट का पूरा कोटा सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और [ख] राज्य सरकारें लेवी सीमेंट की अपनी आवश्यकताएं नियमित आधार पर नहीं बताती हैं। किन्तु गुजरात सरकार ने लेवी सीमेंट के तिमाही आबंटन को 2.31 लाख मी० टन (सिंचाई और विद्युत सहित) से बढ़ाकर 11 मी० टन कर देने के लिए फरवरी, 1984 में अनुरोध किया था। लेवी सीमेंट की सीमित उपलब्धता को देखते हुए यह अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया था।

1984 में गुजरात राज्य सरकार के लिए लेवी सीमेंट का तिमाहीवार आबंटन और पूर्ति निम्नलिखित है :

(मी० टन० में)

तिमाही	आबंटन	पूर्ति
तिमाही 1/84	2,97,023	2,77,097
तिमाही 2/84	2,83,598	1,74,847
तिमाही 3/84	2,67,528	2,43,437
तिमाही 4/84	2,90,098	3,07,063

1984 की दूसरी तिमाही में सीमेंट की पूर्ति इस अवधि में एक बड़े सीमेंट कारखाने को आधुनिकीकरण के लिए बंद कर दिये जाने के कारण संतोषजनक नहीं की गई थी।

तेल उत्पादन में वृद्धि

[अनुवाद]

3158. **श्री नवीन रावणी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल उत्पादक राज्यों के क्या नाम हैं और इन राज्यों से कितनी वार्षिक मात्रा में तेल निर्यात किया जाता है;

(ख) क्या तेल का पता लगाने के लिए वर्ष 1984 के दौरान और अधिक क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान आयात से बचने के लिए देश में तेल उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 के

दौरान कच्चे तेल का राज्य-वार उत्पादन निम्न प्रकार था :

[मि० मी० टन]

राज्य का नाम	कच्चे तेल का उत्पादन
गुजरात	3.91
असम	4.89
अरुणाचल प्रदेश	0.05

(ख) और (ग) जी हां। वर्ष 1984 के दौरान पश्चिमी और पूर्वी अपतटीय क्षेत्रों के अलावा गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, असम, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में सर्वेक्षण किये गए थे। पेट्रोलियम के नये स्रोतों का पता लगाने के लिए आगे और खुदाई आरम्भ करने से पूर्व सर्वेक्षण के दौरान एकत्र किए गये आंकड़े तैयार किये जाएंगे और उनका निर्वाचन किया जाएगा।

(घ) स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन को बढ़ाने की सरकार की नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) विकसित तेल वसूली तकनीकों का प्रयोग;

(ii) वर्क-ओवर कार्यचालनों को तेज करना;

(iii) अपेक्षाकृत अल्पज्ञात भू-वैज्ञानिक क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य को तेज करना जिससे कि अन्ततः उत्पादन में वृद्धि हो सके;

(vi) उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरम्भ करना।

बिहार में बेगूसराय में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

3159. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में बेगूसराय में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन का निर्माण डेढ़ वर्ष पूर्व पूरा हो गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि बेगूसराय में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज की परियोजना को तीन वर्ष पूर्व मंजूरी दे दी गई थी; और

(ग) यदि हां, तो बेगूसराय में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब तक चालू किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक्सचेंज के 1986-87 में चालू होने की संभावना है, बशर्ते की आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों।

महाराष्ट्र में कुकिंग गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची

[हिन्दी]

3160. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर, गरचिरोली और भान्द्रा जिलों में कुकिंग गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने लोगों के नाम हैं और वे कब से इस प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) उन्हें गैस कनैक्शन कब तक दे दिए जाएंगे और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर और भान्द्रा जिलों में कुकिंग गैस कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या क्रमश: लगभग 5,000 (सितम्बर, 1981 से आगे) और 7,000 (सितम्बर, 1982 से आगे) है। गरचिरोली में एल० पी० जी० की कोई एजेन्सी नहीं है।

(ख) प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी व्यक्तियों को 1985-86 के दौरान कनैक्शन दे दिये जाने की सम्भावना है।

बीजापुर जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० से जोड़ना

[अनुवाद]

3161. **श्री एस० एम० गुरुडी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के बीजापुर जिले में बागालकोट, गडग, हरिहर और रावनगिर जैसे अनेक तालुका स्थान एस० डी० डी० से जोड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या बीजापुर के जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० द्वारा नहीं जोड़ा गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। कर्नाटक में बीजापुर जिले के बागलकोट, गडग और हरिहर नामक स्थान बेंगलूर टी० ए० एक्स० के जरिए एस० टी० डी० से जुड़े हुए हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) बीजापुर चूंकि एक मैनुअल एक्सचेंज है, इसलिए आटोमेटिक उपभोक्ता डायलिंग आधार पर एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की जा सकती। स्विचन और संचारण उपस्कर की सीमित मात्रा में उपलब्धता के कारण बीजापुर को अभी आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज में नहीं बदला जा सकता और बेंगलूर के साथ एस० टी० डी० द्वारा नहीं जोड़ा जा सकता। समिति मैनुअल एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जा सकती है बशर्ते कि उसके लिए पर्याप्त मांग हो। स्वचलं बनाए जाने के बाद बीजापुर को बेलगांव ट्रंक आटो एक्सचेंज से जोड़ने की योजना है। इसे सातवीं योजना अवधि में स्थापित किया जाना है।

कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्रों की स्थापना

3162. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न स्थानों में अब तक कोयले पर आधारित कितने उर्वरक संयंत्र स्थापित किए गए हैं; और

(ख) क्या सरकार देश में कोयले पर आधारित कुछ और उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोयले पर आधारित नए उर्वरक संयंत्रों की स्थापना के लिए किन-किन विभिन्न नए स्थलों पर विचार किया जाएगा;

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) तथा तालचर (उड़ीसा) में कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र संचालन में हैं। संसाधनों की कमी के कारण कोरबा (मध्य प्रदेश) में कोयले पर आधारित तीसरे संयंत्र का कार्यान्वयन स्थगित कर दिया गया था। कोयले पर आधारित दो संयंत्रों में उत्पादन स्थिर होने के पश्चात ही इस संयंत्र को पुनः संचालित करने पर विचार किया जायेगा।

(ख) इस समय देश में कोयले पर आधारित और उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

बरौनी उर्वरक कारखाने में उर्वरकों के उत्पादन में कमी

[हिन्दी]

3163. **प्रो० चन्द्र भानु देवी :**
श्री ललितेश्वर साही :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी उर्वरक कारखाने में गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन में काफी गिरावट आने के क्या कारण हैं; और

(ख) उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) पहले दो वर्षों (1982-83 तथा 1983-84) के दौरान हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के बरौनी उर्वरक संयंत्र में उत्पादन तुलनात्मक रूप से संतुलित रहा। तथापि पावर कटौती/खराबी/समिति सप्लाई/वोल्टेज का उतार-चढ़ाव तथा बारम्बार अस्थिरता जैसी पावर समस्याओं तथा उपकरणों की खराबी एवं यूनियनों के आपसी विरोध के कारण औद्योगिक संबंधों एवं ठेकेदार-श्रमिकों की समस्याओं के कारण 1984-85 के उत्पादन में गिरावट आई।

(ख) पावर सप्लाई की स्थिति में सुधार लाने हेतु एक 2.5 मेगावाट गैस टरबाइन स्थापित किया गया है और वह जुलाई, 1983 में संचालन में है। एक 16 मेगावाट कैप्टिव पावर संयंत्र कार्यान्वयनाधीन है तथा 1986 में उसके प्रारम्भ होने की संभावना है। राज्य सरकार

से भी एकक को पर्याप्त एवं स्थिर पावर सप्लाई करने का अनुरोध किया गया है। मैं० पी० डी० आई० एल० ने सम्पूर्ण सर्वेक्षण के पश्चात पूंजी वृद्धि/सुधार/गत्यवरोध को दूर करने तथा पुनरुद्धार योजनाओं का सुझाव दिया है जो कार्यान्वित किया जा रहा है। मान्यता प्राप्त एवं पंजीकृत यूनियनों के साथ नियमित रूप से औद्योगिक संबंधों पर विचार-विमर्श किया जाता है।

विभिन्न धर्मों से संबंधित विधियों का उपांतरण

[अनुवाद]

3164. **श्री चित्त महाता** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में विभिन्न धर्मों से संबंधित विधियों का उपांतरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधियां बनाने वाली कम्पनियों को उत्पादन में विविधता से हुई हानि

3165. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषधियां बनाने वाली कुछ प्रसिद्ध कम्पनियों को मजबूरन विविधीकरण करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें उनके फार्मास्युटिकल उत्पादों पर भारी घाटा हो रहा है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप देश में महत्वपूर्ण दवाओं के उत्पादन को धक्का लगा है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन कम्पतियों की वित्तीय समस्याओं का गहराई से अध्ययन कराने का है ताकि उन्हें अपने उत्पादन में विविधता न लानी पड़े और लोगों को आवश्यक दवाओं के अभाव में मुसीबत न झेलनी पड़े ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) विविधता, यदि कोई है, तो वह अलग-अलग कम्पनियों की सामूहिक नीति के परिणाम-स्वरूप है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डेनिश फर्म से प्रेशर रेगूलेटरों का आयात

3166. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने एक डेनिश फर्म से प्रेशर रेगुलेटरों का आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) एल० पी० जी० सिलेण्डरों को "एफ" टाइप वाल्वों से और प्रेशर रेगुलेटरों को स्वतः बंद किए जाने की प्रणाली में बदलने के संदर्भ में प्रेशर रेगुलेटरों को स्वदेशी प्राप्यता की कमी को पूरा करने और डिजाइन के मानकीकरण की दृष्टि से प्रेशर रेगुलेटरों और निःशुल्क प्रौद्योगिकी का आयात डेनमार्क से किया जा रहा है।

तिरुपति में एक ओटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

3167. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तिरुपति में माइक्रोवेव प्रणाली असफल रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(ग) क्या तिरुपति में कोई आटोमैटिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का विचार है;

(घ) क्या इस एक्सचेंज की आधारशिला वर्तमान प्रधान मंत्री द्वारा रखी गई थी; और

(ङ) क्या उक्त एक्सचेंज की स्थापना में अत्यधिक विलंब हुआ है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हाल ही में उपस्कर की खराबी नहीं रही है। फिर भी, कभी-कभी संचरण परिस्थितियों के कारण प्रणाली में दोष उत्पन्न हुए हैं।

(ख) प्रतिकूल संचरण परिस्थितियों के दौरान प्रणाली के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कम आवाज वाले फ्रंट-एंड एम्पलीफायर्स के आर्डर दिए गए हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) श्री राजीव गांधी द्वारा स्थानीय एक्सचेंज भवन (न कि ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के लिए) की आधार-शिला रखी गई थी।

(ङ) जी नहीं। भवन निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू होने की सम्भावना है। एक्सचेंज उपस्कर की संस्थापना 1986-87 में शुरू होने की आशा है।

निर्वाचन-मतदाता की आयु में कमी

3168. **श्री टी० बशीर** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने स्थानीय निकायों के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए मतदाता की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव मतदाता की आयु घटाकर 18 वर्ष करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) तारीख 20 मार्च, 1984 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं० 3863 की बाबत आश्वासन को पूरा करने के संबंध में, सभी राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, केवल ग्यारह राज्य सरकारों ने स्थानीय निकायों/पंचायतों/नगर पालिकाओं आदि के निर्वाचनों के लिए मतदाता की आयु घटाकर 18 वर्ष की है। इन राज्यों के नाम दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

उन राज्यों के नाम, जिन्होंने स्थानीय निकायों/पंचायतों/नगरपालिकाओं आदि के निर्वाचनों के लिए मतदाता की आयु घटा दी है

राज्य का नाम	पंचायतों और नगरपालिक निकायों के निर्वाचनों के लिए घटाई गई आयु
1. आंध्र प्रदेश	स्थानीय निकाय
2. मध्य प्रदेश	स्थानीय निकाय
3. तमिलनाडु	स्थानीय निकाय
4. कर्नाटक	स्थानीय निकाय
5. हिमाचल प्रदेश	स्थानीय निकाय
6. त्रिपुरा	नगरपालिका
7. पश्चिमी बंगाल	नगरपालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम
8. उत्तर प्रदेश	नगरीय स्थानीय निकाय
9. गुजरात	पंचायतें
10. बिहार	पंचायतें
11. केरल	(नगरपालिकाएं/निगम) स्थानीय निकाय

निर्धनों को विधिक सहायता देने की स्कीम पर व्यय

3169. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धनों को विधिक सहायता स्कीम के लिये वर्ष 1984-85 में कितनी रकम आबंटित की गई थी;

(ख) विभिन्न राज्यों द्वारा वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितनी रकम खर्च की गई है; और

(ग) क्या सम्पूर्ण देश में विधिक सहायता के लिए एक समान संहिता लागू करने का कोई प्रस्ताव है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति को वर्ष 1984-85 के लिये 35.28 लाख रुपये का अनुदान दिया गया ।

(ख) राज्यों ने वर्ष 1983-84 में अपने द्वारा खर्च की गई रकमों की बाबत जो जानकारी दी है वह संलग्न विवरण में दर्शाई गई है । वर्ष 1984-85 संबंधी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) सरकार ने तारीख 28.9.1980 के अपने संकल्प के अनुसार उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पी० एन० भगवती की अध्यक्षता में एक विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति गठित की है । समिति को, विधिक सहायता सम्बन्धी केन्द्रीय विधान का एक अनन्तिम प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया है । इस पर समिति की सिफारिशें प्राप्त होने पर आगे विचार किया जाएगा ।

विवरण

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान विधिक सहायता पर खर्च की गई रकम

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	1983-84 में खर्च की गई रकम
1	2	3
		(रुपयों में)
1.	आंध्र प्रदेश	4,39,479.40
2.	असम	1,07,000.00
3.	बिहार	2,22,754.00
4.	गुजरात	3,77,900.77
5.	हरियाणा	कोई जानकारी नहीं
6.	हिमाचल प्रदेश	14,764.45
7.	जम्मू-कश्मीर	कुछ नहीं
8.	कर्नाटक	10,73,100.32
9.	केरल	कोई जानकारी नहीं
10.	मध्य प्रदेश	26,17,941.30
11.	महाराष्ट्र	2,24,037.27

1 2	3
12. मणिपुर	1,00,000.00
13. मेघालय	6,000.20
14. नागालैण्ड	2,02,000.00
15. उड़ीसा	2,38,316.19
16. पंजाब	9,10,754.36
17. राजस्थान	38,751.20
18. सिक्किम	39,634.47
19. तमिलनाडु	26,64,057.75
20. त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं
21. उत्तर प्रदेश	2,24,491.95
22. पश्चिमी बंगाल	10,26,470.64
23. अंदमान और निकोबार द्वीप	कोई जानकारी नहीं
24. अरुणाचल प्रदेश	26,785.60
25. चण्डीगढ़	कुछ नहीं
26. दिल्ली	3,92,277.45
27. गोवा, दमण और दीव	3,580.00
28. दादरा और नागर हवेली	कुछ नहीं
29. लक्षद्वीप	कुछ नहीं
30. मिजोरम	3,29,285.00
31. पांडिचेरी	कोई जानकारी नहीं

दक्षिण कोरिया के साथ उत्पादन व शोधन स्थल के लिए ठेका

3170. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तट से दूर दक्षिण बसेइन क्षेत्र के लिए उत्पादन व शोधन स्थल के निर्माण हेतु दक्षिण कोरिया की कम्पनी के साथ एक ठेका किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी हां, नवम्बर, 1984 में टर्न की के आधार पर मैसर्स हुनदेई हैवी इंडस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, दक्षिण

कोरिया को ठेका दिया गया था। परियोजना की कुल लागत 81.989 मि० यू० एस० डालर है जिसमें फालतू पुर्जों की लागत भी शामिल है। इस परियोजना के दिसम्बर, 1986 तक आरम्भ होने की आशा है।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को मताधिकार

3171. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मताधिकार के लिए विदेशों में रहने वाले भारतीयों द्वारा मांग की जाती रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) कुछ विदेशी संगठनों से इस प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए थे कि विदेशों में रहने वाले भारतीय नागरिकों को निर्वाचनों में मत देने का अधिकार दिया जा सकता है। यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है कि क्या विदेशों में रहने वाले व्यक्तियों को भी मताधिकार दिया जा सकता है। इस प्रश्न में कुछ ऐसी विशेष बातें हैं कि उसकी समीक्षा, विभिन्न सुसंगत बातों को ध्यान में रखकर, बहुत बारीकी से की जाएगी।

आन्ध्र प्रदेश में राजामुंदरी प्रभाग में टेलीफोन एक्सचेंज का कार्यकरण

3172. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के राजामुंदरी प्रभाग में टेलीफोन एक्सचेंज सन्तोषजनक कार्य नहीं कर रहे हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या कोना सीमा क्षेत्र में स्वचालित प्रणाली प्रारम्भ नहीं की गई है;

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(च) क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है;

(छ) क्या यह सच है कि इनमें से कई एक्सचेंजों में आवश्यकता से कम कर्मचारी नियुक्त हैं; और

(ज) यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रामनिवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। राजामुंदरी मंडल में आम तौर पर सभी टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं।

(ख) राबलापालेम एवं अनपार्थी क्षेत्रों के आस-पास के टेलीफोन एक्सचेंजों के कुछ उपभोक्ताओं से प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे जिनमें उन्होंने शिकायत की थी कि अपनी मांग रजिस्टर कराने के लिए उन्हें मूल एक्सचेंज के साथ तुरन्त सम्पर्क नहीं मिल पाता है।

(ग) (i) परियात की आवश्यकताओं के अनुसार पर्याप्त संख्या में जंक्शन प्रदान किए गए हैं।

(ii) रायवरम क्षेत्र में स्थानीय दोषों में कमी लाने के लिए नए केबिलों की व्यवस्था की गई है।

(घ) से (च) कोना सीमा क्षेत्र में अमलापुरम, रावलापालेम मैनुअल एक्सचेंजों को स्वचल बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है और इन्हें 1985-86 में चालू करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ii) मुमीदिवरम की सातवीं योजना में स्वचल बनाने का कार्यक्रम है।

(iii) इन सभी स्टेशनों को कोएक्सियल केबिल प्रणालियों के साथ जोड़ा जा रहा है।

(छ) जी नहीं। पर्याप्त स्टाफ नियुक्त किया गया है।

(ज) उपर्युक्त (छ) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में टेलीफोन समस्या

[हिन्दी]

3173. **श्री लाला राम केन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के भरतपुर क्षेत्र में अधिकांश समय टेलीफोन खराब रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन टेलीफोनों को ठीक रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है;

(ग) क्या जनता की मांग को देखते हुये नई टेलीफोन लाइनों का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस क्षेत्र में टेलीफोन व्यवस्था के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। राजस्थान के भरतपुर इलाके में टेलीफोन अधिकांश समय खराब रहते हों, ऐसी बात नहीं है, हालांकि उनकी दोष दर कुछ अधिक है।

(ख) इस इलाके में टेलीफोन प्रणाली के रख-रखाव व प्रचालन में सुधार करने की दृष्टि से सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां। 1985-86 के दौरान मौजूदा एक्सचेंज का 200 लाइनों में विस्तार किया जा रहा है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) भरतपुर के लिये 2000 लाइनों के एक क्रासबार टाइप टेलीफोन एक्सचेंज की योजना बनाई गई है, जिसके लिये उपस्कर 1985-86 के दौरान सप्लाई किया जायेगा।

सुरेन्द्रनगर (गुजरात) में टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण

[अनुवाद]

3174. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुरेन्द्र नगर (गुजरात) में एक टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा;

(ख) इस एक्सचेंज में कितने मूल्य के उपकरण स्थापित किये जाने हैं और उनमें से कितने प्रतिशत मूल्य के उपकरण स्थापित किये जा चुके हैं;

(ग) उक्त निर्माण कार्य पूरा होने में बिलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) पूरे उपकरण कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) भवन का कार्य मार्च, 1982 में पूरा हो गया था।

(ख) आरम्भ में जितना उपस्कर संस्थापित किया जा रहा है उसकी लागत संस्थापित किये जाने वाले पूर्ण क्षमता के उपस्कर की तुलना में 61.52 प्रतिशत है।

(ग) आई० टी० आई० से उपस्कर की सप्लाई में देरी होने के कारण विलंब हुआ था।

(घ) ऐसी सम्भावना है कि 1986 के अन्त तक 3000 लाइनें चालू हो जायेंगी। पूर्ण उपस्कर की संस्थापना साज-सामान व संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा औद्योगिक गैसकेट का निर्माण

3175. **श्री थम्पन थामस** :
श्री विष्णु मोदी :
श्री शान्ति धारीवाल :

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1973 और 1980 में यह नीति निर्णय किया था कि औद्योगिक गैसकेट बनाने के लिए विदेशी जानकारी के साथ बड़े पैमाने की कोई कम्पनी खोलने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले एक बहुराष्ट्रिक कम्पनी (मैसर्स हिन्दुस्तान फैरोड लिमिटेड, बम्बई) को 45 लाख रुपये मूल्य के औद्योगिक गैसकेट बनाने की अनुमति दी है;

(ग) यदि हां, तो पहले ही स्पिरल वूंड मेटल क्लैड और कोर एन-कैप्सूलेटिड गैसकेट बनाने वाले लघु पैमाने के अनेक औद्योगिक एककों की क्या स्थिति है;

(घ) क्या सरकार को उक्त (क) उल्लिखित नीति का उल्लंघन किये जाने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और लघु औद्योगिक एककों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) औद्योगिक गैसकेटों का निर्माण लघु उद्योगों के लिये आरक्षित नहीं है । सरकार द्वारा लाइसेंस और विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के लिये प्राप्त आवेदनों पर विचार गुणावगुणों के आधार पर किया जाता है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) सरकार ने मैसर्स हिन्दुस्तान फेरोडो लिमिटेड के आवेदन पर विचार करते समय लघु उद्योगों के हितों पर समुचित रूप से ध्यान दिया था ।

गैस सिलेण्डरों के लिए जमा धनराशि पर ब्याज

3176. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जब उपभोक्ताओं को गैस सिलेन्डर दिया जाता है तो उनसे कुछ जमा राशि की जाती है;

(ख) यदि हां, तो उपभोक्ताओं से कितनी धनराशि जमा की जाती है;

(ग) पूरे देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी ऐसी धनराशि जमा की गई है;

(घ) क्या उक्त जमा धनराशि का निवेश किया जाता है;

(ङ) क्या इस धनराशि पर उपभोक्ता को कोई ब्याज दिया जाता है, यदि हां, तो इस ब्याज की दर क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) नया गैस कनेक्शन या अतिरिक्त सिलिंडर देते समय उपभोक्ताओं से जमा राशि ली जाती है ।

(ख) 14.2 किलोग्राम क्षमता के प्रति सिलिंडर के लिए 450 रुपये तथा प्रति घरेलू दाब रेगुलेटर के लिये 50 रुपये ।

(ग) 185.91 करोड़ रुपये ।

(घ) और (ङ) जी नहीं ।

(च) नये उपभोक्ताओं का नामांकन करते समय नये सिलिंडरों/रेगुलेटरों पर किए जाने वाले निवेश के अतिरिक्त तेल उपयोग को आयोजना, प्राप्ति करनी होती है तथा पर्याप्त उपस्कर वस्तु सूची रखनी पड़ती है । इसमें निरीक्षण, परीक्षण, मरम्मत, रद्द करने तथा प्रतिस्थापन, डिजाइन, अनुसंधान एवं विकास पर होने वाले आवर्ती व्यय के अतिरिक्त भारी पूंजी परिव्यय की आवश्यकता होती है ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित सीमा को उदार बनाने के कारण पैदा हुई विसंगतियां

3177. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम को उदार बनाने

के सरकारों के निर्णय से विसमताएं पैदा हो गई हैं (दिनांक 20 मार्च, 1985 का इकानामिक टाइम्स); और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) नहीं, श्रीमान् जी, वे प्रमुख उपक्रम जो केवल लघु उपक्रम हैं तथा जो बड़े घराने नहीं हैं, वे उद्योग मन्त्रालय के प्रैस नोट, दिनांक 2-2-1973 जो प्रैस नोट दिनांक 21-4-1982 द्वारा संशोधित किया गया था, में निर्दिष्ट गैर-परिशिष्ट मद-I के विनिर्माण की विविधता से निषिद्ध नहीं है, केवल बड़े घरानों पर इस सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा रसायनिक उर्वरकों का उत्पादन

3178. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और इसका वास्तविक उत्पादन कितना है; और

(ख) थाल वैशाट में गैस पर आधारित नई परियोजना में किसनी प्रगति हुई है और उसमें कितना उत्पादन हो रहा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० की स्थापित क्षमता तथा 1984-85 के दौरान इसका वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

न्यूट्रिएन्ट्स	स्थापित क्षमता	1984-85 के दौरान उत्पादन
	मी० टन/प्रतिवर्ष	(मी० टन में)
नाइट्रोजन	316800	264900
$पी_2 ओ_5$	120000	97000

(ख) थाल उर्वरक परियोजना, जिसकी 891000 टन अमोनिया तथा 148500 टन यूरिया (683000 टन नाइट्रोजन के समकक्ष) की वार्षिक स्थापित क्षमता है, को चालू किया जा रहा है और परीक्षण उत्पादन प्रगति पर है। 31 मार्च, 1985 तक परीक्षण उत्पादन के दौरान, 74600 मी० टन अमोनिया तथा 106400 मी० टन यूरिया, 48900 टन नाइट्रोजन के समकक्ष हैं, का उत्पादन किया गया है।

त्रिचूर एर्णाकुलम बाह्य मार्ग पर डाकघर भवन का अधिग्रहण

3179. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर नगरपालिका परिषद् ने डाक और तार विभाग को प्रस्तावित त्रिचूर

एर्णाकुलम बाह्य मार्ग के बीच में स्थित डाकघर भवन का अधिग्रहण करने के बारे में लिखा है;

(ख) यदि हां, तो इस स्थल को सौंपने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं, विशेष रूप से जबकि यह भवन बहुत पुराना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। त्रिचुर-एर्णाकुलम बाई पास रोड के बीच में डाक विभाग की कोई इमारत नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

पेट्रोलियम कन्जर्वेशन रिसर्च एसोसियेशन का कार्यकरण

3180. **डा० के० जी० अडियोडी** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम कन्जर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के कार्यकरण सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं;

(ख) पेट्रोलियम कन्जर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन का कार्य कब शुरू हुआ था;

(ग) क्या पेट्रोलियम कन्जर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन राज्य स्तर पर निकाय है या जिला स्तर का है; और तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है; और

(घ) पेट्रोलियम कन्जर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन द्वारा किये गये अनुसंधान के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया क्या है और यह किस हद तक सफल रहा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पी० सी० आर० ए०) क्षेत्र अध्ययनों, शैक्षणिक अभियान और अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के जरिये मितव्ययता के लिए औद्योगिक, परिवहन, घरेलू और कृषि क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की बचत के प्रचार में लगा हुआ है।

(ख) पी० सी० आर० ए० को अगस्त, 1978 में पंजीकृत किया गया था।

(ग) पी० सी० आर० ए० दिल्ली में अपना निगम कार्यालय है और 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में हैं।

(घ) विभिन्न क्षेत्रों में मितव्ययता के लिए पी० सी० आर० ए० के प्रयासों से पेट्रोलियम ईंधन की बचत की आवश्यकता के प्रति अधिक जागरूकता पैदा की जा रही है। पी० सी० आर० ए० द्वारा प्रायोजित अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापों के परिणामस्वरूप, मिट्टी के तेल की बचत करने वाले पिक स्टोव, एल० पी० जी० बर्नर और वायु के कम दाब वाले औद्योगिक बर्नर को सफलतापूर्वक बाजार में लाया गया है।

खाना पकाने की गैस (एल० पी० जी०) की वितरण एजेंसी

3181. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस की वितरण एजेंसियों के लिए व्यक्तियों के चयन की वर्तमान पद्धति संतोषजनक रूप से कार्य कर रही है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसे बदलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश के मांडला जिले में खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर

[हिन्दी]

3182. **श्री एम० एल० शिकराम** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदिवासी प्रधान जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आदिवासियों को खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर तथा पेट्रोल एजेंसियां देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के मांडला जिले में कितने आदिवासियों को इस प्रकार की एजेंसियां दी गई हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इच्छुक आदिवासियों को इस प्रकार की एजेंसियां देने के लिए कोई कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) तेल उद्योग ने मध्य प्रदेश में मांडला जिले में आदिवासियों को कोई गैस एजेंसी आबंटित नहीं की है । तथापि, इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई० ओ० सी०) का मांडला जिले में नयनपुर तथा तिकारिया में प्रत्येक स्थान पर एक खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है जो अनुसूचित जनजातियों के लोगों को दी जाएगी । इन स्थानों के लिए 22.7.1983 को विज्ञापन जारी किये गये थे परन्तु इन विज्ञापनों के सन्दर्भ में इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड को कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । राज्य सरकार के जिला कलेक्टर/समाज कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया है कि वे सम्बन्धित तेल चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार/चयन के लिये तैयार की गई नामों की एक सूची भेजें ।

संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर मारुति कारों का आबंटन

[अनुवाद]

3183. **श्री ई० एम० एम० फकीर मोहम्मद** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का संसद सदस्यों को प्राथमिकता के आधार पर मारुति कारें आबंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का क्या ब्यौरा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अरामपुर, कानपुर में "आर०" तथा "एस०" टाइप के क्वार्टरों में बिजली, पेयजल तथा शौचालय की समस्याएं

[हिन्दी]

3184. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को कानपुर अरामपुर आवासीय कालोनी में "आर०" तथा "एस०" टाइप के क्वार्टरों में रह रहे रक्षा कर्मचारियों को बिजली, पेयजल तथा शौचालय आदि की हो रही कठिनाइयों के संबंध में जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) "एस०" टाइप के 756 क्वार्टरों में से 240 क्वार्टरों की मरम्मत करने और उनमें बिजली लगाने के लिये प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है। 926 "आर०" टाइप क्वार्टरों के लिये पानी की सप्लाई से संबंधित कार्यों की मरम्मत करने और उनमें बिजली लगाने का कार्य फैक्ट्री की प्रबन्ध समिति को सौंप दिया गया है। "आर०" और "एस०" टाइप के क्वार्टरों के लिये एक-एक लैटरीन ब्लाक में शौचालयों की व्यवस्था करने के बारे में भी मंजूरी दे दी गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत रोकने हेतु कदम

[अनुवाद]

3185. **श्री आर० अन्नानाम्बी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अशोधित तेल के उत्पादन में वृद्धि की अच्छी संभावना न होने की पृष्ठ-भूमि में पेट्रोलियम उत्पादकों की मांग में वृद्धि का सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भारत की विदेशी देनदारी की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का घरेलू खपत कम करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। इसलिये पेट्रोलियम उत्पादों की मांग में वृद्धि का भारत की विदेशी अदायगी की स्थिति पर होने वाले प्रभाव का अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता।

(ख) फिर भी घरेलू उपयोग को कम करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही करने का सरकार का प्रस्ताव है :

(1) तेल के उत्पादों के उपभोग में संरक्षण;

(2) पारम्परिक साधनों के विकल्प के रूप में आर्थिक रूप से व्यवहार्य ऊर्जा के विकल्प साधनों का विकास;

(3) अन्तः फ्यूल प्रतिस्थापन;

(4) मांग प्रबन्ध के लिये मौद्रिक और गैर मौद्रिक उपाय।

बिहार शरीफ (बिहार) में नया टेलीफोन एक्सचेंज भवन

3186. **श्री विजय कुमार यादव : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालन्दा के जिला मुख्यालय बिहार शरीफ में स्वचालित एक्सचेंज का भवन निर्माणाधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त एक्सचेंज मानव चालित होगा अथवा स्वचालित अथवा फिर इलेक्ट्रोनिक ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) नया एक्सचेंज आटोमेटिक एम० ए० एक्स०-II स्ट्रोजर टाइप का होगा।

उत्पादन में गिरावट

3187. **श्री भोला नाथ सेन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पिछले दो वर्षों के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, तथापि इसी अवधि के दौरान कुछ उद्योगों तथा राज्यों के उत्पादन में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी उद्योगवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है तथा इन उद्योगों तथा राज्यों में किन-किन अड़चनों के कारण उत्पादन में कमी हुई तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के औद्योगिक उत्पादन (अनंतिम) सूचकांक के आधार पर औद्योगिक उत्पादन की विकास की दर वर्ष 1983-84 के दौरान 5.5 प्रतिशत तथा 1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर) की अवधि में 6.2 प्रतिशत थी। 18 औद्योगिक समूहों और 3 प्रभागों, अर्थात विनिर्माण खनन और उत्खनन, और विद्युत के औद्योगिक उत्पादन में वर्ष 1983-84 और 1984-85 (अप्रैल-दिसम्बर) के अवधि में हुई वृद्धि को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। कुछ राज्यों द्वारा संकलित औद्योगिक उत्पादन के राज्यवार सूचकांक केवल छठी योजना अवधि से संबंधित हैं।

औद्योगिक उत्पादन पर विभिन्न कारकों का प्रभाव अवश्य पड़ता है जो एक उद्योग से दूसरे उद्योग में अलग-अलग हैं। सरकार औद्योगिक लाइसेंस और आयात सम्बन्धी नीतियों में उपयुक्त परिवर्तन करके तथा साथ ही वित्तीय और वित्तीय अभ्युपायों व अवस्थापना ढांचे में सुधार करके औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिये अनेक उपाय कर रही है।

विवरण

वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का विकास (अप्रैल-दिसम्बर) ।

(आधार : 1970 = 100)

कोड समूह	उद्योग समूह	1983-84 1982-83	अप्रैल-दिसम्बर 1984-85 अप्रैल-दिसम्बर 1983-84
20.	खाद्य विनिर्माण	—5.2	- 4.0
21.	पेय (मादक पेय)	—4.2	—2.7
22.	तम्बाकू	—7.0	—2.1
23.	वस्त्र	+6.6	—0.8
24.	फुटवियर	+17.1	+1.3
25.	लकड़ी और कार्क	+51.0	+2.2
27.	कागज	—0.9	+20.1
29.	चमड़ा	—3.6	—1.0
30.	रबड़	+8.6	+4.2
31.	रसायन और रसायन उत्पाद	+6.2	+10.6
32.	पेट्रोलियम के उत्पाद और कोयला	+5.8	—
33.	अधात्विक खनिज उत्पाद	+5.7	+3.7
34.	मूल धातुएं	—0.4	+6.6
35.	धातु उत्पादन	+4.7	—2.9
36.	गैर विद्युत मशीनें	+8.5	+4.7
37.	विद्युत मशीनें	+6.2	+4.7
38.	परिवहन उपस्कर	+14.1	+13.4
39.	विविध विनिर्माण उद्योग	—12.3	+17.2
	प्रभाग-2-3 विनिर्माण	+4.5	+4.8
	प्रभाग-1 खनन और उत्खनन	+11.5	+8.1
	प्रभाग-5 विद्युत	+6.8	+12.8
	समग्र सूचकांक	+5.5	+6.2

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ।

विभिन्न प्रकार के तेलों का आयात और वितरण

3188. **श्री एन० डेनिस :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कटिंग आयल, ट्रांसफार्मर आयल, टर्बाइन आयल, हीट आयल और औद्योगिक तेलों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान किये गये आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन तेलों के वितरण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किये गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां। इनके देश में उपलब्ध होने तक।

(ख) ये संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) ये वास्तविक प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आयात किए जाते हैं तथा उन्हीं को बेचे जाते हैं।

विवरण

श्रेणी	1982-83	1983-84	आंकड़े मी० टनों में 1984-85 (अनुमानित)
1. कटिंग आयल	6.4	21.66	20.22
2. ट्रांन्सफोर्मर आयल	शून्य	6.45	11.00
3. टर्बाइन आयल	0.94	22.10	—
4. हिट ट्रान्सफोर्मर आयल			
(क) खनिज	10.8	486.0	2.25
(ख) सैथेटिक	260.0	142.74	—
5. अन्य आयल/ग्रीस	1386.10	1528.49	790.61
6. माइक्रो क्रिस्टलाईन वैक्स	272.41	—	44.004

ग्लाइबेनक्लामाइड की कीमत

3189. **श्री एन० डेनिस :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उत्पादित 'ग्लाइबेनक्लामाइड' की जो एक मधुमेहरोधी औषधि है, कीमतें निर्धारित की हैं;

(ख) यदि हां, तो निर्माताओं के नाम क्या हैं और लाइसेंस के अनुसार उनकी क्षमता क्या है;

(ग) क्या यह देखने के लिए कोई तन्त्र है कि फार्म्युलेशन की कीमतें सरकार द्वारा मंजूर मूल्यों के अनुसार ही हों;

(घ) क्या सरकार के ध्यान में ऐसे कुछ मामले लाये गये हैं जिनमें कुछ निर्माताओं ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नीति का अनुसरण नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो रोगियों को यह दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) उपलब्ध ब्यौरों के अनुसार संगठित क्षेत्र में मै० हैक्स्ट इंडिया लिमिटेड ग्लाइबेन्कलामाइड के एकमात्र उत्पादक हैं। उनकी वार्षिक लाइसेंसशुदा क्षमता 879 किलोग्राम है।

(ग) से (ङ) बल्क औषध ग्लाइबेन्कलामाइड का मूल्य 9800 रु० प्रति कि० ग्रा० से घटाकर 2482 रु० प्रति किलोग्राम किया गया था। ग्लाइबेन्कलामाइड गोलियों के 5 मि० ग्रा०/ गोली के 10×10 पैकेट के लिये भी मूल्य घटाकर 5.98 रु० किया गया था। मूल्यों में कमी के विरुद्ध कम्पनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर दी थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसम्बर, 1984 में अपने निर्णय में ग्लाइबेन्कलामाइड और इसके फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारण के लिए सरकार के आदेश को रद्द कर दिया था। इस निर्णय से कम्पनी संशोधन से पूर्व के अपने मूल्य जारी रखने में सक्षम है। विशेष अनुमति याचिका और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध स्थगन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन दायर किया गया है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अंतर्गत खोज और अनुसंधान

3190. श्री एन० डेनिस : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में पेट्रोलियम के क्षेत्र में खोज और अनुसंधान कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया द्वारा चलायी जा रही परि. योजनाओं के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण (अनुसंधान सहित) कार्य में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड लगे हुए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में उनका आयोजना व्यय लगभग 6500 करोड़ रुपए का था।

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड की चल रही मुख्य परियोजनाएं इस प्रकार हैं :

(1) बम्बई हाई से उत्पादन की त्वरित योजना

(2) उरन फेज-II में तटवर्ती टर्मिनल सुविधाओं का प्रसार

(3) दक्षिण बेसिन के अपतट क्षेत्र का विकास

(4) हजीरा में एल० पी० जी० संयंत्र की स्थापना

(5) हजीरा में गैस स्वीटनिंग तथा कंडेसेट ट्रिटमेंट संयंत्र

(6) कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम परियोजना

(7) महानदी अपतट अन्वेषण कार्यक्रम फेज-I

(8) राजस्थान तटवर्ती अन्वेषण कार्यक्रम

(9) कृष्णा-गोदावरी अन्वेषण परियोजना।

कम्पनी नियमों के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र में कार्यकारी अधिकारियों को दी जाने वाली सुविधायें/परिलब्धियां

3191. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों को स्वीकृत किये गये वर्तमान वेतनमान, भत्ते परिलब्धियां किराया-मुक्त आवास की व्यवस्था तथा अन्य सुविधायें क्या-क्या हैं;

(ख) क्या कुछ कम्पनियां अपने कार्यकारी अधिकारियों को राजधानी में पांच से दस हजार रुपये प्रति माह तक के किराये पर आवास सुविधा उपलब्ध कराती हैं, यदि हां, तो इन कार्यकारी अधिकारियों से वसूल किया जाने वाला अथवा उनकी परिलब्धियों में सम्मिलित किये गये स्वीकृत किराये का ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन मामलों में उनके मंत्रालय की अनुमति आवश्यक है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत सरकार प्राइवेट कम्पनियों के कार्यकारियों के पारिश्रमिक को जब तक कि इस प्रकार के कार्यकारी कम्पनी में भागीदार हैं या किसी निदेशक या प्रबन्धक के सम्बन्धी हैं तथा कम्पनी में किसी लाभ के पद या स्थान पर नियुक्त किए गये हैं, जिनका कुल मासिक पारिश्रमिक तीन हजार रु० से कम नहीं है, को छोड़कर नियंत्रित नहीं करती है। इस प्रकार के मामलों में कोई विशेष मार्गदर्शिका निर्धारित नहीं की गई है और प्रत्येक मामले पर उसके गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों के लिए शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था

3192. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए विभागीय भवनों और दूर संचार विभाग के कर्मचारियों के लिए आवासों की व्यवस्था करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः टेलीफोन एक्सचेंजों और दूरसंचार विभाग के कर्मचारियों लिए भवनों का निर्माण करने की मंजूरी के लिए क्या मानदण्ड तथा वरीयताएं निर्धारित की गयी हैं;

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सर्किल-वार (बहु-राज्यीय सर्किलों के मामले में राज्य-वार) किराये के भवनों के अलावा कितने प्रतिशत टेलीफोन एक्सचेंजों हेतु विभागीय आवास की व्यवस्था की गयी है और सर्किल-वार (बहु राज्यीय सर्किलों के संबंध में राज्य-वार) कर्मचारियों की आवास सम्बन्धी व्यवस्था की स्थिति क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्वार्टरों के निर्माण के लिए कोई अलग मानदंड नहीं हैं। प्रत्येक सर्किल के लिए कुल मिलाकर जो मानदंड छठी योजना अवधि में निर्धारित किया था, 10 प्रतिशत संतोषजनक था। टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए आमतौर पर भवन निर्माण कार्य वहां शुरू किया जाता है जहां एम० ए० एक्स-1 टाइप एक्सचेंज का औचित्य बनता हो। उपर्युक्त लक्ष्य साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं।

(ग) बड़े शहरी क्षेत्रों में अधिकांश एक्सचेंज विभागीय भवनों में हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के एक्सचेंज किराए के भवनों में हैं। छठी योजना के अंत में प्रत्येक राज्य में विभागीय भवनों के एक्सचेंजों का प्रतिशत कितना है, इस सम्बन्ध में जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है। 31-3-84 को प्रत्येक सर्किल और जिले में कितने प्रतिशत कर्मचारियों को स्टाफ क्वार्टर दिए गए, इस संबंध में जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31-3-1984 को सर्किलों में स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्धता (प्रतिशत)

सर्किल का नाम	प्रतिशत उपलब्धता
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	8.73
2. बिहार	10.00
3. गुजरात	2.54
4. जम्मू एवं कश्मीर	2.67
5. कर्नाटक	5.40
6. केरल	4.35
7. मध्य प्रदेश	6.59
8. महाराष्ट्र	3.48
9. उत्तर पूर्व	9.29
10. उत्तर पश्चिम	7.72
11. उड़ीसा	11.77
12. राजस्थान	7.41
13. तमिलनाडु	5.26

1	2
14. उत्तर प्रदेश	8.55
15. पश्चिम बंगाल	8.28
16. टी० एण्ड डी० सर्किल	12.80
17. ए० एल० टी० टी० सी० गाजियाबाद	60.50
18. जनरल मैनेजर दूरसंचार स्टोर कलकत्ता	5.09

टिप्पणी : 31-3-1985 को उत्तर पश्चिम सर्किल में राज्यवार प्रतिशत उपलब्धता इस प्रकार है :

	प्रतिशत उपलब्धता
हरियाणा	6.51
हिमाचल प्रदेश	8.54
पंजाब	5.73

31-3-1984 को टेलीफोन जिलों में स्टाफ क्वार्टरों की उपलब्धता (प्रतिशत)

टेलीफोन जिले का नाम	प्रतिशत उपलब्धता
1	2
1. आगरा	6.41
2. अहमदाबाद	2.95
3. अमृतसर	3.89
4. बंगलौर	2.35
5. बड़ौदा	2.83
6. बम्बई	4.28
7. कालीकट	5.19
8. कलकत्ता	3.57
9. चंडीगढ़	14.04
10. कोयम्बतूर	12.37
11. दिल्ली	7.76
12. एर्नाकुल	6.95

1	2
13. गुहाटी	5.62
14. हैदराबाद	6.88
15. इन्दौर	5.69
16. जयपुर	10.46
17. जलंधर	8.84
18. कानपुर	4.36
19. लखनऊ	2.67
20. लुधियाना	4.82
21. मद्रास	4.82
22. मदुराई	1.85
23. नागपुर	3.49
24. पटना	5.74
25. पुणे	5.97
26. राजकोट	5.17
27. सूरत	1.08
28. त्रिवेन्द्रम	7.71
29. विजयवाड़ा	5.68
30. वाराणसी	5.56

हिमाचल प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

3193. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर, बिलासपुर, और ऊना में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज (एम० ए० एक्स-II) खोलने के संबंध में सही स्थिति क्या है;

(ख) इन जिला मुख्यालयों में इन एक्सचेंजों के कब तक लगाने की संभावना है;

(ग) इन एक्सचेंजों तथा राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में एक्सचेंज लगाने के लिए क्या तारीखें निश्चित की गई हैं; और

(घ) इन एक्सचेंजों की स्थापना में देरी के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना में स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज (एम० ए० एक्स-II) स्थापित करने के लिए उपस्कर के 1985-86 के दौरान प्राप्त होने की संभावना है।

(ख) और (ग) ऐसी संभावना है कि राज्य के अन्य जिला मुख्यालयों में टेलीफोन एक्सचेंज 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किये आएंगे।

(घ) उपर्युक्त एक्सचेंज मैसर्स आई० टी० आई० से उपस्कर प्राप्त न होने के कारण अभी तक चालू नहीं किए जा सके।

राज्यों में टेलीफोन कनेक्शन और आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में टेलीफोन एक्सचेंज

3194. **श्री चो० सोभानाद्रीश्वरा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1984 के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गए;

(ख) दिसम्बर, 1984 के अन्त तक आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए थे;

(ग) क्या दूरसंचार विभाग का विचार कृष्णा जिले में बहुत से महत्वपूर्ण टेलीफोन एक्सचेंजों को इन्टर डायलिंग प्रणाली द्वारा जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31.12.1984 को कार्य कर रहे टेलीफोन कनेक्शनों की कुल राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) 31.12.1984 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कुल 17,900 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे थे।

(ग) जी हां।

(घ) नदीगाम और पमारू को विजयवाड़ा टी० ए० एक्स० के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव है। इन स्थानों के लिए आटो उपस्कर का आबंटन कर दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	टेलीफोन जिलों सहित दूरसंचार सर्किलों को सेवा प्रदान करने वाले राज्य	31.12.1984 को चालू टेलीफोन कनेक्शन	1.4.84 से 21.12.84 तक प्रदान किये गए टेलीफोन कनेक्शन
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,36,258	5124
2.	बिहार	63,884	937
3.	गुजरात	2,46,361	6645
4.	जम्मू तथा कश्मीर	17,449	491
5.	केरल (माहे और लक्षद्वीप सहित)	1,34,070	2804

1	2	3	4
6.	कर्नाटक	2,19,095	6314
7.	मध्य प्रदेश	87,132	2399
8.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	5,87,486	27990
9.	उत्तर पूर्व (जिसमें असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं)	41,478	1011
10.	उत्तर पश्चिम (जिसमें पंजाब, हरियाणा, और हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र शामिल हैं)	1,72,719	1612
11.	उड़ीसा	33,756	2541
12.	राजस्थान	91,944	2534
13.	उत्तर प्रदेश	1,54,296	4065
14.	तमिलनाडु/पांडिचेरी सहित	2,54,986	4314
15.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम और अंडमान निकोबार सहित)	2,31,551	1388
16.	दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	2,60,375	12,314
	योग	27,52,840	84,483

ब्राजील से खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों का आयात

3195. **श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने ब्राजील से खाना पकाने की गैस के 8 लाख सिलिण्डरों के आयात का आर्डर दिया था;

(ख) यदि हां, तो 10 अप्रैल, 1985 तक कितने सिलिण्डरों का आयात किया गया;

(ग) क्या ब्राजील की फर्म जो ठेके की शर्तों के अनुसार 1.8 लाख सिलिण्डरों की एक खेप समय पर सप्लाई नहीं कर सकी थी अब उस ठेके का नवीकरण कराने की कोशिश कर रही है;

(घ) क्या कुछ यूनिटों को सिलिण्डरों के निर्माण का आर्डर न मिलने पर नुकसान हो रहा है;

(ङ) यदि हां, तो भारतीय तेल निगम द्वारा इन सिलिण्डरों के आयात किये जाने के कारण क्या हैं; और

(च) क्या सरकार का विचार खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों और सिलिण्डरों के वाल्वों का आयात रोकने का है और इसके लिए उन बहुत से एककों को आर्डर देने का है जोकि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) 10 अप्रैल, 1985 तक 5.55 लाख सिलिंडर प्राप्त हुए हैं ।

(ग) ब्राजील के सप्लायर ने आर्डर की गई मात्रा में 1.80 लाख की मात्रा को घटा दिये जाने के विरुद्ध आई० ओ० सी० को अभ्यावेदन किया है ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान स्वदेशी निर्माताओं से सिलिंडर प्राप्यता में निरंतर कमी होते रहने के कारण सिलिंडरों के आयात का निर्णय किया गया था ।

(च) जी, हां ।

मध्य प्रदेश में दूरसंचार सेवा का विस्तार

3196. कुमारी पुष्पा देवी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य में दूरसंचार सेवा का विस्तार करने के लिए उनके मन्त्रालय से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं । इस बारे में मध्य प्रदेश सरकार से आवेदन प्राप्त होने की जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग) दूरसंचार विभाग समूचे देश के लिए समन्वित योजनाएं तैयार करता है और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम समूची योजना के एक भाग के बतौर आवश्यकतानुसार तैयार किए जाते हैं ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में 207 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए, 32120 लाइनों की स्विचन क्षमता जोड़ी गई, 25857 टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गये, 1205 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर तथा 1370 तारघर खोले गये । एक टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित किया गया तथा 113 टेलेक्स कनेक्शन प्रदान प्रदान किए गए । टी० ए० एक्स० क्षमता में 700 लाइनों का विस्तार किया गया । इसी अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में 6 एस० टी० डी० मार्ग चालू किए गए । मध्य प्रदेश में 1.4.80 और 1.4.85 को महत्वपूर्ण सेवाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

मध्य प्रदेश

(मध्य प्रदेश दूरसंचार सर्किल + इंदौर टेलीफोन जिला)

क्र० सं०	दूरसंचार सुविधा का नाम	1.4.80 को स्थिति	1.4.85 को स्थिति	80-85 के दौरान वृद्धि
1.	टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या	429	636	207
2.	एक्सचेंजों की क्षमता (लाइनों में)	80150	112270	32120
3.	चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या	69754	95611	25857
4.	लंबी दूरी पी० सी० ओ० की संख्या	996	2201	1205
5.	तारघरों की संख्या	1592	2962	1370
6.	टेलेक्सो एक्सचेंजों की संख्या	9	10	1
7.	चालू टेलेक्स कनेक्शनों की संख्या	377	490	113
8.	टी० ए० एक्स० की संख्या	1	1	शून्य
9.	टी० ए० एक्स० की क्षमता (लाइनों में)	800	1500	700
10.	प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी० रूटों की संख्या	6	12	6

खाना पकाने की गैस का आयात

3197. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की गैस का अतिरिक्त भंडार होने की सम्भावना के स्थान पर इसका आयात करने की आवश्यकता पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान उक्त गैस की कितनी मात्रा का आयात किया गया; और

(ग) उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) 100,000

मैट्रिक टन की प्रोजेक्टेड पिगर के मुकाबले वर्ष 1984-85 के दौरान लगभग 99,000 मैट्रिक टन एल० पी० जी० का आयात किया गया।

(ग) मौजूदा उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने तथा नए कनैक्शनों को जारी करने के लिए एल० पी० जी० के उत्पादन, बॉटलिंग क्षमता को बढ़ाने और परिवहन तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्कीमें लागू की जा रही हैं।

तालचेर उर्वरक एकक

3198. **श्री अनंत प्रसाद सेठी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में तालचेर उर्वरक एकक के कार्यकरण में कुछ कठिनाइयां आड़े आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि उक्त उर्वरक एकक ठीक प्रकार से कार्य करें ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां। तालचेर उर्वरक संयंत्र को उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा लगायी गयी बारम्बार पावर की कटौती तथा उपस्कर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

(ग) संतोषजनक स्तर पर सतत उत्पादन प्राप्त करने के लिए एक 30 मैं० वाट गैस टरबाइन जेनरेटर सेट लगाया गया है ताकि पावर की समस्या को दूर किया जा सके। उत्पादन में बाधाओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा विभिन्न अन्य अल्प तथा दीर्घावधिक उपायों की शिनाख्त की गयी है। अधिकांश अल्पावधिक उपायों को पहले ही पूर्ण कर दिया गया है। विश्व बैंक की सहायता से पश्चिम जर्मनी के मैसर्स क्रुप कोपर्स द्वारा संयंत्र का सम्पूर्ण सर्वेक्षण भी किया जा रहा है और उनकी सिफारिशों के आधार पर उपचारी उपाय आरंभ किए जाएंगे।

कारखानों द्वारा राज्यों को पोर्टलैंड सीमेंट की कम सप्लाई करना

3199. **श्री चिंतामणि जेना :**
श्री अमर सिंह राठवा :

क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुलों और बहुमंजिली इमारतों के निर्माण के लिए सामान्यतः साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे सीमेंट का देश में वार्षिक उत्पादन कितना होता है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमेंट कारखाने राज्य सरकारों को उनकी मांग के अनुसार कोटे का साधारण पोर्टलैण्ड सीमेंट देने में आनाकानी करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार को, सीमेंट के कारखानों को, दीर्घावधि योजनानों के अन्तर्गत चल रहे निर्माण कार्यों की मांग को पूरा करने हेतु साधारण पोर्टलैंड सीमेंट सप्लाई करने के लिए निदेश जारी करने के लिये कहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी हां ।

(ख) 1984 में 953 लाख टन ।

(ग) इस आशय के निर्देश हैं कि सीमेंट फैक्टरियां (जिन्हें पोर्टलैंड स्लेग सीमेंट के उत्पादन के लिए लाइसेंस दिया गया है, उनके अलावा) केन्द्रीय/राज्य सरकार के विभागों की अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने लेवी उत्तरदायित्व के 30 प्रतिशत तक सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की आपूर्ति करें । फिर भी, इस प्रकार के उदाहरण हैं जहां सीमेंट फैक्टरियों ने सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति नहीं की है ।

(घ) जी, हां ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग में स्नातक प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती

3200. **श्री अजय विश्वास** : क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा स्नातक प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने इस प्रकार के प्रशिक्षणार्थियों की भर्ती करने के लिये कोई नियम बनाये हैं; और

(ग) क्या आयोग के मौजूदा भर्ती नियमों का उल्लघंन किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लिया जाना

3201. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड 1985-86 में विदेशों में होने वाली व्यापार प्रदर्शनियों में भाग लेगा;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर अनुमानतः कितना व्यय होगा और इसके लिए कितने कर्मचारियों को विदेश भेजे जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बी० एच० ई० एल० की योजना 27 अप्रैल से 5 मई, 1985 तक जिम्बाब्वे में होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के माध्यम से भाग लेने की है

(ग) 1.5 लाख रुपये के व्यय होने का अनुमान लगाया गया है और यह प्रस्ताव है कि इस कार्य के लिए बी० एच० ई० एल० से दो व्यक्तियों को भेजा जायेगा ।

सातवीं योजना में कागज और अखबारी कागज का उत्पादन

3202. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना में देश में अखबारी कागज और कागज के उत्पादन को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश अखबारी कागज, कागज और अन्य कागज उत्पादों के मामले में संभवत: कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) वर्ष 1989-90 तक 17.38 लाख मी० टन कागज और गत्ते की तथा 4.94 लाख मी० टन अखबारी कागज की मांग होने का अनुमान लगाया गया है । मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित अधिष्ठापित क्षमता कागज और गत्ते के मामले में 23.17 लाख मी० टन (75 प्रतिशत क्षमता उपयोग के आधार पर) तथा अखबारी कागज के मामले में 6.18 लाख मी० टन (80 प्रतिशत क्षमता उपयोग के आधार पर) की मांग होगी । देश में वर्ष 1989-90 तक अपेक्षित कागज और गत्ते की क्षमता पहले ही स्थापित हो चुकी है । अखबारी कागज के सम्बन्ध में वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 2.30 लाख मी० टन है और औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र देकर 6.63 लाख मी० की और अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत की गई है, जो कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है ।

क्षमता उपयोग में सुधार करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योग को विभिन्न वित्तीय रियायतें दी गई हैं तथा अवस्थापना सम्बन्धी समर्थन में सुधार किया गया ।

सिकन्दराबाद में पानी और साफ शौचालयों की सुविधाएं

3203. **डा० जो० विजय रामाराव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिकन्दराबाद छावनी में रहने वाले असैनिक नागरिकों के लिए पानी और साफ शौचालयों की समुचित व्यवस्था की जाएगी ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : सिकन्दराबाद छावनी में रहने वाले असैनिक नागरिकों के लिए पानी और साफ शौचालयों की व्यवस्था है । धन के उपलब्ध होने पर मौजूदा सुविधाओं में चरणबद्ध तरीके से सुधार किया जाएगा ।

औषधि, रसायन और उर्वरक उद्योगों में विदेशी सहयोग

3204. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधि, रसायन और उर्वरकों के उद्योगों में विदेशी सहयोग को बढ़ावा देना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोगों हेतु मंजूरी देने के लिए क्या दिशा-निर्देश और मानदण्ड रखे गये हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग का अनुमोदन उन मामलों में योग्यता के आधार पर किया जाता है जहां सन्तोषजनक देशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध न हो या उद्यमी वर्तमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने का विचार रखता है। विदेशी सहयोगों के लिए सामान्य मार्गनिर्देश उद्योगों के लिए मार्गनिर्देश में निहित हैं जो उद्योग मंत्रालय का एक प्रकाशित दस्तावेज है।

मोटर वाहन उद्योग के लिए विदेशी सहयोग

3205. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मोटर वाहन उद्योग के क्षेत्र में विदेशी सहयोग को प्रोत्साहन देने के पक्ष में है; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी सहयोग को मंजूरी देने के लिए क्या दिशा-निर्देश और मापदण्ड हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) आधुनिक और ईंधनक्षम मोटर गाड़ियों का निर्माण करने की दृष्टि से सरकार प्रौद्योगिकी के चयनात्मक आयात की अनुमति देती रही है।

विदेशी निवेश बोर्ड द्वारा सहयोग प्राप्त परियोजनाओं को मंजूरी देना

3206. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश बोर्ड ने अगस्त, 1984 से दिसम्बर, 1984 के बीच बम्बई की मैसर्स रिलाएन्स टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में विभिन्न मदों की पांच विदेशी सहयोग प्राप्त परियोजनाओं को अनुमोदन तथा मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन्हें मंजूरी दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या विदेशी निवेश बोर्ड ने उक्त परियोजनाओं की व्यवहार्यता और वास्तविक सहयोगियों के अस्तित्व के सम्बन्ध में जांच की है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) अनुमोदित विदेशी सहयोग के प्रस्ताओं का विवरण अर्थात् भारतीय कम्पनी का नाम, विदेशी सहयोगकर्ता उत्पादन की वस्तु, सहयोग की किस्म, भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने मन्थली न्यूज लैटर के पूरक अंक में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जाती हैं। चूंकि यह एक नीति विषयक मामला है अत: अलग-अलग कंपनियों के विशेषकर वित्तीय ब्यौरे, स्वीकृति/अस्वीकृति के कारण, प्रस्तावित शर्तों आदि से संबंधित विशिष्ट जानकारी प्रकट नहीं की जाती है।

(ग) पार्टियों की तकनीकी योग्यता संचालन क्षमता परियोजनाओं की आर्थिक जीव्यता और देशी संसाधनों की उपलब्धता तथा प्राप्तिकर्ताओं, वर्तमान एवं भावी तकनीकी क्षमताओं को ध्यान में रखकर विदेशी सहयोग प्रस्तावों की जांच की जाती है।

विदेशी सहयोगों के संबंध में नई नीति

3207. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग की अनुमति देते समय केन्द्र सरकार यह शर्त लगाती रही है कि किसी विदेशी ट्रेडमार्क के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी;

(ख) क्या यह नीति बदल दी गयी है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों में विदेशी सहयोग के बारे में नयी नीति क्या है; और

(घ) क्या विदेशी पूंजी निवेश, प्रोसेस जानकारी और पेटेन्ट ट्रेडमार्कों के प्रयोग की अनुमति दी जाएगी?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) सरकार की सामान्य नीति के अनुसार विदेशी ब्राण्ड नामों का उपयोग हतोत्साहित किया जाता है। सामान्यतया आन्तरिक बिक्री हेतु उत्पादनों पर विदेशी ब्राण्ड नामों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाती, फिर भी निर्यात किए जाने वाले उत्पादों हेतु उनके उपयोग पर आपत्ति नहीं की जाती। विदेशी सहयोग हेतु सभी अनुमोदनों में इसके लिए एक शर्त सम्मिलित की जा रही है।

आन्ध्र प्रदेश में निजामाबाद में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

3208. **श्री टी० बाला गौड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज को, जिसे 1974 में मंजूरी दी गई थी, भवन के निर्माण में विलम्ब के कारण चालू नहीं किया जा सका है;

(ख) यदि हां, तो इस भवन के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विलम्ब के कारण इस एक्सचेंज के लिए लाए गए उपकरण किसी अन्य स्थान को अन्तरित कर दिए गए हैं;

(घ) क्या अब भवन का निर्माण पूरा हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज कब तक चालू हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) निजामाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज के लिए परियोजना की स्वीकृति जुलाई, 1982 में दी गई और भवन निर्माण कार्य दिसम्बर, 1982 में प्रारम्भ किया गया था। इस प्रकार परियोजना स्वीकृति होने के बाद कोई विलम्ब नहीं हुआ।

(ग) चूंकि निजामाबाद के लिए भवन तैयार न होने के कारण यहां के लिए आबंटित 2500 लाइनों के उपस्कर को एलूरू भेज दिया गया।

(घ) जी नहीं। भवन के 1985 के अन्त तक तैयार हो जाने की संभावना है।

(ङ) टेलीफोन एक्सचेंज के 1987-88 में चालू हो जाने की संभावना है जो कि संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में भारतीय सीमेंट निगम द्वारा गोष्ठी

3209. **श्री माधव रेड्डी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध व्यवस्था और क्वालटी सर्कलों में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में 17 मार्च, 1985 को भारतीय सीमेंट निगम द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में भाग लेने वाले कार्मिकों की संख्या तथा नाम क्या हैं; और

(ग) इस गोष्ठी में क्या निर्णय लिए गए ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० द्वारा आयोजित संगोष्ठी, जो श्रृंखला में दूसरी थी, निगम के प्रशिक्षण कार्यक्रम का ही एक भाग है। यह संगोष्ठी मूलत: एक शिक्षाप्रद संगोष्ठी थी जिसका उद्देश्य कामगारों और प्रबन्ध प्रतिनिधियों को शाला (शॉप) परिषदों तथा संयंत्र परिषदों को निर्विघ्न रूप से चलाने और सर्वसम्मति से निर्णय पर पहुंचने के सम्बन्ध में आवश्यक मार्गदर्शी सिद्धांत प्रदान कर रहा है।

विवरण

भाग लेने वालों की सूची

नया गांव

1. श्री लाड लाल जैन, चार्ज हैंड—सह अध्यक्ष, संयन्त्र परिषद

2. श्री रामजी लाल मौर्य—कामगार सदस्य, शाला परिषद (शॉप काउंसिल)
3. श्री आर० एल० कूमावत—सह-अध्यक्ष, शाला परिषद
4. श्री एम० एल० शर्मा—कामगार सदस्य, शाला परिषद

बरखी दादरी

5. श्री आर० के० सरीन—अध्यक्ष, संयंत्र परिषद
6. श्री बी० एस० प्रभाकर—सह-अध्यक्ष एवं प्रधान, डी० डी० सी० एफ० मैन्स यूनियन
7. श्री एस० एन० कटयाल—अध्यक्ष, शाला परिषद
8. श्री ईश्वर सिंह—सह-अध्यक्ष, शाला परिषद
9. श्री लोग नाथन—अध्यक्ष, शाला परिषद
10. श्री दयाराम—सह-अध्यक्ष, शाला परिषद
11. श्री बी० बी० धीर—अध्यक्ष, शाला परिषद
12. श्री बख्शीश सिंह—सह-अध्यक्ष, शाला परिषद
13. श्री वाई० के० नारंग—अध्यक्ष, शाला परिषद
14. श्री डी० के० चौधरी—अध्यक्ष, शाला परिषद
15. श्री राम निवास—सह-अध्यक्ष, शाला परिषद
16. श्री भागमल—शाला परिषद
17. श्री एल० सी० मिश्र—शाला परिषद
18. श्री आर० सी० यादव—शाला परिषद
19. श्री एस० एल० मग्गू—अध्यक्ष-कोआर्डीनेटर प्लाट काउंसिल समन्वयकर्ता संयंत्र परिषद
20. श्री रामजीवन—सह-अध्यक्ष, शाला परिषद
21. श्री राजीव कपूर—रसायन अभियंता
22. श्री रघुबीर सिंह
23. श्री सूबे सिंह
24. श्री आर० के० भारद्वाज
25. श्री आर० बीकानेरी
26. श्री एम० एल० अरोड़ा
27. श्री दयानन्द
28. श्री साहेब दयाल घई

निगमित कार्यालय

29. श्री मायाराम, अध्यक्ष, सीमेंट कारपोरेशन एम्पलाइज यूनियन

30. श्री सी० एम० भसीन, उपाध्यक्ष

31. श्री एस० के० ताकी, महासचिव

नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

3210. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में नये टेलीफोन कनेक्शनों की कितनी मांग है;

(ख) देश के चार महानगरों की और इन राज्यों में से प्रत्येक की प्रतीक्षा सूची में कितने, कितने लोग हैं और देश में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मांग में वृद्धि दर कितने प्रतिशत हैं; और

(ग) प्रत्येक शहर और राज्य में तत्सम्बन्धी उपयोग का प्रतिशत कितना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) 31.1.85 की स्थिति के अनुसार जानकारी संलग्न विवरण कालम-3 में दी गई है। 1977 से 1984 के वर्षों के दौरान देश में टेलीफोन की मांग के लिए औसत वृद्धि की दरें कुल मिलाकर 11 प्रतिशत के करीब थी और दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास नगरों के लिए क्रमशः 12 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 8 प्रतिशत थी।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण के कालम-4 के अनुसार है।

विवरण

क्रम सं०	टेलीफोन जिलों/महानगरों सहित दूरसंचार सर्किलों को सेवा प्रदान करने वाले राज्य	नए टेलीफोनों के लिए मांग अर्थात 31.1.85 को प्रतीक्षा सूची के आवेदकों की संख्या		31.1.85 को स्विचन क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
1	2	3		4
1.	आन्ध्र प्रदेश	51,012	देश के	84.5
2.	बिहार	8,705	लिए	85
3.	गुजरात	85,294	औसत	89
4.	जम्मू एवं कश्मीर	6,690	वृद्धि	87.5
5.	कर्नाटक	38,408	की	89
6.	केरल (माहे एवं लक्षद्वीप सहित	52,547	दरें	94
7.	मध्य प्रदेश	26,876	11	83
8.	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	76,543	प्रतिशत	89

1	2	3	4
9.	उत्तर-पूर्व (असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल-प्रदेश राज्य शामिल करके)	6,271	84
10.	उत्तर-पश्चिमी (पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तथा संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ शामिल करके)	51,698	89
11.	उड़ीसा	3,146	84
12.	राजस्थान	23,574	86
13.	उत्तर प्रदेश	36,996	86.5
14.	तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित)	33,106	91
15.	पश्चिम बंगाल (सिक्किम तथा अंडमान व निकोबार सहित)	3,399	83
	महानगर		
16.	दिल्ली टेलीफोन	1,31,580	88
17.	बम्बई टेलीफोन	1,58,041	85
18.	कलकत्ता टेलीफोन	29,447	84
19.	मद्रास	33,757	87

अपराधी रह चुके व्यक्तियों द्वारा निर्वाचन लड़े जाने पर पाबंदी

3211. **श्री जी० जी० स्वैल** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अपराधी रह चुके व्यक्तियों को निर्वाचन लड़ने से विवर्जित करने के लिए विधि बनाने की बाबत निर्वाचन आयोग से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो निर्वाचन आयोग की नई सिफारिशें मौजूदा उपबंधों से किस तरीके से भिन्न होंगी कि विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कोई भी व्यक्ति स्वत: ही अयोग्य माना जाता है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । निर्वाचन आयोग की ओर से यह बताया गया है कि अयोग्य अपराधी रह चुके व्यक्तियों को निर्वाचन लड़ने से विवर्जित करने के लिए कुछ उपायों पर अपनी सिफारिशें तैयार कर रहा है ।

(ख) इस प्रक्रम पर प्रश्न ही नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन हल्दिया में उत्पादन

3212. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन के हल्दिया स्थित एकक में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) संयंत्र यांत्रिकी रूप से नवम्बर, 1979 में पूर्ण हो गया था, तथापि पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा एक चरणबद्ध रूप में पावर की अपेक्षित मात्रा में आपूर्ति करने में असमर्थता के कारण मुख्य उत्पादन संयंत्र का प्रारम्भण कार्य आगे नहीं बढ़ाया जा सका । सरकार द्वारा दिसम्बर, 1980 में एक 20 मेगावाट गैस टर्बाइन अनुमोदित किया गया था जो 1982 के प्रारम्भ से नियमित रूप से चालू हो गया है जब प्रारंभण कार्यकलाप और मैथनोल का परीक्षण उत्पादन अप्रैल, 1982 में हुआ । तथापि, प्रारम्भण से पूर्व और प्रारम्भण अवस्थाओं में बड़ी संख्या में यांत्रिकी खराबियां हुई । इस समय, तीन आक्सीजन कम्प्रेसरों में से संयंत्र के प्रारम्भण के लिए केवल एक आक्सीजन कम्प्रेशर चालू है । दो आक्सीजन कम्प्रेसरों की मरम्मत की जा रही है और प्रारम्भण के लिए जून/जुलाई, 1985 तक तैयार हो जाने की आशा है । इन कम्प्रेसरों के तैयार हो जाने के पश्चात पूर्ण स्तर पर प्रारम्भण कार्यकलाप शुरू हो जाएंगे ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारियों के लिये पेंशन योजना

3213. **श्री अजय बिश्वास** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का अपने कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना प्रारम्भ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने अपने कर्मचारियों को पेंशन संबंधी लाभ देने के लिए एक स्कीम सरकार के अनुमोदन के लिए भेजी है । वित्त मंत्रालय (सरकारी उद्यम कार्यालय) सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के कर्मचारियों को देय टर्मिनल लाभों की समीक्षा कर रहा है । तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा प्रस्तावित पेंशन संबंधी लाभों की स्कीम को सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए बनाई गई सामान्य नीति के संदर्भ में जांच की जाएगी ।

त्रिपुरा में कुकिंग गैस संयंत्र की स्थापना

3214. **श्री अजय बिश्वास** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राकृतिक गैस के भारी भण्डार का उपयोग करने के लिए त्रिपुरा में किसी कुकिंग गैस संयंत्र की स्थापना करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) त्रिपुरा में एल० पी० जी० निकालने/बॉटलिंग संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) त्रिपुरा में उपभोक्ताओं की एल० पी० जी० की मांग को दुलियाजान स्थित एल० पी० जी० बॉटलिंग संयंत्र से पूरा किया जा रहा है।

यात्रियों के लिये हल्के मोटरवाहन

3215. **श्री शान्ता राम पोतदुखे** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्के यात्री मोटर-वाहनों के मूल्य क्या हैं;

(ख) वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान उनका मेकवार उत्पादन कितना हुआ है; और

(ग) इनके लिए लोगों की मांग कितनी है और इस मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) सातवीं योजना के लिए मोटरगाड़ियों तथा मिट्टी हटाने के उद्योग सम्बन्धी उप-दल ने वर्ष 1989-90 में 1,40,000 यात्री कारों एवं 45,000 क्रास कन्ट्री वाहनों की मांग का अनुमान लगाया है। अनुमानित मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उत्पादन क्षमता स्थापित की जा रही है।

विवरण

(क) कुछ प्रसिद्ध ब्रान्ड के हल्के यात्री मोटरवाहनों के उत्पादन शुल्क रहित कारखाने से निकलते समय के मूल्य नीचे दिए जाते हैं :—

(आंकड़े "000 रुपये में)

1	2
(1) हिन्दुस्तान मोटर्स	
(क) कार "अम्बेसेडर" (पेट्रोल)	52
(ख) कार "कन्टेसा"	65
(2) प्रीमियर आटोमोबाइल्स	
(क) प्रीमियर पद्मिनी	50
(ख) डीलक्स बीई	54
(ग) डीलक्स	58

1	2
(3) मारुति	
(क) कार (नीली और सफेद)	41
(ख) डीलक्स	71
(ग) फ्लैट रूफ वैन (सफेद ओर नीली)	47
(4) महिन्द्रा जीप	
(क) पेट्रोल	71
(ख) डीजल	72

(ख) वित्त वर्ष (अप्रैल, 1984-मार्च, 1985) में कुल उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(आंकड़े" 000 नग में)

(1) हिन्दुस्तान मोटर्स	
कारें	25
ट्रैकर	2
(2) प्रीमियर आटोमोबाइल्स लि०	
कार	28
(3) भारति उद्योग लिमिटेड	
कारें	21
वैनें	2
(4) महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा	
जीपें	23
(5) सिपानी आटोमोबाइल्स	
कारें	1

जनबल द्वारा चालित टेलीफोन एक्सचेंज को स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंजों में परिवर्तित करना

3216. **श्री शान्ता राम पोतदुले** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कितने स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज हैं;

(ख) क्या जनबल द्वारा चालित सभी टेलीफोन एक्सचेंजों की स्वचालित एक्सचेंजों में परिवर्तित कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी राज्यवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) जन-बल द्वारा चालित टेलीफोन एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में बदलने के मार्ग में क्या कठिनाइयां हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंजों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) निम्नलिखित कारणों से सभी मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंजों में नहीं बदला जा सकता :—

(एक) आटोमेटिक एक्सचेंज उपस्कर की अत्यधिक कमी,

(दो) टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए उपयुक्त भूमि और भवन का अभाव ।

(तीन) परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, और

(चार) पर्याप्त मात्रा में निधि का उपलब्ध न होना ।

(ङ) सरकार इस दिशा में निम्नलिखित कार्रवाई कर रही है :—

(एक) टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर का उत्पादन बढ़ाने के लिए अतिरिक्त विनिर्माण यूनिटों की स्थापना; और

(दो) टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाना तथा साथ ही और अधिक निधि के आबंटन के लिए प्रयास करना ।

विवरण

राज्य का नाम	1-4-85 को चालू आटो एक्सचेंजों की सं०
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	1630
2. बिहार	295
3. गुजरात	619
4. जम्मू और कश्मीर	68
5. कर्नाटक	888
6. केरल	535

1	2
7. मध्य प्रदेश	525
8. महाराष्ट्र	861
9. (क) असम	140
(ख) अरुणाचल प्रदेश	23
(ग) मेघालय	18
(घ) मणिपुर	16
(ङ) मिजोरम	7
(च) नागालैंड	24
(छ) त्रिपुरा	20
10. (क) हरियाणा	146
(ख) हिमाचल प्रदेश	157
(ग) पंजाब	292
11. उड़ीसा	226
12. राजस्थान	440
13. तमिलनाडु	1023
14. उत्तर प्रदेश	713
15. पश्चिम बंगाल	372
16. दिल्ली	50

फ्रांस की कम्पनियों द्वारा तेल तथा गैस क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रयास

3217. **श्री आर० अन्नानाम्बी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस की कुछ कम्पनियां भारत में तेल तथा गैस के क्षेत्र में, सर्विस ठेके लेने, तकनीकी क्षेत्र में सहयोग करने अथवा प्रत्यक्ष पूंजी निवेश के लिए भी प्रयास कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) तेल क्षेत्र सम्बन्धी उपस्करों तथा सेवाओं के स्वदेशीकरण के उद्देश्य से सरकार विख्यात विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त उद्यम कम्पनियों की स्थापना को प्रोत्साहित करती है।

सबर्बन मनाली में कोठारी केमीकल प्लांट बन्द किया जाना

3218. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सबर्बन मनाली में कोठारी केमीकल प्लांट को 27 फरवरी, 1985 को कथित क्लोरीन रिसाव के परिणामस्वरूप अनिश्चित काल के लिए बन्द कर देने के आदेश दिए गए हैं;

(ख) क्या गैस रिसाव के बारे में कोई जांच की गई है, और यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या देश में विभिन्न संयंत्रों से गैस के रिसने के मामले बढ़ रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो गत दो महीनों के दौरान कितने उर्वरक संयंत्रों में गैस रिसने का पता लगा;

(ङ) उनकी जांच रिपोर्टों का क्या ब्यौरा है; और

(च) इस रिसाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कोठारी इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, मनाली (मद्रास) में 26-2-85 को क्लोरीन गैस रिसाव की घटना घटी। क्योंकि संयंत्र की सुरक्षा प्रणाली में त्रुटियां थीं इसलिए फैक्ट्री को बन्द करने के आदेश दिए थे। राज्य सरकार द्वारा जांच के लिए भेजे गए मुख्य कारखाना निरीक्षणालय, तमिलनाडु तथा डाइरेक्टोरेट आफ फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के अधिकारियों के एक दल ने पाया कि स्क्रबर का प्रचालन, जिसके माध्यम से हाइड्रेटेड लाइम की सहायता से बेकार गैस उपयोग किए जाने के लिए गुजरती थी, उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहा था, जिसके परिणामस्वरूप क्लोरीन गैस वातावरण में चली गई। कुछ अन्य खराबियों भी पाई गई थीं।

प्रबन्धकों ने आवश्यक उपाय कर दिए हैं। मुख्य कारखाना निरीक्षणालय के पर्यवेक्षक के अधीन, उनके द्वारा सुझाव किए गए सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने के बाद, कारखाने को 20-3-85 को पुनः चालू करने की अनुमति दी गई है।

(ग) यह सिद्ध करने के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं कि विभिन्न संयंत्रों से गैसों का रिसाव बन्द रहा है।

(घ) से (च) चैम्बूर में राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०) के संयंत्रों से सल्फ्यूरिक एसिड तथा अमोनिया के रिसाव की खबरें मिली थीं।

अमोनिया के रिसाव से बचने के लिए किए गये उपायों की स्थिति लोक सभा के अ० प्र० सं० 1763, दिनांक 2-4-85 के उत्तर में स्पष्ट की जा चुकी है।

आर० सी० एफ० के सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र में एक पाइप में दरार के कारण 1-4-85 को 10 मिनट के लिए गैस निकलने तथा एसिड के बहाव की घटना घटी। इस कारण संयंत्र को आवश्यक मरम्मत करने के लिए तुरंत बन्द कर दिया गया था।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कदम

3219. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का विचार अपतटीय क्षेत्र में तेल की खोज का आधुनिकीकरण करने और नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अपना तेल उत्पादन दुगुना करने का है;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग किस सीमा तक तेल उत्पादन बढ़ाने की योजना बना रहा है;

(ग) यह उत्पादन छठी पंचवर्षीय योजना की तुलना में कितना अधिक होगा; और

(घ) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पहले भी तेल की खोज के एक दस वर्षीय कार्यक्रम की योजना तैयार की थी; इसकी स्थिति क्या होगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) कच्चे तेल के उत्पादन का लक्ष्य और सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्वेषी कार्यक्रम के ब्यौरे सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे।

(घ) जी, हां। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1989-90 तक 10 वर्षीय योजना तैयार की थी, जिसमें सातवीं योजना अवधि शामिल है। 1984-85 तक वास्तविक उत्पादन अधिकांशतः उतना ही हुआ जितने की योजना थी।

मोबाइल टेलीफोन

3220. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के अन्त तक प्रौद्योगिक आधार पर लगभग 100 मोबाइल टेलीफोन चालू किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या दूरसंचार केन्द्र द्वारा विकसित इंजीनियरी प्रणाली वाले इस दुतरफा रेडियो-टेलीफोन में उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था होगी; जो सामान्य टेलीफोन में होती हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) मोबाइल-टेलीफोन कब तक काम करना शुरू कर देंगे; और

(ङ) ऐसे टेलीफोनों पर क्या लागत आएगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। दिल्ली में कुछ मोबाइल टेलीफोनों का परीक्षण किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) इस परीक्षण से चलते वाहनों में नियमित रूप से टेलीफोन की स्थापना करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन करने के उद्देश्य से प्रचालन डाटा सुलभ होगा।

(घ) यह परीक्षण पहले से ही सीमित मात्रा में किए जा रहे हैं।

(ङ) इस प्रोयोगिक परियोजना की लागत लगभग 1.5 करोड़ रु० है।

चुने हुए उद्योगों में स्वत: लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करना

3221. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ चुने हुए उद्योगों में स्वत: लाइसेंसिंग करने की नई प्रणाली लागू करके उद्योगों को लाइसेंस देने की नीति को उदार बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह आर्थिक और प्रशासनिक सुधार संबंधी झा आयोग की, जिसने कार्य-विधि सहित उद्योगों को लाइसेंस देने की समूची प्रणाली पर विचार किया है, सिफारिशों में से एक है;

(ग) यदि हां, तो झा आयोग ने अन्य क्या सुझाव दिये हैं;

(घ) उनमें से कितनी सिफारिशें स्वीकार की गईं और कितनी कार्यान्वित की गई हैं; और

(ङ) औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को कहां तक उदार बनाया गया है?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ, मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उद्योगों की 25 विशद श्रेणियों को दिनांक 18.3.1985 की अधिसूचना द्वारा लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है।

(ग) और (घ) झा आयोग की रिपोर्ट अभी प्रकाशित नहीं की गई है।

(ङ) प्रश्न के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करने की योजना के अलावा हाल ही में निम्नलिखित अन्य मुक्तियों की भी घोषणा की गई है :

(1) उत्पादन की मात्रा बढ़ाने के लिए बढ़ा देने और निर्माणकर्ताओं को बाजार की मांग के अनुसार अपने उत्पादन मिश्र को समायोजित करने की छूट देने की दृष्टि से निम्नलिखित उद्योगों के संबंध में ब्रांड-बैंडिंग की योजनाओं की घोषणा की गई है :

(क) मशीनी औजार;

(ख) मोटर लगे दो-पहिया वाले वाहन;

(ग) मोटर लगे चार-पहिया वाले वाहन;

(घ) कागज के उत्पादों सहित कागज और लुगदी; और

(ङ) रसायन, फार्मास्युटिकल, पेट्रो-रसायन तथा उर्वरक मशीन उद्योग।

(2) लघु क्षेत्र के लिए पूंजी निवेश की राशि 20 लाख रु० से बढ़ाकर 35 लाख रुपए और आनुषंगिक इकाइयों के लिए 25 लाख रु० से 45 लाख रुपए कर दी गयी है।

(3) दूर-संचार उपकरणों के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि :

(क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 51 प्रतिशत अंशधारिता और गैर-सरकारी

क्षेत्र की पार्टियों द्वारा अधिक से अधिक 49 प्रतिशत अंशधारिता से स्विचिंग और ट्रांसमिशन उपकरणों के निर्माण में गैर-सरकारी उद्यम का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) ग्राहकों के घरों में लगाए जाने वाले दूर-संचार उपकरणों जैसे टेलीफोन यंत्र, पी० ए० बी० एक्सचेंज, टेलीप्रिंटर्स, डाटा संचार उपकरण आदि का निर्माण शुरू करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति दी जा सकती है।

बकाया राशियों का भुगतान न होने के कारण टेलीफोन के कनेक्शन काटना

3222. **श्री के० राममूर्ति** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बकाया राशियों का भुगतान न होने पर टेलीफोन के कनेक्शन काटने की प्रक्रिया के संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधारों के प्रबन्ध अध्ययन प्रतिवेदन में की गयी महत्वपूर्ण सिफारिशों (जो 1983-84 में पूरा हुआ था और कार्मिक और प्रशासनिक सुधार के 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन के पृष्ठ 105/106 में उल्लेखित है) को क्रियान्वित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। प्राधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत महत्वपूर्ण सिफारिशों को कार्यान्वित किया गया है, केवल दो सिफारिशें ऐसी हैं जिनके कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक कार्रवाई की जा रही है।

(ख) सिफारिशें क्रियाविधि किस्म की हैं। अतः किए गए परिवर्तनों के परिणामों का तत्काल मूल्यांकन करना संभव नहीं है। संशोधित पद्धति के कुछ समय तक प्रचलन में रहने के पश्चात ही इसका पता चल सकेगा।

लघु उद्योग क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार

3223. **श्री के० राममूर्ति** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योग क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता को रोकने के उद्देश्य से रुग्ण एककों के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 1981-82 में शुरू की गयी सीमान्त धन सहायता योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार कितने लघु रुग्ण एककों का पुनरुद्धार किया गया; और

(ग) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन (पृष्ठ 58) में बताई गई इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन संबंधी परिचालन समस्यायें हल कर ली गई हैं और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सीमान्त धनराशि योजना में बराबरी के आधार पर (50:50) राज्य सरकार को ऋण प्रदान करने की परिकल्पना की गई है और रुग्ण एककों के लिए गठित राज्य स्तर समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य सरकार लघु उद्यमियों को धनराशि जारी करती है। प्रति एकक ऋण की मात्रा 1000रु० से 20,000 रु० के बीच है और पिछले सात वर्षों में लघु एकक के रूप में पंजीकृत एककों पर लागू है।

(ख) और (ग) चूंकि यह योजना हाल ही में व्यवहार में आई है, अतः इसके प्रभाव, कार्यचालन संबंधी समस्याओं के साथ-साथ पुनः स्थापित एककों की संख्या का अनुमान लगा पाना कठिन है।

आदिवासी क्षेत्रों में डाकघर और उप-डाकघर खोलने के लिए रियायतें

3224. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आदिवासी क्षेत्रों में शाखा डाकघर और उप-डाकघर खोलने के लिए क्या रियायतें दी जाती हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री : **(श्री राम निवास मिर्धा)** : जनजातीय एवं पिछड़े दोनों क्षेत्रों में उदार नीति के अधीन शाखा डाकघर खोले जाते हैं। उप-डाकघर खोलने के लिए कोई छूट नहीं नहीं दी जाती है। शाखा डाकघर एवं उप डाकघर खोलने के लिए मौजूदा मानदंडों की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 938/85**]

आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले डाक कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भत्ता

3225. **श्री के० प्रधानी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आदिवासी क्षेत्रों में सेवा करने वाले डाक कर्मचारी प्रतिपूर्ति भत्ते का हकदार हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) गुजरात और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के विशिष्ट जनजातीय इलाकों में कार्यरत डाक स्टाफ प्रतिपूर्ति भत्ते का हकदार है, और इस संबंध में उन पर वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश लागू होते हैं।

राजस्थान के बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़ना

3226. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर और जैसलमेर से दिल्ली के साथ कोई सीधा टेलीफोन सम्पर्क नहीं है;

(ख) क्या बाड़मेर और जैसलमेर के जिला मुख्यालयों को सीधी डायल सेवा द्वारा दिल्ली से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुविधाएं कब तक उपलब्ध होंगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, बाड़मेर और जैसलमेर से दिल्ली के लिए सीधी टेलीफोन सुविधा नहीं है।

(ख) जी हां,।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान बाड़मेर और जैसलमेर शहरों को जोधपुर ट्रंक स्वचन एक्सचेंज के साथ जोड़कर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

हिन्दी सलाहकार समिति के अधिवेशन

[हिन्दी]

3227. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के 1984 के दौरान कितने अधिवेशन हुए;

(ख) इन अधिवेशनों में क्या प्रस्ताव पारित किए गए; और

(ग) इन प्रस्तावों का कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) वर्ष 1984 में हिन्दी सलाहकार समिति के हुए अधिवेशनों और समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा उनके कार्यान्वयन संबंधी विस्तृत जानकारी देने वाला विवरण संलग्न है ।

विवरण

(क) वर्ष 1984 के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति के 3-3-1984, 26-6-84 और 25-9-84 को तीन अधिवेशन हुए ।

(ख) हिन्दी सलाहकार समिति का कार्य विधि के क्षेत्र में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में सलाह देना और उसकी बाबत सिफारिशें करना है । वर्ष 1984 के दौरान हिन्दी सलाहकार समिति ने निम्नलिखित मुख्य सिफारिशें की हैं :

(i) अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेजों का हिन्दी में अनुवाद किया जाए ।

(ii) राजभाषा खण्ड के अधिकारियों के काडर में वृद्धि की जाए ।

(iii) राजभाषा खण्ड और विधि साहित्य प्रकाशन के अधिकारियों को भारतीय विधि सेवा में सम्मिलित किया जाए ।

(iv) उच्च न्यायालय निर्णय पत्रिका और उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका के प्रकाशन की गति तेज की जाए जिससे कि वे अद्यतन हो जाएं ।

(v) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 का इस प्रकार संशोधन किया जाए कि किसी उच्च न्यायालय द्वारा हिन्दी में दिए गए या पारित किए गए किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के अंग्रेजी अनुवाद की अपेक्षा तभी की जाए जब संबंधित पक्षकार द्वारा किन्हीं विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए उसकी मांग की जाए ।

(vi) विधि सम्बन्धी विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तकों के लेखन और उनके प्रकाशन की गति में तेजी लाई जाए ।

(vii) हिन्दी में प्रकाशित विधि साहित्य संबंधी प्रदर्शनियों की व्यवस्था की जाए ।

(viii) विधि के क्षेत्र में हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं का प्रचार करने वाले स्वयंसेवी संगठनों की आर्थिक सहायता दी जाए ।

(ix) विभिन्न भारतीय भाषाओं में प्रकाशित भारत के संविधान में प्रयुक्त आधारिक शब्दावली का एक संकलन तैयार किया जाए ।

(x) भारत के संविधान के हिन्दी अनुवाद को विधि द्वारा उसका प्राधिकृत पाठ घोषित किया जाए।

(ग) ऊपर की गई प्रत्येक सिफारिश के कार्यान्वयन संबंधी ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

(i) अन्तरराष्ट्रीय दस्तावेजों के तीन सौ पृष्ठों का अनुवाद किया जा चुका है और यह विचार है कि यह कार्य वर्ष 1986 तक पूरा कर लिया जाए।

(ii) नए पदों के सृजन पर रोक लगा दिए जाने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है। किन्तु इस सम्बन्ध में विधि और न्याय मंत्री तथा गृह मंत्री की एक बैठक आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(iii) इस मामले में कार्रवाई की जा रही है।

(iv) आवश्यक कार्रवाई करने के लिए एक उप-समिति बनाई गई है। सरकार ने पत्रिकाओं के मुद्रण का कार्य प्राइवेट प्रेसों को सौंपे जाने का विनिश्चय किया है ताकि उनके प्रकाशन में गति लाई जा सके।

(v) इस बारे में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(vi) समस्याओं, आदि का पता लगाने के लिए सितम्बर, 1984 में संकायाध्यक्षों और प्राचार्यों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था और यह विनिश्चय किया गया कि विधि संबंधी विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तकों के लेखन और प्रकाशन में गति लाने के लिए एक नई स्कीम तैयार की जाए।

(vii) वर्ष 1984 में कई प्रदर्शनियां आयोजित की गई थीं और चालू वर्ष में देश के भिन्न-भिन्न भागों में और अधिक प्रदर्शनियों के आयोजन का निश्चय किया गया है।

(viii) इस प्रयोजन के लिए एक स्कीम तैयार की गई है।

(ix) एक संकलन तैयार कर दिया गया है और वह मुद्रणाधीन है।

(x) भारत के महान्यायवादी की राय ले ली गई है और वह गृह मंत्रालय के विचाराधीन है।

यूनियन कार्बाइड लिमिटेड के यूनिटों का अधिग्रहण

[अनुवाद]

3228. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यूनियन कार्बाइड के भारत में स्थित सभी यूनिटों को अपने अधीन लेने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों की शर्तों के अनुसार किसी औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध अधिनियम की धारा 18-क और 18-कक में निर्दिष्ट शर्तों के अन्तर्गत अभिग्रहीत किया जा सकता है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत भारत में यूनियन कार्बाइड के विभिन्न उपक्रमों के क्रियाकलाप द्वारा अभिग्रहण के लिए इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं।

प्रतिरक्षा संबंधी सामान का उत्पादन करने वाली गैर सरकारी कम्पनियां

3229. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ गैर सरकारी कम्पनियों द्वारा टैंकों के फालतू पुर्जे, मशीनगन, विभिन्न किस्म के बैरल आदि जैसे प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान का उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार को प्रतिरक्षा सम्बन्धी उक्त सामान सप्लाई करने वाली उन कम्पनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सप्लाई किए जा रहे प्रतिरक्षा सम्बन्धी सामान की कोटि बनाए रखने के लिए कभी अचानक जांच की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) विभिन्न क्रय एजेंसियों द्वारा बहुत-सी फर्मों से खरीद की जाती है। इस सूचना को एकत्रित और संकलित करना बहुत बड़ा और कठिन काम है जिस पर बहुत समय लग जाएगा।

(ग) और (घ) सप्लाई किए जा रहे सामान के स्तर पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्रालय की निरीक्षण एजेंसियों के निरीक्षकों द्वारा इसकी नियमित और अचानक जांच की जाती है।

बम्बई हाई में उपलब्ध फालतू प्राकृतिक गैस का उपयोग

3230. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई-हाई में उपलब्ध फालतू प्राकृतिक गैस को खाना पकाने की गैस के प्रयोजन हेतु उपयोग में लाने के लिए एक द्रुत कार्यक्रम बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या प्रभावशाली कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) बम्बई हाई से तट पर लाई गई प्राकृतिक गैस से एल० पी० जी० का उत्पादन किया जाता है।

महाराष्ट्र में उरान में एक एल० पी० जी० निष्कर्षण यूनिट कार्य कर रही है। दो और एल० पी० जी० यूनिटें, एक उरान में तथा दूसरी हजीरा गुजरात में कार्यान्वित की जा रही हैं।

बिहार के अमझोर में गन्धक के तेजाब के संयंत्र की स्थापना

3231. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के अमझोर क्षेत्र में पाइराइट की प्रमाणित किस्म के भारी भंडार हैं;

(ख) क्या अमझोर पाइराइट खानों को सिन्दरी उर्वरक संयंत्र को पाइराइट सप्लाई करने के लिए आरक्षित खानों के रूप में विकसित किया गया था; और

(ग) उपरोक्त बातों को देखते हुए क्या सरकार का विचार अमझोर में उपलब्ध पाइराइट के भारी भंडारों का उपयोग करने के लिए तथा देश में अनुभव की जा रही उर्वरक की कमी को दूर करने के लिए अमझोर में गन्धक के तेजाब के एक संयंत्र और एक समेकित उर्वरक संयंत्र की स्थापना करने का है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। भंडार में लगभग 300 मिलियन टन पाईराइट्स एवं 1500 मिलियन टन पाईराइट्स फेरस शेल है।

(ख) और (ग) मै० पाईराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि० (पी० पी० सी० एल०) ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया (एफ० सी० आई०) के सिन्दरी स्थित सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र को एसिड ग्रेड पाईराइट्स की आरक्षित सप्लाई करने हेतु अमझोर खनम संयंत्र का विकास किया था। तथापि, तकनीकी समस्याओं के कारण सिन्दरी का सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र 1982 में बन्द कर दिया गया। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मै० पी०पी०सी०एल० ने लगभग 45 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अमझोर में 625 टन प्रति दिन एल० एस० पी०, सहित 240 टन प्रति दिन सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। सल्फ्यूरिक एसिड के उत्पादन के लिए पाईराइट्स के प्रयोग के अतिरिक्त कम्पनी के उत्तर-प्रदेश एवं बिहार राज्य की क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए भूमि सुधार तत्व ने रूप में निम्न स्तर के पाईराइट्स (22 प्रतिशत सल्फर) का प्रयोग भी प्रचलित किया है।

सीमेंट उद्योग में कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

3232. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग में प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेशनल काउन्सिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटेरियल्स (पहले जिसे सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ इण्डिया के नाम से जाना जाता था।) ने जनशक्ति विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने बल्लभगढ़ स्थित एकक में शिक्षा जारी रखने का एक केन्द्र स्थापित किया है और यह दीर्घकालीन और अपकालीय उद्योग परक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का आयोजन करके निरंतर आधार पर गहन प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान कर रहा है। अब तक, लगभग 137 पाठ्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं और सीमेंट उद्योग के लगभग 3700 व्यावसायिकों ने इन पाठ्यक्रमों में भाग लेकर लाभ उठाया है। नेशनल काउन्सिल फार सीमेंट एंड बिल्डिंग मैटीरियल्स द्वारा इस बारे में राष्ट्रीय स्तर पर उपयुक्त नीतियां तैयार करने के लिए एक जनशक्ति सलाहकार समिति का गठन किया है।

सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया ने अपने नया गांव सीमेंट कारखाने में कार्यकारी प्रशिक्षार्थियों, प्रबन्ध प्रशिक्षार्थियों, फ़ोरमैन प्रशिक्षणार्थियों और कार्यकारी प्रशिक्षार्थियों के रूप में, व्यक्तियों के रूप में व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने तथा उनसे नए प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के अनुरूप कार्य कराते रहने के लिए विद्यमान कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। निगम ने अब तक इन क्षेत्रों में 340 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया है, साथ ही निगम अपने कर्मचारियों के लिए विभिन्न अतःसंयंत्र कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रहा है।

उपर्युक्त के अलावा गैर सरकारी क्षेत्र में चल रहे मैसर्स एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड ने भी विभिन्न विषयों में कर्मियों और पर्यवेक्षीय कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए अपने सीमेंट कारखानों में प्रशिक्षण सुविधाओं की स्थापना कर ली है।

गुजरात में चूना-पत्थर का पता लगाने के लिए किए सर्वेक्षण के निष्कर्ष

3233. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सीमेंट के निर्माण के लिए चूना-पत्थर का पता लगाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं तथा उन क्षेत्रों में सीमेंट के कारखाने लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार को गुजरात में मिनी सीमेंट संयंत्र की स्थापना के लिए कोई नये आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे आवेदन-पत्रों की संख्या क्या है तथा इन आवेदनों पर निर्णय करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय सीमेंट और भवन निर्माण सामग्री परिषद (भूतपूर्व सीमेंट अनुसंधान संस्थान) द्वारा संकलित किए गए भूगर्भीय आंकड़ों से गुजरात में चूना पत्थर निक्षेपों की अनुमानित उपलब्धता निम्नलिखत परिणाम में होने का पता चला है :

मापित निक्षेप	— 900 लाख मी० टन
सूचित निक्षेप	— 570 लाख मी० टन
अनुमानित और पता लगाए गए निक्षेप	— 100670 लाख मी० टन

वर्तमान में सीमेंट कारखानों की कुल उत्पादन क्षमता 33 लाख मी० टन है। इसके अतिरिक्त, गुजरात में 42 लाख मी० टन अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने हेतु स्वीकृतियां प्रदान कर दी गई हैं।

(ग) और (घ) पिछले 12 महीनों की अवधि में गुजरात राज्य में मिनी सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति हेतु 5 आवेदन पत्र और तकनीकी विकास महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु 7 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से 2 आवेदन पत्र स्वीकृत हो गए हैं तथा 2 आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिए गए। शेष एक आवेदन पत्र की जांच की जा रही है। तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु प्राप्त 7 आवेदन पत्रों में से 1 आवेदन पत्र पंजीकृत हो गया है तथा बाकी अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

गैस सिलेंडरों की आवश्यकता

3234. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में तेल कम्पनियों की गैस सिलेंडरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गैस सिलेन्डरों की खरीद के सम्बन्ध में तेल कम्पनियों की वर्तमान नीति क्या है;

(ग) क्या उनकी आवश्यकता पूरी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो जब देश में गैस और गैस सिलेन्डरों की कोई कमी नहीं है तो फिर उपभोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में उपभोक्ताओं की बकाया प्रतीक्षा सूची निपटाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) लगभग 50 लाख।

(ख) इस समय तेल कम्पनियों द्वारा सिलेन्डरों की खरीद निविदाओं की नीति के अधीन की जा रही है और सप्लाई की प्राप्ति मौजूदा संविदाओं के अधीन की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) नये कनैक्शनों का दिया जाना बॉटलिंग क्षमता, परिवहन सुविधाओं और अन्य इन्फ्रास्टक्चर पर भी निर्भर होता है। एल० पी० जी० के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के अतिरिक्त, इन क्षमताओं और सुविधाओं को बढ़ाने की योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

सस्ता और जल्दी न्याय दिलाने के लिए उठाए गए कदम

[हिन्दी]

3235. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावशाली कदम उठाने का है कि लोगों को सस्ता, आसानी से और शीघ्र न्याय मिले, तथा देश में योग्य, स्वतन्त्र और प्रगतिशील न्यायपालिका के माध्यम से आधारभूत मानव अधिकारों की रक्षा हो;

(ख) क्या सरकार का विचार उक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नियमों में संशोधन करने का है और यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए जिन नियमों में संशोधन किया जाना है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक करने का विचार है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) सरकार सस्ता, सरल और शीघ्र न्याय दिलाने और मूलभूत मानवीय अधिकारों के कारगर प्रवर्तन के लिए प्रभावशाली कदम उठाने के पक्ष में है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए उठाए गए कदम संलग्न विवरण में बताये गये हैं। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आसीन न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री पी० एस० भगवती की अध्यक्षता में विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति का गठन किया है।

(ख) और (ग) प्रक्रिया संबंधी विधियों को सरल बनाने की दृष्टि से 1973 में दंड प्रक्रिया संहिता अधिनियमित की गई और सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का, 1976 में व्यापक रूप से संशोधन किया गया। न्यायिक प्रक्रिया में सुधार एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण

लंबित मामलों को कम करने के लिए समय-समय पर उठाए गए कदम

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए हाल ही के वर्षों में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लेटर्स पेटेन्ट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1975 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100-क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अधिनियमित की गई।

(3) उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश-संख्या) अधिनियम, 1956 का संशोधन करके 31-12-1977 को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 13 से बढ़ाकर 17 कर दी गई, इसमें मुख्य न्यायमूर्ति सम्मिलित नहीं हैं।

(4) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मार्च, 1977 में 351 थी जो 1 अप्रैल, 1985 को बढ़ाकर 424 कर दी गई है।

(5) उच्चतम न्यायालय के नियमों का संशोधन करके रजिस्ट्रारों और चैंबर में न्यायाधीशों को अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं जिससे कि न्यायालय का समय छोटे प्रकीर्ण मामलों में नष्ट न हो।

(6) उच्चतम न्यायालय ने भी निम्नलिखित उपाय किए हैं :—

(i) कुछ मामले को पूर्विकता दी जाती है।

(ii) प्रकीर्ण मामले प्रतिदिन सुनवाई के लिए रखे जाते हैं।

(iii) ऐसी रिट पिटीशनों को जिनमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, एक ग्रुप में रखा जाता है और 50 से लेकर 100 मामलों के बैच सुनवाई के लिए एक साथ रखे जाते हैं।

(iv) ऐसे अन्य मामलों का भी जिनमें एक समान प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं, समय-समय पर पता लगाकर उन्हें एक साथ रखा जाता है और इस बात का प्रयास किया जाता है कि ऐसे ग्रुपों का निपटारा शीघ्र हो जाए।

(v) उच्चतम न्यायालय के नियमों को 1966 में पुनरीक्षित किया गया था और उनमें यह उपबंध किया गया था कि अभिलेखों का मुद्रण स्वयं उच्चतम न्यायालय के पर्यवेक्षण में ही कराया जाए। इसमें भी काफी समय लग जाता था, अतः कुछ समय से न्यायालय ने जहां कहीं भी संभव होता है, अभिलेख तैयार करने की आवश्यकता को समाप्त करना और अपील की सुनवाई विशेष इजाजत पेंपर बुक पर ही करना आरम्भ कर दिया है, परन्तु वह ऐसा तब करता है जब दोनों पक्षकार अपने शपथपत्र और प्रतिशपथ-पत्र दाखिल कर देते हैं।

(7) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अन्तर्वलित होते हैं;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना;

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(8) सरकार ने उन राज्यों के जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित हैं, मुख्य मंत्रियों को और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को भी यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर, विचार किया जाए।

(9) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है। अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए, वे सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गयी हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

(10) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग की) नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित है :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुकूल हो और विशेष रूप से—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होने चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर निपटाने को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए;

(ii) तकनीकी बारीकियों और विलंबकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साध्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए; न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विशेषताओं, संदिग्धार्थताओं और अनुचित बातों को दूर किया जा सके।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों को या उसके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना।

(11) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्याय-मूर्तियों की एक अनौपचारिक समिति गठित की है।

मध्य प्रदेश में बस्तर और झाबुआ में उद्यमियों को सुविधाएं

3236. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा मध्य प्रदेश में बस्तर और झाबुआ के आदिवासी जिलों में लघु उद्यमियों को कोई वित्तीय सहायता अथवा अन्य सुविधाएं दी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) बस्तर के आदिवासी जिले में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अपनी किराया खरीद की योजना के अन्तर्गत 13 लघु उद्यमियों को 7.27 लाख रुपये के मूल्य की 49 मशीनों की ब्याज की रियायती दर, अग्रिम धन और सेवा-प्रभार पर अब तक आपूर्ति की गई है तथापि झाबुआ के अनजातीय जिले में लघु उद्यमियों को कोई सहायता नहीं दी गई है।

आयल इंजनों और इलेक्ट्रिक मोटरों के दाम

3237. **श्री दिलीप सिंह भूरिया** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित पांच और दस अश्व-शक्ति के आयल इंजनों और इलेक्ट्रिक मोटरों की उत्पादन लागत कितनी है;

(ख) बैंक ऋण कार्यक्रमों के अन्तर्गत किसानों को उक्त इंजन और इलेक्ट्रिक मोटरें किस मूल्य पर वितरित की जाती हैं;

(ग) उनकी उत्पादन लागत और बिक्री मूल्य में कितना अन्तर है; और

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त मदों के वितरण मूल्य निर्धारित करने का है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) स्वदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित पांच और दस अश्व-शक्ति के आयल इंजनों और बिजली की मोटरों की उत्पादन लागत स्वीकृत प्रौद्योगिकी और उत्पादन के अन्य मानदण्डों के आधार पर अलग-अलग उत्पादकों की अलग-अलग होती है। चूंकि इन उत्पादों के मूल्य अथवा वितरण पर कोई कानूनी नियंत्रण नहीं है अतः वसूल किए गए मूल्य का निर्धारण उत्पादकों/थोक व्यापारियों/खुदरा व्यापारियों द्वारा किया जाता है। इस समय इन वस्तुओं का वितरण मूल्य निर्धारित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

लखनऊ टेलीफोन मंडल के अन्तर्गत प्रमुख शहरों में नए टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची

3238. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लखनऊ टेलीफोन मंडल के अन्तर्गत प्रमुख शहरों में से प्रत्येक के सम्बन्ध में टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची के इन व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन कब तक उपलब्ध कराए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) उत्तर प्रदेश दूरसंचार सर्किल के बड़े नगरों में प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्तमान प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर 1990 तक प्रदान किए जाने की संभावना है, बशर्ते कि उपस्कर, केबिल तथा अन्य संसाधन उपलब्ध हों।

विवरण

क्र० सं०	नगर	प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	इलाहाबाद	1237
2.	आगरा	3283
3.	अलीगढ़	469
4.	बरेली	576
5.	देहरादून	960
6.	फैजाबाद	104

1 2	3
7. झांसी	40
8. लखनऊ	1579
9. मुरादाबाद	660
10. मेरठ	4563
11. मुजफ्फरनगर	650
12. मथुरा	273
13. नोएडा	3293
14. सहारनपुर	778
15. वाराणसी	2653
16. गोरखपुर	295

डाक-तार कर्मचारियों को तीर्थयात्रा भत्ता

[अनुवाद]

3240. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार डाक-तार विभाग के कर्मचारियों को कोई तीर्थयात्रा भत्ता देती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या यह भत्ता तिरुपति की यात्रा के लिए भी दिया जाता है, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का आन्ध्र प्रदेश में दूसरा यूनिट शुरू करना

3241. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स का आन्ध्र प्रदेश में दूसरा यूनिट शुरू करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या उक्त यूनिट को तिरुपति में शुरू करने का प्रस्ताव है, क्योंकि यह आन्ध्र प्रदेश में तथलसीमा के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, नहीं।

तिरुपति में नायलान कारखाना

3242. **श्री चिन्ता मोहन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा किये गये वायदे के अनुसार तिरुपति में नायलान कारखाना प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसको शीघ्र प्रारम्भ करने में क्या अड़चनें हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) वर्तमान में तिरुपति में नायलान कारखाना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, आन्ध्र प्रदेश राज्य में अधिमानतः अल्पतम विकसित (केन्द्रीय स्तर पर पिछड़ा क्षेत्र) जिले में नये उपक्रम की स्थापना के लिए मैसर्ज आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (ए० पी० आई० डी० सी०) को एक आशय पत्र जारी किया गया था जिसकी क्षमता 6000 मी० टन प्रतिवर्ष होगी। आन्ध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवेलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश के मेढक जिले में नरसापुर गांव को परियोजना स्थल के रूप में निर्दिष्ट किया है।

उड़ीसा राज्य के गांवों में चलती-फिरती डाक वैन सेवा

3243. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 तक के अनुसार देश में राज्य-वार कितने गांवों में कोई डाक वैन सेवा नहीं है;

(ख) नए डाकघर खोलने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(ग) उड़ीसा राज्य के कितने गांवों में चलती-फिरती डाक वैन सेवा उपलब्ध है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-3-1985 की स्थिति के अनुसार देश में जनगणना वाले ग्रामों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है जहां डाकघर नहीं हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर खोलने का कार्य योजना प्रणाली के अन्तर्गत योजना आयोग द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों के अनुसार किया जाता है। योजना आयोग द्वारा स्वीकृत लक्ष्यों को बाद में सर्किलों को आबंटित किया जाता है जो संबंधित सर्किल के इलाकों के डाक विकास पर आधारित होता है। उसके बाद सर्किल इसी आधार पर सभी डिवीजनों को लक्ष्य वितरित करते हैं। वर्तमान मानदंडों के आधार पर औचित्य सिद्ध होने पर सम्बन्धित डिवीजन के लिए निर्धारित लक्ष्य के तहत चरणबद्ध रूप से डाकघर खोले जाते हैं। डाकघर खोलने के वर्तमान मानदंडों की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जाती है। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी० 939/85**]

(ग) उड़ीसा राज्य के किसी ग्राम में मोबाइल वैन डाकघर कार्य नहीं कर रहा है।

विवरण

राज्यों के नाम	गांवों की संख्या
1	2
1. आन्ध्र प्रदेश	12539
2. बिहार	58641

1	2
3. दिल्ली	30
4. गुजरात	10457
5. दिव, दमन, दादरा एवं नागर हवेली	55
6. जम्मू एवं काश्मीर	5205
7. केरल, लक्षद्वीप और माहे सहित	2
8. कर्नाटक	18578
9. मध्य प्रदेश	67006
10. महाराष्ट्र	25266
11. गोवा	178
12. असम	19108
13. अरुणाचल प्रदेश	2735
14. मणिपुर	1401
15. मेघालय	4499
16. मिजोरम	492
17. नागालैंड	207
18. त्रिपुरा	4181
19. पंजाब एवं संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़	8906
20. हरियाणा	4576
21. हिमाचल प्रदेश	14569
22. उड़ीसा	43898
23. राजस्थान	26157
24. तमिलनाडु	6640
25. पांडिचेरी	167
26. उत्तर प्रदेश	96242
27. पश्चिम बंगाल	30972
28. सिक्किम	286
29. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	324

स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड को हुए घाटे के कारण

3244. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के घाटे पर चलने के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ख) उक्त घाटे को कम से कम करने के लिए क्या प्रयास किए गये हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड की हानियों के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) उत्पादन सम्बन्धी अड़चनों के परिणामस्वरूप क्षमता का उपयोग कम होना;

(2) ग्राहक द्वारा अन्य मेकों के स्कूटरों को पसन्द करना;

(3) तनावपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध; और

(4) निरन्तर हानियों के कारण नकदी की स्थिति का खराब होना।

(ख) (1) शीर्षस्थ प्रबन्धक वर्ग में परिवर्तन जिससे उत्पादकता और कार्य-कुशलता में सुधार हुआ है।

(2) एक नये माडल का "विजय सुपर मार्क-II" प्रारम्भ करना जिसकी ईंधन क्षमता सुधरी हुई है।

(3) नकदी में सुधार लाने के लिए सरकार से ऋण।

(4) बंगलादेश को 10,000 तिपहियों का निर्यात करने के लिए कम्पनी ने एक ऋयादेश प्राप्त किया है।

पी० वी० सी० रेसिन का उत्पादन और वितरण

3245. **श्री राम बहादुर सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड ने पी० वी० सी० रेसिन का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा उत्पादित विभिन्न श्रेणियों के पी० वी० सी० रेसिन का क्या ब्यौरा है;

(ग) क्या वास्तविक प्रयोक्ताओं को पी० वी० सी० रेसिन का वितरण प्रारम्भ हो गया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है; और

(ङ) क्या इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पी० वी० सी० रेसिन का उत्पादन और वितरण अभी तक शुरू नहीं किया गया है, इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और इसका उत्पादन तथा वास्तविक प्रयोक्ताओं को इसका वितरण कब प्रारम्भ होने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) जी हां। मार्च, 1985 तक लगभग 9645 मी० टन पी० वी० सी० रेसिन का उत्पादन किया गया।

(ग) जी हां।

(घ) वर्ष 1984-85 के दौरान लगभग 700 वास्तविक उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान की गईं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

घरेलू बिक्री के लिए विदेशी ब्रांड नाम

3247. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री डी० पी० जडेजा :

क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू बिक्री के लिए खुले आम विदेशी ब्रांड नाम रखने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की अनुमति देने का क्या मानदण्ड है;

(ग) क्या मैसर्ज गोडफ्रे फिलिप को सिगरेट की अपनी "चेस्टर फील्ड" ब्रांड की भारत में बिक्री करने की अनुमति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा करने से देश को प्रौद्योगिक अथवा आर्थिक रूप से क्या लाभ होंगे ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) विदेशी सहयोग नीति के अनुसार देश के भीतर बेचे जाने वाले उत्पादों पर विदेशी ट्रेड मार्ग के प्रयोग की सामान्यतः अनुमति नहीं दी जाती है, हालांकि निर्यात किये जाने वाले उत्पादों के लिए इसके प्रयोग पर कोई आपत्ति नहीं है। विदेशी सहयोग की सभी स्वीकृतियों में इस आशय की एक शर्त का समावेश किया जाता है।

(ग) और (घ) मेसर्स गोडफ्रे फिलिप्स ने भारत में सिगरेटों के लिए "चेस्टरफील्ड" ट्रेड मार्क के प्रयोग की अनुमति नहीं ली है।

मिजोरम में पेट्रोलियम, तेल और लुबरिकेन्ट्स की सप्लाई

3248. **श्री लाल डहोमा :** क्या **पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम, तेल और लुबरिकेन्ट्स के आबंटन को अनियमित और विलम्ब से सप्लाई के कारण पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में, विशेष रूप से मिजोरम में, पेट्रोलियम, तेल और लुबरिकेन्ट्स की कमी से सामान्य गतिविधियों पर प्रायः प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं; और

(ग) दिसम्बर, 1984 और फरवरी, 1985 के बीच प्रतिमाह पेट्रोलियम, तेल और लुबरिकेन्ट्स का कितना आबंटन किया गया और प्रतिमाह वास्तव में कितना पेट्रोलियम, तेल और लुबरिकेन्ट्स प्राप्त हुए ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की पूर्ति सामान्यतः पर्याप्त और नियमित है। कुछेक क्षेत्रों से कभी-कभी बाढ़/भू-स्खलन आदि के कारण उत्पन्न परिवहन समस्याओं के कारण इसमें कमी आ जाती है। तेल उद्योग ने सामान के आवागमन को तेज करने के लिए रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा आवागमन को नियोजित करके संभव सीमा तक उपचारी उपाय किए हैं।

मिट्टी के तेल के अतिरिक्त मोटर स्प्रिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल और लुब्रीकेण्टों जैसे अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आबंटन नहीं किया जाता है और उनकी सारी मांग को पूरा किया जाता है। दिसम्बर, 1984 से फरवरी, 1985 तक मिट्टी के तेल का आबंटन और बिक्री और एच० एस० डी० तथा एम० एस० की बिक्री का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

लुब्रीकेन्टों की बिक्री से सम्बन्धित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

(मीट्रिक टन में)

राज्य का नाम	मिट्टी का तेल					एच० एस० डी०				एम० एस०		
	दिसम्बर 84		जनवरी 85		फरवरी 85	दिस० 84	जून० 85	फर० 85		दिस० 84	जन० 85	फर० 85
	आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री	आबंटन	बिक्री	बिक्री	बिक्री	बिक्री	बिक्री	बिक्री	बिक्री
अरुणाचल प्रदेश	630	690	630	575	630	682	1281	944	967	550	430	220
असम	16500	16367	16070	16400	16070	15149	21560	18028	17072	3600	3280	3690
मणिपुर	1420	1518	1420	1392	1420	1186	879	1055	915	720	560	460
मिजोरम	440	421	440	378	440	304	986	727	666	280	340	240
मेघालय	950	1075	950	1111	950	963	2646	3007	2807	730	670	680
नागालैंड	660	656	660	605	660	722	1082	1036	1244	770	610	600
त्रिपुरा	1700	1031	1580	1134	1580	1193	980	1607	1779	340	370	260

उच्चतम न्यायालय में लंबित आपराधिक और सिविल मामले

3249. **श्री ई० अय्यापु रेड्डी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 मार्च, 1985 को उच्चतम न्यायालय में आपराधिक मामलों की कितनी अपीलें निपटारे के लिए गत सात-सात वर्ष से अधिक से लंबित हैं; और

(ख) उच्चतम न्यायालय में कितने सिविल मामले 10 वर्ष से भी अधिक से लंबित हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री से प्राप्त जानकारी के अनुसार, उन आपराधिक अपीलों की संख्या, जो सात वर्ष से अधिक से लंबित हैं, 1.3.1985 को 383 है। सिविल मामलों (अन्तिम सुनवाई के लिए सिविल अपीलें और रिट याचिकाएं) की संख्या, जो दस वर्ष से अधिक से लंबित हैं, 2,759 है।

राजनन्दगांव जिले में नए डाकघर खोलना

3250. **श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजनन्दगांव जिले में वर्ष 1980 से 31 दिसम्बर, 1984 तक कितने नए डाकघर खोले गए; और

(ख) ये नए डाकघर किन-किन गांवों में खोले गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 13.

(ख) दहीयादिस

चिलफी

अराजकुंड

पटपड़

धवाशा

सिओनी

डोकला

दोहे

नवगांव

खापड़ी खुर्द

कंडाडी

शिकारी

औंधी

केरल के इदुक्की तथा पट्टानाथिट्टा में प्रत्येक में एक उद्योग स्थापित करने की योजना

3251. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य के इदुक्की तथा पट्टानाथिट्टा जिलों में प्रत्येक में एक उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) केरल के इदुक्की जिले में क्रमश; कार्बन टेट्राक्लोराइड और कापर क्लैड लैमिनेट्स बनाने के लिए नए उपक्रमों की स्थापना करने हेतु मै० केरल स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड से दो आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्हें अनुमोदित नहीं किया गया था। पट्टनाथिट्टा जिले के लिए कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है।

गोदावरी बेसिन में कुंए खोदना

3252. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोदावरी बेसिन में कुनावरम और श्रीभनापल्ली में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के दो कुओं की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उन कुओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या ठेके पर कार्य करने वाली फर्म ने उक्त कार्य पूरा नहीं किया है और न ही उसने बेसिन में आगे समन्वेषी कार्य शुरू किया है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कुनावरक (अमलापुरक) कुएं को जहां गैस की हल्की सम्भावना देखी गई, छोड़ दिया गया क्योंकि वह वाणिज्यिक उपयोग की नहीं थी। भिमानापल्ली कुंआ को जिसमें लगभग 27,300 क्यूबिक मीटर की दर से गैस निकली परीक्षण के पूरा होने के बाद मुहरबंद कर दिया गया। प्राप्त परिणामों के निर्वचन के बाद ही आगे निर्धारित कुओं को खोदा जायेगा।

(ग) यह काम तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया गया।

जयपुर, उड़ीसा में सीमेंट संयंत्र स्थापित करना

3253. **श्री सोमनाथ रथ :**
श्री के० प्रधानी :

क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास उड़ीसा के कोरापुट जिले में जयपुर में एक सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित करने की सम्भावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल शोधक कारखाने और उसका उत्पादन

3254. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने तेल शोधक कारखाने कार्य कर रहे हैं और वह कहां-कहां स्थित हैं तथा उनकी वार्षिक क्षमता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि यह देश की मांग को पूरा नहीं कर पा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार देश में और अधिक तेल शोधक कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्तमान संशोधक कारखानों का उत्पादन बढ़ाने हेतु विस्तार करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) भारत में कार्यरत तेल शोधक कारखानों की संख्या और स्थान तथा उनकी वार्षिक क्षमता दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) हालांकि शोधन क्षमता कुल मांग से अधिक है, तेल शोधक कारखाने कुछ उत्पादों की मांग को पूर्णतया पूरा नहीं कर रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) सरकार ने हरियाणा में करनाल में छः मि० मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता की एक रिफाइनरी की स्थापना के लिए अनुमोदन दे दिया है तथा यह एक अन्य ग्रास-रूट रिफाइनरी की स्थापना तथा विद्यमान रिफाइनरियों के विस्तार के प्रश्न पर विचार कर रही है।

विवरण

(मि० मी० टनों में)

क्रमांक	रिफाइनरी का नाम तथा स्थान	1-4-1985 को स्थापित क्षमता
1	2	3
1.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बम्बई	6.00
2.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०, बम्बई	3.50
3.	कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड, कोचीन	4.50
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, विशाखापतनम	4.50
5.	मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड, मद्रास	5.60

1	2	3
6.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, बोंगाईगांव (असम)	1.00
7.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, हल्दिया	2.50
8.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, बरौनी	3.30
9.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, गोहाटी (असम)	0.85
10.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, दिग्बोई (असम)	0.50
11.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, कोयाली	7.30
12.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मथुरा	6.00
		45.55

गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों में नए डाकघर और तारघर खोलना

3255. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में तथा विशेषतः आदिवासी क्षेत्रों में, और विशेषकर गुजरात में कितने नए डाकघर और तारघर खोले गए;

(ख) वर्ष 1985-86 में नए डाकघर और तारघर खोलने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार से कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान देश के ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में 29 डाकघर एवं 180 तारघर खोले गए थे, जिनमें से एक डाकघर गुजरात में खोला गया था। गुजरात में कोई तारघर नहीं खोला गया।

(ख) 1985-86 के दौरान ग्रामीण डाकघर एवं तारघर खोलने के लिए मानदंड सभा-पटल पर रखे गए अनुबंध एक, दो एवं तीन में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 940/85**]

(ग) इस सम्बन्ध में गुजरात सरकार से कोई मांग प्राप्त नहीं हुई।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीफोन एक्सचेंजों और दूरसंचार मण्डलों को स्वचालित बनाना

3256. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के उत्तर-पश्चिम और दूरसंचार मंडलों के लिए टेलीफोन एक्सचेंजों की द्रुत गति से स्वचालित बनाने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा किन लक्ष्य तिथियों तक देश के सभी जिला मुख्यालयों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज (एम० ए० एक्स० II) लगा दिये जायेंगे;

(ग) क्या उपकरणों या प्रशिक्षित कर्मचारियों की भारी कमी के कारण कोई विलम्ब होने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो विलम्ब न होने देने तथा द्रुत गति से एक्सचेंजों को स्वचालित बनाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 31-3-84 को देश में 1585 मैनुअल एक्सचेंज थे जिनकी सज्जित क्षमता 4.17 लाख लाइनों की थी। इन एक्सचेंजों को स्वचल बनाने के लिए पर्याप्त निवेश एवं साज-समान की आवश्यकता होगी। सातवीं और उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में भी इन्हें उत्तरोत्तर स्वचल बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

(ख) जिला मुख्यालयों को सातवीं योजना के दौरान स्वचल बनाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि इसके लिये उपस्कर एवं धन उपलब्ध हो सके।

(ग) और (घ) योजना के अनुसार लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से उपयुक्त तकनालॉजी का आयात करके देशी उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने तथा तैयार उपस्कर सीमित मात्रा में आयात करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को 500 मेगावाट के ताप एककों के निर्माण की क्षमता का अपर्याप्त उपयोग

3257. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की 500 मेगावाट के ताप एककों के निर्माण की क्षमता का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या क्षमता फालतू रहने का कारण विदेशों से ऋण सहित विद्युत उत्पादन उपकरणों का भारी संख्या में आयात किया जाना है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्षमता कितनी है और अगले पांच वर्षों के लिये उन्हें प्राप्त क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) अगले पांच वर्षों में (1985-90) 500 मेगावाट के 20 थर्मल एककों की कुल निर्माण क्षमता की तुलना में बी० एच० ई० एल० के पास इस समय 8 क्रयादेश हैं जिनकी सप्लाई 1988 तक की जानी है। सरकार की यह नीति है कि स्वदेशी क्षमता का अधिकतम उपयोग हो। आयात चयनात्मक तपा गुणावगुणों के आधार पर ही किया जाता है जो समग्र परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

बम्बई टेलीफोन में "रिजर्व ट्रेनिंग पूल टेलीफोन आपरेटरों" को मंजूरी की अवायगी

3259. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टेलीफोन में "रिजर्व ट्रेनिंग पूल टेलीफोन आपरेटरों को 2 रुपये 75 पैसे प्रति घंटा अदा किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा अकुशल मजदूरों के लिये क्या निम्नतम मंजूरी निर्धारित की की गई है; और

(घ) सरकार का इस बात को देखने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है कि "रिजर्व ट्रेनिंग पूल टेलीफोन आपरेटरों" को कुशल कामगर माना जाये और उन्हें भूतलक्षी प्रभाव से तद्नुसार अदाएगी की जाएं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के टेलीफोन आपरेटरों की विभाग में ध्यस्त कार्य-घंटों और कर्मचारियों के अधिक मात्रा में छुट्टी पर चले जाने के समय कार्य पूरा करने के लिए की जाती है। नियमित नियुक्ति की बारी आने तक वह शार्ट ड्यूटी टेलीफोन आपरेटर के बतौर कार्य करते हैं और उन्हें 2.75 रु० प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाता है। यह दर नियमित टेलीफोन आपरेटरों के मूल वेतन, महंगाई वेतन, महंगाई भत्ते को ध्यान में रखकर अगस्त, 1982 में निर्धारित किया गया था। इसमें उनके मकान किराया भत्ता और नयर प्रतिपूर्ति भत्ते को हिसाब में नहीं लिया गया था।

(ग) 14 रु० प्रतिदिन तथा 4.70 रु० भत्ते के बतौर इसका हर छः महीने में संशोधन किया जाता है।

(घ) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के स्टाफ की दरों में संशोधन का प्रश्न विचाराधीन है। जब संशोधित दरें निर्धारित की जाएंगी, तो वे पिछली तारीख से लागू नहीं होंगी।

बम्बई टेलीफोन में टेलीफोन आपरेटरों की संख्या

3260. **श्री नारायण चौबे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई टेलीफोन में टेलीफोन आपरेटरों की कुल मंजूर संख्या क्या है और इस समय रिजर्व ट्रेनिंग पूल टेलीफोन आपरेटर कितने हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नियमित टेलीफोन आपरेटरों की भर्ती के समय इन रिजर्व ट्रेनिंग पूल टेलीफोन आपरेटरों के एक भाग को खपाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में यदि कोई मार्गनिर्देशी सिद्धान्त हैं तो क्या हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) बम्बई टेलीफोन जिले में इस समय नियमित टेलीफोन आपरेटरों की कुल स्वीकृत संख्या 4872 है और आर० टी० पी० टेलीफोन आपरेटरों की संख्या 1700 है।

(ख) और (ग) जी हां, आर० टी० पी० टेलीफोन आपरेटरों को भविष्य में होने वाले रिक्त पदों पर, जब कभी वे बनेंगे, खपाया जायेगा।

तेल उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि

3261. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट में नए कर लगाये जाने के बाद तेल कम्पनियों ने अपने उत्पादों के मूल्य बढ़ा दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह वृद्धि उतनी ही है जितनी कि बजट में प्रस्तावित अतिरिक्त कर हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो कितना अधिक वसूल किया जा रहा है और अधिक वसूल करने के कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) न केवल कच्चे तेल पर सीमा शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क में वृद्धि को ध्यान में रखकर बल्कि विनिमय दरों में घटबढ़, कच्चे तेल के अन्वेषण तथा शोधन की लागत में वृद्धि और पेट्रोलियम उत्पादों के विपणन को देखते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि करने के आदेश दिए गए थे ।

मूल्यवान पंजीकृत पत्रों की चोरी

[हिन्दी]

3262. **श्री विष्णु मोदी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 मार्च, 1985 को जयपुर से प्रकाशित होने वाला पत्र "नवज्योति" में "रजिस्ट्री चोरी का मामला पकड़ा; एक पोस्ट मैन गिरफ्तार" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले कई वर्षों से ख्वाजा साहिब के भक्तों के नाम विदेशों से भेजे जाने वाले मूल्यवान पंजीकृत पत्र चुराये जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने पहले भी कोई जांच करवाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां ।

(ख) से (घ) 1978 और 1982 के वर्षों के दौरान अजमेर हेड पोस्ट आफिस में रजिस्टर्ड मदों की चोरी के कुछ मामले जानकारी में आए थे । इसकी जांच की गई थी और जांच के परिणामस्वरूप तीन कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चल रहा है ।

मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को दी गई विधिक सहायता

[अनुवाद]

3263. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विधिक सहायता स्कीम मध्य प्रदेश में आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो कब से और मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के कितने निर्धन व्यक्तियों को विधिक सहायता दी गई है; और

(ग) इस तरह दी गई विधिक सहायता का क्या ब्यौरा है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में विधिक सहायता स्कीम, "मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976" (1976 का अ० सं० 26) के उपबंधों से शासित होती है। विधिक सहायता स्कीम, राज्य के 15 जिलों में 6 मई, 1976 को प्रवृत्त की गई थी। राज्य के शेष 30 जिलों में अधिनियम, 15-8-1976 को प्रवृत्त किया गया। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों को दी गई विधिक सहायता और सलाह तथा सहायता के बारे में विवरण संलग्न है।

विवरण

विधिक सहायता का प्रकार	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	साधारण प्रवर्ग
विधिक सहायता	8187	7341	11373
विधिक सलाह	24974	19622	31245
विधिक सहायता	6066	6263	5974

केरल में नारियल जटा उद्योग

3264. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि निर्यात में कमी और स्वदेशी बाजार में मंदी आने के कारण केरल में नारियल जटा उद्योग गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है;

(ख) क्या सरकार को केरल सरकार अथवा उक्त उद्योग से संबंधित किसी अन्य पक्ष से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो इस आयोग को संकट से बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का विचार है या उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) केरल में रेयर उद्योग मुख्य रूप से पिछले कुछ वर्षों में सूखे के प्रभाव, नारियल के मुरझाने की बीमारी तथा सिंथेटिक विकल्पों में प्रतिस्पर्धा और पश्चिमी यूरोप में मंदी के कारण कठिन समय से गुजर रहा है।

इनमें से कुछ समस्याओं को हल करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) केरल सरकार ने भूसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने पर लगाई गई रोक को उदार बना दिया है ताकि अधिक भूसी वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में भूसी लाई जा सके;

(2) कॉयर बोर्ड ने भूसी को भिगोने से पहले उसकी कुटाई करके गलाने में लगने वाले समय को कम करने की एक तकनीक निकाली है और इस प्रयोजन के लिए

कशर खरीदने के वास्ते कयर उद्योग के सहकारीकरण करने के लिए केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता अब उपलब्ध है;

(3) निर्यात किए गए उत्पादों के लिए नकद प्रतिपूरक सहायता 31-12-1985 तक बढ़ा दी गई है;

(4) व्यापार प्रतिनिधिमंडलों ने यूरोपीय देशों में महत्वपूर्ण संभाव्यता वाले बाजारों का दौरा किया है।

(5) इंडो- ई० ई० सी० ट्रेड प्रमोशन प्रोग्राम के अंतर्गत कयर बोर्ड द्वारा हाल ही में एक वर्कशाप का आयोजन किया गया था जिसमें आयात करने वाले प्रमुख देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और निर्यात से संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई थी;

(6) कयर बोर्ड कयर और कयर उत्पादों का प्रचार करने के लिए देश और विदेशों में महत्वपूर्ण मेलों/प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है; और

(7) कयर उत्पादों का प्रचार करने के लिए कयर बोर्ड देश के विभिन्न भागों में 17 प्रदर्शन कक्ष (शोरूम) चला रहा है और इन प्रदर्शन कक्षों की बिक्री प्रति वर्ष बढ़ती जा रही है।

टेलीफोन आपरेटरों को वेतन का भुगतान

3265. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई टेलीफोन्स में नियमित टेलीफोन आपरेटरों और रक्षित प्रशिक्षण पूल के टेलीफोन आपरेटरों को दिए जाने वाले वेतन के बीच भारी अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो इन आपरेटरों को दिए जाने वाले वेतन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार के पास इस विसंगति को दूर करने के लिए कोई प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। नियमित टेलीफोन आपरेटरों के वेतन निर्धारण के फलस्वरूप महंगाई भत्ते/अतिरिक्त महंगाई भत्ते में वृद्धि के परिणामस्वरूप यह अंतर है।

(ख) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के आपरेटरों की प्रति घंटे मजदूरी 2.75 रुपये है जिसका निर्धारण अगस्त, 1982 में किया गया था। जबकि उस समय नियमित आपरेटर का वेतन, मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ते को छोड़कर, 565 रुपये था जिसके हिसाब से प्रति घंटा दर 2.70 रुपये थी। अतः यह स्पष्ट है कि निर्धारण के समय मजदूरी में बहुत अंतर था क्योंकि मकान किराया भत्ता/नगर प्रतिपूर्ति भत्ता शामिल नहीं किया गया था।

(ग) आरक्षित प्रशिक्षित पूल के स्टाफ की दरों में संशोधन करने संबंधी मामला विचाराधीन है।

पश्चिम बंगाल में स्थित कम्पनियों द्वारा अन्य राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए लाइसेंस के लिए अनुरोध

3266. **श्री भोला नाथ सेन :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में स्थित कम्पनियों के वर्ष 1982 से 1984 के बीच की अवधि के दौरान भारत के अन्य राज्यों में नए उद्योग स्थापि करने अथवा वहां अपनी यूनिटों के विस्तार के लिए लाइसेंस/आशय-पत्र औद्योगिक लाइसेंस मांगे जाने के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी कम्पनियों की संख्या कितनी है, इस प्रकार के आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या कितनी है, इस प्रकार के आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों में कुल कितनी पूंजी अन्तर्गस्त है और उक्त अवधि के दौरान पूंजी के इस प्रकार पश्चिम बंगाल से बाहर के अन्य राज्यों को जाने के मुख्य क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सात औद्योगिक एककों ने, जिन्हें पश्चिम बंगाल में स्थापना स्थलों के लिए आशयपत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए थे, वर्ष 1982 से 1984 के दौरान पश्चिम बंगाल से अन्य राज्यों में स्थापना स्थल बदलने का अनुरोध किया था। इनमें दो अनुरोध अभी विचाराधीन हैं, तीन को अस्वीकृत कर दिया गया था, जबकि तकनीकी-आर्थिक और अन्य धारणाओं के कारण सम्बद्ध राज्य सरकारों/प्रशासनिक मंत्रालय/विभागों की प्रमुख सिफारिशों पर दो अनुरोधों को स्वीकार कर लिया गया था।

नालगोंडा जिला (आन्ध्र प्रदेश में) उद्योगों को केन्द्रीय राज्य सहायता

3267. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालगोंडा जिले में अथवा उसके कुछ भागों में स्थित उद्योगों को राज सहायता उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उन तालुकों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार नालगोंडा के सभी तालुकों को ऐसी सुविधा देने पर विचार कर रही है; और

(घ) क्या सरकार "प्रत्येक जिले में एक उद्योग" स्थापित करने के कार्यक्रम के अंश के रूप में नालगोंडा जिले में कोई उद्योग स्थापित करने की योजना बना रही है; और यदि हां, तो उसमें से लगाये जाने वाले उद्योग का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) जी, हां। केवल मिर्यालागुडा ब्लाक ही केन्द्रीय राजसहायता की सीमा से बाहर है, क्योंकि 31.3.1983 को इस ब्लाक में 30.00 करोड़ रु० से अधिक निवेश हो गया था।

(घ) किसी विशेष जिले में उद्योग स्थापित करने का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का है यद्यपि केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रोत्साहन, रियायतें आदि देकर उनके प्रयासों में मदद करती है। सरकारी क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश मूलभूल प्रकृति का है और इनके स्थापना-स्थल का निर्धारण विविध तकनीकी-आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रख कर किया जाता है। इन पहलुओं को ध्यान में रखकर पिछड़े क्षेत्रों को वरीयता दी जाती है।

"एम्पीसिलीन" के निर्माण के लिए लाइसेंस

3268. **श्री मोतीलाल सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में "एम्पीसिलीन" और इसकी इंटरमीडियट औषधियों के निर्माण के लिए प्रति वर्ष किस-किस तारीख को लाइसेंस जारी किये गये और लाइसेंस जारी किये जाने के बाद प्रति वर्ष प्रत्येक निर्माता के लाइसेंस की अवधि बढ़ाये जाने के सविस्तार क्या कारण थे;

(ख) ये एकक कब तक प्रारम्भिक स्तर से निर्माण करने की स्थिति में हो जायेंगे;

(ग) ऐसे लाइसेंसों को, जिन्हें जारी हुए दो वर्ष से अधिक हो चुके हैं, रद्द करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री बीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) एम्पिसिलिन/6 ए० पी० ए० के उत्पादन के लिए जारी किए गये औद्योगिक लाइसेन्सों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनमें से चार लाइसेन्स मूल स्तर से पहले ही कार्यान्वित कर दिए गए हैं। तीन लाइसैन्स अभी भी प्रारम्भिक वैधता अवधि के अन्तर्गत हैं। औद्योगिक लाइसेंस की वैधता में समयवृद्धि, उठाए गए प्रभावी उपायों को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर स्वीकृत की जाती है। जिन मामलों में औद्योगिक लाइसेन्सों के कार्यान्वयन की प्रगति अपर्याप्त है, ऐसे लाइसेन्स को रद्द करने की कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	बल्क औषध/मध्यवर्ती का नाम	औद्योगिक लाइसेंस जारी होने की तिथि
1	2	3	4
1.	मै० मैक्स इण्डिया	6 ए० पी० ए०	25.5.1984
2.	मै० पायोनीर प्रोटर	एम्पिसिलिन	18.8.1985
3.	मै० इयूफोरिक	(1) एम्पिसिलिन (2) 6 ए० पी० ए०	11.1.1985
4.	मै० एलम्बिक कैमिकल्स	(1) एम्पिसिलिन (2) 6 ए० पी० ए०	4.11.1976

1	2	3	4
5.	आई० डी० पी० एल०	एम्पिसिलिन	30.1.1978
6.	मै० एच० ए० एल०		14.12.1979
7.	मै० स्टेण्डर्ड फार्मा०		22.12.1978
8.	मै० गुजरात लिका ओर्गेनिक लि०	(1) एम्पिसिलिन (2) 6 ए० पी० ए०	4.2.1982
9.	मै० केडिला लेब्स	एम्पिसिलिन एनहाइड्रस/ ट्राइहाइड्रेट	13.7.1983
10.	मै० स्टरलिंग ड्रग्स	एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट	14.5.1982
11.	मै० रेनबेक्सी लेब्स	एम्पिसिलिन	17.3.1976

विदेशी कंपनियों द्वारा बम्बई हाई के अशोधित तेल की खरीद

3269. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी गैस-सरकारी विदेशी कंपनियों ने बंबई हाई का अशोधित तेल खरीदा था;

(ख) यदि हां, तो 1984-85 के दौरान प्रत्येक गैर-सरकारी विदेशी कंपनी को क्रमश: कितनी मात्रा में बंबई हाई का अशोधित तेल बेचा गया;

(ग) क्या यह अशोधित तेल टेंडर के आधार पर बेचा गया अथवा बातचीत के द्वारा तय किये गये ठेकों पर बेचा गया;

(घ) यदि इसे बातचीत द्वारा तय किये गये ठेकों पर बेचा गया तो उन गैर-सरकारी विदेशी कंपनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त ठेके लिए और उन्होंने कितनी-कितनी मात्रा में खरीद की; और

(ङ) क्या सरकार की ऐसी कोई विशिष्ट नीति है जिसके अन्तर्गत यह देखा जाता हो कि गैर-सरकारी विदेशी कंपनियों को बंबई हाई के अशोधित तेल की बिक्री किस प्रकार की जाए अर्थात् क्या इस नीति में सशर्त ठेके के आधार पर तेल की बिक्री करने पर कोई प्रतिबन्ध है अथवा नहीं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1.4.1984 से 28.2.1985 तक की अवधि के दौरान बंबई हाई का कच्चा तेल निम्नलिखित पार्टियों को बेचा गया :—

पार्टी का नाम	मात्रा "000" मीट्रिक टनों में
कोस्टल	2756
चेमपलीन	505
गुल्फ ऑयल	874
बी० बी० नैफ्ट	269
एटोक ऑयल	238
	4642

(ग) टेंडरों के आधार पर बम्बई हाई के कच्चे तेल का निर्यात तय किया जाता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

गैस एजेंसियों द्वारा खाना पकाने की गैस के सिलिण्डरों की सप्लाई में देरी

3270. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विशेषकर यमुनापार और अशोक बिहार क्षेत्रों में, विभिन्न गैस एजेंसियों द्वारा लोगों को खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई में लगभग 7/10 दिनों की असामान्य देरी हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो खाना पकाने की गैस के सिलेण्डरों की इस देरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यमुना-पार और अशोक बिहार क्षेत्रों में कार्यरत उन एजेंसियों के नाम क्या हैं जो गैस सिलेण्डरों की सप्लाई में अत्यधिक देरी करके लोगों को परेशानी में डाल देती हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार सभी गैस एजेंसियों को ऐसे कोई निर्देश देने का है कि वे सिलेण्डरों की मांग प्राप्त होने पर उसी दिन सिलेण्डरों की सप्लाई करें; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) विगत में यमुना पार के इलाकों तथा अशोक बिहार में उपभोक्ताओं को एल० पी० जी० रिफिल की पूर्ति कुछ देरी से होती रही है।

(ख) इन क्षेत्रों में दूसरा सिलेण्डर जारी करने के अतिरिक्त तथा उपभोक्ताओं को एक रुपए की छूट देकर वितरक से सीधे सिलेण्डर उठाने का विकल्प देने के अलावा गैस की सप्लाई को बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) यमुना पार तथा अशोक बिहार के क्षेत्रों में इंडियन आयल कार्पोरेशन के एल० पी० जी० वितरकों के नामों की सूची इस प्रकार है :—

1. मैसर्स अमर गैस सर्विस
2. मैसर्स बी० एन० गुप्ता एण्ड कं०
3. मैसर्स नन्दी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स
4. मैसर्स शहीद सुभाष गैस सर्विस
5. मैसर्स शिवानिका एण्टरप्राइज
6. मैसर्स सुप्रीम एण्टरप्राइज
7. मैसर्स विजय रतन एण्टरप्राइज
8. मैसर्स विशाल गैस सर्विस
9. मैसर्स राजधानी गैस सर्विस

10. मैसर्स जे० जे० गैस सर्विस

11. मैसर्स दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कार्पोरेशन

(घ) तेल कम्पनी के अनुदेशों में यह पहले ही व्यवस्था है कि सामान्य परिस्थितियों में 24 घंटे के भीतर रिफिल दे दिया जाना चाहिए।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा बलों के कार्यकारी संवर्ग में आरक्षण

3271. **डा० जी० विजयराघव राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असैनिक कर्मचारियों सहित रक्षा बलों के कार्यकारी संवर्ग में भर्ती किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सेना में 18 प्रतिशत आरक्षण का पूरी तरह पालन किया गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण संबंधी आदेश कार्यान्वित हों, सरकार का क्या उपचारात्मक/सुधारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) "रक्षा सेवाओं" (सशस्त्र सेनाओं) में कोई "कार्यकारी संवर्ग" नहीं है। सशस्त्र सेनाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई आरक्षण नहीं है।

रक्षा सेवाओं में कार्यरत सिविलियन कर्मचारी अन्य केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान ही निम्न प्रकार से वर्गीकृत हैं :—

(i) समूह "क"

(ii) समूह "ख"

(iii) समूह "ग" और

(iv) समूह "घ"

सिविलियन पदों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 7½ प्रतिशत आरक्षण है। विद्यमान नियमों के अनुसार इन आरक्षणों को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण

[हिन्दी]

3272. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में महिलाओं को औद्योगिक प्रशिक्षण दिलाने के लिए अब तक क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार नई योजनाएं आरंभ करने तथा भविष्य में लघु उद्योग स्थापित करने हेतु अधिक प्रोत्साहन देने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा और अन्य ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण देने की एक योजना वर्ष 1978-79 से लघु उद्योग विकास संगठन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

6 ए० पी० ए० के रसायनिक ग्रेड से एम्पिसिलिन का निर्माण

[अनुवाद]

3273. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में कुछ एम्पिसिलिन और इसके लवणों का निर्माण 6 ए० पी० ए० के रसायनिक ग्रेड से किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार निर्मित की गई एम्पिसिलिन कनारोजेनिक है तथा इसके इंटरमीडियट में डाइमिथिलामिलिन होने के कारण पूरे विश्व में इस पर पाबन्दी लगी हुई है;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं तो सरकार ने 6 ए० पी० ए० के रासायनिक ग्रेड से एम्पिसिलिन बनाने की अनुमति क्यों दी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) देश में एम्पिसिलिन का उत्पादन रसायन तथा एन्जिमेटिक प्रक्रियाओं से उत्पादित 6 ए० पी० ए० से किया जा रहा है।

(ख) यह मंत्रालय ऐसी रिपोर्टों से अवगत नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

अजमेर को पिछड़ा जिला घोषित करने का प्रयास

[हिन्दी]

3274. **श्री विष्णु मोदी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राजस्थान सरकार से अजमेर को पिछड़ा क्षेत्र/जिला घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(ग) अजमेर को पिछड़ा क्षेत्र/जिला कब तक घोषित किया जाएगा और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) अजमेर पिछड़े क्षेत्रों के चयन हेतु निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

डा० कृपासिन्धु भोई (सम्भलपुर) : अध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, कल आपने रेडियो तथा दूरदर्शन से सुना होगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में एक रेल दुर्घटना घटी थी जिसमें छः लोगों की मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी थी।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा बाद में हो सकती है।

डा० कृपासिन्धु भोई : श्रीमान्, यह मेरी प्रार्थना है कि...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : श्रीमान, रेल मन्त्री को इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहिए ?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि इसके लिए वक्तव्य की आवश्यकता है तो दिया जायेगा। इसमें कोई समस्या नहीं है। हम देखेंगे।

12.02 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

रक्षा सेवा प्राक्कलन, 1985-86 तथा छावनी निधि कर्मचारी (संशोधन) नियम, 1984

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) वर्ष 1985-86 से संबंधित रक्षा सेवा प्राक्कलन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 710/85]**

(2) छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 280 के अन्तर्गत, छावनी निधि कर्मचारी (संशोधन) नियम, 1984 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 9 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 53 में प्रकाशित हुए थे। **[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 711/85]**

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगें, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

उद्योग तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय की वर्ष 1985-86 की अनुदानों की ब्यौरेवार मांगों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 712/85]**

(2) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत, अधिसूचना संख्या का० आ० 177 (अ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 4 मार्च, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लास वर्क्स सीमित, कलकत्ता, के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है। **[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी० 713/85**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन। आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : जी हां, किन्तु मन्त्री जी कहां हैं? मुझे तो नहीं दिखाई देते।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री कौन है?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : श्रीमान्, हम दस मिनट प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें क्या हुआ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : संबद्ध मन्त्री को यहां होना चाहिए। उत्तर कौन देगा? ये सब क्या है? यह बहुत आश्चर्यजनक तथा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको उन्हें यह बताना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या वे नहीं जानते कि उन्हें यहां होना नहीं चाहिए? क्या इसके लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : किन्तु महोदय, यह सभा का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय : कहीं कुछ हो गया होगा। मन्त्री जी कहां हैं?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक असाधारण स्थिति है। आप उनको चेतावनी दें।

अध्यक्ष महोदय : हां, मैं दूंगा। इस बीच गीता जी आप याचिका प्रस्तुत करें।

12.04 म० प०

दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन तथा दिल्ली के निवासियों की समस्याओं के बारे में याचिका

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : श्रीमान्, मैं दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन तथा दिल्ली के निवासियों की समस्याओं के बारे में श्री देवी प्रसाद सिंह तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करती हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन मामले।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : मैं समझता हूं हम मंत्री जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी हां, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्री जी आ गए हैं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आपको क्या हुआ;...?

(व्यवधान)

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : श्रीमान, मुझे क्षमा करें, मैं कहीं अटक गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा से क्षमा याचना करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : किन्तु, श्रीमान् भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मन्त्री जी को बता दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि वे क्रिकेट के अच्छे खिलाड़ी हैं। उन्हें विलम्ब क्यों हुआ, मैं नहीं जानता। उन्हें तीव्र गति से रन बनाने चाहिए थे। वे हमारी टीम के तेज गेंदबाज भी हैं।

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : फिर भी कभी-कभी लोग रन आउट हो जाते हैं।

12.05 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सिंचाई मंत्रालय में जल-प्रबन्धन और कमान क्षेत्र विकास डिवीजन में विभिन्न पदों के लिए भर्ती नियमों के बारे में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति के 27वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गंगा राम (फिरोजाबाद) : अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के द्वारा पूछे जाने जाने

पर तथा तत्कालीन सिंचाई राज्य मंत्री के निर्देशों के अनुसार अब प्रबन्धन तथा कमान क्षेत्र विकास डिवीजन में विभिन्न पदों के लिए नियुक्ति के नियमों की सिंचाई मंत्रालय में 1984 के मध्य में जांच की गई थी। वर्तमान नियम देश की कृषि के लिए हितकारक नहीं है क्योंकि वे कृषि अभियन्ता तथा वैज्ञानिकों—यद्यपि वे इस क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं—के चयन के मामले में समान अवसर प्रदान नहीं करते। सिंचाई मंत्रालय प्रत्येक पद के लिए नियुक्ति के नियमों के सभी पहलुओं के सम्बन्ध में उपरोक्त मामले की जांच करने वालों के द्वारा बताई गई सभी कमियां तथा उनके द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों के बारे में तथा उपरोक्त समिति के 27वें प्रतिवेदन के अनुसार संशोधनों को सूचित करने के लिए किए गए उपायों की जानकारी दें।

(दो) सहजनवां और बलरामपुर के बीच बरास्ता बांसी एक रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय प्रस्तुत करता हूं :

किसी भी क्षेत्र की प्रगति एवं उद्योगों की स्थापना तथा विकास के लिए यातायात के साधनों का होना आवश्यक है और इस परिप्रेक्ष्य में रेलवे का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। विगत वर्षों में देश के विभिन्न भागों में नयी रेलवे लाइन बिछाने हेतु सर्वेक्षण का कार्य कराया गया और उसके बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया। इसी संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1977-78 में विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल में सहजनवां से बलरामपुर बाया बांसी तक नयी रेलवे लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण कराया गया था किन्तु यह रेलवे लाइन अब तक नहीं बन पाई। सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि रेलवे लाइन न बनने के कारण, इससे जुड़ने वाले मंडल के सबसे पुराने कस्बे बखिया, मेहदावल, बांसी, डुमरियागंज और उतरोला आज भी आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हैं।

यहां यह भी बताना उचित होगा कि उक्त लाइन के मार्ग में पड़ने वाले महत्वपूर्ण स्थान बखिरा, जो भारत वर्ष का सबसे बड़ा कांसा, तांबा बर्तन का उत्पादक केन्द्र है, मेहदावल में हथकरघा उद्योग और बांसी पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गल्ला बाजार है, मात्र रेलवे लाइन के अभाव में विकसित न हो सके और इन उद्योगों से जीविका चलाने वाले लोगों की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन कमजोर होती जा रही है।

अतः यहां की जनता की यातायात की परेशानी, पिछड़ापन दूर करने और जन-आकांक्षाओं का आदर करते हुए मैं माननीय रेल मंत्री जी से अविलम्ब सहजनवां से बांसी होते हुए बलरामपुर तक नयी रेलवे लाइन का निर्माण शुरू करने की मांग करता हूं।

(तीन) पूर्वी रेल के गया-किऊल सेक्शन पर चलने वाली कुछ रेलगाड़ियों के चलने के समयों को बदलने तथा गया और देवघर के बीच एक तीव्र गति वाली रेल गाड़ी चलाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा साही (बेगूसराय) : किऊल-गया रेल पथ पर सवारी गाड़ी की समय सारिणी के परिवर्तन से विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। यहां का जिला मुख्यालय मुंगेर है।

कमिश्नरी भागलपुर है तथा अनुमंडलीय स्तर के अधिकांश कार्यालय लखीसराय ही हैं। भागलपुर पटना एवं मुंगेर के प्रमुख चिकित्सालयों, कालेजों के लिए कोई उपयुक्त आवागमन भी अति आवश्यक है। जो इन गाड़ियों के परिवर्तन से अवरुद्ध हो गया है। लोगों को इन नगरों में जाने हेतु बस एवं टैक्सी (जो एक अनियमित एवं महंगी सवारी है) के सिवाय कोई रास्ता नहीं रह गया। अतः पुरानी गाड़ी नं० 2 के० जी० जो गया से पहले 5.10 पर खुलती थी और शेखपुरा प्रायः 7 बजे सुबह पहुंचती थी वह समय इस क्षेत्र की जनता के लिये बड़ा ही लाभदायक एवं उपयुक्त था। वह गाड़ी वर्तमान समय में 3 बजे सुबह आती है जिसे पकड़ना इस क्षेत्र की जनता बरबीदा, शेखपुरा, अरियरी, सिकन्दरा हलसी, अरयावा, सरमेर प्रखण्डों के निवासियों के लिए असंभव है। अतः इस गाड़ी को अपने पूर्ववत समय पर चलाने की व्यवस्था की जाए।

338 डाउन जो गाड़ी गया से सियालदह जाती थी जो बहुत ही पुरानी गाड़ी थी उसे रद्द कर किया दिया गया। उसे पुनः पूर्ववर्ती समय पर चलाया जाय।

137 अप जो जमालपुर से 5 बजे सुबह चलती है गया के लिये यह गाड़ी कियूल से 8 बजे खुलती है। अगर यह गाड़ी 10.30 बजे कियूल से खुले तो कियूल से गया के लिए 13 अप, 25 अप, 8 डाउन, 312 डाउन गाड़ियों के यात्रियों को गया की ओर आने की सुविधा हो जाएगी। अतः जमालपुर से इस गाड़ी को 8 बजे सुबह किया जाय।

इस लाइन पर कोई द्रुतगामी गाड़ियां नहीं हैं। अतः गया से देवघर तक एक नई द्रुतगामी गाड़ी दी जाय जिससे कि दो पुराने तीर्थ स्थलों के यात्रियों को सुविधा मिले। यह मांग नागरिकों की बड़ी पुरानी है। कृपया उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं पर तत्काल रेल मंत्री जी ध्यान दें।

(चार) कोठागुडम ताप-बिजलीघर के जीर्णोद्धार तथा आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त धन मंजूर करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडम ताप बिजली घर में दो उत्पादक इकाइयां बहुत पुरानी हैं और कुछ कमियों के कारण संयंत्र का बिजली उत्पादन कम है। अतः आन्ध्र प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्र प्रायोजित योजना के अन्तर्गत अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए ताप बिजली घरों की नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण योजना के लिये 4567 लाख रुपये की मांग की है। किन्तु भारत सरकार ने इस योजना के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में सिर्फ 891.70 लाख रुपएं स्वीकृत किए हैं जोकि योजना की अनुमानित लागत का 19.52 प्रतिशत है। भारत सरकार ने उड़ीसा के तालचेर बिजली घर के लिए आवश्यक 2,346 लाख रुपयों में से 1,901 लाख रुपयों की स्वीकृति दी है जो कि 81 प्रतिशत है और बिहार के कारवीछिया विद्युत घर के लिए आवश्यक 512 लाख रुपयों में से 460 लाख रुपए, जो कि 89.6 प्रतिशत है, को स्वीकृत किया है। अतः, मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि मामले पर दुबारा विचार किया जाए तथा कोठागुडम ताप विद्युत घर के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए 2,200 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाये।

(पांच) पश्चिम बंगाल में कंगसाबती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण की योजना को मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री अजीत कुमार साहा (विष्णुपुर) : महोदय, कंगसाबती परियोजना जो पश्चिम बंगाल के

जिलों बांकुरा, मिदनापुर और हुगली में खरीफ में 3,24,000 हैक्टेयर क्षेत्र और रवी में 6,729 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करने के लिये है, पूर्ण होने वाली है। इस बीच जिला पुरुलिया में कंगसावती नदी के ऊपरी जलाशय क्षेत्र में सूखे वाले क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक अपर कंगसावती परियोजना नामक स्कीम मंजूर की गई है।

इसके परिणामस्वरूप निचली कंगसावती जलाशय परियोजना में पानी की कमी होगी, इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि नदी के थाले के जल संसाधनों में वृद्धि की जाये। इसके लिए भूमिगत जल प्राप्त करके निकटकर्ती नदी धारा में अतिरिक्त जल संचय किया जाये, भारी मात्रा में पानी के रिसने को रोकने हेतु नहरों के किनारे मजबूत किये जायें तथा बेहतर और अधिक किफायती जल प्रबन्ध के लिए खेतों में नालियों की खुदाई की जाए। इस उद्देश्य को देखते हुए कंगसावती जलाशय परियोजना के आधुनिकीकरण के लिए 210 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की गई और अनुमोदन हेतु भारत सरकार के केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई थी। महोदय, यह योजना न केवल मूल कंगसावती जलाशय परियोजना की सिंचाई क्षमता को बनाए रखने के लिये अत्यन्त अनिवार्य है वरन् हाल ही में मंजूर की गई अपर कंगसावती परियोजना को प्रभावी बनाने के लिए भी अत्यन्त अनिवार्य है।

महोदय उचित जांच करने के पश्चात् केन्द्रीय जल आयोग ने इस योजना की सिफारिश की और इसे योजना आयोग की तकनीकी परामर्शदाता समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। तकनीकी परामर्शदाता समिति ने कुछ और ब्यौरे मांगे जिन्हें अब केन्द्रीय जल आयोग को भेज दिया गया है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे कंगसावती परियोजना के आधुनिकीकरण की योजना को तत्काल स्वीकृति प्रदान करें। मैं यह भी मांग करता हूं कि सम्बन्धित मंत्री महोदय इस परियोजना पर यथासम्भव शीघ्र ही सदन में अपना वक्तव्य दें।।

(छः) मालवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस तथा दक्षिण एक्सप्रेस रेल गाड़ियों के विदिशा तथा गंज बसौदा रेलवे स्टेशनों पर रुकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : यह एक स्वागत योग्य निर्णय है कि मालवा सुपर फास्ट एक्सप्रेस गाड़ी 1 मई, 1985 से प्रतिदिन नई दिल्ली-भोपाल और इंदौर के बीच चला करेगी। विदिशा स्टेशन पर इस सुपर फास्ट रेल गाड़ी को रोकने के लिये एक पुरानी मांग है और इसी प्रकार मेरे चुनाव क्षेत्र से अनेक संगठनों ने अनेक ज्ञापन और स्मरण पत्र गंज बसौदा में दक्षिण एक्सप्रेस को रोकने के लिए भेजे हैं।

विदिशा और गंज बसौदा व्यवसाय के बहुत अच्छे केन्द्र हैं और इनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है तथा सांची, उदयगिरी, उदयपुर, ग्यारसपुर, खामबाबा आदि स्थित पुरातत्व स्मारक विदेशी और स्वदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इन दो स्थानों पर उक्त गाड़ियों के रोके जाने की ओर यथा शीघ्र विचार करें।

(सात) पूर्णिया (बिहार) के लिए विमान सेवा आरम्भ करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कुमर लाल बैठा (अररिया) : पूर्णिया जिला बिहार राज्य के उत्तर पूर्व छोर पर नेपाल

सीमा पर अवस्थित है। अभी भी आगमन की समुचित सुविधा का अभाव है, जिसके कारण उस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है।।

पूर्णिया के पास ही चूनापुर में रक्षा विभाग का एक हवाई अड्डा है जिसका उपयोग अब रक्षा विभाग नहीं करता है। अतः यह प्रस्ताव है कि पूर्णिया को हवाई सेवा से जोड़ दिया जाय। दिल्ली-पटना से कलकत्ता जाने वाली या दिल्ली पटना से वागडोगरा जाने वाली वायु सेवा को सप्ताह में एक दो दिन के लिए पूर्णिया हवाई अड्डा पर उतार कर पूर्णिया को वायुयान सेवा से संयुक्त किया जाये। पहले भी यहां से वायुयान सेवा निजी कम्पनियों द्वारा लाभकारी ढंग से चलायी जाती रही है। अतः अनुमान है कि यह सेवा लाभदायक होगी और किसी प्रकार के घाटे का प्रश्न नहीं उत्पन्न होगा। यदि यह सम्भव नहीं हो तो इसे वायुदूत सेवा से ही जोड़ देने की शीघ्र व्यवस्था की जाय।

(आठ) गंगानगर जिले में इंदिरा मुख्य नहर में से निकाली गई नहरों का निर्माण कार्य पूरा करने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा मेन कैनाल से गंगानगर जिले में जो सीधे माईनर निकाले गए हैं, वे सबके सब अधूड़े छोड़ दिये गए हैं और इसको सर्वे के मुताबिक यदि आगे खुदाई को बढ़ाया जाए तो लाखों एकड़ जमीन में बाई फ्लो पानी लग सकता है और वहां का किसान लम्बे समय से आस लगाये बैठा है कि हमारे खेत में कभी पानी पहुंचेगा। अधूरे माईनरों के नाम इस प्रकार हैं :—

1. राठीखेड़ा माईनर, 2. खेतांवाली डिस्ट्रीब्यूटरी, 3. जोराबरपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी, 4. सरदारपुरा डिस्ट्रीब्यूटरी, 5. खोंडा डिस्ट्रीब्यूटरी, 6. खिदासरी डिस्ट्रीब्यूटरी, 7. चुल्ली डिस्ट्रीब्यूटरी, 8. ठेठार डिस्ट्रीब्यूटरी, 9. जेसाभट्टी डिस्ट्रीब्यूटरी, 10. कानहोर डिस्ट्रीब्यूटरी, 11. भोजेवाला डिस्ट्रीब्यूटरी, 12. सोमासर डिस्ट्रीब्यूटरी तथा 13. पिपेरन डिस्ट्रीब्यूटरी।

मेरा भारत सरकार से पुरजोर शब्दों में अनुरोध है कि इन सब अधूरे माईनरों को युद्धस्तर पर काम लगाकर शीघ्र पूरा कराया जाए, ताकि वहां के किसान को सिचाई की सुविधा मिल सके और उसकी गरीबी व पिछड़ापन दूर हो सके और देश को भी अधिक उत्पादन मिल सके।

12.16 म० प०

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस में आयोजित भारत महोत्सव में प्रदर्शन हेतु दुर्लभ मूर्तियों सहित भारतीय कला और संस्कृति की अमूल्य निधियों को हटाकर जलयानों द्वारा भेजे जाने का समाचार

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे। श्री उन्नीकृष्णन् जी। अब मैं, उस रोग का पता बता सकता हूं जिससे मंत्री महोदय पीड़ित थे अर्थात् उन्हें अभी भी पुरानी संसदीय पद्धति का उपयोग करने की आदत है। यह आठवीं लोक सभा है परन्तु वे अभी भी सातवीं लोक सभा

में जी रहे हैं और वे यह बात समझते भी नहीं । मंत्री महोदय को यह अवश्य समझना चाहिये कि हम अधिक अकलमंद हो गये हैं । यह नई लोक सभा इतना अधिक समय नहीं लेती···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : उन्हें यह अवश्य सोचना चाहिये कि हम पहले ही 21वीं सदी में पहुंच गये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : हम अकलमंद हो गये हैं और बेकार की बातों में वक्त बरबाद नहीं करते । बिना किसी काम के हम समय नहीं खोते ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं अत्यंत लोक महत्त्व के निम्नलिखित मामले की ओर संस्कृति मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और अनुरोध करता हूं कि वे इस पर एक वक्तव्य दें :—

> "संयुक्त राज्य अमरीका और फ्रांस में आयोजित भारत-महोत्सव में प्रदर्शन हेतु, भारत के विभिन्न संग्रहालयों, कला दीर्घाओं और मन्दिरों से, दुर्लभ मूर्तियों समेत भारतीय कला और संस्कृति की अमूल्य निधि को हटाकर, अत्यधिक जोखिम और खतरे उठाकर, जहाजों द्वारा भेजे जाने के समाचार तथा उसके बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : अध्यक्ष महोदय, मैं भारत-महोत्सव के दौरान कला प्रदर्शनियों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के इस अवसर का स्वागत करता हूं ।

भारत-महोत्सव फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका में जून, 1985 में होना निश्चित हुआ है । यह 1982 में लन्दन में हुए उत्सव से अधिक बड़े पैमाने पर होगा और इसमें व्यापक चित्र शामिल होंगे । इसमें संयुक्त राज्य और फ्रांस के अधिकांश प्रतिष्ठित संग्रहालयों द्वारा प्रायोजित अनेक प्रदर्शनियां होंगी, जिन्होंने विश्व के महान कला भन्डार, निष्पादन कलाएं, भारतीय फिल्म उत्सव, थियेटर मंडलियां, कविता पाठ, संगोष्ठियां और सेमिनार आदि प्रदर्शित की हैं ।

अमेरिका में भारत-महोत्सव के दौरान प्राचीन कला की छः महत्वपूर्ण प्रदर्शनियां आयोजित की जा रही हैं । ये हैं :—

(1) तीन हजार ईसवी पूर्व से 1300 ईसवी सन् की भारत की मूर्ति ।

(2) "भारत"

(3) राजमहल में जीवन : भारत के शासकों के लिए कला सोलहवीं, उन्नीसवीं शताब्दी ईसवी सन् ।

(4) भारतीय भूमि से : टेराकोटा कला के 4000 वर्ष

(5) कुशाण मूर्तिकला

(6) फतेहपुर सीकरी और अकबर का शासन काल ।

नौ प्राइवेट संग्रहकर्ताओं की कला वस्तुएं उनकी सहमति से प्राप्त करके 55 प्राइवेट/स्वायत्त और सरकारी संग्रहालयों से कला वस्तुएं एकत्र की गई हैं । चयन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों द्वारा प्रदर्शों की जांच भी शामिल है । जिन 441 कला वस्तुओं को संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदर्शनियों में प्रदर्शन के लिए शुरू में सूचीबद्ध किया गया था, उनमें से 76 को प्रतिकूल संरक्षण रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए अथवा वस्तुओं की दुर्बल स्थिति के कारण छोड़ दिया गया है । कुछ

कला वस्तुओं, जो अपनी किस्म की एक ही थीं, जैसे पशु-पति की सील और मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई लड़की को भी छोड़ दिया गया है। अतः भारतीय कला के इतिहास के संदर्भ में ऐतिहासिक अथवा सौंदर्य-विषयक महत्व की जो असाधारण वस्तुएं थीं, को भी छोड़ दिया गया है। भारतीय संग्रहालय से बरहुट यक्षी तथा मद्रास संग्रहालय से अमरावती राऊन्डल को, जिनको गाड़ा हुआ था, नहीं चुना गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय विख्यात संग्रहालयों में प्रदर्शनियों का आदान-प्रदान करना प्रचलित है, प्रत्येक पक्ष देश की सर्वोत्तम सांस्कृतिक परम्परा प्रदर्शित करने तथा बदले में सर्वश्रेष्ठ परम्परा का प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उदाहरणार्थ—राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली ने भी स्वयं बुलगारिया से थ्रेसियन गोल्ड, स्वीडेन से कला भंडार और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा ने जर्मन अभिव्यक्तिकर्ता पॉल क्ली कला वस्तुएं तथा रोडिन द्वारा बनाई गई मूर्तियां जैसी सर्वोत्तम और अमूल्य कलाकृतियों की प्रदर्शनियां प्राप्त कीं। यह भी उल्लेखनीय है कि विश्व के बहुत से राष्ट्रों ने संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान को कुछ बड़ी प्रदर्शनियां भेजी हैं, उदाहरणार्थ—मिस्र के टूट-आंख-अमेन से चीन के कला-भंडारों तथा रेनवान्ड के चित्रों की प्रदर्शनियां। हमारे देश की सांस्कृतिक परम्परा और छवि विश्व में अद्वितीय है और प्राचीन काल से भारतीय कला में भी चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्वी देशों की कला शैलियों को प्रभावित किया है। अतः भारतोत्सव के लिए जो कुछ भी चुना गया है, वह कलाकृत्तियों का एक उपेक्षणीय भाग है और देश में उपलब्ध श्रेष्ठ कृतियां हैं। विभिन्न प्रदर्शनियों के लिए इन कला-वस्तुओं का चयन इस तथ्य को ध्यान में रखकर किया गया है कि वे कला के विश्व में सुप्रसिद्ध हैं। वास्तव में ऐसे कला भंडारों की प्रदर्शनियों से भारत की कला और सांस्कृतिक परम्परा के प्रति विद्वानों और आम जनता में अधिक रुचि और उत्साह पैदा होता है।

हर प्रकार से पूर्ण बीमा कराने के अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली के अनुसार इनके पैकिंग और ढुलाई आदि के सम्बन्ध में हर सावधानी बरती जा रही है। सुरक्षा के लिए अधिक से अधिक सावधानी बरती गई है, जैसे बहुमूल्य प्रदर्शित वस्तुओं को सशस्त्र गार्डों द्वारा भेजा जाना, सामान के साथ विशेषज्ञों को भेजना, विस्तृत फ्लोटोग्राफिक प्रलेखन कला वस्तुओं के लाने ले जाने के विभिन्न स्तरों पर तैयार करना।

अतः इससे यह पता चलता है कि भारत-महोत्सव में भेजे जाने वाले प्रस्तावित कला भंडारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी सम्भव पूर्व उपाय किए गए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारत की कला और सांस्कृतिक परम्परा के सम्बन्ध में विदेशों में काफी उत्साह उत्पन्न हुआ है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं माननीय मन्त्री महोदय के वक्तव्य के ठंडे और उदासीन भाव से आश्चर्यचकित हूं और यह भारत के बारे में आश्चर्यजनक हद तक उनकी अज्ञानता गलत जानकारी के अनुकूल ही है। उनकी यह अज्ञानता भारत को लेकर ही नहीं है बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अन्य भागों में विद्यमान हमारी परम्पराओं और उपलब्धियों के बारे में भी है। इसलिए भारत के परिचय देने के लिए भारत महोत्सव की संकलना एक बहुत ही स्वागत योग्य संकल्पना थी। इससे विदेशियों में भारत के बारे में विद्यमान गलत धारणाओं को सुधारा जा सकता था। हमने यह सोचा था कि यह समकालीन भारत के साथ-साथ हमारी

सांस्कृतिक विरासत और परम्परा तथा हमारे खान-पान, वेषभूषा और प्रदर्शन कलाओं की विविधताओं को अभिव्यक्त करेगा।

18 महीने से अधिक समय तक चलने वाले इस उत्सव के लिए अधिकतर धन की व्यवस्था भारत सरकार ने की है अर्थात भारत की संचय नीधि से की है जिसका विनियोग और व्यय जैसा कि आप और हम जानते हैं केवल संसद की स्वीकृति से हो सकता है। इसलिए भारत सरकार और इसके द्वारा गठित भारत महोत्सव समिति न केवल धन व्यय करने बल्कि उत्सव आयोजित करने के तरीकों के लिए भी संसद के प्रति उत्तरदायी है।

उत्सव का प्रयोजन भारत की छवि प्रस्तुत करना है। और किसी एक व्यक्ति को जो स्वयं एक किस्म का संस्कृति मंत्री (कमिस्सार) बन गया है अर्थात भारत-महोत्सव समिति का अध्यक्ष है, अपनी निजि छवि बनाने हेतु उसके जनसम्पर्क को बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

मैं जानता हूं यह अवसर नहीं है कि उत्सव के सभी पहलुओं पर चर्चा की जाये और न ही इस उत्सव के उन अन्य विभिन्न पहलुओं के बारे में चर्चा करने का अवसर है जिसके बारे में बहुत से अरुचिकर ब्यौरे प्रकाश में आये हैं, जिनमें बताया गया है कि यह कुछ कृपापात्र लोगों के लिए उनके कुछ कृपापात्रों का खेल बन गया है।

इसलिए मैं अपने विचारों को उस निर्णय तक सीमित रखूंगा जिसके अंतर्गत हड़प्पा युग से लेकर मौर्य, गुप्त, कुषाण और चौला काल तक की पुरानी मूर्तियों सहित भारतीय कला और सांस्कृतिक विरासत के अमूल्य भंडारों को उनके स्थान से हटाने और उत्सव में ले जाने के संबंध में है। मैं जानता हूं—और मैंने विवरण देखा है—हमें उत्सव की अध्यक्ष की उन छोटी अनुकम्पाओं के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिये कि वे, जैसा कि मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में कहा है, सारनाथ के बुद्ध को और पशुपतिनाथ की मोहर, जिसको उन्होंने पूरे उप-महाद्वीप के इतिहास को समझने की कुंजी के रूप में उल्लेख किया है, को हटाने की ओर प्रवृत नहीं हुई लेकिन मेरा विश्वास कीजिये कि यह अत्याचार भी केवल स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने के कारण रुका। परन्तु श्रीमती इंदिरा गांधी की दर्दनाक मृत्यु होने और (राजनैतिक) दृश्य से हट जाने के साथ ही इस उत्सव की अध्यक्ष बेलगाम हो गईं और वे अब प्रत्येक संग्रहालय, भण्डार, मंदिर और यहां तक कि उत्खनन स्थल पर भी धावा बोल रही हैं और वे इससे भी अधिक मांग रही हैं।

पटना के संग्रहालय से विश्व-प्रसिद्ध ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी (मौर्य) की दिदारगंज की यक्षी और गाइरसपुर यक्षी, जो शायद अब ग्वालियर संग्राह संग्रहालय में है, उत्कृष्टतम उपलब्धि के रूप में प्रसिद्ध है, ले जाई गई है। वे कहते हैं कि कुछ वस्तुओं को निकाल दिया गया है लेकिन वे उनके अनुसार, नगण्य हैं। लेकिन श्री अरविन्द के अनुसार ये दोनों कलाकृतियां भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च उपलब्धियां हैं। इनमें से एक जा रही है। राष्ट्रीय संग्रहालय से पांचवीं शताब्दी के बोद्धीसत्व और खजुराहो की आलस्य कन्या, लखनऊ संग्रहालय से मानकुंवर का बुद्ध और खड़ा तपस्वी तथा मथुरा कला संग्रहालय से एक और अद्वितीय कलाकृति बाहर ले जाई जा रही है। इस सूची को और भी बढ़ाया जा सकता है और मैं समझता हूं 75 से अधिक वस्तुओं को बाहर भेजा जा रहा है। इनमें से कुछ का बाल्टीमोर में फ्यूमीगेशन हो रहा है। यही मेरा आरोप है।

इसके अतिरिक्त तंजौर कला दीर्घा के पुरातन कृति, जैसे 11वीं शताब्दी की कृष्ण वाहन

मूर्ति सहित पल्लव और चोला काल की कुछ अन्य अमूल्य निधियां और चोला काल की अमूल्य कांस्यकला कृतियों को हटाया गया है। तंजौर कला दीर्घा के निदेशक ने इस पर आपत्ति की थी और इससे भी अधिक यह हमला न केवल दक्षिण की कला दीर्घाओं पर हो रहा है बल्कि पूजा के मंदिरों में भी हो रहा है। तंजावुर में बड़ाकला के चिदम्बरेश्वर मंदिर से कल्याण सुन्दर मूर्ति भी ले जाई गई है। इस कृति के बारे में स्वर्गीय डा० शिवराम मूर्ति ने लिखा है। वे कहते हैं कि उनमें से कुछ ऐतिहासिक और सौन्दर्यशास्त्र महत्व की उत्कृष्ट, सौन्दर्यपरक और असाधारण कृतियां हैं। डा० शिवराम मूर्ति ने, जिनसे बेहतर चोल काल का विशेषज्ञ कोई और नहीं, लिखा है :

> "पल्लव मूर्तिकला में महान उत्कृष्ट कलाकृतियों में तंजावूर जिले से हाल में खोजी गई एक कांस्य की कृति का उल्लेख किया जाना चाहिये जो शिव को कल्याण सुदर के रूप में प्रस्तुत करती है, जो अभी कहीं से भी प्राप्त कृतियों में सबसे उत्कृष्ट है और बड़ी ही स्वाभाविक और अजीब लगती है।"

अन्य मंदिरों में से परुत्तीयूर और कल्याण-वरदाराजा मंदिरों के उत्कृष्ट और प्रसिद्ध राम, लक्ष्मण और सीता और तंजौर जिले के अझियूर मंदिर को भी बख्शा नहीं गया है।

कांची के शंकराचार्य ने भी इसके प्रति आपत्ति की है।

मुझे विश्वसनीय सूत्रों से यह मालूम हुआ है कि न केवल तंजौर कला दीर्घा के निदेशक ने आपत्ति की थी बल्कि तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री एम० जी० रामचन्द्रन ने बीमार पड़ने से पहले श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा था। इन्दिरा जी ने पुनर्विचार करने का आश्वासन दिया था और यह भी कहा था कि कोई भी कृति बाहर नहीं ले जाई जायेगी लेकिन मुख्य मन्त्री बीमार पड़ गये और अब आपके सामने एक ऐसा दृश्य है कि रामनवमी के दिन घावों पर नमक छिड़कते हुए पुरुत्तीयूर मंदिर से श्रीराम की मूर्ति हटा ली गई है। हिन्दू, इण्डियन एक्सप्रैस और दक्षिण के सभी समाचार पत्रों में यह खबर छपी है कि राम के बिना रामनवमी मनाई जायेगी और इसके परिणामस्वरूप वहां भारी स्थानीय आक्रोश फैल गया है।

अब मैं उन स्थलों का उल्लेख करूंगा जहां खुदाई की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को जनवरी-फरवरी, 1985 में चंडीगढ़ के नजदीक संघोल स्थान पर संयोगवश खोज में 117 मूर्तियां प्राप्त हुई जो अभी तक पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हैं और जिन्हें भारत में प्रदर्शित नहीं किया गया है। इन मूर्तियों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कुछ सदस्यों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति ने नहीं देखा है। यह एक दुर्लभ खोज थी। लेकिन मैं समझता हूं कि अधिकांश मूर्तियों को, जिनकी अभी तक ठीक ढंग से सूची नहीं बनाई गई या जिनको भारत में किसी ने नहीं देखा है, विशेषज्ञों की राय अवहेलना करके समुद्र के रास्ते बाहर भेज दिया गया है। इस प्रकार के प्रदर्शन से कोई भी समझ सकता है कि कुछ प्रमुख नमूने ही भेजे गए। यहां तक कि इस प्रथा पर आपत्ति की गई है। अमरीकी लोगों के पास मुगल कालीन चित्रों का सबसे अधिक भण्डार है। ये चित्र अमरीका में निजी संग्रहकर्ताओं तथा संग्रहालयों के पास हैं। हम आशा करते हैं कि चुराई गई बढ़िया कांस्य की शिवपुरम नटराज की मूर्ति सभा में दिये गए उत्तर के अनुसार वापस लाई जाएगी। क्या इन संग्रहकर्ताओं से सम्पर्क करने का कोई प्रयास किया गया, यदि हां तो उन्होंने क्या उत्तर दिया ? मैं इस बारे में विशेष रूप से जानना चाहता हूं। उन्हें इस प्रश्न पर टालमटोल नहीं करनी चाहिए क्योंकि भारतीय होने के नाते हमारे लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें कोई राजनीति नहीं है। हमने अमरीकी अधिकारियों तथा संग्रहालय और आर्ट गैलरियों के साथ हमारा क्या समझौता

किया है जो ऐसी प्रदर्शनीय वस्तुओं को प्राप्त कर रहे हैं मेरा दावा है और मेरी उन्हें चुनौती है कि वह मुझे गलत साबित करें और मैं यह कहता हूं कि आज तक ऐसा कोई समझौता अस्तित्व में नहीं है। पोत पर लदान करने की जिम्मेदारी कौन लेगा जिसमें बहुत अधिक जोखिम और गड़बड़ी है? यदि इसका उत्तर वही है जो उन्होंने कहा है कि मूर्तियों का बीमा करा दिया गया है। क्या बीमा इन अमूल्य निधियों का विकल्प है जो हमारी सभ्यता का प्रतीक है?

मैं यह जानना चाहता हूं कि किसके द्वारा यह बीमा किया गया और कितनी राशि का किया गया। बीमे की राशि किसने निर्धारित की है? मुझे विश्वास है कि बीमा करने से पहले उन्होंने इन कलाकृतियों की मूल्यांकन करने का कार्य विशेषज्ञों की समिति को अवश्य दिया होगा। यदि विशेषज्ञों की कोई समिति थी, जिसने बीमा करने से पहले इस प्रकार का मूल्यांकन किया था तो क्या उस समिति में मतैक्य था और उन्होंने क्या रिपोर्ट दी? क्या वह इन विशेषज्ञों द्वारा की गई बीमे की मूल्यांकन रिपोर्ट को सभा पटल पर रखने के लिए तैयार है?

सांस्कृतिक आदान-प्रदान में पारम्परिक व्यवहार मुख्य बात है। हमने पेरिस के लोवुरे संग्रहालय की श्रेष्ठ कृतियों की प्रदर्शनी देखनी चाही जब श्री जैक्यू चिरैक वहां के प्रधानमन्त्री थे, तो श्रीमती इन्दिरा गांधी ने व्यक्तिगत रूप से मोना लिसा को यहां भेजने का अनुरोध किया था। उस समय डा० नुरूल हसन शिक्षा मंत्री थे। लेकिन भारत की प्रधान मन्त्री द्वारा बार-बार अनुरोध किए जाने के बावजूद हमारा अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया। अमरीका के लोगों ने इसके बदले हमें क्या दिया है? क्या यह सच है कि वे हमें धोखा देकर यह दावा कर रहे हैं कि उनके पास धन नहीं है? इन सबसे बढ़ कर आपके पास अद्वितीय घटनाक्रम वृत्त है जिसे परिचालित करने के लिए भारत महोत्सव समिति द्वारा प्रकाशित किया गया···

श्री के० पी० सिंह देव : कृपया प्रश्न दोहराइये।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या यह सच नहीं है कि अमरीकन हमें पारस्परिक प्रदर्शनियों के नाम पर धोखा दे रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके पास धन नहीं है? इन सबसे बढ़कर उनके पास अद्वितीय घटनाक्रम वृत्त है जिसे अमरीका में परिचालित किया गया है। इस कलैंडर को भारत महोत्सव समिति ने प्रकाशित किया है।

इन कलाकृतियों का रविन्द्रनाथ टैगोर अथवा अरविंद घोष या डा० आनन्द कुमारास्वामी अथवा महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू अथवा इन्दिरा गांधी या वर्तमान प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की उक्तियों से प्रदर्शन नहीं किया गया है बल्कि श्रीमती पुपलजयकर द्वारा इनका वर्णन किया गया है। अमरीकी लोग तो इस बात का पता लगायेंगे कि यह विशिष्ट व्यक्ति कौन है।

इन सबसे आगे बढ़कर भगवान शिव के स्वरूप का वर्णन है। शंकराचार्य के अनुसार भगवान शिव इस देश के लाखों लोगों के निराकार देवता हैं जिसे 'कामुक सन्यासी' के रूप में दर्शाया गया है। (**व्यवधान**) श्रीमान जी आप इस पर विचार कर सकते हैं।

क्या भगवान शिव 'एक कामुक सन्यासी हैं?···(**व्यवधान**) यह ईशनिन्दा के अलावा कुछ नहीं है। यदि शंकराचार्य ने इसका विरोध किया है, यदि देशवासी सारे देश में आन्दोलन करने हैं तो इसके लिए आप और मैं सभी जिम्मेदार हैं क्योंकि इसके लिए भारत की संचित निधि से ही धन दिया गया है।

अतः मैं प्रश्न को दोहराता हूं। पोत पर लदान से पहले कौन-कौन-सी मूर्तियों को भेजा गया है, उनके विशेष नाम क्या है और वे किस संग्रहालय से लाई गई हैं। उनके बीमे का मूल्यांकन करने वाले विशेषज्ञों का ब्यौरा क्या है? क्या उनमें मतैक्य था और उन्होंने यदि कोई टिप्पणी दी थी तो उनका ब्यौरा क्या है?

क्या बीमे के बारे में उनकी विस्तृत टिप्पणियों को सभा पटल पर रखा जाएगा? क्या हमने प्राप्तकर्ता संस्थाओं के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं तथा ये कलाकृतियां अब कहां हैं? क्या ये कलाकृतियां फूमीगेशन यार्ड में रखी गई हैं। इनमें से कुछ बाल्टीमोर में हैं—या क्या वे अपने गंतव्य पर पहुंच गई हैं?

कुछ माननीय सदस्य: कामुक?

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर): श्री उन्नीकृष्णन जी, आप वह पुस्तक उन्हें भेज दीजिए। वे उन्हें देखना चाहते हैं।

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग): कामुक सन्यासी?

श्री के० पी० सिंह देव: मैं माननीय सदस्य श्री के० पी० उन्नीकृष्णन का अत्यंत आभारी हूं जिन्होंने अपने अननुकरणीय तथा वाकपटुता के अंदाज में महोत्सव के संबंध में अनेक मुद्दों जो लगभग 8 हैं, को हमारे ध्यान में लाये हैं। वस्तुतः इनमें से कुछ को दोहराया गया है। मेरे पास 8 प्रश्न आए हैं। लेकिन वास्तव में केवल 3 प्रश्न ही हैं जिनका उन्होंने उल्लेख किया है। वह है 'उदासीन आत्म संतुष्ट तथा अज्ञानता' जिसके बारे में सरकार द्वारा उत्तर दिया गया है। उन्होंने सम्पादक को लिखे गए कुछ प्रश्नों का भी उल्लेख किया है जो उनके द्वारा लिखे गये एक पत्र के माध्यम से इण्डियन एक्सप्रैस में प्रकाशित हुए हैं।

श्री के० पी उन्नीकृष्णन: स्टेट्समेन में और अन्य समाचार पत्रों में भी हैं।

श्री के० पी० सिंह देव: जो कुछ भी हो मेरे पास दिनांक 13.4.84 इण्डियन एक्सप्रैस की प्रति है मैं सबसे पहले कहूंगा कि यह पत्र—मैं यह नहीं कहना चाहूंगा कि यह अर्द्ध सत्य है, अपितु मैं कहना चाहूंगा कि--सच्चाई से दूर है।

सर्वप्रथम, उन्होंने कहा है कि महोत्सव के लिए अधिकतर धन की व्यवस्था भारत सरकार द्वारा की गई है। जो ऐसा नहीं है। पहले अवसर पर भी इस सभा में और दूसरी सभा में मैंने कहा था कि भारत का महोत्सव दोनों देशों फ्रांस तथा अमरीका में किया जा रहा है। और जहां तक अमरीका का संबंध है आज की तारीख तक हमारा व्यय करीबन 515 लाख रुपये होगा जबकि अमरीका की विभिन्न संस्थाएं आज की दर के अनुसार एक करोड़ बीस लाख डालर से अधिक व्यय करेंगी और मैं समझता हूं यह दर 13.50 या 14 रुपये प्रति अन्य है और इस दर से यह राशि 18 करोड़ रुपये है जबकि भारत रुपये खर्च करेगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन: क्या आपके पास यह राशि पहले से ही आ गई है?

श्री के० पी० सिंह देव: फिर उन्होंने संसद द्वारा विनियोग लेखे का भी उल्लेख किया है। संसद द्वारा पास किये गए विभिन्न विनियोग लेखों में इसे दर्शाया गया है। संस्कृति मंत्रालय के अलावा कुछ अन्य मंत्रालय भी हैं जो भारत के महोत्सव के साथ सम्बद्ध हैं तथा गत वर्ष संसद द्वारा ये विनियोग लेखे पास भी किए गये हैं?

उन्होने यह भी उल्लेख किया है कि भारत महोत्सव की अध्यक्षा ने जन सम्पर्क अधिकारी का कार्य किया है। वह यहां उपस्थित नहीं हैं। मैं उनके अदम्य साहस की प्रसंशा करता हूं और अदम्य साहस महिला जनसंपर्क अधिकारी का ही कार्य महिला सभापति के लिए ही नहीं है। जहां तक भारत और अमरीका के सम्बन्धों की बात है यह एक बहुत बड़ी घटना है और भारत तथा अमरीका में सांस्कृतिक चेतना उत्पन्न करना है। संसार के दो विशाल प्रजातन्त्रों में सहयोग स्थापित करने में सेहायता देना भारत की जनता और सरकार के लिए यह अद्वितीय अवसर है।

हमारी संस्कृति 5,000 वर्ष से अधिक पुरानी है। इससे हमें एक विलक्षण मौका मिला है। इस महोत्सव के आयोजन का फैसला आज नहीं किया गया है बल्कि यह निर्णय 1982 में किया गया था, जब हमारी भूतपूर्व स्वर्गीया प्रधान मंत्री 1982 में अमरीका गई थीं। राष्ट्रपति रेगन तथा श्रीमती गांधी इस बात के लिए सहमत हो गये थे कि भारत महोत्सव 1985 में अमरीका में होगा। उक्त निर्णय के अनुसरण में यह उत्सव आयोजित किया गया है। यह कोई जनसंपर्क कार्य नहीं है।

दूसरा प्रश्न यह है कि उन्होंने पक्षपात बरते जाने के बारे में कुछ अरुचिकर ब्यौरा दिया है। मैं नहीं समझता कि यहां पक्षपात जैसी कोई बात है। यह किसी को बदनाम करने की बात है। मैं नहीं समझता कि इस बात से कोई सम्बन्ध है। वास्तव में उन्होंने पक्षपातपूर्ण वार्ता को सिद्ध नहीं किया है।

फिर उन्होंने अमूल्य वस्तुओं और कलात्मक वस्तुओं के हटाये जाने की बात कही है। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कहीं से कुछ भी नहीं हटाया जा रहा है चाहे वह मन्दिर है, संग्रहालय है अथवा कोई गैलरी है। मैं सभा को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं।

इसके बाद उन्होंने पिछली बार हमारी स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा बुद्ध तथा पशुपति के बारे में किये गये हस्तक्षेप का उल्लेख किया। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। हमारी अमूल्य वस्तुओं को बाहर भेजने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। वास्तव में ऐसा हुआ है कि जानीमानी कलात्मक वस्तुएं यदाकदा पहले ही बाहर जा चुकी हैं। विशेषकर इनमें से कुछ कलात्मक वस्तुएं जापान चली गई हैं और कुछ लंदन में हो रहे भारत महोत्सव में गई हैं। इन कलात्मक वस्तुओं को दुबारा लाया जा रहा है। इसमें कोई नई बात नहीं है। ये वस्तुयें 1982 में पहले ही इग्लैंड में जा चुकी हैं। जापान में भी ये पहले ही भेजी जा चुकी हैं। ये कलाकृतियां पहले भी भेजी जा चुकी हैं और कुछ इस बार भी भेजी जा रही हैं। जब इन कलात्मक वस्तुओं को जापान भेजा गया था तब कोई शोर शराबा नहीं हुआ था। मैं नहीं समझता कि जब उन्हीं वस्तुओं को अमरीका भेजा जा रहा है तो अब यह हंगामा क्यों।

फिर उन्होंने सघोंल और यक्षी का उल्लेख किया है। मैं अपने वक्तव्य में यक्षी के बारे में पहले ही बता चुका हूं। सघोंल के बारे में यह एक रोचक जानकारी होगी कि यद्यपि वहां 117 कलाकृतियां पाई गई थीं जिनमें से केवल 5 कलाकृतियों की पहचान करना बाकी है। यह सरकार के विचाराधीन है। ये अभी भेजी नहीं गई हैं। हम अपने विशेषज्ञों से परामर्श कर रहे हैं। मैं विशेषज्ञों के नाम दूंगा जिनके बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है। विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद ही सरकार निर्णय करेगी कि क्या इन्हें भेजा जा सकता है और कितनी कलाकृतियों को भेजा जा सकता है।

उन्होंने बाल्टीमोर तथा फूमीगेशन के लिए कोई रास्ता ढूंढ़ निकालने के लिए कुछ बातों का उल्लेख किया है। मैं कहना चाहूंगा कि बाल्टीमोर में फूमीगेशन पूरा कर लिया गया है और प्रदर्शन वाली वस्तुएं वाशिंगटन की नेशनल गैलरी में पहुंच चुकी हैं। वे इधर-उधर नहीं पड़ी हुई हैं जैसा कि उन्होंने कहने का प्रयास किया है।

उन्होंने वृषभ वाहन और मन्दिर में पूजी जाने वाली अन्य वस्तुओं का उल्लेख किया है। इनमें से किसी को भी बाहर नहीं भेजा गया है। इन कलाकृतियों का मूल्यांकन किया जा रहा है। इनका मूल्यांकन करने के पश्चात सरकार इनके बारे में निर्णय लेगी। सरकार 9 कांस्य की मूर्तियों के बारे में निर्णय लेगी जिनके सम्बन्ध में तमिलनाडु सरकार पहले सहमत थी और बाद में उसका निर्णय बदल गया था। तमिलनाडु सरकार ने दुबारा इस पर विचार किया और उन्होंने कांस्य की सभी 9 मूर्तियों को मुक्त कर दिया है। सरकार निर्णय करेगी कि क्या इन 9 कांस्य मूर्तियों को बाहर भेजा जाना चाहिए अथवा नहीं। अन्तिम निर्णय अभी लिया जाना है।

उन्होंने तमिलनाडु के मुख्य मन्त्री का उल्लेख किया है। मैं इसका पहले ही जवाब दे चुका हूं। तमिलनाडु सरकार ने विशेषकर मुख्य मन्त्री ने इस विषय पर दुबारा विचार किया था और अब तमिलनाडु सरकार ने कांस्य की सभी 9 मूर्तियों को मुक्त कर दिया है। इस पर बाद में निर्णय लिया जायेगा।

12.44 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

तीसरा प्रश्न संगोल में खुदाई किए जाने के बारे में था और मैंने उसका भी उत्तर दे दिया है। उनका चौथा प्रश्न करार के बारे में था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने विशिष्ट रूप से केवल दो ही प्रश्न पूछे थे। भाषण के अन्त में मैंने केवल दो प्रश्न ही पूछे थे और यदि आप चाहें तो मैं उन्हें दोहरा देता हूं.....

श्री के० पी० सिंह देव : आपने उन प्रश्नों को तीन या चार बार दोहराया है और वे आठ बन गए। अब उन्होंने यह पूछा है कि अमरीका के साथ क्या करार हुआ है और वह बता रहे थे कि आज कोई करार नहीं हुआ है और यह भी कहा है कि मूर्तियों को वहां ले जाने के दौरान उनके क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना है। महोदय, मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि कार्टर ब्राउन, जो कला की इन कांस्य मूर्तियों तथा कलात्मक वस्तुओं को राष्ट्रीय गैलरी में प्रदर्शित करेगा, ने भारत महोत्सव के साथ एक लिखित आश्वासन दिया है और अमरीका और भारत के बीच करार पर अभी हस्ताक्षर किए जाने हैं और इस पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद ही ये कलात्मक वस्तुएं प्रदर्शित की जाएंगी। मैं इस बारे में सभा को आश्वस्त करना चाहूंगा। **(व्यवधान)**

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जिन वस्तुओं के बारे में हस्ताक्षर हो गए हैं वे प्रदर्शित कर दी गई हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : जिन वस्तुओं के बारे में अभी हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं उन्हें प्रदर्शित नहीं किया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या कृपया आप इसका ब्यौरा देंगे ?

श्री के० पी० सिंह देव : कई विभिन्न संस्थान मौजूद हैं जिनके पास प्रदर्शन की जाने वाली वस्तुयें हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या कृपया आप इस बात का ब्यौरा देंगे कि किसके बारे में हस्ताक्षर किए गए हैं और किसके बारे में हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : जैसा कि मैंने कहा—70 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप बाद में इसका ब्यौरा दे सकते हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं निश्चित रूप से बाद में इसका ब्यौरा दे दूंगा। अब बीमे के बारे में, चूंकि ऐसी 76 से अधिक वस्तुएं विद्यमान हैं जिनके बीमे किए गए हैं और समस्त मात्रा की धनराशि लगभग 70 लाख रुपए से लेकर 80 लाख रुपए तक के बीच हैं। यह प्रदर्शित की जाने वाली वस्तुओं के बीमे की धनराशि है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : करोड़ अथवा लाख ?

श्री के० पी० सिंह देव : यह अपनी-अपनी राय है। हमें अपने विशेषज्ञों के अनुसार काम करना है न कि आपकी राय के अनुसार। यदि आप उसके बारे में विशेषज्ञ होते·····।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या आप भुगतान किए गए प्रीमिमम की बात कर रहे हैं अथवा बीमे की राशि की ?

श्री के० पी० सिंह देव : मैं प्रीमिमम की बात कर रहा हूं न कि बीमे की राशि की। ऐसी 70 से अधिक वस्तुएं हैं। सभापटल पर जितनी वस्तुओं को रखा जाना संभव है, मैं उन्हें सभा-पटल पर रखूंगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या यह पूरी सूची नहीं है जिसे आप सभापटल पर रखेंगे ?

श्री के० पी० सिंह देव : जितनी वस्तुओं के बारे में विवरण सभा-पटल पर रखा जाना सम्भव है मैं उन्हें संभा-पटल पर रखूंगा। लेकिन यदि आप हर एक वस्तु को सभा-पटल पर रखे जाने के लिए कहना शुरू कर दें तो उन सभी को ससा-पटल पर रखना सम्भव नहीं होगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने सूची के बारे में पूछा था।

श्री के० पी० सिंह देव : जो कुछ भी सभा-पटल पर रखा जाना संभव है, मैं उन्हें निश्चित रूप से सभा-पटल पर रखूंगा। फिर उन्होंने विशेषज्ञों की समिति के बारे में जानना चाहा। बीमे के लिए कलाकृतियों का मूल्यांकन करने हेतु समिति के सदस्यों के नाम ये हैं—श्री कार्ल जे० खन्डेलवाल, चेयरमैन, बोर्ड आफ ट्रस्टीज, प्रिन्स ऑफ वेल्स म्यूजम, डा० पी० बनर्जी, भूतपूर्व सहायक निदेशक, नेशनल म्यूजम, डा० एम० एस० नागराज राव महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, डा० एल० पी० सिहारे, निदेशक, नेशनल म्यूजम। संरक्षण तथा जीर्णोद्धार के विशेषज्ञों के नाम ये हैं—श्री ए० एस० बिष्ट, मुख्य जीर्णोद्धारक, श्री ओ० पी० अग्रवाल, प्रमुख, राष्ट्रीय संरक्षण प्रयोगशाला और श्री बी० एन० टन्डन, निदेशक, विज्ञान और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। मुझे अभी-अभी यह जानकारी मिली है कि 84 वस्तुओं की बीमे की राशि 120 करोड़ रुपए है और प्रीमियम लगभग 80 लाख रुपए बैठता है। फिर उन्होंने यह कहा कि अमरीका वाले चाल चल रहे हैं। मैं वास्तव में नहीं जानता कि क्या चाल चल रहे हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने यह पूछा था कि विशेषज्ञ समिति के सदस्यों, जिनके नाम

दिए गए हैं, ने क्या टिप्पणियां की थीं। क्या उनकी टिप्पणियों में मतैक्य था, मेरा यही विशिष्ट प्रश्न था।

श्री के० पी० सिंह देव : विशेषज्ञ समितियां सरकार का मार्ग-दर्शन करती हैं। सरकार के लिए उनकी सिफारिशों को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। सरकार उनका केवल मार्गदर्शक ही लेती है। मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। हमने विशेषज्ञ समिति से परामर्श लिया है और हमें अपना निर्णय लेते समय मार्ग-दर्शन मिलता है। अंतिम निर्णय सरकार का होता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उन्होंने क्या कहा ? उनकी टिप्पणियां क्या थीं ?

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : एक बार फिर बताइए, मैं आपका ध्यान नियम 197 की ओर आकर्षित करता हूं। क्या ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में एक एक वाक्य की चर्चा हो सकती है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं अपने विशिष्ट प्रश्न का उत्तर चाहता हूं। उन्होंने समिति के सदस्यों के नाम दिए हैं जो बीमे के लिए उन वस्तुओं का मूल्यांकन करते हैं। क्या वे एक मत थे और उन्होंने सरकार को क्या टिप्पणियां दी थीं ? मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है न कि कुछ और।

श्री के० पी० सिंह देव : जो कुछ सभा में बताना सम्भव है मैं उतना बताऊंगा। कोई निर्णय लेना सरकार के ऊपर निर्भर करता है। यह सलाहकारों की एक विशेषज्ञ समिति है, यह सरकार की निर्णय लेने में मदद करती है। मेरे लिए प्रत्येक चीज सभा-पटल पर रखना सम्भव नहीं है। इससे एक बहुत गलत पूर्वोदाहरण निर्धारित होगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : क्या आप यह दावा कर रहे हैं कि वह जनहित में नहीं है ?

श्री के० पी० सिंह देव : यह एक खराब पूर्वोदाहरण होगा, जो बाद में मुश्किलें पैदा कर सकता है ...(व्यवधान)

श्री के० पी० उन्नीकृष्ण : क्या उनका यह दावा है कि यह जन हित में नहीं है ?..... (व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : मैं केवल यह दावा कर रहा हूं कि यह विशेषज्ञों का एक निकाय है जो सरकार को निर्णय लेने में मदद करती है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : उनकी क्या टिप्पणियां थीं ? क्या उनमें मतैक्य था ?

उपाध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि सरकार ऐसी सिफारिशों के आधार पर निर्णय लेती है, चाहे उनमें मतैक्य हो अथवा नहीं। और यह मंत्री महोदय पर निर्भर करता है, यदि वह कोई बात प्रकट करना चाहते हैं, तो वह प्रकट करेंगे और यदि वह प्रकट करना नहीं चाहते तो वह प्रकट नहीं करेंगे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : सरकार केवल एक ही आधार पर जानकारी को दबा कर रख सकती है। जब मंत्री महोदय यह कहते हैं कि राष्ट्र हित में यह जानकारी नहीं दी जा सकती। ऐसा कोई आधार नहीं है जिस पर सरकार जानकारी को दबा कर रखे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं मिलटरी की कोई गुप्त बात नहीं पूछ रहा हूं, मैं कोई आसूचना

रिपोर्ट देने के लिए नहीं कह रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आप तन्जोर के नागरिकों की भावनाओं को जानते हैं, मैं तो केवल वहां प्रदर्शित हमारी कला के अमूल्य खजाने के बारे में उनकी चिन्ता और सभा में बैठे सभी सदस्यों की चिन्ता को व्यक्त कर रहा हूं। यदि मैं यह पूछता हूं कि विशेषज्ञों की क्या राय है, तो क्या मैं किसी आसूचना रिपोर्ट, अथवा गोपनीय किस्म के किसी प्रलेख अथवा मिलटरी की कोई गोपनीय बात के बारे में पूछ रहा हूं ? यदि वह ऐसा कहते हैं, जन-हित में यह जानकारी देना सम्भव नहीं है, तो बैठ जाऊंगा।.

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : कोई सदस्य मंत्री महोदय पर ऐसी किसी बात को प्रकट करने के लिए दबाव नहीं डाल सकता, जिसे वह प्रकट नहीं करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, मंत्री महोदय को प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई सदस्य एक या दो प्रश्न ही पूछ सकता है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं केवल स्पष्टीकरण ही मांग रहा हूं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए, मंत्री महोदय खड़े हुए हैं। मैं सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने स्थान पर बैठ जाएं। आगे कोई चर्चा नहीं होगी। मंत्री महोदय को प्रश्नों के उत्तर देने दीजिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शोर नहीं। श्री कुरियन; कृपया बैठ जाइए। मंत्री महोदय खड़े हुए हैं। वह प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : मैं एक खराब पूर्वोदाहरण निर्धारित नहीं करना चाहूंगा। मुझे खेद है। (व्यवधान) आपके विचारों का स्वागत है। वह जानना चाहते थे कि श्रीमती पुपुल जयकार कौन थीं। वह भारत मेला समिति की सभापति हैं। वह एक बहुत सम्मानीय महिला हैं और वह पिछले साढ़े चार दशकों से भारत की विभिन्न कलाओं तथा हस्तशिल्पों के संवर्द्धन कार्य से सम्बद्ध हैं। वह एक बहुत सम्माननीय महिला हैं। माननीय सदस्य को भारत महोत्सव समिति के सभापति के बारे से जो जानकारी है, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। ऐसी तीन समितियां हैं, एक संयुक्त राष्ट्र अमरीका में, एक फ्रांस में, और एक यहां। श्रीमती जयकार उस समिति की सभापति रही हैं जिसने लन्दन में भारत महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन किया था। फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमरीका के लिए एक समिति है। महोदय, मैंने माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे दिया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया कौल और शकधर का पृष्ठ संख्या 413 देखें—"जब कभी कोई मंत्री महोदय किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जवाब में कोई वक्तव्य देता है तो उससे उन सभी प्रश्नों, जो अल्प सूचना प्रश्नों में उठाए गए हों अथवा प्रस्ताव में उठाए गए किसी अन्य प्रश्नों का उत्तर देने की आशा की जाती है।" इसलिए उन्होंने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। जैसा कि मैंने कहा, वे यह दलील दे सकते हैं और यह कह सकते हैं कि यह जनहित में नहीं है, तब मैं बैठ जाऊंगा। मैंने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है।

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलप्पी) : क्या यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित है ?

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जी हां, यह श्री अनन्तसयनम आय्यंगर की पुरानी व्यवस्था है, इसलिए उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जो मैंने उठाया है। जब विशिष्ट बातें पूछी जाती हैं तो उनका उत्तर पर्याप्त रूप से दिया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा है। मैं कोई गुप्त बात नहीं पूछ रहा हूं। मैंने कहा है कि इसका बीमा कर दिया गया है। उन्होंने भी हमें बताया है कि निम्नलिखित सदस्यों ने एक समिति गठित की है। अब मेरा प्रश्न यह था कि क्या यह सत्यापित करते समय कि यह जहाज पर लादे जाने के लिए उपयुक्त है, उनकी सिफारिश एक समान थी और उनके द्वारा बीमा की जाने वाली राशि को विनिर्दिष्ट करते समय क्या वे एकमत थे ? यदि नहीं, तो इस बारे में उनकी दो राय होंगी। उन्होंने सरकार को क्या टिप्पणियां और सलाह दी थीं ? यहां सब मैं पूछ रहा हूं। यही वह विशिष्ट प्रश्न है जिसका उत्तर दिया जाना चाहिए अथवा यह दलील देनी चाहिए कि यह जनहित में नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय ने आपको बता दिया। कभी-कभी वह कतिपय बातें प्रकट नहीं करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : यह विशेषज्ञों का एक दल है जिनके कहने पर सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा। यह रक्षा सम्बन्धी गोपनीय बातों को बताने का प्रश्न नहीं है। वह रक्षा सम्बन्धी गोपनीय बातें नहीं पूछ रहे हैं। परन्तु मैं एक गलत पूर्वोदाहरण निर्धारित नहीं करना चाहूंगा, जिसके द्वारा भारत सरकार की आन्तरिक टिप्पणियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं। इसका गम्भीर परिणाम होगा और इसके फलस्वरूप रक्षा संबंधी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं मंत्रालय की टिप्पणिओं के लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्रालय संबंधी टिप्पणियों और विशेषज्ञों के एक दल द्वारा दी गई सलाह के बीच अन्तर होता है। यदि ये मंत्रालय संबंधी टिप्पणियां हैं तो मैं इनके लिए नहीं कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री उन्नीकृष्णन, वह बता रहे हैं कि विशेषज्ञों की राय मिलने के बाद मंत्रालय ने कतिपय निर्णय लिए हैं। सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो सकते हैं। वे समिति द्वारा दी गई राय पर अंतिम निर्णय लेंगे।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह बात नहीं है। यही तो प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई सूचना हो सकती है जो वह प्रकट करना नहीं चाहते। वह कोई उदाहरण स्थापित करना नहीं चाहते। जब वह महसूस करते हैं कि इसे प्रकट करना आवश्यक नहीं है, तो हम इस संबंध में मंत्री महोदय पर जोर नहीं डाल सकते।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : संसद का काम क्या होता है ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह खतरनाक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। यदि आप इसे बाधा उत्पन्न करने वाला समझते हैं, अच्छा हो कि आप शान्त रहें।

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : इनका विचार है कि समिति की बैठकों में बहुत-सी बातें हो सकती हैं, परन्तु सरकार एक अच्छा, अनुकूल और साथ ही न्यायपूर्ण निर्णय ले रही है। (व्यवधान)

श्री के० पी० सिंह देव : कुछ मामलों में, सरकार ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। यह निर्णय परामर्श और मूल्यांकन के आधार पर लिए जाएंगे। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है कि परामर्श और मूल्यांकन अनिवार्य नहीं हैं। अन्तिम निर्णय सरकार ही करेगी। इसलिए निर्णय नहीं लिए गए हैं और मैं सरकार को दिए गए सुझावों को सभा पटल पर रखे जाने का उदाहरण स्थापित नहीं करना चाहता।

उपाध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। मंत्री जी ने अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। इसलिए आपको आग्रह नहीं करना चाहिए। अतः इसे यहीं छोड़ दीजिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, जिम्मेदारी को कम करने में आपका कोई योगदान नहीं होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : बिल्कुल नहीं। मैं कह रहा हूं कि मंत्री जी ने कहा है कि निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यदि ऐसा है, तो हमें और कुछ नहीं कहना।

उपाध्यक्ष महोदय : जब निर्णय ले लिया जाए, तो आपको यह पूछने का अधिकार है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय क्यों लिया है। परन्तु मंत्री जी ने कहा है कि निर्णय नहीं लिया गया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, निर्णय ले लिया गया है। शायद आपने सुना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, मंत्री जी ने यह कहा है। जब वह ऐसा कह रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। यह रिकार्ड में है कि निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, आप कुछ देर से आए हैं। वस्तुएं भेजी जा चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री जी कह रहे हैं कि···

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, आप सुन रहे थे। शायद आप समझे नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। मतैक्य था या नहीं इस संबंध में सदस्यों का मत भिन्न हो सकता है। जो भी निर्णय लिया जाएगा परामर्श के आधार पर होगा··· परन्तु मंत्री जी ने कहा है कि उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया है। फिर यह पूछने का क्या उद्देश्य है कि बैठक में क्या बातचीत हुई ?

श्री के० पी० सिंह देव : मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। इस संबंध में सदस्यों ने जो भी पूछा है, और जो भी जानकारी देने में मैं समर्थ हूं, मैंने माननीय सभा को दे दी है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इतने अधिक सदस्य इकट्ठे बोलेंगे, तो मैं सुन नहीं सकूंगा। कृपया एक बार में एक ही सदस्य बोले।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : मैं अनुरोध करना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में है ? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में आपको अनुमति नहीं दे सकता···

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : यह इस सभा की कार्यवाही के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि किसी विशेष विषय सम्बन्धी जानकारी मांगे जाने पर भी, इस सभा के सभी सदस्यों को जानकारी प्राप्त करने तथा मंत्री जी से आवश्यक जानकारी की मांग करने का अधिकार प्राप्त है जब तक कि वह राष्ट्र की सुरक्षा के हित में हो अथवा वह रक्षा सम्बन्धी गुप्त जानकारी हो अथवा वह कुछ ऐसा हो जिसे मन्त्री जी अथवा सम्बन्धित व्यक्ति राष्ट्र के हितों के प्रतिकूल समझें।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले ही सब बातें स्पष्ट कर दी हैं। सदस्य जो भी चाहते थे, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है'' (**व्यवधान**) कृपया बैठ जाइए।

श्री जयपाल रेड्डी, आप कहिए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मुझे समाप्त करने दीजिए। हम मंत्रालय की किसी टिप्पणी के बारे में नहीं पूछ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : हम सरकार द्वारा गठित समिति के परिणामों के बारे में जानना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह पूर्वोदाहरण नहीं बन सकता। यह पूर्वोदाहरण कैसे हो सकता है ? वह केवल तर्क दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। (**व्यवधान**)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे माननीय साथी श्री उन्नीकृष्णन द्वारा पहले ही बहुत कुछ कह दिया गया है। हम संयुक्त राज्य अमरीका तथा फ्रांस दोनों में होने वाले भारत महोत्सव के विचार का स्वागत करते हैं। परन्तु जो बहुत ही दुखद बात है वह यह है कि प्रदर्शनी सम्बन्धी बातों को वे अत्यन्त गोपनीय रखना चाहते हैं। **स्टेट्समैन** में कल ही प्रकाशित-समाचार में संवाददाता ने बताया है कि उसे वायुयान द्वारा तथा जलयानों द्वारा संयुक्त राज्य अमरीका में भेजी गई कलाकृतियों के चित्र खींचने से रोका गया था।

मैं माननीय मंत्री महोदय जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्यों सरकार और इससे संबंधित अधिकारी सभी मामलों को गुप्त रखने का प्रयास क्यों कर रहे हैं। अभी मेरे माननीय मित्र श्री उन्नीकृष्णन् ने बताया है कि किस प्रकार मन्दिर से मूर्ति हटाई गई थी। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी ने इसे स्वीकार नहीं किया परन्तु समाचार पत्र में यह बात प्रकाशित हुई है। आप तमिलनाड से आए हैं। यह समाचार हिन्दू में प्रकाशित हुआ है। इस समाचार से वहां उत्तेजना फैल गई है। मैं 11 अप्रैल के हिन्दू से उद्धृत कर रहा हूं। यह निम्न प्रकार है :—

> ''कांची कामाकोटी पीठम के श्री जयेन्द्र सरस्वती ने जिला तंजावूर के गांव परियियार के मन्दिर से कुछ देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को हटाकर अमरीका में प्रदर्शनी में भेजने

पर खेद व्यक्त किया और सरकार से इस प्रकार के कार्य न करने के लिए कहा, जिससे इन देवी-देवताओं की प्रतिमाओं की पवित्रता भंग होती है।"

अत: मंत्री जी को बताना चाहिए कि क्या यह मूर्तियां मन्दिर से हटाई गई हैं अथवा नहीं, क्या वह मात्र इस तथ्य का उल्लेख कर रहे थे कि वह मूर्तियां मन्दिरों से हटाकर अमरीका में नहीं भेजी गईं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यह मूर्तियां मन्दिर से हटाकर दिल्ली लाई गई हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मेरा विचार है कि वह दोनों में सूक्ष्म भेद करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले तो पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 की धारा 19 की उपधारा 7 के अधीन मन्दिर से मूर्ति हटाने का किसी के पास अधिकार नहीं है। यह निम्न प्रकार है :—

अत: मैं चाहता हूं कि मन्त्री महोदय स्पष्ट करें कि यह मूर्तियां मन्दिर से कैसे हटाई गई थीं। मन्त्री द्वारा पढ़ी गई रिपोर्ट में उन्होंने स्वीकार किया था कि प्रारम्भ में 441 वस्तुओं की सूची तैयार की गई थी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सूची में सारनाथ में बुद्ध की मूर्ति और राष्ट्रपति भवन के बुद्ध की मूर्ति शामिल है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी वस्तुएं भी सूची में शामिल की जा सकती हैं। क्या इस सरकार को इन अमूल्य वस्तुओं के मूल्य का कोई अनुमान है।

मैं केवल 19वीं सदी में कार्लाइल द्वारा दिए गए प्रसिद्ध वक्तव्य की याद दिला रहा हूं। उसने कहा था कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य और शेक्सपीयर के बीच चयन हो तो वह सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य को प्राथमिकता देगा। आपको अवश्य याद होगा कि कार्लाइल उपनिवेशवाद का बहुत बड़ा समर्थक था और कार्लाइल ने यह वक्तव्य उस समय दिया था जब ब्रिटिश साम्राज्य का गौरव अपनी पराकाष्ठा पर था। इसलिए, क्या सारनाथ के बुद्ध को प्रारम्भ में सूची में शामिल किया जा सकता था। उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि वह टेरा-कोटा कलाकृतियां कौन सी थीं जिन्हें अमरीका भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों का प्रचलन है, जब भी प्रदर्शनी लगती है ऐसी वस्तुओं को भेजा जाता है। अभी श्री उन्नीकृष्णन् ने बताया है कि किस प्रकार पैरिस संग्रहालय ने कुछ वस्तुओं को देने से इन्कार कर दिया।

श्री के० पी० सिंह देव : उन्होंने इस बात का उल्लेख कब किया है? उन्होंने कभी इसका उल्लेख नहीं किया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : उन्होंने मोनालीसा का उल्लेख किया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैंने भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के वक्तव्य का उल्लेख किया है। उन्होंने उस समय के फ्रांस के प्रधान मन्त्री से अनुरोध किया था और डा० नुरूल हसन उस समय शिक्षा मन्त्री थे।

श्री के० पी० सिंह देव : क्या आपने किसी वक्तव्य का उल्लेख किया है? मुझे खेद है कि आपने किसी वक्तव्य का उल्लेख नहीं किया।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : वह चाहते थे कि विदेश में प्रदर्शनी हो, जहां मोनालीसा का प्रदर्शन हो।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें

अमरीकी संग्रहालय, स्मिथ सोनियन संग्रहालय की इस परम्परा की जानकारी है कि वह अपनी वस्तुओं को कहीं भी प्रदर्शन के लिए नहीं भेजते।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। नियम 197(2)के अन्तर्गत एक सदस्य को केवल एक प्रश्न पूछने की ही अनुमति दी जाती है और मन्त्री के वक्तव्य पर बहस नहीं की जाती है। माननीय सदस्य दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं। इसके बारे में आपका क्या निर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। वे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : विशेषज्ञों के द्वारा दी गयी राय के बारे में उन्होंने सभा को विश्वास में नहीं लिया। वे सभा को जानकारी देने से इंकार नहीं कर सकते या कोई जानकारी रोक भी नहीं सकते जब तक कि किसी जानकारी का सभा में दिया जाना 'राज्य' के लिए हानिकर न हो। मैं 'राज्य' शब्द का प्रयोग राजनीति-शास्त्र को ध्यान में रखते हुए कर रहा हूं। मैं सभा को यह जानकारी देना चाहता हूं कि इस समिति के विशेषज्ञों में से कुछ ने तो यह राय दी ही होगी कि कुछ कलात्मक मूर्तियां बिल्कुल भी नहीं भेजी जानी चाहिए। मंत्री महोदय को चाहिए कि सभा को यह बताएं कि विशेषज्ञों ने ऐसी कोई राय दी थी या नहीं। मंत्री महोदय ने अभी-अभी यह बताया है कि सरकार अभी भी विशेषज्ञों की राय पर विचार कर रही है। यह सम्भव नहीं है कि जिन 76 मूर्तियों को भेजा जा चुका है उनके बारे में विशेषज्ञों की राय पर सरकार अब विचार नहीं कर सकती। क्या सरकार ने उन मूर्तियों के बारे में कोई निर्णय लिया है ? क्या सरकार ने उन्हें बिना निर्णय के ही अमरीका भेज दिया ? महोत्सव समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ? महोत्सव समिति की बैठक कितनी बार होती है ? क्या सभी निर्णय समिति का अध्यक्ष ही लेता है ? क्या इनमें वृषभ वाहन मूर्ति, किशवाहक देवर युग्म के अतिरिक्त इसमें चौला की कांस्य मूर्ति भी शामिल है ? इन कलाकृतियों के बारे में सरकार की क्या राय है ?

श्री के० पी० सिंह देव : पूरी रामायण सुनने के बाद यदि वे यह पूछें कि सीता कौन थी तो इतना विस्तृत ब्यौरा बेकार ही रहा। बहरहाल मैं कुछ उन मुद्दों के बारे में उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जिन्हें पहले नहीं उठाया गया है।

मैं एक बार फिर दुहराना चाहता हूं कि सरकार लोगों की भावना की कद्र करती है फिर चाहे वे दक्षिण भारत के हों या उत्तर भारत के या पूरे भारत के या विशेषज्ञ हों। उन्होंने कहा कि कुछ मूर्तियां हटाई गयी हैं। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, भारतीय मूल के विशेषज्ञ, जो विदेशों में रहते हैं, यहां आए हैं। विभिन्न संग्रहालयों के क्यूरेटर भी आए हैं। उन्होंने कुछ कलाकृतियों, चित्रों आदि को चुना है। किन्तु ऐसा नहीं है कि उनके कहते ही ये कलाकृतियां हम उन्हें दे रहे हैं। सरकार हर कलाकृति पर उसके महत्व के आधार पर विचार कर रही है। उसे विशेषज्ञ समिति से मार्गदर्शन भी प्राप्त हो रहा है। और फिर तीन-चार आधारभूत सिद्धान्त भी तो हैं जिन पर किसी कलात्मक वस्तु ले जाए जाने या नहीं ले जाए जाने के बारे में अन्तिम निर्णय लिए जाने से पहले विचार किया जाता है। यदि कोई कलात्मक वस्तु या चित्र अपने किस्म का एकमात्र ही हो तो सामान्यतः उसे नहीं जाने दिया जाता है। किन्तु कोई कलाकृति यदि लंदन और जापान गई हो, तो वह तीसरे देश में भी जा सकती है। और कुछ मामलों में सरकार इस बात से सहमत भी है।

दूसरी बात यह है कि संरक्षण और टूटने-फूटने की दृष्टि से मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के

उत्तर में शुरू में ही बताया था। यदि माननीय सदस्य सजग होते तो उन्हें यह पता लग गया होता कि जो मुद्दे वे इस समय उठा रहे हैं उनके बारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं। तीसरी बात यह है कि उन्होंने पूछा है कि क्या हम वृषभ वाहन और किशावाहवा देवर युग्म को बाहर भेजना चाहते हैं या नहीं। जैसा कि मैंने बताया सरकार अब भी इनके बारे में विचार कर रही है। फिर महोदय, उन्होंने यह भी कहा है कि 70 व 80 कलाकृतियां तो बाहर जा भी चुकी हैं, उनका यह कहना सभा को गुमराह करना है। जो पहले ले जाई जा चुकी हैं उनके बारे में सरकार विचार नहीं कर सकती, सरकार उन्हीं के बारे में विचार करेगी जो अभी देश में ही हैं। विचार किए जाने के बाद वे बाहर जाएंगी या नहीं जाएंगी। सरकार द्वारा विचार किए जाने से पहले किसी कलात्मक वस्तु या चित्र के बाहर जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मंत्री महोदय अपनी बात में खुद ही सुधार कर रहे हैं। उन्होंने बताया है कि विशेषज्ञों द्वारा दी गयी राय पर वे अभी भी विचार कर रहे हैं, क्या उनका अभिप्राय यह है कि 76 बहुमूल्य कलात्मक मूर्तियां सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले ही अमरीका भेजी जा चुकी हैं?

श्री के० पी० सिंह देव : यदि वे समझ नहीं सकते तो महोदय, मैं कह ही क्या सकता हूं? मैं अंग्रेजी का प्राध्यापक तो हूं नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इस तरह तो मुझे ही अंग्रेजी का प्राध्यापक होना चाहिए क्योंकि मैं भी तो उन्हें अपनी बात समझा नहीं पा रहा हूं।

श्री के० पी० सिंह देव : यह मेरी मातृभाषा तो है नहीं। बहरहाल वे यही जानना चाहते हैं कि भारत महोत्सव समिति में कौन-कौन हैं। ऐसी तीन समितियां हैं। यदि वे चाहते हैं तो मैं उन सब के नाम पढ़ देता हूं। एक समिति अमरीका में है, एक फ्रांस में तथा एक समिति भारत में है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप चाहें तो सम्बन्धित जानकारी सभा पटल पर रख दें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : अधिनियम के उल्लंघन के बारे में आपकी क्या राय है?

श्री के० पी० सिंह देव : कैसा उल्लंघन? हम किसी अधिनियम का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार ने कोई चीज नहीं हटाई है, उसने किसी अधिनियम का उल्लंघन नहीं किया है·····(व्यवधान)।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव लाया जा सकता है। मैंने मन्दिर से मूर्ति हटाए जाने और अमरीका भेजे जाने में अंतर किया है। सम्भव है यह मूर्ति अमरीका नहीं भेजी गई हो। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उसे मन्दिर से भी नहीं हटाया गया होगा?

उपाध्यक्ष महोदय : उसे नहीं हटाया गया है, यही तो वे कह रहे हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : भारत सरकार ने कोई भी वस्तु कहीं से भी नहीं हटाई है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यदि भारत सरकार ने नहीं हटाया है, तो उसे पद्मनिपुर मंदिर से किसने हटाया है?·····(व्यवधान)।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : आप लोक सभा के सदस्यों की एक समिति गठित करें जो वहां जाए और जांच करे·····(**व्यवधान**)।

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग सब बैठ जाइए।

श्री के० पी० सिंह देव : महोदय, एक बात है जिसका मैंने उत्तर नहीं दिया, उसके बारे में मैं अब उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने स्टेट्समैन के एक वक्तव्य का हवाला दिया है। मुझे खेद है कि यह सत्य नहीं है। समाचार पत्र में छपी हर बात सच नहीं हो सकती। वस्तुतः किसी को भी किसी का फोटो खींचने से रोका नहीं गया था। मुझे बताया गया था कि जब उन्हें फोटो लेने का पूर्वाभ्यास करने के लिए कहा गया था, तब उन्होंने ऐसा करने से इन्कार कर दिया था, उन्होंने साफ-साफ इन्कार कर दिया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक भी फोटो खींचने की इजाजत नहीं दी गयी थी।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : किसने इन मूर्तियों को मन्दिर से हटाया है ?··· ··(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जो कहना चाहते हैं वही कहें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, सबसे पहले तो मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने यह समाचार तो पढ़ा ही होगा कि बिना 'राम' के ही रामनवमी का समारोह सम्पन्न हुआ। इसका उन्नीकृष्णन् जी ने भी हवाला दिया है। आपने यह समाचार भी पढ़ा होगा कि शंकराचार्य जी ने भी मन्दिर से मूर्ति हटाए जाने की निन्दा की है। आज तक सरकार ने इसका खंडन नहीं किया है, यहां तक कि अब भी मंत्री महोदय ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। वह सिर्फ यही कहते हैं कि सरकार ने कोई चीज नहीं हटाई।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : इसी विषय पर प्रो० चिदम्बरम कल प्रश्न पूछेंगे···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं दे सकता। आप सब लोग बैठ जाइए। श्री रेड्डी जरा बताइएगा कि आप और क्या स्पष्टीकरण चाहते हैं?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने मंदिरों से किसी मूर्ति के हटाए जाने से बिल्कुल साफ-साफ इन्कार नहीं किया है। मैंने भी इस सम्बन्ध में कानूनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने बताया है कि सरकार ने मन्दिर से कोई मूर्ति नहीं हटाई है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : सरकार यह काम नहीं करती है। यह तो महोत्सव समिति ने हटाई हैं।

श्री के० पी० सिंह देव : महोत्सव समिति ने भी ऐसा नहीं किया है और सरकार ने भी कहीं से कुछ भी नहीं हटाया है। जिन संस्थाओं का इन पर नियंत्रण है उन्होंने ही यह काम किया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : वे कह रहे हैं कि मन्दिर के कार्यकर्त्ताओं ने ही उसे उनके हवाले किया था।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वे कहते हैं कि संस्थाओं ने ही यह किया था।

उपाध्यक्ष महोदय : आप किसी खास समिति की ही बात कर रहे हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं अमरीका में प्रदर्शनी के लिए भेजे जाने के वास्ते मन्दिर से मूर्तियों के हटाए जाने के बारे में कह रहा हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : दरअसल बात यही है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे यह कह रहे हैं कि मूर्ति या कोई चीज, जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं, न तो समिति ने और न ही सरकार ने हटायी है। यह बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : जी नहीं, यह बात स्पष्ट नहीं है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उन्हें मानना पड़ेगा कि उसे वहां से हटाया गया है या नहीं। असली प्रश्न तो यह है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप भारत-समारोह के बारे में प्रश्न कर रहे हैं और आपने पूछा है कि सरकार ने मूर्तियां हटाई हैं या नहीं। वे कहते हैं, नहीं हटाई।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि भारत सरकार ने नहीं हटाया तो किसने हटाया है? मंत्री महोदय को यह बताना ही पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बड़ी आसान-सी बात है, किन्तु आप समझ ही नहीं रहे। ध्यानाकर्षण में मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। बस अब इसे यहीं समाप्त करिए। अब हम अगले प्रश्न पर विचार करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब और आगे चर्चा नहीं होगी। मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा, कृपया बैठ जाइए।

श्री सी० सिंगरावडीवेल (तंजावूर) : पल्लियूर मन्दिर से देवताओं की मूर्तियां हटाए जाने के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि देवताओं की कुछ मूर्तियां सुरक्षा के लिए अलग रखी गई हैं। मेरे ख्याल से केवल वही हटायी गई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसके बारे में और आगे चर्चा नहीं होने देना चाहता। आप सभी अब बैठ जाइए। अब हम अगले विषय पर विचार करेंगे। अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान को लेंगे। श्री दिग्विजय सिंह।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्य महोदय बोल रहे हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी बैठ जाएं।

1.24 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

(—जारी)

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(—जारी)

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ऐसे विषय पर ध्यान केन्द्रित

करना चाहता हूं जो मेरे विचार में इस देश के भविष्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह विषय जनसंख्या वृद्धि के बारे में है।

अपनी टिप्पणियां देने से पहले मैं यहां बैठे सभी सदस्यों से एक विशिष्ट प्रश्न पूछता हूं कि हममें से कितने सदस्यों ने चुनावों में प्रचार करते समय जनसंख्या नियंत्रण का विषय उठाया था? ढाई मास पहले लगभग 4,000 प्रत्याशी संसदीय चुनावों में उम्मीदवार थे; और उसके बाद फरवरी-मार्च के महीनों में हमारे देश में लगभग 25,000 प्रत्याशी विधान सभा चुनावों के लिए खड़े हुए थे।

1.25 म० प०

(श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए)

इसलिए, 25,000 प्रत्याशियों ने विधान सभा के लिए और 4,000 प्रत्याशियों ने संसद के लिये चुनाव लड़े, और मैं यह पूछना चाहूंगा कि किसी भी दल से सम्बन्ध रखने वाले इन प्रत्याशियों में से कितने प्रत्याशियों ने देश के समक्ष आए इस अत्यन्त नाजुक मामले, जनसंख्या के मामले को उठाया था। मैं यह नहीं जानता कि अन्य लोगों ने ऐसा किया, और यदि उन्होंने ऐसा किया तो क्या मैं केवल सरकार से ही नहीं बल्कि इस देश की समस्त जनता से पता लगाने और आत्म-निरीक्षण करने के माध्यम से यह पूछ सकता हूं कि उन्होंने इस मामले में किस हद तक निष्ठा बरती है। हम कहते हैं कि परिवार नियोजन कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है। यह ठीक है, जनता की महत्वाकांक्षाएं, समाज का लोकाचार चुनाव के दौरान पता चलते हैं और यदि हम चुनाव प्रचार करते समय इस मामले को नहीं उठाते तो मैं व्यक्तिगत रूप से यह महसूस करता हूं कि हम चाहे किसी भी स्थान से चुने जाएं हम इस मामले पर आचरण नहीं करते हैं। यदि आप चुनाव प्रचार करते समय इसके बारे में बात नहीं करते तो चुनावों के बाद किसी भी मामले के बारे में अत्यधिक विशेषज्ञता के साथ बात करने का क्या लाभ है? इसमें दोष किसका है। मेरे विचार में यह वह समय है जब हमें आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति, जो समाजसेवी है, को आत्म-निरीक्षण करने का अवसर मिला है। मुझे इस बात का प्रयास करना चाहिये और इस समस्या की गम्भीरता बतानी चाहिए। हमने 33 वर्ष पहले 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था और जब हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो उस समय हमारी जनसंख्या की दर में शुद्ध वार्षिक वृद्धि लगभग 1.25 प्रतिशत थी। मैं इस बात से सहमत हूं कि जन्म दर की तुलना में मृत्यु दर काफी अधिक थी और जन्म दर 45 व्यक्ति प्रति हजार हो सकती है, लेकिन शुद्ध वार्षिक वृद्धि की दर 1.25 प्रतिशत थी, क्योंकि मृत्यु दर अधिक थी। आज यह सम्भावना है कि जन्म दर 45 व्यक्ति प्रति हजार से कम होकर 36 व्यक्ति प्रति हजार हो गई हो, लेकिन साथ-ही-साथ आधुनिक दवाइयों के कारण हमारी मृत्यु दर भी घट कर 13 व्यक्ति प्रति हजार हो गई है। इसलिए हमारी शुद्ध वार्षिक वृद्धि दर बढ़ कर आज 2.2 प्रतिशत हो गई है—परिवार नियोजन के 33सवें वर्ष के अन्त में यह 2.2 प्रतिशत हो गई है। यह स्थिति आज हमें कहां ले जा रही है? मेरे पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिए गए आंकड़े मौजूद हैं और उनसे हमें पता चलता है—मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है, उन्होंने जी-जान से काम किया है। मेरे विचार में आज की परिस्थितियों और ढांचे के अन्तर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्य-निष्पादन के खिलाफ मुझे कोई शिकायत नहीं है। यद्यपि उन्होंने जी-जान से काम किया है, लेकिन निष्कर्ष को देखिए, परिणाम

को देखिए। आज हमारी जनसंख्या 74 करोड़ तक पहुंच गई है—ये आज के आंकड़े हैं। और अनुमान है कि इस शताब्दी के अन्त तक यह संख्या कहीं लगभग 97 करोड़ हो जाएगी। हमारी योजना है कि जन्म दर और मृत्यु दर समान हो जाए। जिसका तात्पर्य है एक औरत के स्थान पर एक औरत, यह एक औरत को एक ही बच्चा पैदा होने की दर है। यदि हम एक औरत को एक ही बच्चा पैदा होने की दर प्राप्त कर लेते हैं तो उसके बाद जनसंख्या विस्फोट को कुछ सीमा तक नियंत्रण में लाया जा सकता है और जितना जल्दी हम इस लक्ष्य तक पहुंचें उतनी ही जल्दी हम शून्य वृद्धि लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि एक औरत से एक ही बच्चा पैदा होने की दर सन् 2000 ईस्वी तक प्राप्त कर ली जाएगी। मेरी अपनी गम्भीर आशंकाएं हैं क्योंकि आज हमारी जन्म दर 36 व्यक्ति प्रति हजार है और जब तक आप अपनी जन्म दर को कम करके 21 व्यक्ति प्रति हजार तक नहीं लाएंगे कोई भी व्यक्ति एक औरत से एक ही बच्चा होने की दर तक नहीं पहुंच सकता। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या कोई व्यक्ति इस बात पर विश्वास करता है कि 15 वर्षों के दौरान जन्म दर 36 व्यक्ति प्रति हजार से कम होकर 21 व्यक्ति प्रति हजार तक हो सकती है? मुझे भारी सन्देह है। मैं महसूस करता हूं कि यह एक औरत से एक ही बच्चा होने की दर कम से कम सन् 2010 तक, यदि नहीं, तो 2015 ईस्वी तक कम नहीं होगी। इसका तात्पर्य है, जन्म दर ठीक 2010 अथवा 2015 से पहले 21 व्यक्ति प्रति हजार तक कम नहीं होगी। यदि यह होता है तो ऐसी आशा है कि जिस समय तक हम 21 व्यक्ति प्रति हजार की दर तक पहुंचेंगे जनसंख्या की भावी विकास दर 100 करोड़ अथवा 110 करोड़ तक बढ़ जाएगी।

यहां तक कि सरकारी सांख्यिकीय विभाग यह महसूस करता है कि 22सवीं शताब्दी से से पहले हम शून्य विकास दर तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारी जनसंख्या 140 करोड़ तक पहुंच जाएगी। मैं महसूस करता हूं कि यह एक बहुत ही आशावादी आंकड़ा है। विश्व बैंक के आंकड़े कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 180 करोड़ पर स्थिर हो जाएगी। अब, यदि हमारी जनसंख्या 140 तथा 180 करोड़ के बीच कहीं पर स्थिर हो जाती तो क्या हम इस विस्फोटक स्थिति के असर का अनुमान लगा पायेंगे, जो मेरे विचार में किसी अन्य समस्या, जिसका देश सामना कर रहा है, की तुलना में अधिक विस्फोटक और खतरनाक है? हमारे जीने के तरीके, जनता को नागरिक सुविधाएं प्रदान करने की हमारी पद्धति प्रभावित होगी। वातावरण पर पड़े प्रभाव का तात्पर्य होगा वनों का विनाश, घास वाली जमीन की अधिक से अधिक कटाई, भूमि का कटाव आदि। इसके अलावा, जनसंख्या के इस विस्फोट के प्रभाव के बारे में इस देश के शहरी आवास पर भी नजर डालिए। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2000 में विश्व के सबसे बड़े 10 शहरों में से 3 सबसे बड़े शहर भारत में होंगे और यह भी अनुमान है कि इन शहरों की आधी जनसंख्या गन्दी बस्तियों में रहेगी। यह बात अकेले इन शहरों तक सीमित नहीं है। इस देश का सम्पूर्ण शहरी वर्णक्रम, सम्पूर्ण शहरी जिन्दगी गन्दी बस्तियों की जनसंख्या की प्रतिशतता तथा अनधिकृत कालोनियों की प्रतिशतता अधिकाधिक बढ़ रही है। मैं महसूस करता हूं कि अब वह समय आ गया है जब हमें कुछ कदम उठाने हैं, जो निश्चित रूप से सख्त होंगे। मैंने संविधान में संशोधन करने का एक विधेयक पेश किया है जिसके द्वारा हमें यह सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक उपबन्ध बनाने पड़ेंगे कि जनसंख्या का यह विस्फोट इस देश के सम्पूर्ण भविष्य को अन्धकार में न डाले और जिससे अगली पीढ़ी अथवा सम्भवतः उसके बाद की पीढ़ी यह महसूस

करेगी कि दो पीढ़ी पहले किस प्रकार के वहशी लोग रहते थे जो उस समय जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कदम उठाने के बारे में नहीं सोच सकते थे।

मैं यह भी महसूस करता हूं कि यह सुअवसर है कि आठवीं लोक सभा जनसंख्या वृद्धि को सरकार की योजना से ही पहले नियंत्रित करने के लिए कठोर निर्णय ले।

मैं सभा का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे इस मामले पर संविधान में संशोधन के बारे में चर्चा करते समय बात करने का अवसर मिल जाएगा। लेकिन मैं आशा करता हूं कि इस देश का प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि, चाहे वह सांसद है अथवा विधान सभा का सदस्य है अथवा महानगर पार्षद है, अथव पंचायत का सरपंच है, मजबूत तथा पक्का वचन देगा और इस मामले में वचनबद्ध होगा और यह देखेगा कि समाज के नेता के रूप में उसका कार्य निष्पादन ऐसा हो जो एक उदारण बन जाए। मुझे आशा है कि यह चेतावनी सरकार की आंखें खोल देगी।

श्री एस० कृष्ण कुमार (क्विलोन) : सभापति महोदय, मैं मांगों का समर्थन करता हूं। मैं परिवार कल्याण विभाग के परिव्यय में छठी योजनावधि के दौरान 160 करोड़ रुपये के औसत वार्षिक परिव्यय को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक करने का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के प्रगतिशील और दूरदर्शी प्रशासन द्वारा जनसंख्या के मामले को इतना अधिक महत्व दिया गया है और इस काम के लिए पहले से तीन गुना अधिक राशि दी गई है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक संख्या की दृष्टि से एक नए भारत का जन्म हुआ है क्योंकि हमारी जनसंख्या दुगुनी होकर 70 करोड़ हो गई है, जनसंख्या में प्रति वर्ष 13 करोड़ की वृद्धि हो रही है जो आस्ट्रेलिया के समस्त महाद्वीप की जनसंख्या के बराबर है। जनसंख्या के मोर्चे पर हमारा कार्य-निष्पादन, आर्थिक विकास और वास्तविक आय की बढ़ोतरी के लाभप्रद प्रगतिशील उत्थान की उपलब्धि तथा अनुपलब्धि के बीच के अन्तर को बताएगा। यह निश्चित करेगा कि क्या हम गरीबी और दरिद्रता के खिलाफ अपनी लड़ाई में सफल होंगे। अन्ततोगत्वा यह हमारी राष्ट्रीय भक्तिव्यता को निर्धारित करेगा।

भारत परिवार नियोजन के लिए विश्व में सरकारी कार्यक्रम वाला प्रथम देश था। यह कार्यक्रम योजनाओं के साथ आगे बढ़ा है और हम अब तक लगभग 6 करोड़ बच्चों के जन्म को रोकने में सफल हुए हैं। हमारे द्वारा प्राप्त 1.9 प्रतिशत विकास दर एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देशों की विकास दर की तुलना में काफी अच्छी है। लेकिन हम चीन और सिंगापुर जैसे कुछ छोटे देशों से काफी पीछे हैं। हम जनसंख्या नियंत्रण सम्बन्धी अपने लक्ष्यों की पूर्ति में निरन्तर पिछड़ते जा रहे हैं। यदि हमने वर्तमान जन्म दर लक्ष्य को सन् 2000 ईस्वी तक प्राप्त करना है तो हमें 10 करोड़ दम्पत्तियों को परिवार नियोजन स्वीकृत करने के लिए तैयार करना होगा।

सातवीं योजना के कार्यकारी दल ने यह निश्चय किया है कि हमने सातवीं योजनावधि में 4 करोड़ 30 लाख लोगों की नसबन्दी के लक्ष्य को प्राप्त करना है। यदि यह सरकार परिणाम को ओर देखती है तो मैं मन्त्रालय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर गम्भीरता से विचार करें कि हम जनसंख्या के व्यापक उद्देश्य को किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस कार्यक्रम को तीन मुख्य त्रुटियों के कारण नुकसान पहुंचता है। पहले, इस कार्यक्रम के चार मुख्य

पहलुओं अर्थात् प्रचार, व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रेरित करना, प्रोत्साहन तथा सेवाओं के बीच कार्य करने हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त सम्पर्क नहीं है। 10 करोड़ पात्र दम्पत्तियों में प्रत्येक जोड़े को जानकारी दी जानी है और उन्हें नसबन्दी के लिए राजी करना है। इस सम्पर्क का बहुत अधिक अभाव है। दूसरे, यह अभी भी पर्याप्त रूप से नौकरशाही का कार्यक्रम है और इस बात के लिए किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है कि इस कार्यक्रम में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल करने के लिए कुल 500 करोड़ रुपयों में से इस वर्ष बजट में केवल 1.5 करोड़ रुपए की ही मामूली धनराशि निर्धारित की गई है जो 0.3 प्रतिशत से भी कम बैठती है। स्वैच्छिक एजेंसियों को इस कार्य में लगाने के लिए तैयार करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है।

तीसरी बात विद्यमान तंत्र का उपयोग बहुत कम हो रहा है। देश में 75,000 परिवार कल्याण केन्द्र और उपकेन्द्र या सुविधा केन्द्र है और इस कार्यक्रम में लगभग 10 लाख वेतन प्राप्त चिकित्सा कर्मचारी, सह-चिकित्सा कर्मचारी, ग्रामीण गाईड प्रशिक्षित दाइयां तथा बहुउद्देशीय कर्मचारी लगे हैं।

यदि एक परिवार कल्याण केन्द्र तीन दिन में एक परिवार को परिवार नियोजन के लिये प्रेरणा दे सकता है या एक कर्मचारी, जिसे राजकोष में से वेतन दिया जाता है, 43 दिन में एक दम्पति को परिवार सीमित करने हेतु मनवा लेता है तो हम अपनी सातवीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से सक्षम होंगे।

अत: इस कार्यक्रम की सफलता की कुंजी एक जन-आन्दोलन आरम्भ करने और कार्यक्रम का बेहतर प्रबन्ध करने में विहित है।

गांव स्तर पर महिला मण्डल, युवा क्लब, अध्यापक ग्राम पुस्तकालय, देशी चिकित्सक और अन्य एजेंटों को इस कार्यक्रम में लगाना पड़ेगा। एक औसत भारतीय गांव की आबादी केवल 1000 होती है और इसमें 160 दम्पति परिवार नियोजन के पात्र होते हैं। अनेक गांवों में सफलता संभव है।

मैं 2 जनवरी, 1984 के स्टेट्समैन का उद्धरण देता हूं :—

> "राजस्थान के सीकर जिले में अखेलपुरा गांव के 60 घरों के समस्त पात्र दम्पतियों ने अपनी नसबंदी करवा ली है।"

बहुत से दूसरे ऐसे परिवार कल्याण गांव हैं जहां लगभग सभी दम्पति इस कार्यक्रम को स्वीकार कर रहे हैं। मेरे विचार से निचले स्तर पर चलाये जा रहे परिवार नियोजन के इस जन आंदोलन को साक्षरता, दहेज विरोधी अभियान, वृक्षारोपण, ग्रामीण विकास और रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए और इसको देश में चल रहे अन्य सामाजिक आर्थिक कार्यक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए। जन आन्दोलन के क्रियान्वयन के ढांचे को जड़ से लेकर, ब्लाक, जिला और राज्य स्तर पर तैयार करना चाहिए। मेरा प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक जनसंख्या परिषद होनी चाहिए जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री हों जो कार्यक्रमों की ऊपर से निगरानी करें हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जायेगा जो इसका सम्बन्धित मंत्रालय है क्योंकि परिवार नियोजन को चिकित्सा और बाल कल्याण से अलग नहीं किया जा सकता।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रत्येक अंग में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

हम इस वर्ष प्रचार माध्यमों पर 12 करोड़ रुपये खर्च कर रहे हैं। हमें इन घिसे पिटे प्रचार माध्यमों का सहारा छोड़ देना चाहिए। हम देश की सबसे बढ़िया व्यवसायिक और सर्जनात्मक प्रतिभाओं को संगठित करें और प्रचार माध्यमों सम्बन्धी प्रयासों के लिए आधुनिक वी० सी० आर० दूरदर्शन और दूसरी नई संचार टेकनोलोजी का भी उपयोग करें। नसबंदी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 रुपये से बढ़कर 150 रुपये हो गई है लेकिन यह अभी भी चीन जैसे देशों में दी जा रही प्रोत्साहन राशि के 100वें भाग से भी कम है। उदाहरण के लिए चीन में, पात्र दम्पति, जो परिवार नियोजन करते हैं, को रियायती दर पर आवास और पूरी जीवन भर के लिए बड़ी राशि की वृत्तियां दी जाती हैं। प्रबन्ध और संचार संबंधी कुशलताओं और दृष्टिकोणों में सुधार लाने हेतु बड़ी संख्या में कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। लेपरोस्कोपी जैसी पद्धतियों के लिए पर्याप्त उपकरणों की आवश्यकता है। नसबंदी करने के लिए चल एकक या माडयूल या तो हमें स्वयं निर्मित करने चाहिए या उनका आयात करना चाहिए जो देश के दूर-दराज के गांवों में नसबंदी और अन्य सेवाएं सुरक्षित ढंग से प्रदान करवा सकें।

कार्यक्रम की दिशा में गुणात्मक परिवर्तन कर बच्चों के जन्म में अन्तर रखने की पद्धति को अपनाए जाने की आवश्यकता है। इस पद्धति को अभी केवल 5.5 प्रतिशत दम्पति अपना रहे हैं। इससे केवल उनकी सुरक्षा ही होती है। छोटी उमर के दम्पतियों द्वारा परिवार नियोजन स्वीकार करने के प्रयोजन से स्पेसिंग पद्धति का महत्व विशेष रूप से प्रासंगिक हो जाता है।

मैं कॉपर टी-200 में आई० यू० डी० के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए मंत्रालय को मुबारकबाद देता हूं। यह प्रभावोत्पादक है और व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। आई० यू० डी० पद्धति की स्वीकृति पिछले दो वर्षों में 70 हजार से बढ़कर 30 लाख हो गई हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे आवश्यक 40 लाख कॉपरटी का सार्वजनिक क्षेत्र के हिन्दुस्तान लेटेक्स के तत्वावधान में आयात करने की बजाय उसका निर्माण देश में करने के लिए गंभीर रूप से विचार करें।

मेरी सरकार से यह विनती भी है कि और विलम्ब किये बिना अमेरिका से सहायता प्राप्त गर्भनिरोधक विपणन संगठन परियोजना को क्रियान्वित किया जाये।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से मेरा कहना है कि वे कृपया गर्भ निरोधक इन्जेक्शन और सबडरमल इमप्लान्ट्स की नई टेकनोलोजी को शुद्ध करने में तेजी लायें जिनसे परिवार कल्याण सेवाएं प्रदान करने और उनके स्वीकार किए जाने में भारी परिवर्तन आएगा। मंत्रालय को अपना ध्यान चार राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश की ओर देना चाहिए जिनका ढीला कार्य-निष्पादन संपूर्ण कार्यक्रम को पीछे की ओर घसीट रहा है।

कुछ शब्द जनसंख्या शिक्षा पर भी, जिसके विषय में हम इतनी चर्चा करते रहते हैं। ईरान जैसे रूढ़िवादी मुस्लिम देशों ने भी अपने उच्चतर माध्यमिक स्कूलों और कालेजों में परिवार नियोजन शिक्षा अनिवार्य रूप से शुरू की है। जैसे-जैसे बालक बड़ा होकर प्रजनन करने की उम्र में प्रवेश करता है हमें उसे वैसे-वैसे व्यापक स्वास्थ्य और परिवार नियोजन की शिक्षा देनी शुरू करनी चाहिए।

अपने साथी सांसदों से भी कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मेरा साथी सांसदों से अनुरोध है, चाहे हम किसी भी दल से सम्बन्ध रखते हों, कि हम एक स्वर होकर अपनी आवाज उठायें और पूरे देश में अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में इस कार्यक्रम के लिए अपना पूरा समर्थन दें।

अंत में मैं माननीय मंत्री महोदया श्रीमती मोहसिना किदवई द्वारा की गई पहल का स्वागत करता हूं जिन्होंने सभी सांसदों को पत्र लिखे हैं और जीवन के हर क्षेत्र के व्यक्तियों से अपील की है कि कार्यक्रम को अधिक जन-आधारित बनाने के लिए और कार्यक्रम प्रबन्ध में सुधार लाने के लिए उपायों का पता लगाया जाये।

हम यह आशा करें कि अगले पांच वर्षों में परिवार नियोजन अभियान में आश्चर्यजनक वृद्धि होगी जिससे श्री राजीव गांधी, जो हमारे देश में एक आधुनिक समाजवादी कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए विकास कार्यक्रमों के सभी पहलुओं को कारगर बना रहे हैं और उन्हें भिन्न दृष्टिकोण से देख रहे हैं, के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण के प्रयत्नों को शान्ति प्राप्त होगी।

श्रीमती वैजयंती माला बाली (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, मैं यह कह कर भाषण शुरू करूंगी कि सेहत बड़ी सम्पत्ति है और केवल एक सेहतमंद आदमी ही हमारे समाज और देश के लिए एक सम्पत्ति है। सेहत क्या चीज है ? यह मनुष्य के शरीर में बीमारी का न होना नहीं है बल्कि शरीर में रचनात्मक ऊर्जा का होना है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि जब कोई कमजोर होता है तो उस पर विभिन्न बीमारियां जल्दी प्रभाव करती हैं और आसानी से तथा तेजी से बीमारी उसे पकड़ लेती है। भोजन में प्रोटीन से हमारी बीमारी का सामना करने की शक्ति बढ़ती है। चिकित्सा विज्ञान में यह प्रमाणित हो चुका है कि प्रोटीन की कमी से संक्रमण के विरुद्ध प्रतिरोध में गिरावट आती है। भारत जैसे देश ने ओलम्पिक में बहुत बुरा प्रदर्शन किया और इसका कारण यह नहीं है कि हमारे पास अच्छी प्रतिभाएं और अच्छे एथलीट नहीं हैं। हमारे आलोचकों ने ओलम्पिक के बाद विश्लेषण किया है और हमेशा प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी, अच्छे अभ्यास की कमी, प्रशिक्षित कोचों की कमी और ऐसे ही कारणों को दोष दिया है। लेकिन मैं यह कहूंगी कि इसका मुख्य कारण शक्ति (स्टेमिना) में कमी होना है। उस उत्कृष्ट स्थान पर, चोटी पर पहुंचने के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से तन्दुरुस्त होना चाहिये। हमारे एथलीटों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक न पहुंच पाने का कारण उनमें शक्ति की कमी है, वे अन्तिम चरणों में पहुंचते-पहुंचते थक कर चूर हो जाते हैं। मैं यह कहूंगी कि यदि हमारा दल शारीरिक रूप से तन्दुरुस्त हो तो वे अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। और वे उस बिजली की तेजी से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे और यदि एथलीटों में शक्ति है तो यह उन्हें लम्बी अवधि के लिए शारीरिक शुद्धता बनाये रखने में सक्षम बनाता है। यह शक्ति आहार में प्रोटीन की ऊंची मिकदार से आती है। मैं यह कह सकती हूं कि एक औसत भारतवासी का आहार घटिया होता है जिसमें प्रोटीन और विटामिन की कमी होती है, जिससे लाखों लोग बीमार पड़ जाते हैं। इसका इलाज क्या है ? बहुत कीमती दवाईयां इसका इलाज नहीं है और न ही अस्पताल और न ही डाक्टर ही इसका इलाज हैं। ये सब बाद में आते हैं। महोदय, पुरानी कहावत है इलाज से परहेज बेहतर है। हम अपने आहार के स्तर को पोषक तत्व, जो संतुलित हों, तथा जिनमें विटामिन, वसा और कारबोहाइड्रेट की बहुतायत हो, से युक्त कर उसे सुधारना होगा।

हमारे शहरी और ग्रामीण लोग दूषित जल, रुके हुए जल, फैले हुए कूड़े-करकट, खुले हुए गटरों और अनुपयुक्त गंदी नालियों के कारण रोगी हो जाते हैं। इन सबसे मच्छर, मक्खियां और चूहे पैदा होते हैं। मलेरिया, हैजा और पेट की आंतों की बीमारी (ग्रेसट्रो एनट्राइरिस) जैसी बीमारियां, जिनका पूरी तरह से उन्मूलन किया जा चुका था, फिर से तमिलनाडु, केरल और बंगाल में लौट आई हैं।

हमारे यहां पांच सितारा होटल होने के बावजूद कोई विदेशी हमारे पानी पर विश्वास

नहीं करता और वातित (ऐरेटेड) जल ही पीता है। उसे भय रहता है कि कहीं वह कोई उदर रोग ही न पकड़ ले। मैं समझती हूं कि यह शर्म की बात है कि हमारे पास साफ पेय जल भी नहीं है।

दूषित जल के कारण फाइलेरिया, मैनिंजाइरिस और ऐनसेफलाईरिस नामक दिमागी बुखार हो जाता है। ट्रेकोमा के कारण बच्चे और व्यस्क अन्धे हो सकते हैं और विटामिन 'ए' की कमी के कारण वे रतौंधी रोग से ग्रस्त हो सकते हैं।

दूसरी आम बीमारी कुष्ठ रोग है। यह रोग पूर्ण रूप से साध्य है बशर्ते कि इस रोग का निदान आरम्भ में ही कर लिया जाये और रोगियों की चिकित्सा पूरी तरह से की जाये। मैं यह सुझाव देना चाहूंगी कि इन रोगियों की देखभाल और पुनर्वास के लिए अलग से एक विभाग की स्थापना की जाये ताकि उन्हें हमारे समाज और देश की बहिष्कृत जातियों के समान घृणा की दृष्टि से न देखा जाये।

हमारी बेचारी महिलाएं बार-बार गर्भ धारण करने के कारण क्षय रोग और दमे की बीमारी का शिकार होती हैं। वे अस्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं जो भोजन में कैल्सियम की कमी के कारण सूखे के रोग से पीड़ित होते हैं। जिन रोगियों को बीमार होने से रोका जा सकता है उन रोगियों से हमारे अस्पताल भर जाते हैं।

श्रीमान्, हमारे निर्धन लोगों की कमाई डाक्टर की फीस देने और महंगी दवाइयां खरीदने में खर्च होती है। इसके प्रति सरकार का क्या कर्त्तव्य है? श्रीमान्, सरकार उपचारात्मक उपाय करने के बजाय निवारक उपायों को अपनाने के लिए पर्याप्त धन वितरित कर सकती है। आइये हम आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाकर सौर ऊर्जा और बायो गैस के धुआं रहित चूल्हे उपलब्ध कराकर निर्धन लोगों के जीवन को सुगम बनाएं जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और विशेष रूप से हमारी ग्रामीम महिलाओं की आंखें भी खराब नहीं होंगी। लकड़ी के बुरादे और भूसी को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए।

पशुओं का गोबर जैसे ऊर्जा के अपरम्परागत स्रोत लकड़ी और लकड़ी के कोयले का विकल्प हो सकते हैं जो बाद में लाभदायक उर्वरक राख में परिवर्तित हो जाता है। यह कार्यक्रम बड़े पैमाने पर शुरू किया जाना चाहिए।

प्रत्येक स्कूल को चाहे वह शहरी क्षेत्र में हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र में, आरंभिक अवस्था में बच्चों को स्वास्थ्य विज्ञान और स्वच्छता के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। मैं दांतों की देखभाल पर जोर देना चाहूंगी। दांतों के डाक्टर बहुत कम हैं और जो हैं भी, केवल शहरों में हैं। उनकी फीस बहुत अधिक होती है जिसे निर्धन लोग नहीं दे सकते। डा० सुशीला नायर ने एक बार सभा में कहा था कि 'यदि हम दांतों की देखभाल नहीं करेंगे तो हमारा देश दंतविहीन हो जाएगा।' श्रीमान्, मुझे भय है कि हमें राजनैतिक दंशमूल हो जायेगा और हमारा देश वास्तव में दंतविहीन हो जायेगा। देश में मुश्किल से 30 दांतों के कालेज हैं। सारे भारत में लगभग 125 चिकित्सा कालेज हैं। दो साल पहले तक दिल्ली में एक भी दंत-कालेज नहीं था। अब मैं परिवार नियोजन के संबंध में यह कहना चाहूंगी कि बीमारी का केवल एक कारण है और वह है बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण न होना। अनिवार्य सप्लाई बनाये रखने के लिए जनसंख्या हमारे सभी प्रयासों को विफल किए हुए है तथा यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की उन्नति में बाधक बनी हुई है।

जब तक हम इस समस्या का मुकाबला नहीं करते, तब तक इसका बढ़ना निश्चित है। बिना किसी जाति, रंगभेद तथा धर्म के परिवार नियोजन को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। दो बच्चों के बाद परिवार को सीमित रखने के लिए अनिवार्य उपाय किए जाने चाहिए।

मैं यह कहना चाहूंगी कि यद्यपि परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहन आदि दिए जाते हैं परन्तु देखभाल और उचित व्यवहार आवश्यक है। महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह भी आवश्यक है कि वर्ष के कुछ निश्चित महीनों में ऑपरेशन किये जायें। उदाहरण के तौर पर मई और जून खासकर दक्षिण में बहुत गर्म महीने होते हैं। मैं समझती हूं कि किसी भी प्रकार का ऑपरेशन इन महीनों में नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसे मामलों में सेप्टिक हो सकता है और जख्म को भरने में काफी लम्बा समय लगेगा।

अंत में मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगी कि परिवार नियोजन में केवल तभी सफलता मिल सकती है जब सभी व्यक्ति राष्ट्रीय हित में रचनात्मक हिस्सा लें। जैसा कि प्रधान मंत्री ने बताया है कि प्रत्येक संसद सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इस समस्या का समाधान कहां तक हुआ है। उन्हें इस पहलू पर विचार करना चाहिए और महिलाओं को परिवार को सीमित रखने की आवश्यकता के बारे में समझा सकें। निस्संदेह यह कार्य उनके पुरुषों की सहायता से होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को देखना चाहिए कि परिवार नियोजन भविष्य में एक वास्तविकता बन जाए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री सत्यगोपाल मिश्र (तामलुक) : श्रीमान्, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विरोध करता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के बजट पर चर्चा वर्ष 1982 में सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की पृष्ठभूमि में की जानी चाहिए। यह सर्वविदित है कि सरकार ने अपनी स्वास्थ्य नीति की घोषणा वर्ष 1982 में की थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा करने में आजादी के बाद 35 वर्ष का लम्बा समय लगा। मैं यह नहीं जानता कि इस नीति को कार्यान्वित करने में और कितने वर्ष लगेंगे।

इस नीति की घोषणा किये जाने से पहले सरकार ने कतिपय विशेषज्ञ समितियां जैसे मोर समिति, मुदलियार समिति, हाथी समिति, श्रीवास्तव समिति तथा अन्य समितियां गठित की गई थीं। इन समितियों ने अपने विवेक से कई सिफारिशें की थीं। अन्ततोगत्वा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 1982 में की गई। यदि हम विभिन्न विशेषज्ञ समितियों द्वारा दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखकर चर्चा करें तो इसमें कोई नई बात नहीं है। 1982 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में यह घोषणा की गई थी कि '2000 ईसवी सन् तक सभी के लिए स्वास्थ्य' का नारा होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि नारे के रूप में यह बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि इसे केवल नारे तक ही सीमित न रखिये। नारों को केवल नारों के रूप में ही नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन सत्ताधारी दल ने हमेशा नारों का अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया है। 1971 में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। अब वे इस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि कुछ वरीयता दी जानी चाहिए। लेकिन सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों को अभी प्राथमिकता नहीं दी है। रंगीन दूरदर्शन तथा

एशियाड और अन्य बातों पर सरकार ने बेहिसाब खर्च किया है। लेकिन जब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की बात आती है तो इस उद्देश्य के लिए नाममात्र की धनराशि निश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, सत्ताधारी दल की राजनैतिक इच्छा का प्रश्न एक मुख्य कारण बनता है।

2.00 म० प०

दूसरा नारा यह है कि वर्ष 1990 तक देश के सभी लोगों को पेय जल उपलब्ध करा दिया जायेगा। इस समय हम अपनी जनसंख्या के 31 प्रतिशत लोगों को पेय जल उपलब्ध करा पाये हैं। यदि इस दर पर हम अपने देश के सभी लोगों को पेय जल सप्लाई योजना के अन्तर्गत लाना चाहें तो इसके लिए 15,000 करोड़ रु० की धनराशि की आवश्यकता होगी। मैं एक साधारण सा प्रश्न करना चाहूंगा। इस प्रयोजन के लिए पैसा कहां से आयेगा? सरकार ने सदैव इस बारे में रंगीन तस्वीर प्रस्तुत की है और इस संबंध में आत्म-सन्तुष्टि जाहिर की है।

इस समस्या के दो पहलू हैं। एक निवारक उपाय है और दूसरा उपचारात्मक। निवारक उपाय का जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि हमें अपने देश की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए इस पर चर्चा करनी चाहिए।

हमें देश में विद्यमान आर्थिक-सामाजिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में स्वास्थ्य समस्या के निवारक उपायों पर विचार करना चाहिए। श्रीमान, देश में गरीबी बढ़ रही है। हमारे देश की 50 प्रतिशत से अधिक जनता गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है और सरकार निर्धनता की वास्तविता को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रही है। वह आकड़ों में चालाकी से परिवर्तन करके गरीबी की रेखा की दोबारा से परिभाषा करने में सदैव रुचि रखती है। पुराना और नया बीस सूत्री कार्यक्रम पूरी तरह से असंगत बन गया है क्योंकि हमारे देश की 50 प्रतिशत जनसंख्या आजादी के 37 वर्षों के पश्चात भी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हमारे खाद्यान्न-उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि होने के बावजूद पोषाहार की कमी है और छूत की बीमारियां हैं। वर्ष 1983 में खाद्यान्न का उत्पादन 15 करोड़ 10 लाख टन से ज्यादा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उसी वर्ष 1 दिसम्बर, 1984 को हमारे पास 2 करोड़ 15 लाख टन खाद्यान्न का भारी भंडार था। 2 करोड़ 30 लाख जन्मे बच्चों में से 30 लाख बच्चे एक वर्ष की आयु से पहले ही कालकलवित हो जाएंगे। अन्य 10 लाख बच्चे 5 वर्ष की आयु से पहले कालकलवित हो जाएंगे जबकि 90 लाख बच्चे जब वयस्कता में कदम रखेंगे तो उनमें शारीरिक दुर्बलता होगी, वे पूर्ण रूप से विकसित नहीं होंगे और उनमें मानसिक दुर्बलता होगी। अन्य 70 लाख बच्चे जब वयस्कता में कदम रखेंगे तो वे कुपोषण के प्रभाव से पीड़ित होंगे जिसके परिणामस्वरूप उनको शारीरिक और मानसिक हानि होगी। अतः 1983 में 2 करोड़ 30 लाख जन्मे बच्चों का 1/8वां भाग अर्थात 30 लाख बच्चे स्वस्थ, शारीरिक रूप से दुरुस्त और बुद्धिमान व्यक्ति होंगे।

हमारे देश में कुपोषण की समस्या जिसमें बच्चों में कुपोषण की समस्या भी शामिल है, एक ऐसी समस्या है जो अपर्याप्त खाद्य संसाधनों की अपेक्षा अनुचित वितरण की समस्या ज्यादा है। श्रीमान, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न है। लेकिन हमारे पास उचित वितरण प्रणाली की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां बाल मृत्यु संख्या सबसे अधिक है जो जीवित भी हैं, वे शारीरिक और मानसिक रूप से दुर्बल हैं। इसका क्या कारण है। हम अपनी जनसंख्या के केवल 31 प्रतिशत भाग को इस समय पेय जल उपलब्ध करा

रहे हैं और हमारी जनसंख्या का केवल 5 प्रतिशत भाग आधारभूत स्वास्थ्य-रक्षा सुविधाओं का उपभोग कर रहा है। आज यह स्थिति है। जब तक लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलेगा ये सभी कार्यक्रम बेकार साबित होंगे और ये सब नारे कागजों तक ही सीमित रह जाएंगे।

उपचारात्मक उपाय का जिक्र करते हुए सबसे पहले मैं औषधि की समस्या के बारे में कहूंगा। भारत में बिकने वाली 80 प्रतिशत औषधियां गैर-आवश्यक श्रेणी में आती है। हमारे देश की 78 प्रतिशत औषधि अभी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हाथों में हैं। 16 प्रतिशत गैर सरकारी क्षेत्र और 6 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र में है। हमारा नियन्त्रण केवल 6 प्रतिशत औषधि पर है। मैं नहीं जानता कि हम अपने देश में किस प्रकार की औषधि रोगियों को सप्लाई कर रहे हैं।

वर्ष 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने यह चेतावनी दी थी कि बहुराष्ट्रीय निगम अपने देशों में जब इन औषधियों को नहीं बेच पाये तो तृतीय विश्व के देश ऐसी औषधि के लिए क्षेपण भूमि डम्पिंग ग्राउण्ड बन गये हैं।

इन औषधियों में कुछ ऐसी औषधियां भी शामिल हैं जिन पर उनके अपने देश में रोक लगी हुई थी। बंगलादेश जैसे छोटे देश ने भी, जो हमारा पड़ौसी है, इस संबंध में कड़ी कार्यवाही की है। लेकिन मैं नहीं जानता कि हम इस संबंध में कड़ा कानून बनाने अथवा प्रशासनिक कार्यवाही करने में क्यों हिचक रहे हैं।

कल मंत्री महोदय ने स्वीकार किया था कि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में, शासक दल में, प्रशासन में और सरकार के भीतर सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं और वे सरकार पर पर्याप्त दबाव डालने में सक्षम रही हैं कि जहां तक दवाइयों का संबंध है बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के विरुद्ध कठोर कदम न उठाये जायें।

मैं चीन का उदाहरण देता हूं इस कारण नहीं कि वह एक समाजवादी देश है। उन्होंने एम्यूपंक्चर नामक एक स्वदेशी चिकित्सा पद्धति विकसित की है। उन्होंने उसे आधुनिक बना दिया है। उसी तरीके से हम भी सिद्ध, यूनानी होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आयुर्वेद जैसी स्वदेशी पद्धतियों का विकास कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी पद्धतियां हैं। केवल उनका आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता है और इस प्रकार हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी प्रगति कर सकते हैं।

शारीरिक शिक्षा भी बहुत आवश्यक है। मेरे किसी भी मित्र ने इसका उल्लेख नहीं किया है। मैं शासक दल के माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में देश के युवाओं को हिंसा और अपराध, मौनवृत्ति और सिनेमा की दिशा में न ले जायें बल्कि उनका खेलों की ओर मार्गदर्शन करें। इससे उन्हें अपनी सहनशक्ति और स्वास्थ्य को अधिक सीमा तक विकसित करने में सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में एक अनिवार्य विषय बनाया जाये। मुझे अपना बचपन याद है, पुराने दिनों में पाठ्यक्रम में स्वास्थ्य शिक्षा सम्मिलित होती थी, लेकिन अब यह नहीं है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इसको नोट करें और यह देखें कि स्कूल स्तर पर हमारे विद्यार्थियों को कुछ न कुछ स्वास्थ्य शिक्षा दी जाये ताकि वे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। उनको दोहपर का भोजन भी उपलब्ध करवाया जाये।

2.09 म० प०

[श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए]

डाक्टरों और नर्सों आदि के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। डाक्टरों और नर्सों की कुछ समस्याएं हैं। उन्हें आवास की आवश्यकता है। उनके वेतनमानों का संशोधन करने की जरूरत है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न की जानी चाहिएं जिससे डाक्टर और नर्स रोगियों की सहायता कर सकें और वे उनके उपचार के लिए एक मधुर वातावरण पैदा कर सकें। हमारे स्वास्थ्य कार्यक्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य गाईड हैं। उन्हें बहुत थोड़ा पारिश्रमिक मिल रहा है। उनके कोई वेतन-मान नहीं हैं। आजकल उनका परिश्रमिक 50 रुपये प्रति माह है। आजकल जैसा कि आप जानते हैं 50 रुपए कुछ भी नहीं हैं। मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि वे इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह कर दें ताकि उन्हें कम-से-कम जेब खर्चा तो मिलने लगे। यह एक बहुत अच्छा विचार है और मेरा अनुरोध है कि सरकार इस दिशा में कुछ कदम उठाए।

महोदय, मेरे बहुत से मित्रों ने परिवार नियोजन के विषय में कहा है। हमारे देश में परिवार नियोजन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। लेकिन प्रश्न यह है कि इस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाया जाए। समस्या यह है कि जितनी ज्यादा गरीबी होगी, उतना ज्यादा अंधविश्वास होगा और जितना ज्यादा अंधविश्वास होगा उतनी अधिक जनसंख्या होगी। यह समस्या गरीबी, अंधविश्वास और निरक्षरता से जुड़ी हुई है। यदि हम गरीबी और निरक्षरता को जड़ से समाप्त करें तो परिवार नियोजन में अपने आप ही अच्छी प्रगति होगी। इसलिए मैं इन दो समस्याओं अर्थात् गरीबी और निरक्षरता के उन्मूलन की समस्याओं का समाधान करने पर जोर दूंगा। महोदय, मैं एक पुस्तक 'ज्योग्रफी आफ हंगर' में से उल्लेख करना चाहूंगा जिसमें लेखक ने ठीक ही कहा है कि एक ऐसा परिवार, जिसमें निर्धनता है, जिसमें निरक्षरता है, उसमें जनसंख्या अधिक से अधिक होगी। अतः एक सफल परिवार नियोजन कार्य के लिए हमें इन दो चीजों को अवश्य नोट करना चाहिये।

अंत में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य और उपचार के क्षेत्र में पिछले 37 वर्षों में जो कुछ भी हमारी उपलब्धियां रही हैं, वे हमें शहरी क्षेत्र में ही प्राप्त हुई हैं। हमारे देश की जनसंख्या का बड़ा भाग जो ग्रामीण क्षेत्रों में ही है, अभी भी स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। यदि आप शहरी क्षेत्रों में और अधिक अस्पताल बनायें तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जन के लिए और अधिक अस्पताल तथा और अधिक सुविधाएं होनी चाहिएं।

मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि स्वास्थ्य ही सम्पत्ति है। इस मुहावरे को एक नई परिभाषा दी जानी चाहिये। हमारे देश में स्वास्थ्य के लिए इलाज कराना एक जिन्स बन गया है। आप इसे खरीद सकते हैं। अगर आपके पास सम्पत्ति है तो आप अपने लिए स्वास्थ्य खरीद सकते हैं अर्थात् आप अपनी उपचार सुविधाएं खरीद सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, जो निर्धन है, और जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है, उसे बेहतर उपचार के लिए सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। इसका संबंध सामाजिक-आर्थिक स्थितियों से है और जब तक हम अपनी सामाजिक व्यवस्था को नहीं बदलते, मैं नहीं समझता हम अपने लोगों को न्याय दिलवा सकेंगे।

एक और मुद्दा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार जिसकी घोषणा कर दी गई है,

50 हजार लोगों के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होगा। पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों में···

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : यह संख्या 50,000 की बजाय 30,000 है। पहाड़ी इलाकों के लिये यह संख्या 20,000 है।

श्री सत्यगोपाल मिश्र : मेरे आंकड़े सही हो गये हैं। अब हमारे पास केवल 6 हजार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र होने वाले हैं। हिसाब-किताब किया जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में निहित इस विचार को 15 वर्षों के भीतर क्रियान्वित करने के लिए कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। यदि हम सन 2000 ई० तक सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के विषय में गंभीर हैं तो प्रत्येक वर्ष 1,000 से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्मित करने चाहिये। सरकार को यह बात नोट करनी चाहिये। लेकिन धन कहां से आयेगा?

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की मांगों का समर्थन करते हुए मैं मन्त्री महोदय और मंत्रालय दोनों को एक सुन्दर वार्षिक प्रतिवेदन, जिसमें काफी अच्छी जानकारी और आंकड़े शामिल हैं, परिचालित करने के लिए बधाई देता हूं।

कृषि, उद्योग तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां दर्शनीय हैं। लेकिन ये सभी उपलब्धियां फीकी रहेंगी जब तक जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं रखा जाता है और इस समस्या को उचित महत्व नहीं दिया जाता है। जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध है घोषित नीति यह है कि सन 2000 ईस्वी तक हमारी जन्म दर 21 व्यक्ति प्रति हजार होगी। मृत्यु दर वस्तुतः तेजी से कम हो रही है, लेकिन यह 10 व्यक्ति प्रति हजार होनी चाहिए। शिशुओं की मृत्यु दर 60 व्यक्ति प्रति हजार से कम होनी चाहिए और बच्चे पैदा करने वाले दम्पतियों की संख्या 60 प्रतिशत होनी चाहिए और पैदा होने वाले बच्चे की आयु का औसत 64 वर्ष होना चाहिए। यद्यपि जन्म दर कम हो रही है पर साथ ही मृत्यु दर भी कम हो रही है। यह 1951-52 में 27.4 प्रति हजार से घटकर 1981 में 12.5 प्रति हजार हो गई।

इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए परिवार नियोजन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी प्रोत्साहनों का लाभ लोगों तक पहुंचना चाहिए। सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों में सुधार होना चाहिए। सदियों से आदिवासियों और हरिजनों का शोषण होता आया है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार ने जनजातियों के लिए उप-योजनाएं और हरिजनों के लिए अन्य योजनाएं शुरू की हैं, और सभी के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। आवश्यकता यह है कि गरीब आदमियों और ग्रामवासियों को शिक्षित किया जाना चाहिए। इसका एक साधारण-सा कारण यह है कि हमारी जनसंख्या का 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। वे अधिक बच्चे चाहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके गुजारे के लिए धन कमाने हेतु और उनके बुढ़ापे में सुरक्षा के लिए भी उनके लिए अधिक बच्चे आवश्यक हैं। इसलिए यदि उनका जीवन-स्तर सुधर जाता है, यदि उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और उन्हें उनके बच्चों की दीर्घ आयु का आश्वासन मिल जाता है तो मैं समझता हूं कि यह योजना सफल होगी। ऐसा करने के लिए हमें जनता के प्रतिनिधियों को इसमें अवश्य शामिल करना चाहिए, जिनमें एक वार्ड के स्तर पर चुना हुआ सदस्य और संसद सदस्य शामिल होना चाहिए। इसके साथ-साथ स्वैच्छिक संगठन जैसे लाइन्स क्लब, रोटरी क्लब आदि तथा सहकारी समितियां भी शामिल की जानी चाहिए, ताकि यह जनता का आन्दोलन बन सके। जनता को

विभिन्न प्रचार माध्यमों से शिक्षित किया जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों तथा ग्रामीण लोगों में यह विश्वास और अधिक जमा देना चाहिए कि परिवार नियोजन से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

यह कहा जाता है कि हमें चीन के समान परिवार में एक बच्चे का मानदण्ड रखने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश में बलपूर्वक ऐसा करना संभव नहीं है। चीन में यदि एक बच्चा होने के मानदण्ड का उल्लंघन किया जाता है तो दम्पति की मजदूरी काट दी जाती है और उन्हें बहुत से लाभों से वंचित कर दिया जाता है लेकिन हमारी नीति प्रेरणा द्वारा परिवार नियोजन अपनाने की है न कि बलपूर्वक; और इसे राजनीति से दूर और ऊपर रखना चाहिए। 1979-80 में परिवार नियोजन को भारी धक्का लगा था, क्योंकि इसे राजनैतिक रंग दे दिया गया था। उस समय काफी भोले-भाले लोग इसके शिकार हुए थे। प्रो० मधु दण्डवते के शब्दों में खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली बात है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनता सरकार द्वारा परिवार नियोजन की जांच करने के लिए नियुक्त किए गए आयोगों के निष्कर्ष क्या हैं। मैं खुद उसका शिकार था क्योंकि उड़ीसा का स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मुझे कर्वे पुरस्कार मिला था क्योंकि उड़ीसा परिवार नियोजन में प्रथम आया था जहां तक परिवार नियोजन का सम्बन्ध था उड़ीसा के खिलाफ कुछ नहीं मिला था, क्योंकि वहां परिवार नियोजन प्रेरणा से किया गया था न कि बलपूर्वक। हमें भूतकाल को भूल जाना चाहिए। यह एक अच्छा शकुन है कि प्रत्येक दल इस समस्या के बारे में राष्ट्रीय समस्या के रूप में विचार कर रहा है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए अन्यथा 50 वर्षों के अन्दर भारत की जनसंख्या चीन की वर्तमान जनसंख्या से एक तिहाई और काफी अधिक हो जाएगी। हमें जनसंख्या वृद्धि से सावधान रहना चाहिए।

जहां तक सन 2000 ईस्वी तक सभी के लिए स्वास्थ्य का सम्बन्ध है, हमें भारतीय दवाइयों तथा होम्योपैथी पर अधिक बल देना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में भारतीय दवाओं अथवा होम्योपैथी का एक डाक्टर होना चाहिए। प्रतिवेदन में कहा गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 3 डाक्टर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन मैंने वहां केवल दो डाक्टरों को ही पाया। उसमें यह भी बताया गया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक महिला डाक्टर भी होगी। इस कदम का स्वागत है, लेकिन हमें कभी-कभी ही महिला डाक्टर मिलती है; हो सकता है उन्होंने शहरी क्षेत्रों में रहने की व्यवस्था की हो। वे ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से हिचकिचाती हैं। यदि वे विवाहित हैं तब तो दम्पति ग्रामीण क्षेत्रों अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रहना नहीं चाहते। हम जानते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रत्येक दूसरा डाक्टर परिवार नियोजन के लिए होता है, ताकि लोगों को दिए जाने वाले प्रोत्साहनों का उसकी देख-रेख में बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सके।

संक्रामक रोगों के बारे में मेरा विचार यह है कि यह आवश्यक रूप से शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना होनी चाहिए। चेचक को जड़ से उखाड़ फेंकने में हमने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। संक्रामक रोगों को जड़ से समाप्त करने की जिम्मेदारी अकेले राज्यों पर ही नहीं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश उसे समाप्त करने में असफल रहता है तो वह सारे देश में फैल जाएगा। कुष्ठ रोग तथा तपेदिक जैसे संक्रामक रोगों को जड़ से समाप्त करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए और ऐसा करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि केन्द्र द्वारा राज्यों को दी गई सहायता का उसी आयोजन के लिए उपयोग किया गया है या नहीं। विभिन्न राज्यों का दौरा करने वाले हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों

को केवल सचिवालय में अथवा उस राज्य के निदेशक के साथ चर्चा करके ही संतुष्टि नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि उन्हें सूचना दिए बिना गांवों में जाना चाहिए और उसी स्थान पर यह देखना चाहिए कि क्या योजनाओं में बताए गए मानदण्ड कार्यान्वित किए जा रहे हैं अथवा नहीं।

ब्रिटेन के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया गया है। ब्रिटेन की सहायता से विभिन्न राज्यों को शल्योपयोगी उपकरण भेजे गए हैं। लेकिन कई स्थानों पर राज्य सरकारों ने कोई डाक्टर नियुक्त नहीं किया है। कुछ समय के बाद ब्रिटेन की सहायता से निर्मित भवन या तो गिर जाएंगे अथवा शल्योपयोगी उपकरणों को जंग लग जाएगा। कुछ मामलों में डाक्टर तो मौजूद हैं परन्तु वहां दवाइयां नहीं भेजी जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब आदमी के लिए डाक्टर द्वारा दवाई निर्धारित करना ही काफी नहीं है क्योंकि उसे खरीदने की क्षमता उसमें नहीं है। इसलिए प्रत्येक चिकित्सालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और अस्पताल में रोगियों को मुफ्त दवाइयां देने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और अस्पतालों में भरती किए जाने वाले रोगियों को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में बिस्तरों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि चिकित्सालयों को अस्पतालों में बदलने की योजना है। अस्पतालों में भरती रोगियों के लिए केवल पर्याप्त बिस्तरों की ही व्यवस्था नहीं होनी चाहिए बल्कि गरीब रोगियों को भोजन भी दिया जाना चाहिए। जब तक आप उसकी व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक अस्पताल में भरती रोगियों के लिए बिस्तरों का होना लाभदायक नहीं है। सन् 2000 ईस्वी तक सबको स्वास्थ्य करने के लक्ष्य पर पहुंचने के लिए गरीब रोगियों को भारतीय दवाएं, होम्योपैथी और एलोपैथी दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराई जानी चाहिए। प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि इन्हें कम मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा लेकिन इससे बात नहीं बनेगी। ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो बिल्कुल ही दवाइयां नहीं खरीद सकते। उन्हें मुफ्त दवाएं दी जानी चाहिए। हमें ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति करनी चाहिए।

संक्रामक रोगों के बारे में, वस्तुतः कोढ़ हमारे लिए कलंक का टीका है। लोगों को शिक्षित करके इसे जड़ से समाप्त किया जा सकता है। प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में तपेदिक का पता लगाने के लिए थूक की जांच करने हेतु पर्याप्त तकनीशियन नहीं हैं। थूक की जांच करने, तपेदिक के रोगियों का पता लगाने और उनका बड़े स्तर पर इलाज करने के लिए पर्याप्त मात्रा में तकनीशियन होने चाहिए। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में तपेदिक और कोढ़ जैसे रोग ज्यादा हैं क्योंकि वहां लोग अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में रहते हैं।

मलेरिया के बारे में जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। पहले मेडिकल कालेजों में भी विद्यार्थी अपनी परीक्षा के लिए मलेरिया परजीवी इकट्ठे नहीं कर पाते थे। लेकिन हमने मौका खो दिया, क्योंकि गलत योजना के कारण मलेरिया फिर अपना सिर उठा रहा है।

कुछ मेडिकल कालेजों द्वारा अभी भी प्रावेशिक शुल्क इकट्ठा किया जाता है। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी इसके खिलाफ थीं। मेरी समझ में नहीं आता कि इसे रोका क्यों नहीं गया। जो भी मेडिकल कालेज कैपीटेशन फीस वसूल कर रहे हैं उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से मान्यता नहीं मिलनी चाहिए।

मेडिकल कालिज में छात्रों को डाक्टरी का पाठ्यक्रम पूरा करने के बाद एक साल हाऊस

सर्जन के रूप में काम करना होता है। उसके बाद ही वह डिग्री का हकदार होता है। इसके अतिरिक्त डिग्री प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डाक्टरों से कम-से-कम एक साल के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के लिए कहा जा सकता है, ताकि वे नौकरी में आने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में जाने पर उन ग्रामीण क्षेत्रों का अभ्यस्त होना सीख सकें। इस तरह से वे गांवों के गरीब मरीजों के प्रति सेवा-भाव भी विकसित कर सकेंगे। अत: सभी मेडिकल के छात्रों को डिग्री देने से पहले गांवों में जाने के लिए कहना चाहिए।

इंडियन मेडिकल काउंसिल ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद एम० बी० बी० एस० की प्रवेश परीक्षा के लिए कोई एक विशेष पद्धति नहीं अपनाई है। मेरी समझ में नहीं आता कि एम० बी० बी० एस० में प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों की नियति क्या होगी।

औषधियों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की मांग के समय भी आई० डी० पी० एल० की काफी आलोचना की गई थी। किंतु मेरी यह राय है कि राज्यों को दी जाने वाली सहायता में कुल नकद राशि का 40 से 50 प्रतिशत दवाइयों के रूप में होना चाहिए और ये दवाइयां आई० डी० पी० एल० की एजेंसी के माध्यम से ही भेजी जानी चाहिए, ताकि उनकी प्रभावोत्पादकता सुनिश्चित की जा सके। आई० डी० पी० एल० की केवल दवाइयों के उत्पादक के रूप में ही नहीं काम करना चाहिए वरन् वितरक के रूप में भी काम करना चाहिए। कदाचार रोकने के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता निधि से उनकी अपनी इच्छा से दवाइयां खरीदने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अत: सरकार को चाहिए कि विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता देने के संदर्भ में तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित शत-प्रतिशत योजनाओं के संदर्भ में इस पर विचार करें। आयातित औषधियों का समुचित परीक्षण और जांच आवश्यक है। आम औषधियां तथा जीवन रक्षक औषधियां जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध होनी ही चाहिए।

नकली दवाइयों का धंधा करने वाले लोगों को औषध और प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत दंड दिए जाने की व्यवस्था है तथा खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत खाने के पदार्थों में मिलावट करने वालों को दंड देने की व्यवस्था है। इस अधिनियम में यह संशोधन किया गया है कि यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट से किसी की मृत्यु हो जाए या बहुत ज्यादा शारीरिक क्षति पहुंचे तो आजीवन कारावास दिया जा सकता है और हर्जाना 5,000 रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। किन्तु मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि गंभीर क्षति पहुंचाने वाले मिलावटी खाद्य पदार्थों के लिए जिम्मेदार लोगों में से कितने व्यक्तियों का दोष सिद्ध हुआ और कितने लोगों पर अभियोग लगाया गया था। यह सुनने में आ रहा है कि कई लोग नकली दवाओं से ही नहीं वरन् अवैध रूप से बनाई गई शराब पीने के कारण भी मर रहे हैं। ऐसे लोगों को आजीवन कारावास दिए जाने के लिए अधिनियम में समुचित उपबंध किया जा सकता है जो मौत के घाट उतारने वाली या बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली अवैध रूप से बनाई गई शराब बनाते हैं। इसी प्रकार अवैध और प्रसाधन अधिनियम को और कठोर बनाने के लिए उसमें कुछ और संशोधन किए जाने जरूरी हैं। खाद्य उपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत इधर-उधर कुछ फेरी वालों को दंडित करने से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि थोक विक्रेता ही मिलावट करते हैं और बड़ी भारी मात्रा में बाजार में भेजते हैं इसलिए वे ही वास्तविक अपराधी हैं और उन्हें ही सजा दी जानी चाहिए। इस अधिनियम को हम कैसे लागू कर रहे हैं, यह बताने के लिए हम फेरी वालों और खुदरा

विक्रेताओं की धर-पकड़ कर अनेक मामले दर्ज कर लेते हैं किन्तु इस समस्या का मूल यह नहीं है। मूल बात तो यह है कि वे मिलावट के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें ही पकड़ा जाए।

इसलिए महोदय, मैं एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग को बधाई देता हूं क्योंकि उसने परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के क्षेत्र में बड़े रचनात्मक कदम उठाए हैं, जैसे विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए पहले से इंजेक्शन लगाना तथा माताओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य केन्द्र खोलना इत्यादि। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि हम परिवार नियोजन और परिवार कल्याण के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं और 20वीं शती के अन्त तक सभी के लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं तो भारत अवश्य ही प्रगति करेगा।

श्री चिरंजीलाल शर्मा (करनाल) : सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। मैं सभा का ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि दिल का मरीज होने की वजह से मुझे ज्यादा नहीं बोलने की सलाह दी गई है। किन्तु यदि सार्वजनिक महत्व के उन मामलों पर, जिन पर सरकार द्वारा ध्यान दिया जाना जरूरी है, चुप रहूंगा तो मैं अपने कर्त्तव्यों का पूरी तरह से पालन नहीं कर पाऊंगा।

मैं इसे केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूं क्योंकि जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई। दुर्भाग्यवश या फिर सौभाग्यवश मुझे दिल के मरीज के रूप में राम मनोहर लोहिया अस्पताल में दाखिल होने का सुअवसर प्राप्त हुआ। मैं वहां तीस दिन तक रहा।

सरकारी अस्पतालों में ठेके पर दवाइयों की पूर्ति की जाती है। इसका अभिप्राय यह है कि जो फर्म सबसे कम दरें बताती है उसे ही दवाइयों की पूर्ति के लिए आर्डर मिलता है। सबसे कम दरें लघु स्तर के विनिर्माता पेश करते हैं, ये दरें इतनी कम होती हैं उस दर पर उपलब्ध कराई गई दवाइयों की किस्म बढ़िया हो ही नहीं सकती। मैंने कुछ डाक्टरों से इसके बारे में बात की थी, उनके नाम बताना अनुचित होगा इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। अस्पताल में मेरी पत्नी मेरी देखभाल करती थीं। एक रात मुझे कुछ तकलीफ महसूस हुई, वे नर्स के कमरे की ओर दौड़ीं। तुरन्त ही डाक्टर आ गए और वरिष्ठ डाक्टरों को बुलाया गया। मेरा तुरन्त ही उपचार किया गया।

2.37 म० प०

[श्री वल्लभ पुरुषोत्तमन पीठासीन हुए]

दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी को भी हृदय रोग है और साथ ही दमा, उच्च रक्तचाप तथा बवासीर की भी तकलीफ है। इसीलिए जब वह इतनी ठंड में नर्स के कमरे की तरफ गई तो उनकी तबियत खराब हो गई और बीमार हो गई। किंतु अस्पताल में उनका समुचित इलाज न हो सका। ऐसा डाक्टरों की अनिच्छा के कारण नहीं हुआ बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि कुछ नियमों के कारण डाक्टरों के हाथ बंधे हुए थे। लगभग दस दिन बाद मैंने पूछा, आप क्या कर रहे हैं डाक्टर? आप उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। उत्तर मिला पण्डित जी, उन्हें अस्पताल में भरती करवाएं। मैंने कहा, "ठीक है, मुझे तो खुशी ही होगी। यदि नर्सिंग होम में जगह है, तो मुझे भोजन के लिए केवल 20 रुपए प्रतिदिन ही देने होंगे।" मैंने पूछा कि मेरी पत्नी का ठीक से इलाज

न हो पाने का केवल यही एक कारण है ? तो उत्तर मिला कि दरअसल दवाइयां ही घटिया किस्म की हैं। डाक्टर ने बड़े जिम्मेदार ढंग से यह बताया कि घटिया किस्म की दवाइयों की पूर्ति केवल राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही नहीं वरन् अन्य अस्पतालों में भी की जाती है। यही कारण है कि उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यह बड़ी गम्भीर बात है और सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे। ये टिकिया और कैप्सूल रोगी के शरीर में तभी ज्यादा प्रभावी होते हैं जबकि कच्चा माल सूक्ष्मतम रूप तक बारीक किया जा सके। कच्चे माल को सूक्ष्मतम स्तर तक बारीक करने की सुविधाएं छोटे विनिर्माताओं को प्राप्त नहीं होती हैं। अतः किस्म घटिया होती है, उचित स्तर का तो पता नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि इसकी पूर्ति का ठेका दर के आधार पर दिया जाता है और छोटी फर्मों को कम दरें पेश करने का मौका मिलता है और उससे उन्हें काफी मुनाफा मिलता है।

इंजेक्शनों और मिक्सचरों की क्षमता तो पर्याप्त ही रहती है क्योंकि उन्हें विसंक्रमित स्थितियों में ही बनाया जाता है। छोटी फर्मों के पास विसंक्रमित तथा रोगाणु मुक्त रखने संबंधी सुविधा प्राप्त नहीं है। परिणामस्वरूप घटिया मिक्सचर और इन्जेक्शन तैयार होते हैं जिनसे रोगियों पर कभी-कभी प्रतिकूल असर भी हो जाता है। इन छोटे निर्माताओं के पास अपनी औषधियों का परीक्षण करने के लिए प्रयोगशालाएं नहीं हैं इसलिए वे अपनी औषधियों की किस्म की निगरानी नहीं कर पाते हैं। ये छोटे एकक अपने नमूने पास कराने के लिए सरकारी प्रयोगशालाओं को भेजते हैं। एक बार नमूना पास हो जाने पर जो दवाइयां तैयार की जाती हैं वे पास किए गए नमूने से भिन्न होती हैं। ये नमूने कैसे पास कराए जाते हैं, यह तो सभी जानते हैं। इसके बारे में मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इसके अतिरिक्त सरकार केवल रसायनों का विश्लेषण करती है। सरकार दवाइयों की रोगोपचार शक्ति, अर्थात दवाई के शरीर में अवशेषण, विघटन की दर, उसके शरीर से बाहर जाने की दर तथा अन्तिम रूप से उपचार की दर का विश्लेषण नहीं करती है। उपचार सम्बन्धी प्रभावशीलता केवल प्रतिष्ठित निर्माताओं की दवाइयों में ही होती है।

यह भी सच है कि उपचार की दृष्टि से दवाइयां कम असर वाले होली के कारण सरकारी अस्पताल के अच्छे डाक्टर अपने ही अस्पतालों में उपलब्ध छोटी फर्मों की दवाइयों का इस्तेमाल अपने परिवारों और अपने उपचार के लिए नहीं करते हैं।

अपने इस कथन की पुष्टि में मैं डाक्टरों ने जो मुझे बताया उसे बताता हूं। उन्होंने बताया "पंडित जी, ईमानदारी से कहते हैं कि जब हमारे परिवार का भी कोई सदस्य किसी रोग का शिकार होता है तो हम अस्पताल की बजाए बाजार से दवाइयां लेते हैं।"

मुझे एक और कटु अनुभव हुआ था। मैं हृदय रोगी था। मुझे 16 दिसम्बर, 1984 को करनाल में एक अस्पताल में ले जाया गया था और बाद में 24 दिसम्बर को मुझे राम मनोहर लोहिया अस्पताल में लाया गया था, जहां मै 25 जनवरी तक रहा। मुझे किसी डाक्टर के खिलाफ कोई शिकायत बिल्कुल नहीं करनी है। वे सभी अच्छे थे लेकिन वे असमर्थ थे। मैं अस्पताल में एक रोगी की तरह भरती था। अस्पताल में कैलीगार्ड उपलब्ध नहीं थी। मैंने एक दवाई को अपनी जेब से 135 रुपए खर्च कर खरीदा। मै निश्चित रूप से यह जानता हूं कि संसद सदस्य होने के नाते मैं मुफ्त इलाज का हकदार हूं, लेकिन मुफ्त इलाज का क्या तात्पर्य है ?

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : मुझे एक निवेदन करना है। मुझसे पहले बोलने वाले सदस्य आधे घंटे तक बोले। इसलिए, मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे और समय दिया जाए।

सभापति महोदय : लेकिन दुर्भाग्यवश समस्या यह है कि कांग्रेस दल के कई सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : यह ठीक है, लेकिन सभापति और सदस्य में भेद-भाव नहीं होना चाहिए। वास्तव में, सूची में मेरा नाम उनके नाम से पहले था।

सभापति महोदय : मेरी ओर से कोई भेद-भाव नहीं होगा।

श्री जैनुल बशर : वास्तव में उसका नाम पहले था, लेकिन उस समय वहां पीठासीन थे। इसलिए वह बोल नहीं सके।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सह-सभापति उनके बचाव के लिए आ गए हैं।

श्री चिरंजीलाल शर्मा : कोई बात नहीं, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करने जा रहा था कि सरकार को ये सब बातें नोट करनी चाहिए।

डाक्टरों अथवा विशेषज्ञों द्वारा दवाइयां निर्धारित कर दी जाती हैं। मैं स्वयं कर्जन रोड स्थित चिकित्सालय में गया। मैंने कहा, राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टर ने 12 सप्ताह के लिए दवाइयां निर्धारित की हैं। कर्जन रोड स्थित सरकारी चिकित्सालय के डाक्टर ने कहा, "मैं असमर्थ हूं, मैं आपको एक मास से अधिक की दवाई नहीं दे सकता, मुझे इसका अधिकार नहीं है।" मैं करनाल में रह रहा हूं। जब संसद का सत्र नहीं होता है उस समय मेरा करनाल से दिल्ली आने और वापस जाने का खर्च, यदि मैं कार से आता हूं, तो 300 रुपए से कम नहीं होगा। मैंने कहा, "राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टर ने 12 सप्ताह की दवाइयां निर्धारित की हैं; आप मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं?" उन्होंने कहा, "महोदय, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मुझे एक मास से ज्यादा की दवाइयां देने का अधिकार प्राप्त नहीं है।" परिणाम यह हुआ, कि मुझे एक मास के बाद पुनः यहां आना पड़ा, क्योंकि मुझे दवाइयों की आवश्यकता थी। ये कुछ तकनीकी बातें हैं जिनकी मंत्री महोदय जांच कर सकते हैं। मैं किसी और के लिए कुछ नहीं चाहता बल्कि अपने खुद के लिये चाहता हूं। ये कुछ मामले हैं जिनकी ओर मैं माननीय मंत्रियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सौभाग्य से वे दोनों यहां मौजूद हैं।

अब मैं सुपर बाजार से खरीदी गई दवाइयों के बारे में बताता हूं। सुपर बाजार के आदमी कहते हैं, वहां दवाई उपलब्ध नहीं है। हमें अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र लेना है। दवाई के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान, एक दुकान से दूसरी दुकान तक जाना पड़ता है। आप सुपर बाजार क्यों जाते हैं? मेरी समझ में यह बात नहीं आई। मैं विश्वास और जिम्मेदारी से यह कह सकता हूं कि हम सुपर बाजार की बनिस्बत दूसरी दुकानों से बेहतर किस्म, मानक दवाइयां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह प्रतिबन्ध हटाया जाना चाहिये।

सभापति महोदय, आपरेशन के समय जख्मों की सिलाई करने के लिए प्रयोग में लाया

जाने वाला धागा घटिया किस्म का होता है। मैं यह बात अपने व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। मेरे साथी भूतपूर्व संसद सदस्य चौधरी रिजक राम का राममनोहर लोहिया अस्पताल में, आपरेशन किया गया था। 8 मास बीत गए हैं लेकिन उनका जख्म अभी तक अच्छा नहीं हुआ है। पिछले ही दिन मुझे उनसे बात करने का मौका मिला। मैंने उनसे पूछा कि उनको क्या तकलीफ थी। उन्होंने मुझे बताया कि आपरेशन के बाद सिलाई करने के लिए उपयोग में लाया गया धागा घटिया किस्म का था। यह सुनकर मुझे बहुत दुःख हुआ कि अच्छे स्तर के अस्पतालों में जहां संसद सदस्यों और बहुत ही महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों का इलाज किया जाता है, घावों की सिलाई करने के लिए घटिया किस्म के धागे दिए जाते है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया समस्या के इस पहलू की जांच करें।

सभापति महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

डा० कृपासिन्धु भोई : सभापति महोदय, वह मेरी ओर से भी बोलेंगे।

सभापति महोदय : आप उन्हें समय नहीं दे सकते। केवल आपका दल समय दे सकता है।

डा० कृपासिंधु भोई (सम्भलपुर) : मेरा नाम सूची में है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगा।

सभापति महोदय : आपके लिए कोई समय नहीं है। केवल आपके दल के लिये समय दिया गया है।

श्री चिरन्जीलाल शर्मा : सभापति महोदय, मुझे हरियाणा में 5 वर्ष तक मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और लोक निर्माण विभाग मेरे अधीन था। इसलिए मैं विभाग के कार्यालयों/अधिकारियों की नब्ज पहचानता हूं। मुझे पता है कि त्रुटि कहां है। अस्पतालों से जुड़े लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की परवाह नहीं करते। दिसम्बर के महीने में जोर की ठंड पड़ रही थी, तब राम मनोहर लोहिया अस्पताल के नर्सिंग होम में न केवल एक दिन के लिए बल्कि चार दिनों तक गर्म पानी उपलब्ध नहीं था। रोगी होने के नाते मैं व्यक्तिगत रूप से मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा० भार्गव के पास गया। उन्होंने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ फोन पर बात करने की कृपा की। मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा० चौधरी से मिला। उन्होंने मामले पर विचार किया। लेकिन यह सारा प्रयास बेकार गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आयेंगे और पूछेंगे, "क्या तकलीफ है ?" और मैं कहूंगा, "यह तकलीफ है। मुझे गर्म पानी नहीं मिल रहा है।" आधे घंटे के बाद अधिकारियों का दूसरा बैच आएगा। पुनः अधिकारियों का एक और बैच आयेगा। लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। मैंने उनको झिड़की दी, "अच्छा अधिकारियों, प्यारे मित्रों, आप मनुष्य नहीं हैं। आपके पास हृदय नहीं है।" मैंने इन शब्दों का प्रयोग किया क्योंकि मैं रोगी था। मैं बीमार था और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी और गर्म पानी उपलब्ध नहीं था।

इस बारे में मुझे एक सुझाव देना है। अस्पताल में काम करने वाले सभी अधिकारियों की गुप्त रिपोर्टों पर उस अस्पताल के मुख्य चिकित्सक अधिकारी अथवा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाने चाहिए, जिसके साथ वे संलग्न हैं ताकि उन्हें यह जानकारी हो जाए कि ये वरिष्ठ डाक्टर उनकी व्यक्तिगत फाइलों में प्रतिकूल प्रविष्टियां कर सकते हैं। इसके फलस्वरूप लोक निर्माण विभाग के अधिकारी कुशलता से कार्य करेंगे। वे निष्ठापूर्वक अपना कार्य करेंगे और जिम्मेदारियां निभायेंगे और "काम के प्रति निष्ठा" उनकी जिन्दगी का सिद्धान्त बन जाएगा। मैं

इस बात को जानता हूं। जब मैं मंत्री था उस समय यह प्रणाली हरियाणा में लागू की गई थी, तब सभी विभागों के अधिकारियों की रिपोर्ट जिले के उपायुक्त द्वारा प्रति हस्ताक्षरित की जाती रही थी क्योंकि वह सरकार के प्रति उत्तरदायी एक प्रशासनिक प्रमुख था। सब बातें ठीक हो गईं।

स्वास्थ्य और शिक्षा का जिक्र करते हुए.....

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या अब आप दूसरे विषय पर बोलेंगे ? आप इसे लिख कर मंत्री महोदय के पास क्यों नहीं भेज देते ?

श्री चिरंजी लाल शर्मा : आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा । लेकिन मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप पहले ही 15 मिनट से ज्यादा समय ले चुके हैं। अब आपको अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : अन्त में, मैं माननीय मंत्री महोदय से जिले और उप-विभागीय अस्पतालों में भौतिक चिकित्सा का प्रबन्ध करने के लिये अनुरोध करूंगा। यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि आजकल 'नम्बर स्पोन्डिलाइटिस और सर वाइकल स्पोन्डिलाइटिस' इतने आम हो गये हैं कि रोगियों को प्रायः सफदरजंग अस्पताल, डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल और अन्य बड़े अस्पतालों में भागना पड़ता है । इसके लिये केवल एक भौतिक चिकित्सा ही इलाज है। इसलिए मुझे माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना है। इसमें ज्यादा लागत नहीं है। इसमें लगभग 1 लाख रुपये की लागत आती है। इससे अधिकाश संख्या में लोगों को राहत मिलेगी जिन्हें इसके इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर भागना पड़ता है।

मुझे बहुत-सी बातें कहनी थीं लेकिन क्योंकि आप घन्टी बजा रहे हैं इसलिये मुझे आपके आदेशों का पालन करना है। इन शब्दों के साथ मैं मांगों का समर्थन करता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय वास्तविक शिकायतों की जांच करेंगे जिनकी ओर मैंने बिना किसी पूर्वाग्रह के, किसी के विरुद्ध शिकायत किए बिना उनका ध्यान आकर्षित किया है। तथ्य तथ्य हैं और उनका सामना साहस के साथ किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी (खलीलाबाद) : माननीय सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं और स्वास्थ्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में ग्रामीण-अंचलों में भी चिकित्सकीय सुविधाओं का विस्तार करने की एक बहुत व्यापक योजना सामने रखी है। इस संदर्भ में मैं कुछ सुझाव भी रखना चाहूंगा, जैसे एक व्यवस्था है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स को फ्रिज में रखा जाये। इसके लिए सरकार ने ग्रामीण अंचलों में जो तमाम प्राइमरी हैल्थ सेन्टर खोले हैं, उनमें फ्रिज सप्लाई किए गए हैं, लेकिन अधिकांश फ्रिज या तो आउट आफ आर्डर रहते हैं या ग्रामीण अंचलों में हफ्तों बिजली उपलब्ध न होने के कारण फ्रिज बन्द रहता है, इससे जीवन रक्षक दवाएं बेकार हो जाती हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ऐसी व्यवस्था करें जिससे लाइफ सेविंस ड्रग्स बेकार न हों।

यहां मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर भी दिलाना वाजिब समझता हूं। यह कहने में संकोच नहीं करूंगा कि आज भी बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी और

सर सुन्दर लाल चिकित्सालय ऐसे हैं, जहां डॉक्टर्स बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से रोगियों की सेवा करते हैं। लेकिन दूसरे मेडिकल कालेजेस ऐसे हैं जहां बिना पैसे लिए डॉक्टर्स प्रेसक्रिप्शन नहीं लिखते, ड्रेसर ड्रेसिंग नहीं करता और कम्पाउन्डर इन्जेक्शन नहीं लगाता जब तक कि वह अतिरिक्त पैसे न ले ले। इससे सारा देश प्रभावित है, खासकर वह गरीब लोग प्रभावित हैं जो तसला और लोटा बेचकर अपनी दवाएं लेते हैं। में निवेदन करूंगा कि इन लोगों को जो गरीबों का शोषण करते हैं, दंड देने में शासन की ओर से कोई ढिलाई नहीं की जानी चाहिए। नेशनल हैल्थ प्रोग्राम के तहत मलेरिया, टी० बी०, ब्लाइन्डनैस और लेप्रोसी को शरीक किया गया है। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान में गायटर, फाइलेरिया, हैजा और कैंसर बड़ी तेजी से फैल रही है। इनको भी नेशनल हैल्थ प्रोग्राम में शरीक किया जाना चाहिए। कैंसर के रोगी को तब पता चलता है जबकि उनकी जान संकट में पड़ी होती है। उस समय कोई चारा नहीं रह जाता कि उनकी जान कैसे बचाई जा सके। शासन को चाहिए कि जिला अस्पतालों में अगर ट्रीटमेंट न हो सके और उपकरण मुहैया न किए जा सकें तो कम से कम प्राइमरी स्टेज में कैंसर का निदान हो जाना चाहिए ताकि उनके जीवन की रक्षा की जा सके। ऐसी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। सरकार ने अपनी रिपोर्ट में स्वीकार किया है कि मलेरिया गत वर्षों में बढ़ा है और मच्छरों पर नियंत्रण नहीं किया जा सका है। फॉगिंग जैसी तकनीक भी अपनाई गई। फॉगिंग की व्यवस्था चार महीने में एक बार होती है। चार महीने के बाद मच्छर फिर घरों में फैल जाते हैं क्योंकि गन्दगी को दूर करने के लिये कोई मुस्तिकल व्यवस्था नहीं है। इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसको सबने स्वीकार किया है कि हमारी सारी प्रगति बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हमें कुछ नहीं दे पा रही है। प्रति वर्ष परिवार कल्याण की योजनाओं को तेजी से लागू करने के लिये तमाम रुपया और स्टाफ को लगाया जा रहा है। इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे भी कपल्स होते हैं जो फर्स्ट इश्यू के बाद आपरेशन कराने को तैयार हो जाते हैं। अगर केजुवल्टी होती है और उनका बच्चा नहीं रहता है तो कानून में यह व्यवस्था होनी चाहिये कि वृद्धा-अवस्था में वह कैसे जिन्दगी गुजारे। फैमिली वैलफेयर के प्रोग्राम्स को एडोप्ट करने के लिये जो इंसेन्टिव्ज दिए जा रहे हैं, उनमें कुछ सहूलियतें दी जानी चाहिए। इंजीनियरिंग और मेडीकल कालेजेस में दो सीटें होती हैं तो पचास हजार एप्लीकेंट्स एप्लाई करते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों को जिन्होंने फैमिली प्लानिंग के तरीके अपनाए हुए हैं, उनके बच्चों को प्रायोरिटी ग्राउन्ड पर एडमिशन दिया जाये। नौकरियों में भी उन्हें वरीयता दी जानी चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली ने सारी दुनिया को चिकित्सा के बारे में ज्ञान दिया था। लेकिन, आज वह इस देश में उपेक्षित है। एम० बी० बी० एस० में प्रवेश के लिये इन्टर साइन्स विद बायोलॉजी की आवश्यकता होती है जबकि आयुर्वेद की ट्रेनिंग लेने के लिये बी० ए० एम० एस० या अलाइड कोर्सेज को पढ़ने के लिये न्यूनतम योग्यता इन्टर साइन्स, बायोलाजी प्लस संस्कृत की आवश्यकता होती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान जैसे देश में इंडीजीनस ड्रग्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिये क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट के चांसेज नहीं होते हैं। वह सस्ती होती है और गरीब लोग उसे एडोप्ट कर सकते हैं। उसको एफोर्ड कर सकते हैं और इससे उनकी बचत पर

3.00 म० प०

कोई मार नहीं पड़ेगा। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि हिन्दुस्तान की आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इसके लिए विशेष व्यवस्था करें।

चूंकि आपने घण्टी बजा दी है, मेरे पास कहने को तो बीसियों चीजें थीं लेकिन अब मैं

एक-दो महत्वपूर्ण प्वाइंट्स पर ही आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मैं इस सम्माननीय सदन के फ्लोर पर कहना चाहता हूं कि सारे देश में इन्फैक्श्यस डिसीज बढ़ती ही चली जा रही हैं और उसके पीछे कारण होटलों में पानी देने वाले गिलास हैं जिसमें टी० बी० का मरीज भी पानी पीता है, वैनरियल डिसीज वाला आदमी भी पानी पीता है और कुष्ठ रोगी भी पानी पीता है। वही गिलास ठण्डे पानी में धोकर दूसरे लोगों को दे दिए जाते हैं, जिनमें इन रोगों के जीवाणु विद्यमान रहते हैं और वे दूसरे स्वस्थ लोगों में भी फैल जाते हैं और इस कारण इन्फैक्श्यस डिसीज का प्रसार तेजी से होता जा रहा है। इन डिसीज के फैलने का दूसरा कारण हमारे टेलीफोन भी हैं जो सभी तरह के लोगों के द्वारा प्रयुक्त किए जाते हैं। यह एक गम्भीर विषय है और इस पर गहराई के साथ विचार किया जाना चाहिए ताकि इसके प्रसार पर नियंत्रण लगाया जा सके। मैं चाहता हूं कि छोटे होटलों में मिट्टी के बर्तनों में चाय या पानी दिया जाय जिससे उसे बाद में तोड़ा जा सके, ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। बड़े होटलों में बायल्ड वाटर में डालकर गिलास को धोया जाना चाहिए अथवा पोटेशियम परमैंगनेट का घोल प्रयोग में लाना चाहिए ताकि इन बीमारियों के प्रसार को रोका जा सके।

मान्यवर अंतिम निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि जहां गांवों में डाक्टर जाना ही पसन्द नहीं करते वहीं हमारे यहां स्वास्थ्य उपकेन्द्र गांवों से दूर बनाये गए हैं जिनमें ए० एन० एम० बिल्कुल नहीं रहतीं। उसका कारण यह है कि उनके रहने की व्यवस्था गांव से काफी दूर होती है, जहां न यातायात के साधन होते हैं, न बिजली पानी की व्यवस्था होती है। यहां तक कि उनकी सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं होती। इस कारण गांव के रोगियों को उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता। मैं चाहता हूं कि सरकार इस स्थिति में सुधार लाने की दिशा में कदम उठाये। तभी हमारा फैमिली वैल्फेयर कार्यक्रम सफल हो सकता है।

[अनुवाद]

डा० वी० वेंकटेश (कोलार) : सभापति महोदय, मैं एक सार्वभौम सत्य से अपना भाषण आरम्भ करूंगा, "यदि धन खो जाये तो कुछ खो जाता है, लेकिन यदि सेहत खो जाये तो सभी कुछ खो जाता है।" विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण तंदुरुस्ती की अवस्था का नाम स्वास्थ्य है और केवल बीमारी या विकलांगता का न होना ही स्वास्थ्य नहीं है।

प्रत्येक मनुष्य का यह एक मूल अधिकार है कि उसके लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित हो चाहे उसकी जाति या धर्म या राजनैतिक विचारधारा कुछ भी क्यों न हो। स्वास्थ्य के विषय में जानकारी न होना, प्रति व्यक्ति आय कम होना, पर्याप्त शिक्षा का अभाव होना, सफाई की उचित व्यवस्था न होना, सुरक्षित पेय जल उपलब्ध न होना, सामाजिक रूप से अस्वास्थ्यकर वर्जित कर्म करना आदि जैसे अनेक कारणों की वजह से समस्त भारतीयों के लिए अच्छा स्वास्थ्य सुरक्षित करना संभव नहीं है। यद्यपि हमने प्लेग और चेचक जैसी बीमारियों का उन्मूलन कर दिया है परन्तु हैजा, मलेरिया, कुष्ठ रोग, क्षयरोग, अंधापन, फिलारिऐसिस जैसी बीमारियों और अनेक अन्य बीमारियों पर अभी काबू नहीं पाया जा सका।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अस्वास्थ्यकर स्थितियां व्यापक रूप से विद्यमान हैं। संरक्षित जल सप्लाई और जल-निकास व्यवस्था पूर्णतः अपर्याप्त है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के इतने वर्षों के पश्चात भी महिलाओं को मल-मूत्र त्यागने के लिए खुले स्थानों पर जाना पड़ता है जहां उन्हें किसी

प्रकार का एकान्त नहीं मिल पाता। औसत भारतीयों द्वारा खाया जाने वाला भोजन अपर्याप्त और असंतुलित रहता है।

उपचारी और निवारक स्वास्थ्य सेवाएं पूर्णतया अपर्याप्त हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय प्रत्येक 6,300 लोगों के लिए एक डाक्टर, प्रत्येक 43,000 व्यक्तियों के लिये एक नर्स, प्रत्येक 4,00,000 व्यक्तियों के लिए एक हेल्थ विजिटर और प्रत्येक 60,000 व्यक्तियों के लिए एक मिड वाइफ विद्यमान थी; प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिए केवल 0.24 शय्यायें उपलब्ध थीं। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी डाक्टरों, नर्सों, हेल्थ विजिटरों, मिड-वाइफ के सम्बन्ध में स्थिति और शय्याओं की व्यवस्था में पर्याप्त सुधार नहीं हुआ है।

अस्पताल और डिसपेंसरियां विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अपर्याप्त हैं और सेवाओं का स्तर गिरा हुआ है। आज वे हम उपयुक्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में असफल रहे हैं। हम उचित रोग निदान और उपचार हेतु परामर्शदाता, प्रयोगशाला और संस्थागत आदि समस्त प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाने में असफल रहे हैं। सरकार देश की ग्रामीण जनता, जो बहुत अधिक अशिक्षित और गरीबी से ग्रस्त है, को दूरदराज के इलाकों में चल-डिस्पेंसरियां उपलब्ध करवाने में असफल रही है।

सरकार ने विभिन स्तरों पर संगठन को एक समान करने और एकीकृत करने के लिए कोई प्रयास नहीं किए हैं। चेचक, मलेरिया, फिलेरिया, क्षयरोग, कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए संगठनात्मक और उपचार दोनों स्तरों पर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये। देश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में ज्वलंत समस्याएं हैं—क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मलेरिया, फिलेरिया, कुपोषण सहित जनसंख्या अधिक होना, शिशुओं की ऊंची मृत्युदर तथा अंधापन। इस संबंध में सरकार पर्याप्त निवारक उपाय नहीं कर रही है।

सरकार प्रदूषण के खतरों पर रोक लगाये बगैर आधुनिक उद्योग स्थापित करने में उत्सुक है। देश में खाद्यान्न सप्लाई अपर्याप्त है और सप्लाई की जा रही खाद्यान्न सामग्री में और अधिक मिलावट की जा रही है जिसके कारण कैंसर की घटनाएं अधिक से अधिक हो रही हैं। देश की ग्रामीण जनता की सेवा करने के लिए रोग निदान सुविधाएं और उपचार संस्थान पर्याप्त संख्या में नहीं हैं।

मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को सामान्यतया बुरी तरह से कुपोषण का शिकार होना पड़ता है और ऐसा विशेष रूप से निर्धन परिवारों में होता है। पोषण के मामले में पहली वरीयता पुरुषों को दी जाती है उनके बाद क्रमशः बच्चों और महिलाओं का नम्बर आता है। कुपोषित माताएं कमजोर शिशुओं को जन्म देती हैं, और उन्हें उनका ठीक-ठाक पालन करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे शिशु प्रायः मौत के शिकार हो जाते हैं। अपने शिशुओं को मृत्यु के हाथों खो जाने के पश्चात वे फिर गर्भ धारण करती हैं। इस प्रकार निर्धन परिवारों की महिलाएं जल्दी-जल्दी गर्भ धारण करती हैं और इसके परिणामस्वरूप उनके व्यावसायिक और आर्थिक स्तर में गिरावट आती है। बार-बार गर्भधारण करने से न केवल जनसंख्या में वृद्धि होती है बल्कि यह माता को भी कमजोरी से तोड़ देता है और उसके स्वास्थ्य को गिरा देता है।

भारत की गर्भवती महिलाओं में से लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं गर्भावस्था के अन्तिम 3 महीनों में पोषण संबंधी रक्तक्षीणता से ग्रस्त हो जाती हैं। प्रत्येक वर्ष गर्भवती महिलाओं की

संख्या 2 करोड़ 30 लाख बढ़ जाती है। अनुमान है उनमें से 76 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों से होती हैं। इस प्रकार गर्भवती महिलाओं की पोषण संबंधी रक्तक्षीणता की समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।

एक से पांच वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों में विटामिन ए की कमी के कारण अंधेपन को रोकने के लिए एक प्रभावी रोगनिरोधन कार्यक्रम आरम्भ करने की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमें माताओं और शिशुओं में रुग्णता और मृत्यु की वर्तमान ऊंची दर को घटाने के लिए एक मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। इस दिशा में कर्नाटक सरकार ने गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अन्तिम 3 महीनों में कुछ आर्थिक लाभ दिये हैं ताकि माता और शिशु को स्वस्थ रखा जाए। मेरा भारत सरकार से भी अनुरोध है कि पूरे देश भर में कमजोर वर्गों की महिलाओं को कुछ इसी प्रकार के आर्थिक लाभ उपलब्ध करवाए जायें।

मैं कोलार जिला से आया हूं जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। यहां पीने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है और यहां समय-समय पर सूखा पड़ता है। हाल ही के वर्षों में जापानी एन्सेफलेसाइरिस का प्रकोप होना एक सामान्य बात हो गयी है। केशनूर वन रोग (के० एफ० डी०) एक घातक विषाणु रोग है जिसके कारण स्थायी अपंगता हो जाती है जिसकी वजह से कर्नाटक की ग्रामीण जनता पर घोर विपत्ति टूट रही है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे नोट नहीं किया और विशेष रोगों का सामना करने के लिए टीकों का निर्माण करने के वास्ते कोई विशेष उपाय नहीं किए गए।

जितनी बार हमारा दिल धड़कता है उतनी देर में यदि एक मृत्यु होती है तो उसके पीछे दो अधिक बच्चे जन्म लेते हैं। प्रत्येक 1000 व्यक्तियों के लिए विश्व की जन्म और मृत्यु दर क्रमशः 29 और 12 है। इस प्रकार हम जनसंख्या-विस्फोट के युग में जी रहे हैं। यदि जनसंख्या वृद्धि की वर्तमान दर बरकरार रहती है तो विश्व की जनसंख्या में एक बिलियन की वृद्धि हो जाने में केवल 12½ वर्ष लगेंगे। इस ग्रह पर आगामी शताब्दी के पहले दिन सूर्योदय के समय जनसंख्या कम से कम 6.2 बिलियन होगी और प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से केवल 0.02 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र आयेगा। भारत का जनसंख्या विस्फोट में दूसरा स्थान होने के कारण इसे सबसे अधिक कष्ट उठाने पड़ेंगे।

हम सभी अपनी महिलाओं और अपने बच्चों को एक बेहतर जीवन देना चाहते हैं। महिलाओं, जिनका शिशु मृत्यु दर और बच्चों के स्वास्थ्यवर्धक विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है, के जीवन में 3 प्रकार से मौलिक सुधार लाने की आवश्यकता है।

1. गर्भावस्था और बच्चों को दूध पिलाने के कठिन समय में मां के लिए और दूध छुड़ाने के समय बच्चों के लिए अधिक पौष्टिक आहार, 2. महिलाओं के लिए अपने परिवार की संख्या नियत करने के बारे में और शिशु जन्मों के बीच की अवधि नियत करने के बारे में स्वयं अधिक चुनाव करना, 3. महत्त्वपूर्ण सूचनाओं को महिलाओं की पहुंच तक लाने के लिए उन्हें अधिक शिक्षा देना।

भारत सरकार ने इस दिशा में कोई विशेष उपाय नहीं किये हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय करें।

महोदय, जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी बनाने हेतु परिवार कल्याण के लिए प्रोत्साहन देने

के संबंध में, सरकार ने पिछले कई वर्षों की अवधि में परिवार कल्याण कार्य के निष्पादन में पाई गई कमियों को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के प्रोत्साहन नहीं दिए हैं। यह उचित समय है कि सरकार परिवार नियोजन के लिए गर्भपात का तरीका अपनाने वाले दम्पतियों के लिए नकद प्रोत्साहन जैसे प्रोत्साहन देने के वास्ते एक न्यूनतम राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करे। स्वैच्छिक रूप से एक बच्चा चाहने वालों को विशेष लाभ दिये जायें। जो लोग कार्यरत हैं और केवल एक बच्चा चाहते हैं उनको विशेष वेतन वृद्धि दी जाये। छोटे परिवार की सीमाओं को मानने वालों के लिए मकानों के आबंटन, कम ब्याज पर ऋण, छुट्टी और यात्रा सुविधाएं, आयकर में कटौती, बिजली और जल के उपकर में कमी करने पर विचार किया जाये।

महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन वाली नौकरियां मुहैय्या कराने के लिए विशेष प्रयास किए जायें। हमें और अधिक महिलाओं को अध्यापक और तकनीशियन बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए परिवार नियोजन सम्बन्धी पद्धतियां होनी चाहिए और गर्भनिरोध करवाने की जिम्मेवारी परिवार पर होनी चाहिये।

हमारे डाक्टरों को वेतन कम मिलता है और इसके परिणामस्वरूप वे बेहतर जीवन और सुविधाओं के लिए विदेश जा रहे हैं जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों के अस्पतालों और डिसपैंसरियों में ज्यादा रिक्तियां हो रही हैं और चिकित्सा व्यवसाय में कदाचार बढ़ रहे हैं।

इन खामियों को नियन्त्रित करने के लिए माननीय स्वास्थ्य मन्त्री ने चिकित्सा व्यवसाय को राष्ट्रीयकृत करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं किया है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि चिकित्सकों को कम से कम 5,000 रु० वेतन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय सुविधायें प्रदान कर रोगों से पीड़ित ग्रामीण जनता की सेवा करने के लिए कहा जाये। इससे सरकार भारतीय विद्वानों के विदेश जाने पर भी रोक लगा सकती है जो कि प्रतिभापलायन हमारे विकासशील देश के लिए समस्या बन गई है।

"इलाज से परहेज बेहतर है" इस सार्वभौमिक सत्य के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता है।

प्रो० एम० आर० हाल्वर (मथुरापुर) : सभापति महोदय, स्वास्थ्य संबंधी बजट के सम्बन्ध में बोलने का अवसर प्राप्त होने पर मैं इस बजट का समर्थन करना चाहता हूं क्योंकि इस बजट के आंकड़े उचित हैं। इस सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तिका "राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति" तथा इस विभाग की 1984-85 की रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है। मैंने इन पुस्तकों को ध्यानपूर्वक पढ़ा है जिससे पता चलता है कि इस सरकार की नीतियां तथा किए गए उपाय प्रशंसनीय हैं। रिपोर्ट से यह पता चलता है कि हमारी सरकार देश के विभिन्न भागों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सहायक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्रों को कुछ निश्चित मानदण्डों के साथ स्थापित कर रही है।

इसमें लिखा है कि 30,000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक केन्द्र स्थापित किया जायेगा तथा कुछ विशेष मामलों में जैसे अनुसूचित जनजातियों और पर्वतीय प्रदेशों में कुछ रियायतें भी दी गई हैं जैसे 20,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 3,000 की जनसंख्या वाले क्षेत्र के एक उप स्वास्थ्य केन्द्र होगा। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि मैं मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं जो सुन्दरवन क्षेत्र में है और जो स्वतन्त्रता प्राप्ति से लेकर अब तक उपेक्षित है। मैंने मन्त्री

महोदय की इस क्षेत्र को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पहले से ही लिख दिया है। मुझे संदेह है कि हमारे क्षेत्र की समस्याओं जैसी समस्यायें देश के किसी अन्य भाग में विद्यमान हों। सुन्दरबन में सात-आठ द्वीप हैं और प्रत्येक द्वीप मुख्यालय से कम-से कम दस-पन्द्रह किलोमीटर दूर है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां आपत्ति पड़ने पर यदि किसी रोगी को मुख्यालय ले जाया जाय तो इसमें तीन-चार घंटे लगते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक सुन्दरबन के लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से उपेक्षित रखा गया है।

कुछ समय पहले विपक्ष के मेरे एक मित्र ने कहा कि जल प्रदाय विभाग तथा पर्यावरण प्रदूषण विभाग में समन्वय होना चाहिए। मैं इस प्रस्ताव से सहमत हूं। कुछ दिन पहले मैंने इस संसद में एक प्रश्न किया था तथा प्रभारी आवास मन्त्री ने उत्तर में यह कहा था कि 1984-85 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 12 करोड़ रुपए केन्द्र को वापिस किए गए थे। ऐसा क्यों हुआ? यह पश्चिम बंगाल सरकार की अयोग्यता के कारण हुआ है। वह अन्य उत्तरदायित्वों को निभाने में समर्थ नहीं है ताकि वह धन व्यय कर सकती। मेरा विचार है कि इस विभाग का जल प्रदाय विभाग तथा पर्यावरण प्रदूषण विभाग से पारस्परिक सम्बन्ध होना चाहिए। यदि सुन्दवन क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ किया जाता है तो मैं मन्त्री महोदय को बधाई दूंगा। लोगों की सिर्फ जल संबंधी समस्या ही नहीं है बल्कि अन्य कई समस्यायें भी है।

यहां मैं एक दूसरे बहुत ही महत्त्वपूर्ण मामले के बारे में कहूंगा। यह सर्वविदित है कि अधिकतर रक्त बैंक शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का क्या होगा? आंकड़ों से ज्ञात होता है कि अधिकतर लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। एक किसान जो बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या बीमार हो जाता है उसे रक्त की आवश्यकता होती है लेकिन रक्त प्राप्त करने के लिए उसे शहर जाना पड़ता है जो ग्रामीण क्षेत्र से 100-200 मील दूर है। मन्त्री महोदय को मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक डिवीजन अस्पताल में रक्त रखने का इन्तजाम होना चाहिए। प्रत्येक उप प्रभागीय अस्पताल में रक्त बैंक की स्थापना की जानी चाहिए। एक्सरे के लिए भी किसानों को शहरों में ही जाना पड़ता है। मैं सुझाव दूंगा कि प्रत्येक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक्सरे लेने का भी इन्तजाम होना चाहिए।

मैं मंत्री महोदय को जीवनदायिनी औषधियों के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। यह सर्व विदित है कि अनेक संघटकों से औषधियों का निर्माण किया जाता है और ये संघटक विदेशों से आयात किए जाते हैं। हमारे देश में ऐसी कई एजेन्सियां हैं। उनमें से कुछ ही जीवनदायी दवाएं बनाने के लिए उनका आयातित कर रही हैं जिस वजह से गरीब लोगों को ऐसी दवायें प्राप्त नहीं हो रही हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि सरकार को ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे वह स्वयं जीवनदायी दवाओं के लिए ऐसे संघटकों का आयात करके उन्हें बड़ी या छोटी सभी कम्पनियों को वितरित कर दे ताकि अनिवार्य जीवनदायिनी दवायें बनाई जा सकें।

दवाओं के नुसखों के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कुछ दवाएं प्रचलन में पुरानी हैं जो न केवल पुरानी हैं अपितु उनका प्रतिकूल प्रभाव भी शरीर पर पड़ता है। ये दवायें हमारे देश के चिकित्सकों द्वारा रोगियों को बतायी जा रही हैं यद्यपि वे इस बात को पूरी तरह जानते हैं।

इस संदर्भ में मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा ताकि वह इस

दिशा में आवश्यक कदम तुरन्त उठाएं जिससे देश में इन दवाओं का प्रयोग बन्द किया जा सके। अन्यथा रोगियों पर इनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

इस संबंध में मैं मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना भी करना चाहूंगा कि वे पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन के लोगों के लिए भी कुछ करें क्योंकि उन द्वीपों के लोगों की संख्या 15,000 या 20,000 होगी और उनकी तरफ स्वास्थ्य मंत्री तथा स्वास्थ्य विभाग दोनों को विशेष ध्यान देना चाहिए। इस अवसर पर मैं स्वास्थ्य मंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र में आमंत्रित करता हूं ताकि वह वहां रहने वाले लोगों की स्थिति की वास्तविकता, विशेषतया क्षेत्र की स्वास्थ्य तथा सफाई संबंधी स्थिति को जान सकें। मेरे मित्र सनत कुमार मण्डल भी सुन्दरवन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अपने क्षेत्र के लोगों की तरफ से मैं मंत्री महोदय को अपने क्षेत्र में आने के लिए दुबारा आमन्त्रित करूंगा जिससे वह वहां की स्वास्थ्य संबंधी वस्तु स्थिति को स्वयं जान सकें। इन शब्दों के साथ, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री अनन्त प्रसाद सेठी (भद्रक) : सभापति महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, यह ठीक ही कहा गया है कि "स्वास्थ्य ही धन हैं।" सुपोषित स्वस्थ लोग देश की सम्पत्ति के समान हैं क्योंकि देश मानव जाति के अस्तित्व तक ही सीमित नहीं है बल्कि मानव जाति देश के हर प्रकार के आर्थिक विकास का साधन हैं। मानव कल्याण तथा सामर्थ्य सहचारी हैं। स्वस्थ लोगों का होना देश के लिए एक बड़ी बात है। इस बात के लिए हम सबको मिलकर यह प्रयत्न करना चाहिए कि देश के सभी नागरिक अधिक स्वस्थ हों तथा अधिक अच्छा जीवन व्यतीत करें। इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार को इस बात का पूरा ध्यान हैं और वह परिवार कल्याण संबंधी चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं, रोगों की रोकथाम के उपायों उपचारात्मक उपायों आदि के संबंध में हर संभव प्रयास कर रही है। इस बजट में इस काम के लिए पर्याप्त धनराशि भी निर्धारित की गई है। मुझे विश्वास है कि आगामी पांच वर्षों में हमारी सरकार निश्चय ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेगी।

श्रीमान् जी, लोगों, विशेषतया बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं, के स्वास्थ्य के सुधार के लिए सबसे पहला कदम है कुपोषण का निराकरण। मैं जानता हूं कि सरकार इस समस्याओं से अवगत है तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत माताओं तथा बच्चों के लिए प्रोत्साहक, निवारक, उपचारात्मक तथा स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। हम सबने स्वीकार कर लिया है कि चिकित्सा संबंधी मामलों में निवारक उपायों को अपनाया जाना चाहिए तथा उपचारात्मक उपायों के स्थान पर निवारक उपायों को प्राथमिकता देनी चाहिए। किन्तु वास्तव में हम अब भी उपचारात्मक उपायों के लिए संसाधनों को 80 प्रतिशत आबंटन कर रहे हैं। अतः जब तक कुपोषण को समाप्त नहीं किया जाता, पेय जल, स्वास्थ्य सुविधाओं को प्रदान नहीं किया जाता, गरीबों के लिए आवासादि में सुधार नहीं लाया जाता तथा आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दी जाती तब तक अस्पताल अथवा दवाइयां उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकतीं। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि लोगों के स्वास्थ्य सुधार के लिए उपचारात्मक उपायों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कार्य करें तथा उस दिशा में निश्चित कदम उठायें।

इसमें कोई शक नहीं है कि स्वास्थ्य मंत्रालय क्षय रोग, कुष्ठ रोग, चेचक, मलेरिया आदि बड़ी बीमारियों, जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाती हैं, का नियन्त्रण करने के लिए

प्रयत्नशील है। ये बीमारियां इन क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से सुविधा सम्पन्न अस्पतालों के अभाव के कारण हैं जिससे इनकी सही देखरेख नहीं हो पाती। सरकार मोतियाबिन्द के कारण हुए अन्धेपन को दूर करने के लिए, जो आमतौर पर देश के दूरस्थ क्षेत्रों में पाया जाता है, बड़े पैमाने पर आपरेशन के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दे रही है। सरकार इस बात से अवगत है तथा इसके लिए उचित प्रयत्न कर रही है।

इसके अलावा देश के लगभग सभी अस्पतालों में कैंसर का पता लगाने तथा उसके उपचार आदि की सुविधाएं विकसित कर ली गई हैं। किन्तु साथ ही लोगों की अल्कोहलिक पेचों से दूर रहने के लिए भी अनुदेश तथा सुझाव दिए जाने चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में यह कार्य विभिन्न माध्यमों से प्रचार करके किया जा सकता है।

मलेरिया रोकथाम के लिए 1984-85 के दौरान संशोधित योजना का संचालन किया गया जिसके द्वारा मलेरिया के रोगियों की संख्या 1976 में 65 लाख से घटकर 1982 में 20 लाख 18 हजार हो गयी। गांवों में फाइलेरिया रोग की समस्या को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम नीति बनाई जा रही है। बच्चों की मृत्यु दर जो कई वर्षों से 127 और इससे अधिक थी, 1982 में घटकर 114 हो गई। इस दर को और अधिक गति से कम करने के लिए अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में, मैं माननीय मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि नए खोले जा रहे प्रत्येक प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र में ग्राम स्वास्थ्य गाइडों को नियुक्त किया जाए ताकि लोगों के स्वास्थ्य में सुधार किया जा सके। इससे लोगों में फैली यह बीमारी दूर हो जाएगी जो कि बहुत समय से हम पर हावी है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि हमारी जनता के जीवन स्तर में सुधार करने के रास्ते में बहुत बड़ी बाधा है। 1951 में नियोजित विकास शुरू होने के समय से, सरकार ने राष्ट्र के विकास कार्यों में जनसंख्या की समस्या को केन्द्रीय विषय स्वीकार किया है। भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक जन्म दर से तेजी से समृद्धि लाने के लिए किए गए प्रयास पिछड़ जाएंगे। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत ने जन्म दर में कमी लाने के लिए सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया। सरकार ने इसे दृढ़ता से शुरू किया और शैक्षणिक अभियान कार्यक्रमों तथा प्रचार द्वारा लोगों का इसमें सम्मिलित होना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं। प्रचार माध्यमों विशेष रूप से दूरदर्शन और आकाशवाणी का प्रयोग आन्दोलनों को प्रेरित करने के लिए किया जा रहा है। लोगों को बच्चों के जन्म में अन्तर रखने और गर्भपात कराने के तरीके अपनाने के लिए समान रूप से उत्साहित किया जाता है और अब इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए दो बच्चों के परिवार के सिद्धांत पर जोर दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि दूरस्थ क्षेत्रों, जहां इसकी अधिक आवश्यकता है, में इस कार्यक्रम को अपनाने पर अधिक ध्यान दिया जाए।

इसके अतिरिक्त, मैं अपने राज्य के लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति का उल्लेख करना चाहूंगा। हमारी राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना में 12,399.00 लाख रु० निर्धारित किए गए हैं और 1985-86 के वार्षिक योजना में 2408.00 लाख रुपये दिए गए हैं। परन्तु केन्द्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार न होने के कारण योजना तथा समन्वय विभाग द्वारा सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए धनराशि की अधिकतम सीमा का पता नहीं चला है।

अब मैं राज्य सरकार के सुझावों की चर्चा करना चाहता हूं कि उड़ीसा में स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के विकास के लिए कार्यकारी समिति ने क्या सिफारिश की है।

पहला सुझाव है सातवीं पंचवर्षीय योजना में 100 नए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र स्थापित करना, 25 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों का दर्जा बढ़ाना, 300 सहायता केन्द्रों का निर्माण और 39 आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथिक चिकित्सालयों का निर्माण करना, जिसके लिए 1657.17 लाख रुपये निर्धारित किए गए। परन्तु कार्यकारी दल ने 50 नए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना, 450 ग्रामीण चिकित्सालयों को प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में बदलने, 500 सहायता केन्द्रों के निर्माण और 42 डिवीजनल अस्पतालों और 135 सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों में फेरबदल करने का सुझाव दिया। उन्होंने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 3402.00 लाख तथा वर्ष 1985-86 के लिए 675.00 लाख रुपए की सिफारिश की। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप विस्तार से इस मामले का निरीक्षण करें और देखें कि कार्यक्रम के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए केन्द्र सरकार से अधिक धनराशि की मन्जूरी दी जाये, क्योंकि उड़ीसा गरीब राज्य है और लोगों की सामान्य स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति बहुत खराब हैं इसलिए राष्ट्रीय राजपथ के अस्पतालों में और अधिक एक्सीडेंज यूनिट प्रदान करके जिला तथा सब-डिवीजनल मुख्यालय अस्पतालों में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करके तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों का निर्माण करके लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने की ओर अधिक ध्यान दिया जाए और प्रयास किए जाएं।

दूसरे, उड़ीसा सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार राज्य सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चिकित्सा शिक्षा के लिए 3410.95 लाख रुपये और अनुसंधान कार्यों के लिए 30 लाख रुपये निर्धारित किये। इसके लिए, कार्यकारी दल ने चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए 700.00 लाख रुपये का सुझाव दिया। परन्तु उड़ीसा के मेडिकल कालेजों और अनुसंधान संस्थानों को आगे अनुसंधान के लिए और अधिक नवीन, वैज्ञानिक और आधुनिकतम उपकरणों की आवश्यकता है।

उड़ीसा में क्योंकि कोई भी चिकित्सा संस्थान नहीं है, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से उड़ीसा में, विशेष रूप से भुवनेश्वर में, केन्द्र द्वारा एक अनुसंधान संस्थान की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

चूंकि राज्य में दिन-प्रतिदिन भारतीय चिकित्सा पद्धति आई० एस० एम० और होम्योपैथी प्रणाली अधिक लोकप्रिय होती जा रही है, उड़ीसा सरकार ने सुझाव दिया है कि 126 होम्योपैथिक चिकित्सालय, 126 आयुर्वेदिक चिकित्सालय, 25 यूनानी चिकित्सालय और तीन अस्पताल एक आयुर्वेदिक, एक होम्योपैथिक और एक प्राकृतिक चिकित्सालय की स्थापना की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकार ने 1016.82 लाख रुपये निर्धारित किए और कार्यकारी समिति ने 500 लाख रुपये की सिफारिश की है। अतः मैं मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि उपरोक्त अस्पतालों और चिकित्सालयों की स्थापना के लिये और अधिक धनराशि आबंटित करें। अस्पतालों तथा शल्यचिकित्सा कक्षों की सफाई व्यवस्था और रख-रखाव पर भी चौकसी रखी जानी चाहिये। गरीब तथा जरूरतमन्द रोगियों को, जो अपने उपचार के लिये बाहर से महंगी दवाइयां नहीं खरीद सकते, मुफ्त दवाइयां प्रदान करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। ये गरीब लोग, जो अपनी आय से अपने परिवार का पालन-पोषण करने में भी समर्थ नहीं हैं, बाहर बाजार से दवाइयां किस प्रकार खरीद सकते हैं? अतः पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले गरीब

लोगों, जहां विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लोग रहते हैं, की ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

मैं उड़ीसा की एक और महत्वपूर्ण समस्या का उल्लेख करना चाहूंगा । उड़ीसा राज्य हमेशा से प्राकृतिक आपदाओं का शिकार रहा है । जैसे बाढ़ सूखा इत्यादि । इन आपदाओं के समय अन्दरूनी क्षेत्रों के लोगों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं मिलतीं, जिसके कारण अक्सर इन लोगों की जानें चली जाती हैं ।

3.35 मं० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इस समस्या पर विचार करते हुए मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस पुरानी समस्या का समाधान करने के लिए एक स्थायी कार्यक्रम अमल में लाना चाहिए ।

अंत में मैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के '2000 ईस्वी सन तक सभी के लिए स्वास्थ्य' के लक्ष्य का स्वागत करता करता हूं । मुझे विश्वास है कि हमारे युवा प्रधान मंत्री के प्रभावकारी और गतिशील नेतृत्व में हम निश्चित रूप से और बिना किसी संदेह के अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल होंगे ।

डा० सी० पी० ठाकुर (पटना) : श्रीमान्, मैं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बोलने के लिए दिये गये इस अवसर के लिए आपका आभारी हूं । मैं सरकार को लीनर एक्सेलरेटर तथा मैगनेटिक रेसोनेन्स और अन्य महत्वपूर्ण अत्याधुनिक उपकरणों पर लगने वाले आयात शुल्क में कमी करने के लिए बधाई देता हूं । लेकिन मैं यहां एक सुझाव देना चाहूंगा । इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस कम्पनी से ये उपकरण खरीदे जाएं उस कम्पनी द्वारा अतिरिक्त पुर्जों की सप्लाई और मरम्मत आदि की सुविधा के लिए कम से कम पांच वर्ष की गारंटी दी जानी चाहिए, वरना बहुत से संस्थानों में इस प्रकार के मूल्यवान उपकरणों को जंग लग जायेगा ।

दूसरे, मैं सरकार को रिफमपिसिन नामक औषधि, जो क्षय रोग और कुष्ठ रोग के उपचार के प्रयोग में लाई जाती है, के निर्माण में प्रयोग में काम आने वाली औषधियों के शुल्क में कमी के लिए बधाई देता हूं । यहां मैं बताना चाहूंगा कि क्षय रोग का उपचार हम तीन औषधियों से आरम्भ करते हैं । ये औषधियां बहुत महंगी हैं । ऐसा ही मामला कुष्ठ रोग की दवाइयों के साथ है । मैं सुझाव दूंगा कि सरकार को या तो इन दोनों प्रकार के रोगों के उपचार के लिए भारी मात्रा में आर्थिक सहायता देनी चाहिए अथवा रोगियों को निःशुल्क औषधियां सप्लाई की जानी चाहिए । अन्यथा रोगी अपने उपचार को जारी नहीं रख सकेंगे । वे उपचार को बीच में छोड़ देते हैं और इस प्रकार उन पर दवाई का असर नहीं रहता ।

हमारे सतत प्रयासों से जन्म दर में कमी आई है, जीने की सम्भावना में वृद्धि हुई है और मृत्यु दर में भी कमी आई है । लेकिन यहां विभाग द्वारा दी गई पुस्तिका में यह कहा गया है कि जीने की सम्भावना में वृद्धि होने से हम बुढ़ापे अर्थात् जरा चिकित्सा का सामना कर रहे हैं । लेकिन जरा चिकित्सा की समस्या का सामना कैसे किया जाए इस बात का उल्लेख पुस्तिका में नहीं है ।

अब मैं चिकित्सा शिक्षा के प्रश्न पर आता हूं । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस देश में

चिकित्सा शिक्षा का स्तर गिर रहा है। यह बात भारतीय चिकित्सा परिषद के सभापति जैसे व्यक्ति ने प्रेस को खुले रूप में बताई है कि देश में चिकित्सा शिक्षा का स्तर गिर रहा है। इसका कारण ढूंढने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। केन्द्र द्वारा निमंत्रित शैक्षिक संस्थान अर्थात् पांडिचेरी में जवाहरलाल नेहरू स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान को भारतीय चिकित्सा परिषद ने मान्यता न देने की धमकी दी है। यदि केन्द्रीय नियंत्रित संस्थानों की यह हालत है तो आप इस बात का अन्दाजा लगा सकते हैं कि प्रान्तीय सरकारों द्वारा शासित संस्थानों की हालत क्या होगी।

मैं यहां यह सुझाव दूंगा कि देश में सभी चिकित्सा कालेजों के स्तर की सालाना जांच की जानी चाहिए। अन्यथा हम निम्न स्तर के डाक्टर पैदा करेंगे और लोग कहेंगे कि विभाग घुमा-फिराकर परिवार नियोजन की बात पर जोर देना चाहता है। अत: शिक्षा के उत्तर में सुधार किया जाना चाहिए। चिकित्सा कालेजों में भी कुछ गुणावस्था नियंत्रण होना चाहिये।

मैं यह भी सुझाव दूंगा कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक अस्पताल होना चाहिए जो कि अपने आप में पूर्ण रूप से एक अस्पताल हो और जिसमें सभी प्रकार की सुविधायें हों। यदि संभव हो सके तो इस अस्पताल के लिए धन की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा की जानी चाहिए। बिहार में रांची के बहुत पुराने मानसिक अस्पताल के अलावा और एक भी ऐसा अस्पताल नहीं है जो केन्द्र की सहायता से चल रहा हो। स्वास्थ्य क्षेत्र के नाम पर एक भी ऐसा अच्छा संस्थान नहीं है जिसको केन्द्र द्वारा आर्थिक सहायता दी गई हो। मेरा सुझाव यह है कि इन्दिरा गांधी स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान को केन्द्र के नियंत्रण में लाला जाना चाहिए और इसको सम्पूर्ण बिहार के लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करना चाहिए।

मैं यहां इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने एक बहुत बड़े संस्थान अर्थात पटना के राजेन्द्र स्मारक संस्थान को अपने अधिकार में ले लिया है लेकिन यह संस्थान कुछ भी कार्य नहीं कर रहा है। वे उस संस्थान में पिछले चार-पांच वर्षों में एक निदेशक की नियुक्ति भी नहीं कर सके हैं। अत: मैं समझता हूं कि इस संस्थान का विकास उष्णकटिबन्धीय रोगों के लिए एक अच्छे अनुसंधान संस्थान के रूप में किया जाना चाहिए।

भारत में स्वास्थ्य शिक्षा की ओर उचित ध्यान नहीं किया गया है। यदि हम 2000 ईस्वी सन तक सभी के लिए स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें स्वास्थ्य शिक्षा पर अधिक जोर देना होगा। इस कार्यक्रम में डाक्टरों, आधे चिकित्सा कर्मचारियों सेवानिवृत कर्मचारियों तथा स्वास्थ्य गाइडों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

इस कार्यक्रम के लिए प्राथमिका निर्धारित की जानी चाहिए। परिवार नियोजन के अनेक कार्यक्रमों, बीमारियों की रोक-थाम, टीके लगाने आदि का प्रचार स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम द्वारा किया जा सकता है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम का जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि मुझे यह मालूम नहीं है कि इन्होंने इस कार्यक्रम को यह नाम कैसे दिया है। इस विभाग द्वारा परिवार का क्या कल्याण किया गया है? परिवार नियोजन विभाग के कुछ कर्मचारियों को विवाह के पश्चात दम्पति के यहां जाना चाहिए जो उन्हें परिवार नियोजन से होने वाले फायदों आदि के बारे में बतायें। यह कार्य मैं एक

सर्वेक्षण कर रहा था। मुझे पता लगा कि अभी भी महिलाओं में 10, 11, 12 और 13 तक भी बच्चे हैं। अपने राज्य के बारे में मैं यह बात कह सकता हूं कि अत्यन्त शिक्षित परिवार के अलावा अन्य लोग जब तक उनके कम से कम चार बच्चे न हों, परिवार नियोजन के बारे में नहीं सोचते और उन चार बच्चों में सभी दो लड़के और दो लड़कियां। यदि उनके यहां चार लड़कियां हैं तो भी बच्चे पैदा करते रहेंगे जब तक कि उनके यहां एक लड़का उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार की हालत है। मैं यहां यह सुझाव दूंगा कि कार्यक्रम के लिए भी अधिक प्रचार की आवश्यकता है। इस परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार परिवार नियोजन के लिए दो प्रकार की गोलियां उपलब्ध करा रही है और इन गोलियों में इस्ट्रोजन की भारी मात्रा है और आधुनिक खोज के पश्चात् यह पाया गया है कि यदि हम इस्ट्रोजन की अधिक मात्रा देते हैं तो इससे छाती में कैंसर, सर्वाइकल और हृदय रोग आदि हो सकता है। अतः सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए और यह देखना चाहिए कि इन गोलियों में इस्ट्रोजन की इतनी भारी मांग नहीं होनी चाहिए।

बीमारियों के उन्मूलन का जिक्र करते हुए मैं कहूंगा कि पुस्तिका में काला ज्वर के उन्मूलन के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। अभी हाल में संसद में दो प्रश्न उठाये गये थे एक बिहार के संसद सदस्य द्वारा उठाया गया था और दूसरा बंगाल के संसद सदस्य ने उठाया था। इन प्रश्नों में कहा गया था कि उस भाग में काला ज्वर बहुत फैलता है, यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देकर उचित योजना बनाई गई होती तो इस बीमारी को डी० डी० टी० का छिड़काव करके काफी हद तक दूर किया जा सकता था।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद गर्भावस्था में रक्त की कमी (अनीमिया) पर अनुसंधान कर रहा है। यह परिषद गर्भवती महिलाओं को निशुल्क आयरन की गोलियां दे सकती है, इससे हमारे समाज का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ण होगा, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान अनेक महिलाओं की खून की कमी के कारण मृत्यु हो जाती है। प्रसव के दौरान उनका भारी मात्रा में खून बह जाता है जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार खून की कमी के नियंत्रण कार्यक्रम से देश में महिलाओं की आयु लम्बी हो जायेगी।

आजादी के अनेक वर्षों के बाद भी हम खाद्य नीति नहीं बना सके हैं। विशेष तौर पर हमारे देश में प्रत्येक सरकार को खाद्य नीति बनानी चाहिए। अनुसंधान के द्वारा अब यह सिद्ध हो गया है कि गर्भावस्था के दौरान और शिशु काल के प्रारम्भ में मस्तिष्क का अधिक विकास होता है।

अतः माताओं को और बच्चों को उनके आरम्भिक दिनों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन दिया जाना चाहिए। इसलिए मस्तिष्क सहित स्नायुतंत्र के अर्द्ध विकास की रोकथाम के लिए, अधिक आयु वाले लोगों में प्रोटीन, ऊर्जा कुपोषण तथा कमी वाली बीमारियों और हृदय रोग की रोकथाम के लिए किसी खाद्य नीति को बनाया जाना चाहिए। अतः सरकार को सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए एक खाद्य नीति बनानी चाहिए।

अनेक वर्षों से कुछ जीवन रक्षा औषधियां उपलब्ध नहीं हैं। ऐसी एक औषधि है बुसुल्फान। यह औषधि माइलोइड ल्यूकेमिया के उपचार के काम आती है। रोगी इस औषधि को प्राप्त करने के लिए जगह-जगह धक्के खाता है और अधिक पैसा खर्च करता है। इसके बावजूद भी उसको यह औषधि नहीं मिलती है। अतः देश में कम से कम सभी जीवन रक्षक दवाइयां उपलब्ध होनी चाहिये। रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा है कि सरकार जल्दी ही औषधि नीति बनाने जा रही

है। देश की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर औषधि नीति होनी चाहिए। हमारे देश में छूत की बीमारी बहुत सामान्य है। औषधि नीति का प्रतिपादन करते समय छूत की बीमारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : सभापति महोदय, आज हम एक महत्वपूर्ण एवं मौलिक समस्या पर विचार कर रहे हैं। आज सब जानते हैं कि हमारे देश की आबादी 70 करोड़ 40 लाख हो गई है और जिस अनुपात में आबादी बढ़ी है, उस अनुपात में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों की तादात नहीं बढ़ाई है। जो अस्पताल आज हमारे देश में मौजूद हैं, उन अस्पतालों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में दो तरह के अस्पताल काम कर रहे हैं, एक सरकारी अस्पताल और दूसरे अस्पताल वे हैं जो प्राइवेट स्तर में चलने हैं। प्राइवेट स्तर के अस्पतालों की स्थिति सरकारी स्तर पर देहाती क्षेत्र में और जिला स्तर पर चलने वाले अस्पतालों से अच्छी होती है। ऐसा क्यों है ? यह इसलिए है कि प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादातर खुशहाल परिवार और धनी-मानी लोग इलाज करवाते हैं। उन अस्पतालों को वे ही डाक्टर चलाते हैं जो अस्पतालों में काम करते हैं। आपके अस्पतालों से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। आज 50 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वे लोग अब अस्पतालों में जाते हैं तो वहां पर भी उनको दवाई नहीं मिलती है। दवा तो दूर की बात है, मुझे देखने को मिला है कि मरीजों को बैंडेल कपड़ा तक बाहर से मंगाकर देना पड़ता है। मैं पटना अस्पताल की बात कह रहा हूं, वहां बाहर से बैंडेज कपड़ा रोगियों द्वारा मंगवाया जाता है, दवाइयां तो दूर की बात है। आप कहते हैं कि अस्पतालों में मुफ्त दवाई का इंतजाम किया गया है, लेकिन वे दवाएं कहा चली जाती हैं, इस बात का आपको जवाब देना होगा। वे गरीब लोग जो घर में पैर रगड़ कर मरते हैं, अस्पताल में भी मर जाते हैं, इस चीज को आपको देखना होगा। गरीबों तक स्वास्थ्य सेवा कहां तक पहुंचाई गई है, इस चीज को देखने के साथ-साथ जो दवाई दी जाती है, जो उसका स्टेंडर्ड होता है, वह बहुत घटिया किस्म का होता है। घटिया किस्म की दवाई इसलिए खरीदी जाती है, क्योंकि उसमें कमीशन मिलता है। इसके अलावा जो दवा उत्पादन करने वाले हैं, उनके एजेंट जाकर दवाओं के सेंपल देते हैं, इनको आपके अधिकारी पास कर देते हैं और उन्हीं के द्वारा दवाई ली जाती है। इस घटिया किस्म की दवाई से रोगियों की मृत्यु हो जाती है। बहुत लोग दवाई के बिना मर रहे हैं, घटिया दवाओं से मर रहे हैं, ऐसी स्थिति में किसी देश की सरकार के लिए, जहां बहुत बड़ा हिस्सा दवाई के बिना मरता हो, जहां घटिया किस्म की दवाओं से लोग मरते हैं, उस सरकार के लिए यह कलंक की बात है। आज इस बात को आपको सोचना होगा कि हम इस रोग को कैसे दूर कर सकते हैं। बिहार में बहुत से डाक्टर बनकर बेकार बैठे हुए हैं। इस समस्या को भी सरकार को दूर करना चाहिए।

परिवार नियोजन की बात है, आज इस पर जितना खर्चा किया गया है, उतना लाभ हम नहीं उठा पाए हैं। इसका कारण क्या है ? मुझे ऐसा देखने को मिला है, देहाती क्षेत्र से मेरा संबंध है, आपका प्रचार ऐसा चला है कि अगर कोई कर्मचारी इतना टारगेट पूरा नहीं करेगा तो उनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। वे लोग ऐसे लोगों का नाम चढ़ा देते हैं, जिनका परिवार नियोजन का आपरेशन हो चुका है। कागजों में देखने पर पता चलता है कि इस क्षेत्र में इतना काम हो चुका है, लेकिन वास्तविकता और होती है। इसलिए यह योजना असफल हुई है।

इस बात का घर-घर में प्रचार करना चाहिए कि आज देश में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है, उससे देश के हालात खराब हो रहे हैं। अब तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि खुद गरीब लोग परिवार नियोजन की तरफ बड़ी तादाद में जा रहे हैं, जहां पर कि परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया जाता है। देहाती अस्पतालों के अंदर डाक्टर्स सही रूप से काम नहीं करते हैं। बिहार हर मामले में प्रथम श्रेणी लेता है। जितनी भी खराब चीजें हैं, वह सब बिहार में देखने को मिलेंगी। मैं यह कहने में नहीं हिचकता कि बिहार में घटिया किस्म की चीजें हो रही हैं। गरीबों को वहां पर दवाएं नहीं मिल रही हैं। डाक्टरों की जो नियुक्ति हो रही है, वे सब निजी प्रखण्ड के रहने वाले हैं और वहीं पर ही उनको पद-स्थापित किया जा रहा है। वे लोग प्राइवेट प्रैक्टिस करके धन कमा रहे हैं। आप अगर वहां की स्थिति को सुधारना चाहते हैं तो प्राइवेट प्रैक्टिस पर रोक लगानी पड़ेगी। यहां पर हर साल बहस होती है और होती रहेगी। लेकिन दिन-पर-दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। सरकार को तरह-तरह के सुझाव यहां से प्राप्त हुए हैं। उन सुझावों का लाभ तभी पहुंचेगा जबकि खामियों को दूर किया जायेगा। उसके बाद ही हम समझेंगे कि जिन सुझावों से सरकार को लाभ मिला है, उसको सरकार ने आम जनता तक पहुंचाया है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में कई दिनों से नर्सों की हड़ताल चल रही है। असल में मांग कुछ भी नहीं है। सरकार ने उनकी कुछ मांगों को मान लिया है। उसके बावजूद भी अधिकारी उन मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा कि इस हड़ताल से किसको नुकसान पहुंच रहा है। सरकार के आदेशों के बावजूद भी अधिकारी आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस बारे में सरकार को जांच करनी चाहिए कि आदेशों का पालन क्यों नहीं हो रहा है जिसकी वजह से रोगियों को तकलीफ हो रही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार सरकार ने सुनील मुखर्जी समिति का गठन किया था। उस समिति ने बिहार सरकार को अपनी एक रिपोर्ट भी दी थी कि एक चिकित्सा विश्वविद्यालय वहां पर होना चाहिए। यह रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गयी है। लेकिन केन्द्रीय सरकार ने इसको मानने से इन्कार कर दिया है। हम चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार इस पर पुनः विचार करे कि मुखर्जी समिति ने जो सुझाव दिया है कि बिहार में चिकित्सा विश्वविद्यालय कायम होना चाहिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल सके। मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में पुनः विचार करे।

श्री भवन पाण्डे (गोरखपुर) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी जो बजट प्रस्तुत किया है, उसमें यह प्रयास किया गया है कि गांवों तक भी इसका लाभ पहुंचे। फिर भी नीयत अच्छी होते हुए भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से कुछ कमियां हैं। मैं उन्हें बधाई देते हुए, उन कमियों की ओर उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहले परिवार नियोजन के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। जितना ढिंढोरा इसका पीटा जाता है, इतना पीटने के बजाय इसको अमल में लाने का प्रयास किया जाए तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा कामयाबी होगी। क्योंकि आज इसके पक्ष में वातावरण बन गया है। हिन्दुस्तान के अमीर और गरीब सारे लोगों के दिमाग में यह बात घर कर गई है कि यदि इस देश में पौपूलेशन पर कन्ट्रोल नहीं किया गया, यदि फैमिली प्लानिंग का सहारा नहीं लिया गया तो हमारा देश कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। सभापति महोदय, इसमें भी एक दिक्कत हमारे सामने आ रही है। मैंने कल परसों के अखबार में पढ़ा कि अब निरोध भी डीलक्स निकलने लग गए हैं। ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है कि अब निरोधों का भी वर्गी-

करण होने लग गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि जैसा वातावरण अन्य क्षेत्रों में बन गया है, वर्गीकरण का, वही वातावरण निरोध और परिवार नियोजन के क्षेत्र में न बनने पाये, इसके लिए आप व्यवस्था करें।

आज हमारे यहां एक भयंकर द्विविधा चिकित्सा के क्षेत्र में पैदा हो गई है और कुव्यवस्था के कारण लोगों का दिमाग कुछ इस प्रकार का बनता जा रहा है कि सरकारी अस्पतालों से उनका विश्वास उठ-सा गया है। दिल्ली में ही यदि आप देखें तो आल इण्डिया इंस्टीट्यूट आफ मैडिकल साइंसेज के साइज के तो नहीं, लेकिन उससे कुछ छोटे साइज के व्यक्तिगत और निजी प्रैक्टिस करने वालों के नर्सिंग होम बढ़ते ही जा रहे हैं। उनमें अच्छी व्यवस्था के कारण ज्यादा भीड़ देखने में आती है और लोगों का उन पर अधिक विश्वास होता जा रहा है। मैं समझता हूं कि अब चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूंजीवादीकरण होने लग गया है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि इस मनोवृत्ति को बदलने की ओर से कदम उठाये जाने बहुत आवश्यक हैं और वे अपने उत्तर में इस विषय को भी समाविष्ट करें।

जहां हमारे देश में धनवन्तरी और हकीम लुकमान जैसे चिकित्सा पार्स चिकित्सकों के आदर्श थे, जब हम उस देश के बजट पर दृष्टि डालते हैं तो मैं चिकित्सा मंत्री जी की अन्य बातों के लिए प्रशंसा करता हूं वहीं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह अंग्रेजी हमारे ऊपर सवार हो गई है उसी तरह एलोपैथी न हो। भारतीय चिकित्सा पद्धति का वैसे तो बहुत गुण गाया जाता है लेकिन वर्ष 1984-85 के बजट में किए गए कुल, रुपए 537 करोड़ के प्रावधान में से उसके हिस्से सिर्फ 29 करोड़ रुपया ही आया है और यह बहुत चिन्ता का विषय है। इस वर्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति के उन्नयन के लिए मात्र 29 करोड़ रुपया व्यय किया जाएगा और उसमें भी कितनी चिकित्सा पद्धतियां गिनाई गई हैं—होम्योपैथी, आयुर्वेदी, यूनानी और न जाने क्या-क्या, सबको उसमें जोड़ दिया गया है और इस तरह उसके हिस्से सिर्फ 29 करोड़ रुपए आया है। चिकित्सा मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि क्या इस तरह से भारतीय चिकित्सा पद्धति का मजाक उड़ाने का षडयंत्र तो नहीं रचा जा रहा है, आप इस ओर ध्यान दें। जहां होम्योपैथी आज सिर पर चढ़ कर बोल रही है, हर मैम्बर आफ पार्लियामैंट का बच्चा होम्योपैथी चिकित्सा प्राप्त करना चाहता है, जिस देश में धनवन्तरी और लुकमान जैसे चिकित्सक हुए हों, उस देश में भारतीय चिकित्सा पद्धति उपेक्षा का शिकार होकर रह जाए, आयुर्वेद हमारे देश से लुप्त होती जाए, यह हमारे लिए शर्म की बात होनी चाहिए। इसका दोष वैद्यों को दिया है और बात भी सही है। पहले जो पैथोलौजिकल टैस्ट नाड़ी देखने मात्र से ही कर लिए जाते थे, उन्होंने वह कला अपने शिष्यों को नहीं सिखाई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं हमारी जो सस्ती चिकित्सा पद्धति थी, उसके उन्नयन के लिए आपने क्या किया। मैं मानता हूं कि आपकी नियत बहुत अच्छी है लेकिन आज जिस तरह का वातावरण पैदा हो गया है, हम और आप स्वयं उसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। मैं चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चाहे होम्योपैथी ही अथवा आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा, जिस तरह से आप एलोपैथी के लिए प्रावधान कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से इन पद्धतियों के लिए भी आप आवश्यक प्रावधान बजट में करें। आप वैद्यों की खोज करें, वैद्यों के लिए आप जिस तरह की क्वालिफिकेशन्स मांगते हैं, कोई भी निपुण वैद्य जो घर पर बैठकर प्रेक्टिस कर रहा है, वह आपके पास मांगने के लिए नहीं आयेगा कि आप उसे नौकरी दो बल्कि आपको उसकी खोज करनी पड़ेगी। आपको उन्हें आगे लाकर सम्मानित करना होगा, उनको कहना होगा कि आप अनुसंधान कीजिए और भारतीय चिकित्सा

पद्धति को और आगे बढ़ाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पायेंगे कि जहां स्वास्थ्य के लिए आप अरबों रुपये का खर्चा कर रहे हैं, अरबों रुपये की दवाइयां इस देश में बाहर से मंगाई जा रही हैं, स्पूरियस ड्रग्स के बारे में हमारे हर माननीय सदस्य ने चिन्ता जाहिर की है, उन लोगों के इस प्रयत्न में आप कितने सहायक हो सकते हैं, इन सारी चीजों को समाप्त करने के लिए जब आप कदम उठायेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक परिवर्तन दिखाई पड़ेगा।

यहां एक चीज मुझे और निवेदन करनी है। वैसे तो मैंने नियम 377 के अंतर्गत भी इस विषय को इस माननीय सदन में उठाया था और वह है मच्छरों के बारे में। मच्छरों का मामला कुछ इस प्रकार का है करीब-करीब तीन-चौथाई बीमारियां हमारे यहां मच्छरों और मक्खियों की वजह से ही होती हैं।

4.00 प० प०

नई दिल्ली में तो आपने मच्छर-मक्खियों पर कंट्रोल कर रखा है लेकिन आउटर दिल्ली में यह बात निश्चित रूप से अभी भी है। आप पुरानी दिल्ली में रेलवे लाइन के पार चले जाइए, वहां ये सब मच्छर-मक्खी उसी तरह से मौजूद हैं जिस तरह देहातों में होते हैं। आपने अभी तक मलेरिया उन्मूलन और कालाजार उन्मूलन आदि के अभियान चलाये हैं, परन्तु अगर आप मच्छर-मक्खी उन्मूलन आदि के अभियान चलायें तो मलेरिया और कालाजार आदि बीमारियों से छुटकारा यों ही मिल सकता है।

इस बजट में जो कुछ आप कर सकती हैं, वह करने का मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। घंटी बज चुकी है, माननीय सभापति बड़े कृपालु हैं, कभी मौका मिलेगा तो मैं लिखकर भी संजैश्चन दूंगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं और इस मद में अधिक राशि बढ़ाने की मांग करता हूं।

श्री मनोज पांडे (बेतिया) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपका ध्यान अपनी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ल्ड हैल्थ असेम्बली में 1981 में दिए गए बयान की तरफ ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

[अनुवाद]

> "हम चाहते हैं कि भारत में स्वास्थ्य सेवायें देश के कोने-कोने में उपलब्ध हों, न कि कुछ अस्पतालों में ही केंद्रित होकर रह जायें। ये सेवायें गांव-गांव में उपलब्ध होनी चाहिएं जहां पर कि स्वास्थ्य की समस्याएं अधिक होती हैं।"

[हिन्दी]

आज सबसे बड़ी जरूरियात हमारे देश में देहातों, ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैल्थ प्रोग्राम की तरफ ध्यान देने की है। प्राइमरी हैल्थ सैंटर के विषय में दो शब्द मैं कहना चाहूंगा।

फर्स्ट प्लान के दरम्यान प्राइमरी हैल्थ सैंटर 725 और सब-सैंटर 17,521 थे और छठी प्लान के अन्त में प्राइमरी हैल्थ सैंटर 5955 हो गए और सब सैंटर 65,643 हो गये। यह अपने आप में दिखाता है कि इसे हमने ज्यादा जरूरी समझा है और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के चिकित्सा के क्षेत्र में हमने बहुत बड़ी तादाद में प्रगति की है।

प्राइमरी हैल्थ सेंटर में मुख्यतः 4 चीजें हुआ करती हैं। एक यूरेटिव पार्ट, दूसरा प्रिवेंटिव

पार्ट, तीसरा हैल्थ प्रमोशनल असिस्टेंट और चौथा, फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग के विषय में हमारे बहुत से माननीय सदस्यों ने बहुत सारी बातें कही हैं, मैं आपका ध्यान प्रिवेंटिव पार्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

प्रिवेंटिव पार्ट में सबसे पहले सैनीटेशन, वाटर-सप्लाई, न्यूट्रीशन और हमारे खाने-पीने की चीजों में बहुत तरह से मिलावट की जा रही है, जिसके चलते हम बहुत सारी दुविधाओं में पड़े रहते हैं।

वाटर सप्लाई के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जहां से मैं आता हूं, उत्तर बिहार के क्षेत्रों में ज्यादातर वार्म इन्फैस्टेशन कीड़ों का प्रभाव हुआ करता है। लोगों के पेट में बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं जिसके चलते बहुत बीमारियां हुआ करती हैं। यह बीमारियां हमारे ही भू-भाग में नहीं हैं, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में सब जगह कीड़ों का प्रकोप है। इसके बारे में हमने बहुत सारी दवाएं बनाई हैं, इसमें दो मत नहीं हैं, और दवाओं का इफैक्ट भी है, लेकिन आज तक हम किसी तरह का कन्ट्रोल प्रोग्राम इसके खिलाफ नहीं चला पाये हैं। इन वार्म्स के खिलाफ क्यों नहीं हमें सैंट्रली स्पोंसर्ड कन्ट्रोल प्रोग्राम चलाना चाहिए जिससे जो हमारे भाई वार्म्स इन्फैस्टेशन से सफर करते हैं और तरह-तरह की बीमारियां हुआ करती हैं, उनसे बचा जा सके? उनको हम कंट्रोल कर सकें।

दूसरी चीज मैं हैल्थ एजुकेशन के रिहैबिलटेशन के बारे में कहना चाहता हूं। हैल्थ एजुकेशन में बहुत-सी बातें हुआ करती हैं जिस पर हमारे माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी-अच्छी राय दी हैं। मैं इस सम्बन्ध में यह कहूंगा कि हमारी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका सबसे मुख्य भाग है रिहैबिलटेशन जैसे लैपरोसी टीटनेंस के अलावा उसका मुख्य भाग आज रिहैबिलटेशन है, जिसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम हैं। हमारे जो गरीब भाई देहातों में हैं उनको पता नहीं है कि हमें क्या है, हमें इस तरह की बीमारी है तो उसका डिटैक्शन निकालें ताकि उसका इलाज किया जा सके। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस मद में भारत सरकार को ज्यादा पैसा देना चाहिए।

श्रीमान्, हमारा बहुत बड़ा भू-भाग वाम इंफ्स्ट्रेशन से त्रस्त है और गोइटर की बीमारी जहां-जहां हुआ करती है, वहां नमक में आयोडीन मिलाकर दिया जाता है। हमारे यहां नमक की कमी पिछले कई वर्षों से हो रही है। आज यह कमी या तो प्रोडेक्शन में कमी हो, या उसका कोई अन्य कारण है, बीच में कोई कमी हुई हो, यह सब कहना तो मुश्किल है। इस सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि आयोडाइस नमक की कमी कभी न हो और आयोडाइस नमक की जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना अवश्य होना चाहिए ताकि लोगों को आयोडाइस नमक कम दाम पर मिल सके। कभी-कभी आयोडाइस साल्ट प्लेन साल्ट से ज्यादा दाम पर मिलता है, जिससे गरीब आदमी कम दाम वाली चीज को खरीदेगा। आगे चलकर उनको कुछ हो, इसलिए आवश्यक है कि आयोडाइस साल्ट की देहाती और ग्रामीण इलाकों में जितनी रिक्वायरमेंट हो, उसे बराबर मुहैया कराने के साथ-साथ, उसका दाम भी प्लेन साल्ट से कम होना चाहिए।

चौथी बात मैं प्राइवेट प्रेक्टिसिज के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे बिहार में प्राइवेट प्रैक्टिस हैं, इसको सब जानते हैं कि हमारे जितने डाक्टर आज कार्यरत हैं, सरकारी मुलाजिम हैं और प्राइवेट प्रेक्टिस किया करते हैं। यह हमारी भावना रही है, लेकिन प्राइवेट प्रेक्टिस को एकाएक बंद कर देने से इसका निदान होने वाला नहीं है। हमारे यहां यह स्थिति हुआ करती है और पहले बिहार में प्राइवेट प्रेक्टिसिज को बैन किया गया था, लेकिन उसके बाद जहां स्थिति

सुधरनी चाहिए थी वहां स्थिति और बिगड़ गई। जो मरीज हमारे यहां 1800 बैड हैं पटना मेडिकल कालेज अस्पताल में एक दिन में कभी भी तीन-साढ़े तीन हजार से कम मरीज नहीं हुआ करते थे। इसके बाद में तीन फ्लोर केसिज हुआ करते हैं।

इसलिए एक बैड प्राइवेट प्रेक्टिसिज को बंद कर देने से बहुत सारी चीज जो सुधारना चाहते हैं वह नहीं सुधर पायेंगी। इसको फेस वाइज कम किया जाये जिससे धीरे-धीरे करके लोग समझ जायें, तब उसको खत्म करने में फायदा है।

अंत में मैं मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं और इन डिमांड्स का समर्थन करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, यह अलमाता के अन्दर हमारी भारत सरकार ने अभी दस्तखत किये हैं और कहा है कि सन् 2000 तक सबका अच्छा स्वास्थ्य हो जायेगा। बहुत अच्छा संदेश दिया। जिससे सबका स्वास्थ्य काफी अच्छा हो जायेगा, लेकिन जिस देश में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से 50 हजार लोग तो टीटनेस की बीमारी से मरते हैं, चाहे वहां अस्पताल में मरते हों या कहीं और। इसी प्रकार डिपथीरिया से 25 हजार, काली खांसी से 3 हजार 3 सौ लोग पीड़ित होते हैं और हर साल 30 लाख बच्चे रतौंदी की शिकार हो जाते हैं।

4.10 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

एक करोड़ आदमी आज भी हमारे यहां नेत्रहीन हैं। और भी कितने ही लोग होते रहते हैं। इसका कारण क्या है कि आज भी 2 लाख गांवों में 16 लाख आदमियों को शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता।...(**व्यवधान**)...14 लाख कर दीजिए। इतनी हालत खराब है। भोर कमेटी ने जो रिपोर्ट की उसमें उसने कहा है कि योजनाएं कैसे बनती हैं।

[अनुवाद]

क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है। अतः गांवों में स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

भोर कमेटी कहती है कि इतने लोग गांवों में रहते हैं, हमें अपना ध्यान गांवों की तरफ आकर्षित करना चाहिए। लेकिन होता क्या है ? आपको सीधी बात कहनी चाहिए, लेकिन हैल्थ डिपार्टमेंट वाले वह कहते नहीं हैं, छिपाते हैं। वास्तविकता यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट को पैसा कम मिलता है। अगर इसकी योजना का बजट आप देखेंगे तो पाएंगे कि 4.5 परसेंट टोटल प्लान का फर्स्ट प्लान में था, फोर्थ प्लान में 2.9 परसेंट था और सिक्स्थ प्लान में 1.9 परसेंट हो गया। इस तरह से इसका एलोकेशन घटता गया है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम लोगों का सबका स्वास्थ्य अच्छा हो जायेगा। आज भी देश में कम से कम तीन करोड़ आदमी ऐसे हैं जिनके घरों में टट्टी की ठीक व्यवस्था नहीं है और एक करोड़ आदमी उनकी टट्टी ढोते हैं। एक अंग्रेज स्त्री पत्रकार ने कहा था, उसने बड़ी शर्मनाक बात कही थी कि भारत एक बड़ा सैडाल है जहां जगह-जगह लोग टट्टी फिरते हैं। यह देश की हालत है और आप हमसे कहते हैं कि इस देश के लोगों का स्वास्थ्य सुधर जायेगा। बड़ी-बड़ी बातें करते हैं और इन बातों को छिपाते हैं। आप जरा सोचें इस बात को कि क्यों ये बातें छिपायी जाती हैं ?

यह किताब बड़ी सुन्दर छपाई है। इसका कवर बहुत ही अच्छा है। मगर वही बात है ऊंची दुकान और फीकी पकवान। देखने में बड़ी अच्छी किताब निकाल दी, कवर इतना बढ़िया निकाला है कि आदमी का हाथ फिसल जाय, किताब पढ़े ही नहीं। यह बताते हैं कि 2 हजार तक आपकी एज 64 हो जायगी। मैं कहता हूं कि आपकी औसत एज आज क्या है? वह क्यों नहीं बताते? छोटे-छोटे मुल्कों की एज 70 है। मंगोलिया की देखें, मोरक्को की देखें, जमैका की देखें। कौन से मुल्क के मुकाबिले में आपकी एज है? श्रीलंका में तीन परसेंट डेथ्स होती हैं। आपके यहां कितनी होती है। जब आप फिगर देते हैं तो उन कन्ट्रीज को चुनते हैं जिनकी फिगर्स कम हैं, उनको आप दिखाते हैं। आप क्या देंगे हमको कि सन् 2000 तक हमारी उम्र 64 साल हो जायेगी। हम पूछते हैं आज क्या एज है? 84-85 का नहीं बता रहे हैं, कहते हैं 2000 तक 64 हो जायेगी। यह तो फिगर देने के तरीके हैं और यह गुमराह करने के तरीके हैं। मगर दुनिया की पैनी नजरों से आपका यह डिपार्टमेंट बच नहीं सकता। आपने कभी सुना है कि आपकी दवायें कहां बिकती हैं? यह जितने भी हास्पिटल्स हैं वे भ्रष्टाचार के खुले जंगल हैं। (व्यवधान) यह आपकी किताब में लिखा हुआ है। इस सदन की एस्टिमेंट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है :

[अनुवाद]

"उन नगरों में जहां केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लागू है, वहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा वर्ष 1978-79 में 1.34 करोड़ रुपये की, 1979-80 में 1.18 करोड़ रुपये की और 1980-81 में 1.60 करोड़ रुपये की औषधियां जांच किए बिना ही सीधे खरीदी गई थीं। पटना में कोई अधिकृत परीक्षण-शाला नहीं है।"

[हिन्दी]

यह पटना बहुत फेमस है, पटना वाले अपनी गर्दन भी नीची नहीं करते हैं। आगे लिखा है :

[अनुवाद]

"बंगलौर में भी, जहां अधिकृत परीक्षण-शाला है, औषधियों का कोई परीक्षण नहीं किया गया। वहां पर 3 वर्षों में 41 लाख रुपये की औषधियां सीधे खरीदी गईं। यह बहुत भारी लापरवाही है जिसकी निन्दा की जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

आप कितना भी कन्डेस कीजिए लेकिन ये डाक्टर लोग सब-स्टैण्डर्ड दवायें खरीदते हैं। और दवायें इम्पु करने का जो सिस्टम है, उसकी क्या हालत है? आपकी गांवों में जो सी० जी० एच० एस० की सेवायें हैं उसके सम्बन्ध में एक एम० पी० साहब कह रहे थे कि महीने भर तक उनको दवाई के लिए चक्कर लगाना पड़ा। आगे देखिए :

[अनुवाद]

"समिति को प्राप्त हुए ज्ञापनों और समिति द्वारा लिए गए साक्ष्य से यह पता लगता है कि संभवतः केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में औषधियां दिए जाने की वर्तमान प्रणाली बड़ी दोषपूर्ण है और उसकी सर्वाधिक आलोचना होती है। औषधियां तत्काल

उपलब्ध नहीं होतीं और जो औषधियां विशेष रूप से मंगाई जाती हैं उनमें भी कुछ दिन लग जाते हैं। कभी-कभी तो औषधियां आने में 7 दिन तक लग जाते हैं···इन औषधियों की किस्म इतनी घटियां होती है कि मरीज उन पर भरोसा नहीं कर सकता।"

[हिन्दी]

यह आपकी एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट है, इसको आप पढ़िए। हेल्थ पालिसी के सम्बन्ध में भी इन्होंने कहा है। आप कहते हैं कि पैसा नहीं मिलता है। इसका जो पहला चैप्टर है उसी में उन्होंने लिखा है :

[अनुवाद]

"इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई···।"

मुझे पता नहीं है इस पर कब चर्चा की गई थी।

"लोगों को विशेष रूप से ग्रामीण लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए अस्पतालों और डिस्पेंसरियों की संख्या बहुत कम थी और चिकित्सा सेवाओं का स्तर बहुत घटिया था।"

[हिन्दी]

आप कहते हैं कि 2000 ए० डी० तक हम यह कर देंगे और वह कर देंगे। मैं तो कहूंगा कि ये आगे की ऐसी आशा बंधाते हैं कि मर्ज और मरीज दोनों ही जिन्दा रहें। हैल्थ डिपार्टमेंट की यही खूबी है कि मर्ज भी जिन्दा रहे और मरीज भी जिन्दा रहे। इन्होंने कहा है :

[अनुवाद]

"स्वास्थ्य डिस्पेंसरियों में प्रति हजार जनसंख्या के लिए केवल 0.24 बिस्तर था।

[हिन्दी]

यह हालत है। इस पालिसी पर क्या डिस्कस किया जाए। बीस सूत्री कार्यक्रम में भी आपने कहा है कि हम लेप्रोसी को इरैडिकेट कर देंगे। लेकिन कैसे करेंगे? तब तक और बहुत से कोढ़ पैदा हो जायेंगे। आप आगे इनकी पालिसी को पढ़िए :

[अनुवाद]

15 मार्च, 1984 को मुझे यह जवाब दिया गया था :

"भारत सरकार द्वारा गठित कार्यकारी दल···"

सभापति महोदया : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मूल चन्द डागा : यह 20 सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आता है जिसमें आप काफी दिलचस्पी ले रहे हैं। यह कार्यक्रम का '20वीं सदी के अंत तक कुष्ठ उन्मूलन'। यदि आप चाहते हैं कि मैं अपनी बात समाप्त करूं···

सभापति महोदया : हमें इस चर्चा को आज समाप्त करना है।

श्री मूल चन्द डागा : यह काफी लम्बा उत्तर है—मैं इसे पढ़ूंगा नहीं—इसमें कहा गया है कि कुष्ठ अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए, वगैरह-वगैरह।

आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि खून बेचा जाता है। "खून के व्यापारियों की दर्दनाक जिन्दगी" शीर्षक से समाचार आते हैं।

जब सरकार स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रयास कर रही है तो व्यावसायिक रक्तदान पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए था, फिर कम से कम व्यावसायिक रक्तदाताओं को लाइसेंस दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

खून बेचने वाले लोग हास्पिटल्स के बाहर खून बेचने के लिए खड़े रहते हैं कि हमारा खून ले लो।

एक माननीय सदस्य : खून पीने वालों का क्या होगा ?

श्री मूल चन्द डागा : इसका उत्तर अगले जमाने में दिया जाएगा, अभी नहीं दिया जायेगा। उसमें हम भी गुनाहगार होंगे। जो मूक रहकर समर्थन करते हैं, वे भी गुनाहगार हैं। ऐसी स्थिति देश के अन्दर है। मेरी समझ में नहीं आता है कि फैमिली प्लानिंग का टार्गेट आप किस तरह से एचीव करेंगे। आज आप का टार्गेट एचीव नहीं है, हास्पिटल के अन्दर व्यवस्था नहीं है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक बैड पर तीन-तीन बीमार हैं। इनमें क्या एक सी० पी० एम० का है और एक सी० पी० आई० का है और एक किसी और पार्टी का है। इस प्रकार की हालत आज हास्पिटल्स की है। इसका सबसे बड़ा इलाज है कि हम किताबें न पढ़ें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप समय-बे-समय हास्पिटल्स में सरपराइज विजिट किया करें, तो आपके सामने सारी स्थिति आ जाएगी, जो कि किताबों में नहीं दी जाती है। यह स्थिति आपके भाषाणों में नहीं है, आपके आश्वासनों में नहीं है, मेहरबानी करके आप हास्पिटल्स में जाइए और वहां की सारी स्थिति का जायजा लीजिए। उस स्थिति को देखकर भाषण दीजिए। हास्पिटल्स में न प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और न कोई प्रोटैक्शन है।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

डा० जी० विजय रामा राव (सिद्दीपेट) : महोदय, हमारे देश में चिकित्सा प्रणाली मुख्यतः राज्यों के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और गांवों में अस्पतालों के माध्यम से काम कर रही है। भारत की अधिकांश जनसंख्या गांवों में बसती है। 80 प्रतिशत डाक्टर शहरों में ही हैं जबकि 80 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। स्वास्थ्य से अभिप्राय किसी व्यक्ति के सम्पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वास्थ्य होने से है। इसके लिए पर्याप्त निरोधक, उपचारात्मक तथा स्वास्थ्यवर्धक सेवायें होनी चाहिए। गांवों में प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र ये सेवाएं प्रदान करने वाला मूल एकक है। इनमें से अधिकांश प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों को एक-एक डाक्टर चला रहा है। केवल एक ही डाक्टर एक लाख से भी अधिक जनसंख्या को निरोधक, उपचारात्मक तथा स्वास्थ्यवर्धक सेवाएं प्रदान नहीं कर सकता।

यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्तर पर ही निवारक उपाय पूरी तरह से अपना लिए जाते तो बड़े हस्पतालों में इतनी ज्यादा भीड़-भाड़ नहीं होती। अधिकांश बीमारियां निवारक उपाय के अभाव में ही होती हैं। अभी भी पेचिश, डेंगू बुखार, मलेरिया आदि फैलते रहते हैं।

भारत के गांवों में सबसे महत्वपूर्ण समस्या है अंधापन। इस समय 90 लाख लोग अंधे हैं और 4 करोड़ 50 लाख ऐसे हैं, जिनकी नजर कमजोर है। क्यों? क्योंकि अधिकाश में विटामिन 'ए' तथा अन्य विटामिनों की कमी है।

केवल यही नहीं, वरन् और भी अनेक संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे—क्षय, कुष्ठ आदि। खासतौर से क्षय रोग के लिए समुचित व्यवस्था सम्पन्न हस्पताल पर्याप्त संख्या में नही हैं, जहां प्रारम्भिक इलाज के बाद समुचित इलाज हो सके। क्षय रोग के इलाज में दूसरे दौर के लिए रिफामिन और पाइराजनामाइड आवश्यक हैं जो कि बहुत महंगे हैं और हमारी जनता के लिए उसका खर्च वहन कर पाना असम्भव है। वे हमारे देश में तैयार नहीं किए जाते हैं। अत: सरकार से अनुरोध है कि ये दवाइयां अपने देश में ही बनाई जाएं।

अभी भी टिटेनस फैल जाता है, मैनिन्जाइटिस, हेपाटाईटिस, हैजा जैसी संक्रामक बीमारियां महामारी के रूप में फैल जाती हैं। खासतौर से हैजा के लिए निवारक उपाय भी अपर्याप्त है। अभी भी पोलियो, डिफ्थीरिया और टिटेनस फैल जाते हैं।

महोदय, हम देखते हैं कि गांवों से सांप के काटने के रोगी बड़ी संख्या में आते हैं। सर्प-डंश के इलाज के लिए आवश्यक विष-नाशक दवाइयां सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध नहीं हैं। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यह विष-नाशक दवाई केवल सरकारी हस्पतालों में ही उपलब्ध नहीं कराई जाएं बल्कि बाजार में उपलब्ध कराई जाएं ताकि प्राइवेट तौर पर इलाज करने वाले डाक्टर भी अपने पास आए मरीजों का उपचार कर सकें।

बुनियादी तौर पर गांवों में प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र ही सेवा प्रदान करता है। किन्तु प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र में केवल एक ही डाक्टर होता है। हर वर्ष 17,000 डाक्टर और 10,000 विशेषज्ञ तैयार हो रहे हैं। इतने डाक्टर तैयार होने के बावजूद हम अपने गांवों को चिकित्सा सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हमारे डाक्टर ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं जाना चाहते हैं बल्कि वे विदेश जाना चाहते है, क्योंकि वहां बेहतर वेतन और बेहतर सुविधायें हैं और हमारी सरकार भी उन्हें रोजगार न देकर तथा अधिक प्रोत्साहन न देकर बाहर जाने के लिए प्रोत्साहित करती है। अत: मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उन्हें अधिक प्रोत्साहन और रियायतें दे। उन्हें घर, ग्रामीण भत्ता तथा बेहतर वेतन आदि के प्रोत्साहन दिए जाएं ताकि हम उन्हें यहीं रोक सकें और वे हमारी ग्रामीण जनता को बेहतर सेवा प्रदान कर सकें।

हमारे प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए प्रारम्भिक स्वास्थ्य के स्तर पर व्यापक चिकित्सा कर पाना सम्भव नहीं है क्योंकि अनेक प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रों में केवल योग्यता प्राप्त चिकित्सक ही नहीं है वरन् रेडियोलाजिस्ट, माइक्रो-बायोलाजिस्ट तथा पेथौलाजिस्ट जैसे विशेषज्ञ भी नहीं हैं। एक ही डाक्टर को रोगियों की सारी जांच करनी पड़ती है। जांच के लिए अन्य सहायक कर्मचारियों की कमी होती है, इसीलिए रोगी का समुचित उपचार नहीं हो पाता है। परिणाम-स्वरूप मरीज पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो पाते और उन्हें शहरी हस्पतालों में जाना पड़ता है। शहरी हस्पतालों में भी काफी भीड़ होती है, इसलिए रोगी बरामदों में और जमीन पर लेटे रहते हैं। इस भीड़-भाड़ को देखते हुए डाक्टरों की संख्या बढ़ानी चाहिए। गरीब लोग इस तरह से परेशान होते हैं और समृद्ध लोग तथा ऊंचे पदधारी इलाज के लिए विदेश भागते हैं। अधिकांश समृद्ध रोगियों का विदेश में उपचार भी भारतीय मूल के चिकित्सक ही करते हैं। मैंने देखा है कि इन

तुल्य योग्यता प्राप्त डाक्टरों को देश में बनाए रखने तथा गरीब जनता को चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : मैडम चेयरमैन, मैं उन तमाम मेम्बरान की बहुत शुक्रगुजार हूं, मशकूर हूं, जिन्होंने हैल्थ मिनिस्ट्री की डिमान्ड्स के बजट पर अपने खयालात का इजहार किया और कुछ अच्छे सुझाव भी आए। काफी मेम्बरान ने इस बहस में हिस्सा लिया और यह इस बात का सुबूत है कि मेम्बरान पार्लियामेंट इस मिनिस्ट्री से कितने कन्सर्न्ड हैं और खास तौर से जो हमारे देहाती क्षेत्र के लोग हैं और कई फैसीलिटीज में जो उनके लिए कुछ कमियां हैं या और जो दूसरी कमियां हैं, उनकी तरफ उन्होंने ध्यान दिलाया। मैं उन सबकी बहुत मशकूर हूं।

जहां तक हैल्थ का सवाल आता है, उसके साथ हमारे अस्पताल, डाक्टर्स, नर्सेज और दवाइयां भी आती हैं। बहुत से हमारे मेम्बरान ने यहां बोलते हुए कहा कि बीमारी से बचाव ज्यादा जरूरी है, बनिस्बत उसके इलाज के। यह बिलकुल सही बात है और मैं समझती हूं कि हैल्थ का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि हम बीमारी से छुटटी पा जाएं। हैल्थ का मतलब है कि दिमागी तौर पर और जिस्मानी तौर पर हम तन्दुरुस्त हों क्योंकि एक तन्दरुस्त इन्सान ही देश का एक अच्छा नागरिक हो सकता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीन चीजों की तरफ जोर दिया गया है, फूड, प्रोडक्टिविटी एण्ड वर्क और मैं समझती हूं कि प्रोडक्टिविटी का सीधा ताल्लुक हैल्थ से है। जब तक एक इन्सान मुकम्मल तौर पर सेहतमन्द नहीं होगा, वह सही ढंग से काम नहीं कर सकता है। इसलिए मैं समझती हूं कि जब तक हम पूरे तौर पर सेहतमन्द नहीं होंगे, मुल्क की सेहत और उसके साथ-साथ डैवलपमेंट के और भी काम जो जुड़े हुए हैं, वे सही ढंग से नहीं हो सकते। उधर बैठी हुई हमारी बहन डा० कल्पना देवी ने कहा कि रूरल साइड में बहुत से इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम सही नहीं चलते। बहुत से हमारे साथियों ने कहा कि हमारे जो प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स हैं उनमें दवाइयां नहीं मिलतीं। अगर हम डागा साहब की बात पर जाएं तो उन्होंने वह उम्मीद भी बाकी नहीं छोड़ी जिस उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। जो हमें यहां सब कुछ सुनने को मिलता है उससे हम सीखें, यह हम जरूर चाहेंगे। हमारे बहुत से मेम्बरान ने अपनी-अपनी राय का इजहार किया है, मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगी।

हमारी मिनिस्ट्री के लिए सिक्सथ फाईव इयर प्लान में बजट अलोकेशन 2,831 करोड़ रुपये का था। अभी हमने सेवंथ फाईव इयर प्लान से 9,866 करोड़ रुपये का अलोकेशन मांगा है। सेवंथ फाईव इयर प्लान अभी फाइनेलाइज नहीं हुआ है। हम अपने कुल बजट का तीन परसेंट हैल्थ पर खर्च करते थे। अगर हमें 5,866 करोड़ रुपये का अलोकेशन मिल जाता है तो हैल्थ पर टोटल बजट में हमारा खर्चा 5.5 परसेंट होगा। हम इस पर डिपेंट करते हैं कि हमें हेल्थ के लिए कितना अलोकेशन मिलता है। सेवंथ प्लान जब फाइनेलाइज होगा तब हमारे सामने तस्वीर आयेगी कि किस-किस चीज के लिए हमें कितना-कितना पैसा मिला है।

मिनिस्ट्री आफ हैल्थ में एक तो हैल्थ का हिस्सा आता है। दूसरे फेमिली प्लेनिंग का हिस्सा आता है। हेल्थ में बहुत-सी ऐसी चीजें आती हैं जैसे मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम है, नेशनल टी० बी० कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल ब्लाइन्डनेस कंट्रोल प्रोग्राम है, नेशनल इरेडिकेशन प्रोग्राम है, और ड्रग कंट्रोल का हिस्सा भी इसमें आता है। वाटर कंट्रोल का हिस्सा भी आता है। इन दो

हिस्सों के अलावा तीसरा हिस्सा हमारे यहां रिसर्च वर्क का है। ये सारी चीजें मिलकर हमारी हैल्थ मिनिस्ट्री बनती है।

सबसे पहले मैं फैमिली वेल्फेअर के बारे में अर्ज करना चाहूंगी। फैमिली वेल्फेअर या फैमिली प्लेनिंग का जो काम है उसके बारे में मुझे इस बात से बड़ी खुशी हुई कि हमारे सभी मेम्बरान ने चाहे वे इधर के हों, चाहे उधर के हों, सभी ने यह कहा कि हमें अपनी पापुलेशन ग्रोथ को अरेस्ट करने का काम बहुत तेजी से करना चाहिए। मुझे उस वक्त और भी ज्यादा खुशी होती है जब उस तरफ के मेम्बरान इस प्रोग्राम पर जोर देते हैं। इसके लिए मैं सभी मेम्बरान को मुबारकबाद देना चाहती हूं। वाकई यह प्रोग्राम बहुत जरूरी है और यह नेशनल इन्ट्रेस्ट की बात है। मैं उस तरफ और इस तरफ दोनों के मेम्बरान से यह कहना चाहूंगी कि जो प्रोग्राम हमारे नेशनल इन्ट्रेस्ट के होते हैं उन पर हम पार्टी लाइन होकर अपने ख्यालात का इजहार करें और उसी तरह से उन पर सोचें। मैं समझती हूं कि आज हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला अगर कोई है तो वह पापुलेशन ग्रोथ को अरेस्ट करने का।

इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती है। हेल्थ मिनिस्ट्री को इसमें और सभी मिनिस्ट्रियों का कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन चाहिए जो कि हासिल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि कुछ मेम्बरान ने भी कहा, यह ठीक है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन पैदा करना चाहिए जो कि हमने किया है। आप इसके अवेयरनेस के बारे में देखेंगे कि जहां सन् 1911-1921 में हमारे मुल्क में डेथ रेट 47 पर हजार था और बर्थ रेट 48 पर हजार था, दोनों में बिल्कुल जरा-सा फर्क था, उसके बाद, यानी इन्डीपेन्डेंस के बाद हमारे यहां एजूकेशन के फैलाव के साथ-साथ हेल्थ फैसिलिटीज का भी फैलाव हुआ, उनसे हमने अपने डैथ रेट को बहुत कम किया है। जितनी भी एपीडेमिक बीमारियां फैलती थीं, जैसे कि प्लेग है, स्माल पाक्स है, कोलेरा है, इन सब पर हमने काबू पाया है। जिसका नतीजा यह हुआ है कि हमारा डेथ रेट कम हुआ है। लेकिन यह सही है कि जितनी तेजी से हमारा डेथ रेट कम हुआ है उतनी तेजी से बर्थ रेट कम नहीं हुआ है। नतीजा यह हुआ कि ग्रोथ रेट इन्क्रीस शुरू हुई और हिन्दुस्तान सबसे पहला मुल्क था, जिसने इस तरफ तवज्जह दी कि फैमिली प्लानिंग होना चाहिए। जब किसी के दिमाग में, किसी दूसरे मुमालिक के दिमाग में यह खयाल भी नहीं था, 1930 की बात मैं कर रही हूं, उस वक्त सबसे पहले कर्नाटक में यह चीज शुरू हुई थी कि हम यह क्लीनिक शुरू करें। उस वक्त से यह चला आ रहा है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू 1935 में नेशनल प्लानिंग कमेटी में चेयरमैन हुए, उस वक्त उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की तरफ से इसको चलाया जाए, इतना उन्होंने महत्व दिया। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी वजीरे-आजम बनीं, उस वक्त फुल-फ्लेज्ड एक डिपार्टमेंट का कयाम हुआ, जो यह काम देखता है, लेकिन हम डैथ रेट तो रोक सकते हैं, दवा और इलाज लोगों में अवेयरनेस फैलाकर, लेकिन फैमिली प्लानिंग एक पर्सनल मामला है और इस पर्सनल मामले में हम एजूकेशन के जरिए, मोटीवेशन के जरिए, परसन टू परसन कांटेक्ट के जरिए इन तमाम चीजों को बताते हैं, इससे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ साल पहले बदकिस्मती से फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम को एक ऐसा सियासी रंग दिया गया कि लगता था कि यह गवर्नमेंट किसी खास मकसद से यह काम करा रही है। मैं कहना चाहती हूं और मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उस तीन-चार साल के अरसे में हिन्दुस्तान में इस प्रोग्राम को न जाने कितने साल पीछे ढकेल दिया गया। आज हमें यह खुशी होती है कि हमारा आज इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर है। अल्मा आटा डिक्लेरेशन के साथ ही जो हमने इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया है, वह बहुत अच्छा

है। 5 हजार की आबादी पर एक सब सेंटर, 30 हजार की आबादी पर एक प्राइमरी हैल्थ सेंटर और एक लाख की आबादी पर एक कम्युनिटी हैल्थ सेंटर होगा। हमारी कोशिश है और यह हो रहा है कि कम्युनिटी हैल्थ सेंटर में 5-6 स्पेशलिस्ट्स रहें, जैसे गायनकालाजिस्ट और 5 अन्य डाक्टर्स वहां रहें जो वहां की पापूलेशन की देखरेख करें। प्राइमरी हैल्थ सेंटर में तीन डाक्टर होते हैं। अभी पाण्डेजी कह रहे थे इन्डियन सिस्टम आफ मेडीसन के बारे में, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है कि इन तीन डाक्टरों में से एक इन्डियन सिस्टम आफ मेडीसन का होना चाहिए, चाहे वह वैद्य हो, हकीम हो या होम्योपैथ हो। यह चीजें मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूं कि 1990 तक हमारा यह इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरा हो जाएगा। पूरे मुल्क में सातवीं पंचवर्षीय योजना में 50 हजार सब सेंटर्स प्रपोज किए हैं, 10 हजार पी० एच० सी० प्रपोज किए हैं, यह हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर 1990 तक पूरा होने की उम्मीद है। हमारी कोशिश है कि इनमें डाक्टर्स रहें, दाइयां रहें, ए० एन० एम० रहें। अभी हमारी एक बहन श्रीमती किशोरी सिंह जी कह रही थीं कि पी० एच० सी० की हालत खराब है और हमारे एक भाई भी कह रहे थे कि ए० एन० एम० हैं, हैल्थ गाइड हैं, वे रहते नहीं हैं। मैं मानती हूं कि किसी जगह पर नहीं रहते होंगे, उनकी कुछ अपनी दिक्कत या परेशानी हो सकती है। हैल्थ गाइड की स्कीम हमने हर विलेज में, एक हजार की पापूलेशन पर चलाई है। उसकी नियुक्ति कहीं बाहर से नहीं होती, वहीं गांव के लोग उसका नाम देते हैं और उसकी तरफ से ही उसकी नियुक्ति होती है। उसको तन्ख्वाह नहीं दी जाती। वह उसी गांव का रहने वाला होता है और 50 रुपए आनरेरियम के तौर पर और 50 रुपए की दवाइयां छोटी-मोटी बीमारियों के लिए उसको दी जाती हैं। हमने यह भी कोशिश की है कि यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चले। एक्सपेक्टेंट मदर्स के बारे में भी व्यवस्था की गई है। डा० ठाकुर कह रहे थे कि उनको सप्लीमेंट देना चाहिए, फालिक एसिड, आयरन मिलना चाहिए। मैं आपकी इत्तिला के लिए कहना चाहती हूं कि इस बारे में हमारी स्कीम है। हम फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के साथ-साथ मदर और चाइल्ड केयर को भी हम महत्व देते हैं, क्योंकि मैं समझती हूं कि ये दोनों प्रोग्राम साथ-साथ चलना बहुत जरूरी हैं। इनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अच्छे सेहतमन्द बच्चे के लिए अच्छी सेहतमन्द मां होनी चाहिए। मां को पता होना चाहिए कि जब बच्चा उसके पेट में हो तो उसको क्या करना है। इसके लिए एजूकेशन की बहुत जरूरत है। औरतों की एजूकेशन, जिसके साथ नई नस्ल पूरी जुड़ी हुई है। आज हम सबका फर्ज यह है कि हम एजूकेशन के जरिये उनको यह बताने की कोशिश करें कि किस तरह से उनको बच्चे की पैदावार के साथ-साथ जब बच्चा गर्भ में हो, तब उसकी देखभाल किस तरह से करना है और जब बच्चे की उम्र बढ़े, तब उसको क्या करना चाहिए। अभी आपने यह बिल्कुल सही बात कही कि इन्फैंट मोरटेलिटी रेट हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा है। लेकिन अभी डागा साहब कह रहे थे कि हैल्थ मिनिस्ट्री इतनी उम्मीद-अफजा बातें लिखती है कि उम्मीद पर दुनिया कायम रहती है। मैं समझती हूं कि एक डाक्टर का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि उसका मरीज आगे जिन्दगी गुजारने की इच्छा रखे। हम किसी मरीज से यह कह दें कि तुम्हें आज ही मर जाना है तो मैं समझती हूं कि वह दो दिन भी नहीं जी सकता। मैं यह नहीं कहती कि क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। मैं यह कहना चाहूंगी कि जो काम अच्छे होते हैं, उनकी सराहना भी करनी चाहिए। जो हमारे फील्ड वर्कर्स हैं, दाइज हैं और प्राईमरी हैल्थ सेंटर में लोग रह रहे हैं, उनकी परेशानियां आप देखिये। बीस परसेंट ऐसे लोग हैं जो शहरों में हैं और अस्सी परसेंट से ज्यादा आबादी गांवों में रहती है। जो हमारा प्लान बनता है, वह आबादी को देखकर बनता है कि उनको सहूलियतें कैसे पहुंचाएं जिनके वह हकदार हैं। उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। वालेन्टरी आरगेनाइजेशन्स, मैम्बर

पार्लियामेंट और असेम्बली तथा काउन्सिल के मैम्बर्स की भी हमें मदद चाहिये। इसमें हमारे को-आपरेटिव्ज, पंचायत और जिला परिषद के मैम्बर्स भी शामिल रहें। मैं समझती हूं कि जब पीपल्स पार्टिसिपेशन होगा तभी यह प्रोग्राम आगे बढ़ सकता है। यह सबसे बड़ी वक्त की पुकार है कि इसको आगे बढ़ाए। एक्सपेक्टेंट मदर्स और बच्चों के लिए जैसा कि मैं आपसे तफ्सरा कर रही थी हमने एक यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन का प्रोग्राम बनाया है। हमने यह तय किया है कि 1990 तक उन सारे बच्चों को जो पैदाइश से लेकर एक साल की उम्र तक के होते हैं और एक्सपेक्टेंट मदर्स को इम्युनाइजेशन के जरिए उन तमाम बीमारियों से बचाने की कोशिश करेंगे जिससे बदकिस्मती से हजारों बच्चों की जानें जाती हैं। पैदाइश के वक्त टेटनेस, रेस्पीरेटरी की समस्या होती है और डायरिया की बीमारी उनको होती है। इस तरह से उससे बचाने के लिए अब तक पांच टीके देते थे, टेटनस, व्हूपींग कफ, डिप्थीरिया, बी० सी० जी० और पोलियो का टीका। अब एक मिजल्स का नया टीका शामिल कर रहे हैं। ये छह टीके हम उनको 1990 तक दे देंगे। इसके साथ एक्सपेक्टेंट मदर्स को इम्युनाइज करेंगे। आयरन फालिक एसिड और विटामिन भी उनको देते हैं। बच्चों को ब्लाइन्डनेस से बचाने के लिए उनको विटामिन-ए भी देते हैं। इस वक्त मैं सारी फिगर्स नहीं बता सकती क्योंकि टाइम नहीं है। इन्फैंट मारटेलिटी रेट रफ्ता-रफ्ता कम हो रहा है। डागा साहब कह रहे थे कि आप सन् दो हजार की बात करते हैं, अभी की बात कीजिए। मैं उनसे कहना चाहती हूं कि अभी हमारे जो आंकड़े हैं, वे उम्मीद-अफजा हैं जिन पर हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि हमने जो प्लान बनाया है, वह हम पूरा कर सकेंगे। इस वक्त का जो बर्थ रेट है, वह 33.6 पर-थाउजेन्ड है। सन् 83 की बात मैं बता रही हूं। डैथ रेट 11.9 पर-थाउजेन्ड है। इन्फैंट मारटेलिटी रेट जो 1980 में 114 था, वह 1981 में 110 है। इससे यह जाहिर होता है कि जो प्रोग्राम हमने शुरू किए हैं, उनके तहत फीगर्स नीचे आ रही हैं। इससे यह उम्मीद होती है कि यह इन्फास्ट्रक्चर और आगे मजबूत होगा। एक बात कही गई कि डाक्टर्स नहीं जाते। यह बात सही है कि डाक्टर्स बहुत मुश्किल से पी० एच० सी० में जाने के लिए तैयार होते हैं। आपको मालूम है कि फाइनेन्स कमीशन ने चार सौ रुपए जो रूरल एरियाज में काम रहे हैं और ढाई सौ रुपए रूरल अलाउन्स तथा डेढ़ सौ रुपए रेजीडेशियल एकोमोडेशन के लिए दिए हैं जिनको क्वाटर्स नहीं मिलते हैं। इस वक्त पांच लाख दाइज काम कर रही हैं। इसी तरह से चार लाख से ऊपर हैल्थ गाइड्स हैं। इसी तरह से सब सेन्टर्स में जो काम कर रहे हैं उनमें ए० एन० एम० वगैरह हैं। हमारा पक्का इरादा है कि 1990 तक हम अपने तमाम इन्फास्ट्रक्चर को पूरा कर लें।

यहां पर पी० एच० सीज के बारे में कहा गया कि उनमें दवाइयों की कमी होती है। मैं समझती हूं कि जिस गति से हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, उसके कारण हर चीज की कमी होती जा रही है। इस वक्त एक पी० एच० सी० पर हमारा और स्टेट गवर्नमैंट दोनों का मिलाकर लगभग एक लाख और दो हजार रुपया मैडिसिन्स वगैरह पर खर्च आ जाता है और जैसा कि आप जानते हैं एक पी० एच० सी० अंडर 5-7 सब-सैन्टर्स भी आते हैं। इतनी सारी चीजें करने के बाद हम चाहते हैं कि आपको मालूम रहे कि जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं, जहां हमें उनमें काफी कामयाबी मिल रही है, उनमें और ज्यादा कामयाबी मिलने के लिए आवश्यक है कि हमारी एजूकेशन पौलिसी में परिवर्तन आये और जैसा यहां एक सजैस्शन भी दिया गया और मैं समझती हूं कि जब हमलोग किसी जमाने में स्कूलों में पढ़ते थे तब बेसिक हाइजीन और बेसिक हैल्थ एजूकेशन के विषय हमारे पाठ्यक्रम में शामिल थे, खास तौर से लड़कियों की एजूकेशन के बारे में

मैं कह सकती हूं और हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी चीजें हमारे पाठ्यक्रमों में शामिल हों।

अभी एक माननीय सदस्य उस तरफ से बोल रहे थे, शायद सत्यगोपाल जी थे, उनका कहना था कि सरकार रंगीन टी० वी० और रेडियो पर ज्यादा ध्यान दे रही है, रूरल हैल्थ स्कीमों की तरफ कम। मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहती हूं कि आज के जमाने में टी० वी० कोई मनोरंजन का साधन मात्र नहीं रह गया है बल्कि आज हम टी० वी० के जरिये मासेज को एजूकेट करना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे नेटवर्क प्रोग्राम्स के अंतर्गत पूरे देश की लगभग 75 प्रतिशत जनसंख्या कवर हो जाती है और हम उनके जरिये उन इंसानों को कुछ सिखाना चाहते हैं, जिनको हम पढ़ा नहीं सकते। वे इन कार्यक्रमों को देखकर कुछ सीखें कि उन्हें क्या करना है।

आज हमें सोचना चाहिए कि जहां दूसरे देशों के लोग चांद और सितारों पर जा रहे हैं और जिस तरह से साइंस और टैक्नालॉजी की तरक्की हो रही है, हम कैसे उसका प्रयोग अपने जीवन में करें और अपने जीवन को सुखी बनायें। हमें देखना चाहिए कि साइंस और टैक्नालॉजी का प्रयोग हम अपनी एजूकेशन में और अपने कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में किस तरह से कर सकते हैं ताकि वह हमारे उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सके।

जितने हमारे नेशनल प्रोग्राम चल रहे हैं, उनमें से मलेरिया के सम्बन्ध में यहां शिकायत आई और इसमें कोई दो राय नहीं हैं कि जहां 1965 में हमारे यहां बहुत कम केसेज रह गये थे, अब फिर से यह बीमारी बढ़ रही है। इसमें भी स्टेट गवर्नमेंट और केन्द्रीय सरकार का बराबर-बराबर यानी 50-50 प्रतिशत का हिस्सा होता है। अब हमने यह इंतजाम किया है कि हमारे पी० एच० सीज पर खून जांचने की व्यवस्था रहे। टैस्ट के बाद लोगों को बताया जाए कि मलेरिया है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि मलेरिया बढ़ने के पीछे कुछ दूसरे कारण भी हैं। जिस गति से हमारे देश में इंडस्ट्रीज ग्रो कर रही हैं, जिस तरह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है और पैडी फील्ड हैं, जहां इंडस्ट्री के बढ़ने के कारण गंदगी पैदा होती है, उसमें मच्छर बहुत बड़ी मात्रा में पैदा होते हैं और यही मलेरिया फैलने का मुख्य कारण भी है।

हमारे सामने की तरफ बैठे हुए और इस तरफ से भी यह कहा गया कि स्टेट गवर्नमैंट्स के पास पैसे की कमी है लेकिन यह बात भी सत्य है कि स्टेट गवर्नमैंट की मदद के बिना हम चल नहीं सकते। इसमें 50 प्रतिशत हिस्सा स्टेट गवर्नमैंट को खर्च करना पड़ता है। यह स्टेट गवर्नमैंट की जिम्मेदारी होती है कि वह समय पर स्प्रे करवाये। यदि तीन स्प्रे वक्त पर हो जाएं तो कोई वजह नहीं कि बीमारी में कमी न आये। हमारा मलेरिया डिपार्टमेंट इस बारे में पूरी तरह सजग है और उसकी तरफ से बाकायदा चेतावनी दी जाती है कि जहां केसेज होते हैं, उनको बचाया जाए। जो हाईली एन्डिमिक डिस्ट्रिक्टस हैं, इलाके हैं, उनमें कोशिश की जाती है कि वक्त पर स्प्रे हो, दवा दी जाये। जहां तक मैलाथियोन का सम्बन्ध है, वह तो सैंट परसैंट हमारी ओर से स्टेट गवर्नमेंट्स को जाती है।

इसी तरह लिप्रोसी की बात कही गई। जहां पूरी दुनिया में 12 मिलियन मरीज इस रोग से ग्रस्त हैं, हमारी बदकिस्मती है कि उनमें से 4 मिलियन मरीज सिर्फ हिन्दुस्तान में हैं। उसमें सिर्फ 20 परसेंट इन्फैक्शयस होता है और मौडर्न मैडिसिन्स के जरिये डेढ़ हफ्ते के अन्दर हम उसको नॉन-इन्फैक्शयस बना देते हैं। मरीज घर पर रहकर भी अपना इलाज करा सकता है। चूंकि इस

समय हमारे सामने एक समस्या यह आ रही है कि लोग देरी से आते हैं, जल्दी नहीं आते, इसलिए उनके इलाज में वक्त लग जाता है। यह एक सोश्यल इविय हमारे समाज में पैदा हो गयी है और यह देर से डिटैक्ट होती है। मौडर्न मैडिसिन्स के जरिये आज हम इस काबिल हो गए हैं कि घर बैठे ही मरीज का इलाज कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूं कि टोटल केस जो डिटैक्ट किए गये उनकी संख्या 33.4 लाख है, और हमारे इलाज में टोटल नम्बर ऑफ केसेज 31.1 लाख आये और जो डिस्चार्ज हुए वह 19 लाख हैं। जो आंकड़े हैं, हो सकता है कि इसमें कुछ कमी-ज्यादती रही हो, लेकिन ऐसा सोचकर चलना चाहिए कि जितने प्रोग्राम हमने हाथ में उठाये हैं, उसमें कुछ न कुछ बढ़ोत्तरी हो रही है।

हमारी बहिन ने टी० बी० कन्ट्रोल के बारे में कहा। टी० बी० उन एरियाज में होती है जहां वर्कर्स छोटे-छोटे और गन्दे घरों में रहते हैं। कोशिश की गई है कि हर पी० एच० सी० पर उनके स्पूटम की जो जांच होती है, वह हो सके और हम डिटैक्ट कर सकें कि देश में कितने टी० बी० के पेशेन्ट हैं और उनकी दवा व इलाज करके उनको फायदा पहुंचाया जा सके।

ब्लाइंडनेस कंट्रोल के बारे में हमने काफी हास्पिटल्स में, हर मेडिकल कालेज में औफेथैल्मिक डिपार्टमेंट खोल रखे हैं, मोबाइल क्लिनिक्स भी होती हैं। कैटरेक्ट के आपरेशन तो आपको मालूम ही है कि हर साल होते हैं, 80 मोबाइल यूनिट्स हैं। इस तरह प्राइमरी हैल्थ सेंटर में 2000 में हमारी यह फैसिलिटी है और 404 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल्स में यह फैसिलिटी है। हम कोशिश करते हैं कि कैटरेक्ट के आपरेशन वहां हों।

मैं तो इस राय की हूं कि इस मामले में बच्चों का बहुत जल्द इलाज करना चाहिए क्योंकि बच्चों की पूरी जिन्दगी रहती है। जो बुजुर्ग हैं, 70, 80 साल के हो गये हैं, उनको तो किसी न किसी तरह आदत हो जाती है कि कुछ कर लेते हैं, मगर बच्चे, अगर छोटी उम्र में उनकी आंख जाती रहती है तो उनके लिए पूरी जिन्दगी नर्क हो जाती है। कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से बच्चों को इस बीमारी से बचाया जाये। दोनों तरफ से कोशिश है, मां भी समझे कि प्रेगनेन्सी के दौरान बच्चे को किस तरह से बचाया जा सकता है और बच्चे के पैदाइश के बाद उसको ऐसे टीके और ऐसी चीजें दी जायें जिससे वह बच सके और मां को भी अच्छी गिजा मिल सके।

डायरिया से भी बच्चे मरते हैं। कोशिश की जा रही है कि जो हमारी घरेलू दवाएं हैं, जैसे चावल का पानी है, उसमें नमक और शक्कर मिलाकर किस तरह से औरतें अपने बच्चों को सफाई के साथ दे सकती हैं और अपने बच्चों की जिन्दगी बचा सकती हैं।

गोयटर के बारे में भी कहा गया। यह बात सही है कि गोयटर अच्छा खासा फैल रहा है। इसमें आयोडाइज्ड साल्ट की बहुत जरूरत होती है। हमारे जो प्लान्ट्स हैं, उनको बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं और जो लोग प्लान्ट्स इसके लगाते हैं, उनको सब-सीडी देने की बात भी कर रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि हम यह प्रपोज कर रहे हैं कि आने वाली अगली प्लान में फेजेज में हम जितना भी नमक यहां इस्तेमाल होता है, वह सब आयोडाइज्ड तैयार हो जिससे गोयटर की बीमारी से छुटकारा मिल सके और हमारे लोग उससे पीड़ित न हों।

आई० सी० एम० आर० के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि जो हमारे यहां के और दूसरे

डाक्टर्स हैं, अभी भोपाल में जो ट्रेजडी हुई, वहां उन लोगों ने जा-फिशानी से काम किया वह अपने आपमें सराहनीय है।

3 अस्पतालों के बारे में हमारे बिहार से चौधरी साहब बोल रहे थे। उन्होंने कल आल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइन्सेज की बात कही, किसी ने सफदरजंग और किसी ने डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल की बात कही। पं० चिरंजी लाल शर्मा ने राममनोहर लोहिया अस्पताल के बारे में कहा। मुझे अफसोस है कि उन्हें वहां पर दवा की कहीं कोई परेशानी रही या और कुछ हुआ हो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहती हूं कि हमारे देश में ऐसे डाक्टर्स हैं, जिन्होंने दुनिया से नाम कमाया है। जो यहां से निकलकर बाहर जाते हैं, उनके पेशे की बदौलत हिन्दुस्तान का नाम होता है।

तमिलनाडु में एक अपोलो अस्पताल है, बाहर के रेजीडेंट डाक्टर्स ने वहां आकर सारे डिपार्टमेंट्स शुरू किये। आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया के सबसे बड़े माने हुए डा० कुली हैं, जो ओपन-हार्ट सर्जरी के केसेज करते हैं और उनकी सफलता इसमें 98 परसेंट है, लेकिन हमारे अपोलो अस्पताल का भी इस मामले में 97 परसेंट रिजल्ट है, और इस तरह के आपरेशन हमारे इंडियन डाक्टर्स कर रहे हैं।

मैडिकल इंस्टीट्यूट 1956 में बनाई गई है। उसका यह मतलब नहीं है कि यह ऑडिनरी अस्पताल की तरह काम करे।

5.00 म० प०

उसका मतलब यह था कि एक के नीचे सारी सुविधाएं जमा की जायें और वह स्पेशल जमा की जायें कि जो हाई लेवल की चीज बने और सारी चीज को रखकर यह मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाये, लेकिन आज वह मेडिकल इंस्टीट्यूट एक मामूली अस्पताल की तरह काम करे रहे हैं और आज यह बात मैं आपकी सहायता में चाहूंगी कि अगर आल इंडिया मेडिकल इंफ्टीट्यूट एक मामूली अस्पताल की तरह काम करेगा, रोज मरीज भर्ती होंगे, रोज नजले जुकाम की बीमारी वाले आयेंगे, जिससे स्पेशलाइज सर्विस हम नहीं दे पाये। आज हमारे यहां की काडीयोलाजी, कैंसर की मेडिकल सुविधाएं हैं, जिसके लिए इस वक्त पैसा दे रहे हैं, एक साल में हमारे सारे आप्रेशन तैयार हो गये। इससे इतनी बड़ी रिलीफ यहां के लोगों को मिलने वाली है। जो हैल्थ सर्जरी के लिए बाहर जा रहे हैं, उसमें करोड़ों रुपया हमारा खर्च होता है, यह रुपया हम बनायें और अपने डाक्टरों को वह सुविधायें दें जिससे उनकी फ्कील आगे बढ़ सके, काबलियत बढ़ सके और हमारे यहां लोगों को सुविधायें मिल सकें।

हमारे व्यास जी कह रहे थे कि अस्पताल में लोगों का दाखिला नहीं हो रहा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनको अगर जुकाम हो जाता है, वह भर्ती हो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाये तो दाखिल नहीं हो पाते हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : वह होता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि गरीबों का कहीं दाखिला न हो। हमारे अस्पताल राम मनोहर लोहिया और सफदरजंग अस्पताल हैं, उनका एवरेज ओ० पी० डी० में तीन हजार से ऊपर का है। 1200 बैड स्ट्रेंथ है, 1500-1800 मरीज आते

हैं। किसी मरीज को वापिस नहीं करते। आप बताइए सिवाय पलंग के नीचे बिस्तर लगाये और कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन मरीज आये तो उसे वापिस नहीं भेजते।

यह भी सही है कि एक बैड पर दो होते हैं। जब मरीज लगातार आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। जिस गति से आज आबादी बढ़ रही है, अगर उसमें दिल्ली को अस्पताल बना दें तो काम चलने वाला नहीं है।

5.03 प्र० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह जो हमारे सफदरजंग, लेडी हार्डिंग और मैडिकल इंस्टीट्यूट मैडिकल अस्पताल हैं जब तक दिल्ली में रैफरल अस्पताल नहीं बनेंगे, इतनी जबर्दस्त भीड़ है कि बावजूद कोशिश के कभी-कभी कहीं कुछ कमी रह जाती है, दवा नहीं होती और लोगों को तकलीफ होती है, इसको मैं कहीं-कहीं मानती हूं, लेकिन मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि कुछ होता नहीं है, सारे डाक्टर बेकार हैं, इसलिए जो सच्चाई है, उतनी मानने को तैयार हूं और मैं कोशिश करूंगी कि किसी भी सूरत में हम उनको पूरा कर सकें।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : हमें दवाइयां ही नहीं मिलती हैं।

श्रीमती मोहसिना किदवई : चौबे जी से मैं कहूंगी कि हमारा स्वास्थ्य इतना अच्छा रहना चाहिए कि हमें दवाइयों की जरूरत ही न पड़े।

जो हमारे तमिलनाडु के लोग बोल रहे थे और हमारी वैजयन्ती जी भी बोल रही थीं, उनसे मैं कहना चाहती हूं कि हमने 10 सप्ताह का एक कम्पेन परिवार नियोजन के लिए चलाया है। आपके दिमाग से निकालना चाहती हूं कि इसमें यह इंटेंशन है कि अगर किसी स्टेट को एवार्ड मिलता है यह 6 सप्ताह का एवार्ड नहीं देंगे, यह दिमाग से निकाल दें। जो स्टेट के लिए जिसने काम किया है मार्च, 1984 से मार्च, 1985 तक, उसका वही काम नापा जायेगा, यह जो 10 हफ्ते का कम्पेन है यह नहीं जोड़े जायेंगे। दूसरी दिक्कत आप अनुभव करते हैं कि परिवार नियोजन का काम सही चलना चाहिए, लेकिन हमारे मुल्क में जहां 12 महीने हुआ करते हैं उसमें से 4 महीने गर्मी के निकल गये। चार महीने बरसात के निकल गए, चार महीने ही सिर्फ क्या हम यह काम करें? तो यह हमारा जो दस वीक का प्रोग्राम है वह इसलिए चलाया है कि लोग साल भर काम करने के आदी रहें। इसमें स्टेरिलाइजेशन तो कम होगा। गर्मियों के जमाने में यह कहा गया है कि बन्द आपरेशन थियेटर में करें और ज्यादातार स्पेसिंग के लिए और दूसरे तरीके अख्त्यार करने के लिए लोगों को एजूकेट करें, उनको मोटिवेट करें। इन सारी चीजों के लिए दस वीक का कम्पेन चलाया गया है। इसमें कोई खास ऐसे टार्गेट्स नहीं रखे गए हैं। सिर्फ फोकस करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को और तेजी से काम करने के लिए उसमें कहा गया है।

आई० सी० एम० आर० के बारे में जो लोगों ने कहा कि क्या हो रहा है तो मैं आपसे बताना चाहती हूं कि कई चीजें वहां पर चल रही हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि जो इन्जेक्टवल के लिए रिसर्च हो रही है उसमें दो ऐसी हैं कि जिसमें से एक तो इंजेक्शन के जरिये साल डेढ़ साल की मुद्दत दी जा सकती है और दूसरा खाल के अन्दर जो ट्यूब लगा देते हैं उसकी भी

रिसर्च हो रही है। उसके बारे में लगभग 1500 औरतों के ऊपर इसका तर्जुबा किया जा रहा है और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अगले साल डेढ़ साल में वह भी कामयाब होगा और तीन से लेकर पांच साल तक की मुद्दत के लिए वह काम देगा। यह अच्छी रिसर्च उसमें हो रही है और उसके जरिए से अच्छा काम होगा।

ब्लड बैंक के बारे में बात कही गई। सेवेन्थ फाइव ईयर प्लान में हम ब्लड बैंक, मेंटल हैल्थ और डेंटल हैल्थ जिसके बारे में वैजयंती जी ने भी कहा, इस तरह की चीजों को और बढ़ाना चाहते हैं। ब्लड बैंक के बारे में अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि लोग खून बेचते हैं। कहीं-कहीं जरूर ऐसी बात होती है···

एक माननीय सदस्य : सभी जगह ऐसी बात होती है।

श्रीमती मोहसिना किदवई : ऐसी बात नहीं है। 50 परसेंट डोनर्स हैं और हमारे आल इंडिया मैडिकल इंस्टीट्यूट में जब लोग जाते हैं तो उनसे कहा जाता है कि आप खून की बोतल लाकर दीजिए अपने किसी अजीज रिश्तेदार का तो उसका मतलब यह होता है कि वह वहां पर कामर्शियल नहीं है। डोनर्स जो हैं वह अपना ब्लड वालट्री डोनेट करते हैं। उसको रखना और इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है। हमारी कोशिश है कि अगले सेवेन्थ फाइल ईयर प्लान में हम ब्लड बैंक की सहूलियतें और ज्यादा करें और ज्यादा लोगों को यह फैसिलिटी दें। लेकिन चूंकि एक मुद्दत के बाद इसको रखने और इस्तेमाल करने में बड़ी दिक्कत होती है, इसलिए रफ्ता-रफ्ता यह चीज और आगे बढ़ेगी। मुझे उम्मीद है कि अगले सेवेन्थ फाइव ईयर प्लान में यह चीज हम और ज्यादा कर सकेंगे।

ड्रग्स की बात कही गई। कुछ साथियों ने कहा कि जो ड्रग्स बाहर बैन हो जाती हैं वह हिन्दुस्तान में आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे मुमालिक ने कोई दवा बैन की हो और हम वह अपने यहां इस्तेमाल कर रहे हों। बहुत-सी दवाएं ऐसी हैं कि जिनको दो मुल्कों ने बैन कीं या चार मुल्कों ने हटाई लेकिन हमारे यहां जो हाई पावर एक्सपर्ट्स कमेटी है उसकी सलाह के बिना हम किसी दवा को नहीं रखते। 38 दवाएं जो बैन की हैं दूसरे मुमालिक ने, मुख्तलिफ मुल्कों ने मुख्तलिफ दवाएं बैन की हैं लेकिन हमने उनमें से छः दवाएं जिनके लिए हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा कि उसमें रिस्क कम है और उसमें ऐसी कोई नुकसान की बात नहीं है, उन्होंने जो प्रेस्क्राइब की हैं वह जरूर हमारे यहां पर हैं। उन 36 या 38 दवाओं में से छः दवाएं ऐसी हमने छांटी हैं।

सब-स्टेंडर्ड या स्पूरियम ड्रग्स की बात कही गई। मैं कहना चाहती हूं कि यह जितनी भी दवाएं हैं वह आई० डी० पी० एल० से ज्यादातर ली जाती हैं जो पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं। अभी ड्रग्स एंड कास्मेटिक्स ऐक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ है उसका मतलब यही है कि इसको हम और सख्ती के साथ लागू करें। अभी हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटीज दो ही हैं, एक कलकत्ता में है और एक गाजियाबाद में है जहां हम 21 स्टेट्स को टेस्टिंग की फैसिलिटी देते हैं। तो इसको और बढ़ाने की बात है और स्टेट गवर्नमेंट्स को बार-बार लिखा जाता है कि वह अपने यहां ड्रग कंट्रोलर को और उसके पूरे स्टाफ को पूरी सख्ती के साथ जांच करने के लिए कहे, लाइसेंसिंग पालिसी में और सख्ती बरतें ताकि स्पूरियस ड्रग्स और सब-स्टेंडर्ड ड्रग्स से हमें छुटकारा मिल सके और लोगों की तकलीफों में कमी हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य यह नहीं चाहता हो उसका कटौती प्रस्ताव अलग से प्रस्तुत किया जाए, मैं अब स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित लेखानुदानों की मांगों के सभी प्रस्तावों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखूंगा । मैं अब सभी कटौती प्रस्ताव एक साथ सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करता हूं ।

सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित लेखानुदानों की मांगों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या 43 से 45 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

लोक सभा द्वारा स्वीकृत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से सम्बन्धित वर्ष 1985-86 की अनुदानों की मांगें

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा द्वारा स्वीकृत मांग की राशि	
1	2	3		4	
		रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
43.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	33,31,00	...	1,66,58,000	...
44.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	52,67,88,000	17,90,53,000	2,63,39,41,000	89,52,70,000
45.	परिवार कल्याण	88,94,33,000	1,86,33,000	4,44,71,65,000	9,31,67,000

5.12 म० प०

अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1985-86

(2) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित मांग संख्या

63 और 64 पर चर्चा होगी तथा मतदान किया जाएगा जिसके लिए छह घन्टे का समय दिया गया है।

सभा में उपस्थित माननीय सदस्य, जिन्होंने अनुदानों की मांगों पर अपने कटौती प्रस्ताव परिचालित किए गए हैं, यदि वे अपने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो 15 मिनट के भीतर अपने कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या बताते हुए सभा पटल पर पर्ची भेज दें। केवल वही कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किए हुए समझे जाएंगे।

प्रस्तुत किए हुए समझे गए कटौती प्रस्तावों की क्रम संख्या दर्शाने वाली सूची नोटिस बोर्ड से पर शीघ्र लगा दी जाएगी। यदि किसी सदस्य को सूची में कोई असंगति दिखाई दे तो वह कृपया अविलम्ब सभा पटल पर अधिकारी को इसकी सूचना दे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से संबंधित मांग संख्या 63 और 64 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्यसूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा पूंजी लेखा सम्बन्धी राशियों से अनधिक राशि भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को जाएं।"

लोक सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत सिंचाई और विद्युत मंत्रालय से सम्बन्धित अनुदानों की मांगें, 1985-86

मांग संख्या	मांग का नाम	25 मार्च, 1985 को सभा द्वारा स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत मांग की राशि	
1	2	3		4	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए	राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
63.	सिंचाई विभाग	29,77,31,000	4,41,34,000	1,31,18,53,000	13,81,71,000
64.	विद्युत विभाग	38,49.31,000	2,80,76,11,000	1,92,46,60,000	14,58,02,56,000

श्री एम० सुब्बा रेड्डी (नन्दयाल) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निम्न तथ्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

सिंचाई की मांगों के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि ये सही नहीं हैं, सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन मांगों को 7 प्रतिशत कम कर दिया गया।

चाहे कुछ भी हो, सिंचाई के विकास के लिये और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए, क्योंकि सिंचाई का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। उस समय के सिंचाई मंत्री श्री के० एल० राव ने गंगा-जमुना-गोदावरी-कावेरी नदियों को मिलाने के लिए योजना तैयार की थी। यदि इन चारों नदियों को मिला दिया जाए तो सम्पूर्ण भारत को लाभ होगा। इसके कारण एकता भी बढ़ेगी। आजकल देश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए शीघ्र बड़ी योजनाएं शुरू नहीं की जानी चाहिएं। जहां तक मुझे जानकारी है, आन्ध्र प्रदेश में कई योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। उस समय भारत में प्रधान मन्त्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने आन्ध्र प्रदेश के श्रीसेलम योजना, नागार्जुन सागर, पोचम पादु और कई अन्य परियोजनाएं तथा सीलेरू विद्युत परियोजना और वंशधर तथा ओमशिला विद्युत परियोजनाओं की नींव रखी थी। ये सभी परियोजनाएं पूरी नहीं हुई हैं। राज्य सरकार ने वरदराजा स्वामी परियोजना पर लगभग 30 लाख रुपए खर्च किए हैं जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र की मध्यम स्तर की परियोजना है। हाल ही में, वन विभाग ने टाइगर परियोजना के शुरू होने के कारण इस परियोजना के निर्माण पर आपत्ति उठाई है। वरदराजा स्वामी परियोजना पर 30 लाख रु० व्यय किए जाने के बावजूद केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृति नहीं दी जो केवल 260 एकड़ भूमि पर ही निर्मित की जायेगी जबकि एक लाख एकड़ भूमि टाइगर परियोजना के लिए दी गई है। जलाशय के अन्तर्गत आकर 20,000 एकड़ है और लगभग 20,000 लोगों, जिनकी सम्पत्ति श्रीसलेम परियोजना के अन्तर्गत अधिगृहीत की गई थी, को पुनर्वासित किया गया था। कम से कम इन पुनर्वासित लोगों के लाभ के लिए केन्द्रीय सरकार को इस परियोजना को मंजूरी दे देनी चाहिये।

महोदय, श्रीसेलम परियोजना का जलाशय कार्य पूर्ण हो चुका है किन्तु सातों यूनिट अभी तक चालू नहीं हुए हैं। इस वक्त सिर्फ चार यूनिट्स कार्य कर रही हैं जिसमें से प्रत्येक 110 मेगावाट विद्युत उत्पन्न करेगा। यदि शेष तीन यूनिट्स भी पूर्ण हो जाते हैं और कार्य करने लग जाते हैं तो विद्युत उत्पादन क्षमता 70 मेगावाट बढ़ जायेगी तथा प्रतिदिन 50 लाख रुपए आय होगी। इन परिस्थितियों में यदि सरकार अब भी परियोजना को पूर्ण कराने में विलम्ब करती है तो देश को इससे बहुत अधिक हानि होगी। यह एक राष्ट्रीयकृत परियोजना है। सिंचाई विभाग के अन्तर्गत रयाल सीमा सूखाग्रत क्षेत्र के लिए दो योजनाओं का प्रस्ताव है। योजना आयोग ने दाहिनी नहर को स्वीकृति दे दी है, किन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए कोई आबंटन नहीं किया गया है। योजना आयोग ने बाईं नहर को अभी तक कोई स्वीकृति नहीं दी है। यह वनों से होती हुई मद्रास को पेयजल प्रदान करेगी। यदि केन्द्रीय सरकार स्वीकृति देने के लिए तुरन्त कार्यशील नहीं होती तो मद्रास के लिए जल प्रदान करना असम्भव हो जायेगा।

श्रीमान जी, आप और मैं राज्य के दोनों लक्ष्यों के लिये स्वीकृति प्राप्त करने के लिए यथासम्भव प्रयत्न करेंगे। आपकी समस्या पेय जल की है और हमारी सिंचाई की है। हम दोनों केन्द्र सरकार से प्रार्थना करेंगे कि वह स्वीकृति देने के लिए त्वरित कार्य करे।

पोलावरम गोदावरी नदी पर है तथा आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है। इसका लक्ष्य सिंचाई तथा विद्युत सुविधाएं है। आन्ध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्य गोदावरी जल का कुल 10 प्रतिशत प्रयोग में ला रहे हैं तथा शेष 90 प्रतिशत समुद्र में चला जाता है। इस नदी के कारण आन्ध्र प्रदेश में प्रति वर्ष बाढ़ आती है तथा केन्द्र सरकार के द्वारा बहुत-सा धन व्यय किया जाता है। कुछ लोग, विशेषतया रयालसीमा क्षेत्र में बाढ़ से पीड़ित हैं और कुछ

लोग सूखे से पीड़ित हैं। प्रति वर्ष केन्द्र सरकार सूखे के समय श्रमिकों को काम पर लगाने के लिए बहुत अधिक व्यय करती है। एक तरफ सूखा है और दूसरी तरफ बाढ़। यदि पोलावरम परियोजना स्वीकृत हो जाती है तो सूखे तथा बाढ़ दोनों ही समस्याओं का हल निकल आता है। बाढ़ का पानी, जो इस प्रकार नियंत्रित कर दिया जायेगा, यदि कृष्णा नदी से संयोजित कर दिया जाता है तो सूखा-ग्रस्त क्षेत्र के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। आन्ध्र प्रदेश में महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आन्ध्र प्रदेश को जोड़ने वाली तीन महत्त्वपूर्ण नदियां हैं—कृष्णा, तुंगभद्रा तथा गोदावरी। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों का जल पहले से ही समाप्त हो गया है। रयालसीमा जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों तथा बाढ़ से बर्बाद क्षेत्रों को कवर करने के लिए गोदावरी नदी उपलब्ध है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार परियोजना को स्वीकृत करेगी तथा देश के लाभ के लिये सभी परियोजनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करेगी। किन्तु, सिंचाई के लिए विद्युत विकास पूरी तरह नहीं होगा और इस गति से खाद्यान्न समस्या का समाधान सौ वर्षों में भी नहीं होगा। बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण कानून के द्वारा किया जाना चाहिए न कि प्रचार के द्वारा पैसा बर्बाद करके। जिला पदिषद् का भूतपूर्व सभापति होने की हैसियत से मैं महसूस करता हूं कि स्वरोजगार योजना तथा एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम बिल्कुल व्यर्थ हैं तथा इन योजनाओं मे बहुत अधिक भ्रष्टाचार फैल चुका है। योजनाओं की विषमता के कारण बहुत से लोग असंतुष्ट हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत आबंटित राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा इस प्रकार हो सकता है स्वरोजगार तथा एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कोई योजना न हो। यह वास्तव में सरकारी धन का अपव्यय है। मैं आपको यह सुझाव देता हूं तथा प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के कार्यक्रमों को तीन वर्षों तक के लिए स्थगित कर दिया जाये तथा वह धन लम्बित योजनाओं को पूर्ण करने के लिये सिंचाई तथा विद्युत के लिए दे दिया जाये।

एक अवसर पर माननीय इस्पात मंत्री ने सभा में बताया कि विजयनगरम इस्पात संयन्त्र विद्युत की कमी के कारण बन्द हो गया है। यदि इस्पात संयंत्र शुरू कर दिये जाते हैं, तो बहुत से लोगों को फायदा होगा तथा ऐसे महत्त्वपूर्ण उद्योगों को स्थगित नहीं किया जाना चाहिए और सस्ती लोकप्रियता को प्राप्त करने के लिए बेकार योजनाओं पर बड़ी धनराशि लगाना उचित नहीं है। अतः, माननीय प्रधान मंत्री जी मैं प्रार्थना करता हूं कि योजनाओं में से सिंचाई तथा विद्युत के लिए और अधिक राशि निर्धारित की जानी चाहिए।

श्रीमान्, अन्त में इस अवसर पर कुछ शब्द बोलने के लिए आपने मुझे जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री वी० सोभनाद्रीसवरा राव (विजयवाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाये।"

[देश में सिंचाई की सुविधायें उपलब्ध कराने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने में असफलता] (1)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग को घटा कर 1 रुपया किया जाये।"

[आन्ध्र प्रदेश में प्रस्तावित पोलावरम परियोजना को स्वीकृति देने में असफलता] (2)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[नागार्जुन सागर बांध से नीचे और प्रकाशम बांध से ऊपर कृष्णा नदी पर एक जलाशय का निर्माण करने की आवश्यकता] (3)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[गोदावरी नदी पर इन्यमपल्ली बहुप्रयोजनील परियोजना आरम्भ करने की आवश्यकता] (4)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कृष्णा डेल्टा प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (5)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[कोयागुडम ताप-विद्युत केन्द्र का पुनरुद्धार करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (14)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में भसराघाट में सुवर्णरेखा पर एक बांध का निर्माण करने की आवश्यकता] (10)

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें।"

[बिहार के सारण जिले में धुरदाह चवर के जल निकास और विकास कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (11)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें।"

[बिहार के सारण जिले में गंडक नदी परियोजना के जमा हुए पानी की निकासी के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (12)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कर दिए जायें।"

[बिहार के सारण जिले में हल्दिया चवर के जल निकास और विकास कार्य के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (13)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[बिहार में सारन जिले में बाढ़ों में सम्पत्ति को प्रतिवर्ष होने वाली हानि को रोकने के लिए गंगा नदी पर मांझी से सोनपुर तक तटबंध का निर्माण करने हेतु पग उठाने की आवश्यकता] (46)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[बिहार में गंगा नदी से होने वाले भूमि-कटाव को रोकने के लिए पग उठाने की आवश्यकता] (47)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[गंडक नदी परियोजना का काम शीघ्र पूरा करने की आवश्यकता] (48)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम कए जायें।"

[माही, सौंधी, दाहा एवं बोहाता नदियों के किनारों पर बांध बनाने की आवश्यकता] (49)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपये कम किए जायें।"

[हरदिया और धुरदह चावोर से जमा हुआ पानी निकालने के लिए पग उठाने की आवश्यकता] (50)

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[उत्तरी बंगाल के जिलों को मानसून से भिन्न मौसम में रबी की फसलों के लिए तीस्ता बांध परियोजना से सिंचाई जल उपलब्ध कराने की आवश्यकता] (16)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[तीस्ता के पानी में बंगाल देश के साथ तथ्यों भागीदारी की समीक्षा करने की आवश्यकता] (17)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत कंगसाबती जलाशय परियोजना को स्वीकृत करने की आवश्यकता।] (18)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[पश्चिम बंगाल में दोआर्स और तराई में चाय बागानों को सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं दिए जाने की आवश्यकता।] (19)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[किनारों की रक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए फरक्का बांध नियंत्रण बोर्ड को अपेक्षित धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता।] (20)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[स्वर्णरेखा बांध परियोजना के लिए तत्काल धनराशि उपलब्ध करने की आवश्यकता।] (21)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[तीस्ता जल के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल विधान सभा के सर्वसम्मत संकल्प को मान्यता देने की आवश्यकता।] (22)

"कि सिंचाई विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[फरक्का बांध के बहाव से गंगा नदी के दाहिने किनारे के भूक्षरण को रोकने के लिए अधिक धनराशि उपलब्ध कराने की आवश्यकता।] (23)

"कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[छोटा नागपुर और संथाल परगना में भूमिगत जल की खोज करने की आवश्यकता] (24)

"कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[उत्तरी बंगाल में कूच-बिहार में और बिहार रांची में जल तथा भूमि प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने की आवश्यकता।] (25)

"कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जायें।"

[कम पानी वाली अवधि (जनवरी से मई) के दौरान हुगली से 40,000 क्यूसेक पानी का बहाव सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (26)

"कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[गंगा बेसिन में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और कलकत्ता पत्तन के लिए सिंचाई हेतु 40,000 क्यूसेक पानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता।] (27)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[दामोदर घाटी परियोजना में युद्धस्तर पर गैस टरबाइन स्थापित करने की आवश्यकता] (28)

"कि विद्युत विभाग शीर्षक के अन्तर्गत मांग में 100 रुपए कम किए जाएं।"

[बदरपुर ताप विद्युत परियोजना का तत्काल पुनरुद्धार और आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता] (29)

[हिन्दी]

श्री ब्रह्म दत्त (टिहरी गढ़वाल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको अनेक धन्यवाद। मैं अपने को पावर के विषय तक ही सीमित रखना चाहता हूं, क्योंकि सिंचाई और बिजली दोनों को लेने से समय बहुत लग जाएगा। विद्युत के बजाए ऊर्जा को हम पावर का अच्छा अनुवाद कह सकते हैं। हमारी जिन्दगी के लिए यह सबसे अहम चीज है, चाहे हमें देश का औद्योगीकरण करना है, कृषि का उत्पादन बढ़ाना है तो या जीवन में सुधार लाना है तो दुनिया के एक महान नेता लेनिन ने कहा था—क्रान्ति का मतलब विद्युतीकरण है। अगर हम पिछले तीन शताब्दी के इतिहास पर नजर डालें, तो यह पाएंगे कि जिस तरह की शक्ति का इस्तेमाल हम करते रहे हैं, उसी तरह का सामाजिक ढांचा हमारा बनता रहा है। जब हम लोगों ने मिकैनीकल पावर को इस्तेमाल किया, तो उस समय सामंतशाही को खत्म करना पड़ा और उसके बाद जैसे-जैसे ऊर्जा का, शक्ति का स्वरूप बदलता चला गया, सामाजिक ढांचा बदलता

गया। शक्ति का प्रयोग जिस रूप से हम करते हैं, समाज के ऊपर उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है, मैं ऐसा मानता हूं। दुनिया के वैज्ञानिकों ने जो फार्मूले दिए, उसमें सबसे बड़ा फार्मूला वह था, जिसने हमारे अध्यात्मवाद और हमारे विज्ञान को एक कर दिया था। आइंसटिन ने जो $E = mc^2$ फार्मूला दिया, उसमें पदार्थ का शक्ति का समन्वय किया, ऊर्जा का समन्वय किया। हमारे समय की सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। देश में आज जो कुछ भी हम देखते हैं, वह इस कारण है कि हमारे राष्ट्र निर्माता जवाहरलाल नेहरू ने और श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस विषय के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। उसका प्रमाण यह है कि सन् 1947 में जब देश स्वतन्त्र हुआ और पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं हुई थी, तो कुल 1352 मेगावाट की स्थापित क्षमता हमारी थी और आज लगभग 42,440 मेगावाट है। एक मेगावाट के ऊपर एक करोड़ रुपए की लागत आती है। इस तरह से 40 हजार करोड़ रुपया हमारा इसमें लगा हुआ है।

प्रकृति ने हमारे देश को असीम साधन दिए हैं। अगर हम 20 हजार फीट ऊंची हिमालय की चोटी को देखें, तो हमारे पास बर्फ के रूप में रेकरिंग डिपोजिट शक्ति है, जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। हर साल वह चलती है और हम साल हमको मिलती भी रहती है। उसके नीचे जब हम आते हैं, तो एक बहुत बड़ी पट्टी है, जहां हम छोटी-छोटी माइक्रोहाइडिल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। बनाई भी हैं और अगर आप लोग बद्रीनाथ गये होंगे तो आपने देखा होगा कि बर्फ के अन्दर, ग्लेसियर के अन्दर माइक्रो-हाइडिल स्कीम काम कर रही है। उसके बाद जब तीसरे हिस्से में आते हैं जो हमारा 6,000 फीट से 4,000 फीट का हिस्सा है, तो वहां भी असीम शक्ति हम पाते हैं, जिससे हम देश की पावर की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और उसके नीचे जब हम आते हैं, तो हमारी जो नहरें हैं, जो छोटे-छोटे फाल हैं, उनमें भी मिनी हाइडिल स्कीमें बना सकते हैं। हमारे दक्षिण के पठारों में जो नदियां हैं, उनमें भी असीम शक्ति हम पाते हैं। इसके अलावा हमारे देश में कोयले का, विशाल भंडार है। विशाल भंडार पाया भी गया है और बनाया भी गया है और उससे हम विद्युत बनाते हैं।

मैं एक नम्र निवेदन करना चाहता हूं और वह यह है कि हमें ज्यादा महत्व जल विद्युत को देना पड़ेगा और जल विद्युत में उन योजनाओं को हमको लेना चाहिए जो तीनों काम करती हों। हम सिंचाई के साधन बढ़ाएं, सिंचाई की क्षमता बढ़ाएं, पावर की क्षमता बढ़ाएं और विद्युत की क्षमता बढ़ाएं। इसके अलावा हम बाढ़ पर नियंत्रण करें। हमारे देश में सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है, तो वह बाढ़ और सूखा है, जिससे 500 करोड़ रुपये से लेकर 1000 करोड़ रुपये का हर साल नुकसान होता है और राहत में हमें बहुत-सा पैसा देना पड़ता है। बाढ़ और सूखे के लिए हमें बहुत-सा पैसा राहत के रूप में देना पड़ता है और इसका इलाज एक ही है कि हमें हिमालय में नदी के पानी को रोकना चाहिए बांध बनाकर। बांध हम बना भी रहे हैं। काश्मीर में बना रहे हैं, मिजोरम में बना रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में भी हैं, उत्तर प्रदेश में भी हैं, भूटान में भी हैं और सिक्किम में भी हैं और तीस्ता नदी पर भी बन रहा है, लेकिन जल विद्युत का अनुपात है, वह 34 फीसदी है। यह अनुपात जिस दिन 40 फीसदी हो जाएगा, तो शायद हमारी बहुत-सी समस्याएं हल हो जाएंगी। हमारे सामने खासकर जो कठिनाई आती है, वह पीक आवर्स में आती है।

हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम्स के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हिमालय में ये ज्यादातर हैं और उसका जियालोजीकल सर्वे हमारे पास पूरा नहीं है। हमारे सामने नई समस्याएं आती हैं

और हमारे इंजीनियर्स उनको हल करते भी हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में एक जगह मनेकी माली में इतना पानी निकलता था जैसे रोक न हो स्पंज हो लेकिन उस समस्या को भी हल किया गया।

एक बात में और कहना चाहता हूं कि हमारे पास जो टनल बनाने के इक्युपमेंट्स हैं, सुरंग बनाने के जो इक्युपमेंट्स हैं, वे अप-टू-डेट नहीं हैं। जिन मशीनों से हम सुरंगें बना रहे हैं; उनसे एक मीटर अन्दर हम रोज जा सकते हैं लेकिन अब ऐसी मशीनें भी हैं, जिनसे 25 मीटर जाया जा सकता है। इसलिए इसमें हमें माड्रेनाइजेशन करना चाहिए। जो नई मशीनें लगती हैं इनके लिए प्रत्येक साल की योजना बनाई जानी चाहिए। क्योंकि आम तौर पर यह होता है कि योजना जब खत्म हो जाती है तो वे मशीनें जगह-जगह गांव-गांव में पड़ी रहती हैं। उनके इस्तेमाल का प्लान हमारे पास होता नहीं है। वहां एक लड़ाई का-सा मैदान बन जाता है। हमको यह चाहिए कि हम उनके इस्तेमाल का ऐसा फेज्ड प्रोग्राम बनाएं कि एक स्थाई योजना के खत्म होने के बाद दूसरी योजना पर उनसे काम लिया जा सके।

मैं फिर दोहराऊंगा कि हमारी मल्टीपरपज स्कीम्स होनी चाहिए। सन् 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यमुना काम्पलेक्स की नींव डाली थी। 10-12 साल तक हम यही तय नहीं कर पाये कि कहां उसका बेराज बने, कहां से उसको शुरू करें। उसकी कीमत बढ़ गई। उसके बाद हमने पांच पावर स्टेशन बनाये। लेकिन उनके लिए जहां पानी जमा हो सकता है वह पांच स्टेट के हिस्से में आता है। मैं केन्द्र सरकार से कहूंगा कि आप उसका बंटवारा एक राष्ट्रीय फार्मूले के हिसाब से कर दें। असम से लेकर कन्याकुमारी तक सभी की मैं बात कर रहा हूं, केवल उत्तर प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा हूं। उसमें पंजाब भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, असम हो सकता है।

एक राष्ट्रीय फार्मूले के हिसाब से आप बंटवारा कर दीजिए जिससे कि हमारे प्रोजेक्ट्स में दस गुना तेजी से काम हो सके। आम तौर पर ज्यादातर जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं वे 'रन आफ द रिवर' प्रोजेक्ट बन रहे हैं। जिनमें से कोई 30 फीसदी चलता है, कोई 40 फीसदी चलता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिस दिन आप उनके हेड्स पर रिजरवायर बना देंगे, मल्टीपरपज स्कीम्स बना देंगे तो बिना कोई पैसा लगाये आपके शीघ्र बने पावर हाउसिज हमको बहुत ज्यादा बिजली देने लगेंगे। किसाऊ योजना बनने से यमुना के जो पांच पावर हाउसिज हैं जिनका कि 40 फीसदी उपयोग होता है वह उपयोग 80 फीसदी हो जायेगा और हमारी क्षमता भी बढ़ जायेगी।

उत्तर प्रदेश के बारे में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि वहां दो हजार मेगावाट का एक टिहरी डेम प्रोजक्ट है। अगर उसको हम जल्दी से पूरा नहीं कर पाये तो उसकी कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि हम उसको कभी पूरा नहीं कर पायेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतने साधन नहीं हैं कि वह उसको 20 या 25 साल तक पूरा कर सके। इसलिए मैं केन्द्रीय सरकार से कहना चाहता हूं कि उसमें तीस फीसदी सिंचाई का हिस्सा है वह हमारा है। उसका व्यय हम करें केन्द्रीय सरकार और हम लोग मिलकर टिहरी डेम को बनाएं। टिहरी डेम में गंगा की कई शाखाएं और सहायक नदियां आकर गिरती हैं। उससे सिंचाई तो बढ़ेगी ही गंगा नदी में आने वाली बाढ़ कम होगी और दो हजार मेगावाट बिजली मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसके लिए प्रस्ताव किया है जो तीस फीसदी सिंचाई होगी उसके लिए सारा खर्च उत्तर प्रदेश सरकार

देगी लेकिन उसका जो पावर का हिस्सा है उसमें 25 फीसदी वह देगी और 75 फीसदी केन्द्र दे। हम उससे एक राष्ट्रीय फार्मूला तय करके बंटवारा करें। मेरा नम्र निवेदन है कि उसके बारे में जल्दी फैसला किया जाए क्योंकि देर होने से समस्या पैदा हो रही है।

इस डेम में बहुत-सी जमीन डूबने वाली है, 20-25 गांव डूबने वाले हैं। पूरा टिहरी शहर उजड़ने वाला है। वहां जगह खाली करने को कहा जाता है, तो समस्या पैदा होती है। वहां पर विकास कार्य रुक गये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके थरमल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें ह्यूमन फैक्टर सामने रहना चाहिए। वहां से जो लोग डिस्पेलेस्ड होने वाले हैं उनके पुनर्स्थापन की ओर ध्यान देना चाहिए और वहां उनको उदारता पूर्वक फेसिलिटीज दी जानी चाहिए। जहां उनको बसाया जाए वहां उनके लिए पूरी सुविधाएं दी जानी चाहिए।

अब मैं कुछ बातें थरमल पावर स्टेशंस के बारे में कहना चाहता हूं। हमारे देश में प्लांट लोड फेक्टर का एवरेज 50 फीसदी है। पिछले दो तीन सालों में हमने जो कदम उठाये हैं जिनका कि मैं स्वागत करता हूं उनके कारण वह प्लांट लोड फेक्टर बढ़ा है। हमने पुराने पावर हाउसिज के रिनोवेशन और मोडरेनाइजेशन की व्यवस्था की है। कोल का प्रबन्ध किया गया है। इन तमाम कदमों का मैं स्वागत करता हूं। लेकिन यह जो पांच सौ करोड़ रुपए की रिनोवेशन और रिमोडलिंग की योजना बनाई है इस पर सख्ती से अमल किया जाए। इस पर केवल सख्ती से अमल करने की जरूरत ही नहीं हैं बल्कि हमारे कोल डिपार्टमेंट, पावर डिपार्टमेन्ट, पेट्रोलियम डिपार्टमेन्ट और रेलवे डिपार्टमेन्ट और हैवी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट को सबको मिलकर और एक समन्वित होकर काम करना होगा।

मेरा निवेदन यह है कि कोयले के बारे में आपको देखना चाहिए। मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूं। मैं देख रहा था चार थर्मल पावर हाउसेस में ओबरा में 10 किलोग्राम पर किलोवाट पर आवर कोयला इस्तेमाल होता है, रामागुण्डम में .6 होता है और फरक्का में .9 होता है। अब या तो यह प्रिंटिंग मिस्टेक है या हमारा कहना यह है कि हमको झींगुरता का कोयला मिलता है, हमको बीना या जयन्त का मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा है। करीब दस गुना कोयला हम खर्च कर रहे हैं। इस कोयले से हम अपना पावर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, उसकी कीमत कम कर सकते हैं। एक बात हमको जरूर करनी चाहिए। इसमें ज्वाइंट इन्स्पेक्शन सिस्टम को सख्ती से लागू करना चाहिए और इसके अलावा जो वैगन्स की अवेलेबिलिटी है, उसको हमें बढ़ाना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है बी० एच० ई० एल० को। मैं इस बात को मानता हूं कि प्रदेश की, देश की इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप देखें कि तमाम पावर स्टेशंस में जेनरिक प्राब्लम्स हैं। जो हमारे मेनुफैक्चरिंग डिफेक्ट्स हैं, उनको दूर करना चाहिए और बी० एच० ई० एल० आफ्टर सेल सर्विस का इंतजाम करे। चाहे आप 500 करोड़ की स्कीम में से 4 करोड़ का काम बी० एच० ई० एल० को दे दीजिए। लेकिन बी० एच० ई० एल० को टास्क फोर्स बनानी चाहिए, संगठन बनाना चाहिए और आपका जो इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा है, उसके लिए ठीक पुर्जों की सप्लाई करनी चाहिए। ठीक समय पर ठीक क्वांटिटी का, ठीक क्वालिटी का कोयला दीजिए। बरसात में क्या होता है, जब मंत्री महोदय कोयले के बारे में बोल रहे थे तो बता रहे थे कि कोयला इतना है कि उसको उठाने वाला कोई नहीं होता है। हमें समझ में नहीं आता कि जहां कोयले की जरूरत है, वहां कोयले की

कमी होती है। जब हम पूछते हैं तो कहा जाता है कि वैगस की कमी है, कभी कोयले की कमी होती है, एक विशियस सर्कल बन जाता है, इसको तोड़ना चाहिए।

मैं खासतौर से स्वागत करना चाहता हूं ग्रामीण विद्युतीकरण की जो योजनाएं पूरी हुई हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने बहुत अच्छा काम किया है, उसका मैं स्वागत करना चाहता हूं। वे अपनी वित्तीय नीति में सुधार लाए हैं, उसको उदार बनाया है, उसके लिए मैं स्वागत करना चाहता हूं लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रामीण विद्युतीकरण का कोई अर्थ नहीं है अगर हम सी० ई० ए० की डेफीनेशन से विद्युतीकरण कर दें। गांव में जब तक हरिजन बस्ती में, मोहल्लों में बिजली नहीं जाएगी, तब तक हमें सिस्टम को इंप्रूव करने की जरूरत है। इसके लिए योजनाएं आपके पास हैं, हर स्टेट से आपने योजनाएं मांगी हैं, उनको मानेटरिंग करने की आवश्यकता है, उनका मानेटरिंग सख्ती से कीजिए, उन पर अमल कराइये। खास तौर से गांवों में सिंगल फेस केनेडियन सिस्टम जो है, उससे आपने विद्युत देने की बात की है या हमने उत्तर प्रदेश में टू फेस सप्लाई की बात की है, लेकिन अगर आप 6 बजे से रात 10 बजे तक बिजली नहीं दे सकते लाइट के लिए, रेडियो सुनने के लिए, टी० वी० देखने के लिए तो न तो हम टी० वी० का उपयोग कर पाएंगे, न हम रेडियो का उपयोग कर पाएंगे और न ही लोगों के लिए प्रकाश की व्यवस्था कर पाएंगे। इसलिए एक इंप्रूवमेंट की, क्वालीटेटिव इंप्रूवमेंट की सख्त जरूरत है। इसमें हमें ज्यादा समय नहीं होना चाहिए, लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण के बारे में जो काम किया गया है, वह बहुत अच्छा काम है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं, आपने गैस पावर प्लांट लगाने की बात की है। इनको आप शुरू कीजिए, क्योंकि इससे आपकी गैस का इस्तेमाल हो जाएगा। हमारे औरैया में और अन्य कई जगहों पर किया है। अभी हमारे मंत्री महोदय, श्री बसंत साठे जी ने कहा कि उद्योगों के लिए ढाई-ढाई सौ मेगावाट के पावर प्लांट हम लगाने जा रहे हैं, जहां इंडस्ट्री कांप्लेक्स हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी पावर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं, अल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, उनको ऐसे प्लान्ट उदारतापूर्वक लगाने दीजिए। चाहे वह बालको हो, हिंडालको हो या नेलको हो, बिना कैप्टिव पावर के हम उनकी पूरी कैपेसिटी का यूटीलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। ये चीजें हमको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। इनसे अगर हमारा पिंड छूट जाए बड़ी इंडस्ट्रीज से तो गांवों में हम बिजली दे सकेंगे, छोटी इंडस्ट्रीज को हम बिजली दे सकेंगे, वरना छोटी इंडस्ट्री बरबाद हो जाती है।

एक निवेदन और करना चाहता हूं। कृषि के लिए बिजली की अलग-अलग समय में जरूरत होती है, खासतौर से नवम्बर-दिसम्बर में गेहूं की बुआई के समय, अप्रैल-मई में मड़ाई के समय इस समय यह कोशिश कीजिए कि उचित रूप (राशनल) में बिजली का बंटवारा हो। इस इलाके में इतनी जरूरत है, इस इलाके में इतनी जरूरत है, एक नेशनल ग्रिड के जरिये आवश्यकता की पूर्ति करें। नेशनल ग्रिड का कांसेप्ट बहुत अच्छा है, उसको सख्ती से लागू करिए। स्टेट गवर्नमेंट से भी कहने की जरूरत है। माननीय सदस्य भी स्टेट गवर्नमेंट से कहें कि वे इस बात के लिए रजामंद हो जाएं कि पावर इवेकुएट की जा सके और जो हमारा नेशनल ग्रिड का कांसेप्ट है, उसको पूरा किया जा सके। यहां पर राज्याध्यक्ष कमेटी की रिपोर्ट की चर्चा मैं करना चाहूंगा। उसने तीन सौ से ऊपर रिकेमन्डेशन्स की हैं। अब तक डेढ़ सौ के करीब सहमति हो पाई है। मैं यह नहीं जानता कि कितनी लागू कर पाये हैं। उससे अच्छी रिपोर्ट हमें देखने को नहीं मिली।

उसके ऊपर हमें फैसला करना चाहिए। जो पावर मिनिस्टर्स कांफ्रेंस यहां पर हुई थी, उसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। उनको अमल में लाया जाना चाहिए। अगर हमें इक्कीसवीं सदी में प्रवेश करना है और कृषि को भी आगे बढ़ाना है, तो हमारे पास विकास करने के लिए असीम साधन और असीम शक्ति है। रेल मिनिस्ट्री, हैवी इन्डस्ट्री, इर्रीगेशन मिनिस्ट्री और कोल मिनिस्ट्री को मिलकर पावर मिनिस्ट्री के साथ सहयोग करना चाहिए ताकि देश का आधुनिकीकरण हो सके और हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

[अनुवाद]

श्री भोला नाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं न केवल सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के सम्बन्ध में अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूं बल्कि सरकार को अधिक प्रभावी उपायों द्वारा विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए मुबारकबाद भी देता हूं। वास्तव में मुझे रिपोर्ट से यह मालूम हुआ है कि 1984-85 में क्षमता में 3,080 मेगावाट की वृद्धि हुई और छठी योजना में कुल 14,000 मेगावाट विद्युत क्षमता की वृद्धि होगी। 1985-86 में 4,500 मेगावाट क्षमता पैदा करने की योजना है। 1984-85 में प्लांट लोड फैक्टर 47.9 प्रतिशत से बढ़कर 50 प्रतिशत किया गया है। तीन सुपर संयंत्रों अर्थात कोरबा, सिंगरोली और रामागुन्डम की उपलब्धियां बहुत आकर्षक हैं। वे 3,000 मेगावाट क्षमता से कार्य कर रहे हैं। परन्तु बात यहीं समाप्त नहीं हो जाती। होता यह है कि केन्द्रीय सरकार इस देश में कुल उत्पादित विद्युत का केवल 15 या 16 प्रतिशत का उत्पादन करती है और शेष लगभग 80 प्रतिशत का उत्पादन राज्यों द्वारा किया जाता है। विद्युत का विषय समवर्ती सूची में दिया गया है और इसलिए केन्द्र और राज्य सरकारें दोनों ही इसका उत्पादन कर सकती हैं। लेकिन होता यह है, चाहे वह ऐतिहासिक या किसी अन्य कारणों से हो कि विद्युत का 80 प्रतिशत उत्पादन राज्यों द्वारा किया जा रहा है। हमें सप्लाई किये गये आंकड़ों को देखने पर मैं यह देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि उत्तर प्रदेश में बिजली प्रदान किये गये गांवों की संख्या 60,863 है, जबकि पश्चिम बंगाल में विद्युत प्रदान किये गये गांवों की संख्या केवल 18,658 है और उसका 13वां नम्बर है। ग्रामीण विद्युतीकरण के विषय मे मैंने कुछ ही दिन पहले समाचार पत्रों में पढ़ा था कि छठी योजना की अवधि के पहले चार वर्षों के दौरान करोड़ों रुपया बेकार पड़ा रहा, पश्चिम बंगाल में धन को दूसरी दिशाओं में खर्च किया गया और ग्रामीण विद्युतीकरण पर कोई व्यय नहीं किया गया। धन की कोई कमी नहीं थी, केन्द्रीय सरकार की भी कोई गलती नहीं थी परन्तु राज्य सरकार धन प्राप्त करने के बाद भी उसका उपयोग नहीं कर सकी। जब इन उन पम्पसैटों की स्थिति देखते हैं जिनका विद्युतीकरण किया गया है तो हम यह पाते हैं कि पश्चिम बंगाल की स्थिति निराशाजनक रूप से गिरी हुई है। 31 जनवरी, 1985 तक विद्युतीकरण किये गये पम्पसेटों की संख्या 32,951 थी जबकि तमिलनाडु में यह संख्या 10,20,914 थी। यह बहुत शर्म की बात है। शायद यही कारण है कि विरोधी दलों के बैंच हमें खाली मिलते हैं, शायद वे हमारा सामना नहीं करना चाहते.....

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : जैसे कि आपके बैंच भरे हुए मिलते हैं ?

श्री भोला नाथ सेन : विद्युत उत्पादन के मामले में पश्चिम बंगाल का निकृष्ट उत्पादन सुविख्यात है। विद्युत के बगैर किसी उद्योग का विकास नहीं हो सकता और कोई भी देश प्रगति नहीं कर सकता। धन उपलब्ध था और धन उनके पास था। आपको बांस के खम्बे दिखाई देंगे। आपको बिजली की तारें भी दिखेंगी लेकिन आप उनसे मशीनें नहीं चला सकते क्योंकि उनमें बिजली की

सप्लाई नहीं है। हमारी वामपंथी सरकार द्वारा शासित पश्चिम बंगाल मे 7½ वर्षों से गांव दर गांव यही स्थिति है। उनके पास केवल केन्द्र के विरुद्ध प्रचार करने का समय है और वे केवल झूठे आश्वासन देते हैं.....

(व्यवधान)

डा० सिद्धार्थ शंकर रे के शासन मे हमने 13,000 से अधिक गांवों का विद्युतीकरण किया था जबकि इन्होंने केवल 5,000 गांवों का विद्युतीकरण किया है। धन की कोई कमी नहीं थी। वे इतना जानते हैं। 1973 मे कोलाघाट विद्युत संयंत्र को मंजूरी मिल गई थी और उस पर काम शुरू होना था। 1973 से लेकर 1985 तक 10 साल के काम के बाद वामपन्थी सरकार के कठोर परिश्रम के परिणामस्वरूप केवल एक इकाई ने काम शुरू किया है। केवल भगवान ही जानता है कि शेष 2 इकाइयां कब प्रकट होंगी। सामान्यतः लक्ष्य प्राप्ति की अवधि 7 वर्ष होती है। लेकिन यह अभी तैयार ही नहीं हुआ है। 1984 में तीनों की तीनों इकाइयां पूरी हो जानी चाहिए थीं लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसकी कोई कैफियत नहीं है। महोदय, मेरे राज्य में केवल राजनीति चल रही है, मात्र निन्दा चल रही है और राजनीति केवल संयंत्रों में ही चल रही बल्कि सभी विभागों में चल रही है और हर समय विद्युत इंजीनियरों के काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऊपर से प्रबल हस्तक्षेप किया जाता है, चाहे आपको जरूरत हो या नहीं, लोगों को नौकरी पर लगाया जाता है। लोगों को एक संयत्र से दूसरे संयत्र पर स्थानांतरित किया जाता है। दूसरा एक मात्र उद्देश्य यथासंभव परेशान करना है.....

(व्यवधान)

मुझे सब मालूम है कि वहां क्या कुछ हो रहा है और कितनी दफा बोर्ड में परिवर्तन किया गया है। उन्हें कुछ नहीं मिल सकता। इंजीनियर नाराज हैं। कर्मचारी नाराज हैं और राज्य सरकार के मुख्यालय राइटर्स बिल्डिंग से निरंतर हस्तक्षेप किया जाता है। प्रबल यूनियनबाजी चल रही है और यह इस हद तक चल रही है कि देश के लिए खतरा पैदा हो गया है। किसी को भी दण्ड नहीं दिया जायेगा। कहीं पर भी अनुशासन नहीं है। मेरा संबंधित मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह यह जांच करें कि प्लांट लोड फेक्टर बढ़ क्यों नहीं रहा।

पश्चिम बंगाल को बिजली की कमी के कारण नुकसान हो रहा है। प्लांट लोड फेक्टर में वृद्धि नहीं हो रही। करोडों रुपया बरबाद कर दिया गया है लेकिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया। मेरा अनुरोध है कि ऐसी परिस्थितियों में अधिक नियंत्रण होना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्युत के क्षेत्र में कोई राजनैतिक दखलंदाजी न हो। यही हमारी जान है। इस क्षेत्र में राजनीति का कोई दखल नहीं होना चाहिए। कर्मचारियों और इंजीनियरों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाये। मेरा तो सुझाव है कि इंजीनियरों की एक अखिल भारतीय सेवा होनी चाहिए और उन्हें भारत-भर के सभी विद्युत संयंत्रों को संचालित करने हेतु उचित रूप से प्रशिक्षित किया जाये ताकि हमें 21वीं शताब्दी की शुरूआत में बिजली की कमी का सामना न करना पड़े। वे ऐसे राजनैतिक स्वामियों, जो बिना कुछ किये सत्ता में रहना चाहते हैं जैसा कि पश्चिम बंगाल में हो रहा है, के किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बगैर अपना कार्य कर सकें। यह शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल पिछड़ रहा है और वे इसके लिए केन्द्र पर और अन्य बातों को दोष देते हैं। हम अपने उद्योग खो रहे हैं। हमारे पास कोई उद्योग नहीं है। प्रत्येक उद्योग रुग्ण होता जा रहा है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? वे या तो केन्द्र या अन्यों जैसे कोयला, रेलवे आदि के विरुद्ध केवल शिकायतें कर रहे हैं। (व्यवधान)

मेरे विचार से विद्युत संयंत्रों में व्याप्त अक्षमता, लापरवाही, भ्रष्टाचार और अनुशासन-हीनता ही आज पश्चिम बंगाल की निराशाजनक तस्वीर के लिए जिम्मेदार है और वहां आजकल रोज बिजली बन्द हो जाती है। हर रोज बिजली चली जाती है। महलों का शहर, कलकत्ता जो भारत का सबसे बड़ा शहर है, रातों में घंटों तक अंधेरे में रहता है।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको बुलाया जाये आप तब बोलिए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री भोला नाथ सेन : जनवरी में सभी विद्युत संयंत्र फेल हो गये थे। बामडेल ताप विद्युत संयंत्र और संथालडीह में समस्या पैदा हो गई थी। और महोदय विद्युत की कमी संबंधी अनुमानों में अंतर कैसे आ जाते हैं ?

केन्द्र विद्युत प्राधिकरण द्वारा दिये गए आंकड़े राज्य सरकार के नौकरशाह अथवा सम्बन्धित राज्य मंत्रियों द्वारा दिये गए आंकड़ों से भिन्न हैं। यह अन्तर क्यों है ? हम इसकी सही रूप से किस प्रकार गणना कर सकते हैं ? (व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : हमारे आंकड़े सही हैं।

श्री भोला नाथ सेन : उस समय भी जब मैं विधान सभा में दल का नेता था और तब भी जब मैं मंत्री था, मुझे पूरी तरह से याद है कि मैंने स्टाक की जांच के लिए कहा था।

श्रीमान् वहां पर भ्रष्टाचार फैल रहा है और केवल कुछ लोगों का ही स्थानान्तरण हुआ है। क्या उन्होंने पहले भी कभी स्टाक की जांच की है ? (व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : श्रीमान् मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय, क्या हम बिना किसी मूल प्रस्ताव के किसी राज्य सरकार के कार्य निष्पादन पर संसद में चर्चा कर सकते हैं ? (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वह आम बात कह रहे हैं, आप कृपया बैठ जाइये। यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कोई बात आपत्तिजनक होगी तो उसे कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यदि कोई बात पश्चिम बंगाल सरकार अथवा पश्चिम बंगाल विद्युत बोर्ड के कार्य निष्पादन से सम्बन्धित है तो क्या इसको कार्यवाही में शामिल करने की इजाजत नहीं दी जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी कोई बात नहीं है, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभी कृपा करके बैठ जाइए।

विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : श्रीमन्, दोनों ओर के सदस्यों को यह जानकर हर्ष होगा कि आज से दामोदर घाटी निगम कलकत्ता को अधिक बिजली सप्लाई कर रहा है क्योंकि कलकत्ता में बिजली की कमी है ?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपने भाषण को जल्दी खत्म कीजिए।

श्री भोला नाथ सेन : दामोदर घाटी निगम 98 मेगावाट बिजली देता है। वे और अधिक बिजली नहीं ले सकते क्योंकि दामोदर घाटी निगम दी गई बिजली के लिए राशि मांगता है। यदि पैसा नहीं दिया जाएगा तो बिजली भी नहीं दी जाएगी। यही कुछ वहां पर हो रहा है। जो पैसा उन्हें देना है, उसको वह नहीं देंगे। वहां यह स्थिति है।

श्री नारायण चौबे : हर बात के लिए वे पश्चिम बंगाल सरकार को ही क्यों दोष देते हैं? यह ठीक नहीं है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : कृपया आप उन्हें बीच में मत टोकिए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने भाषण को छोटा करें। आप ज्यादा विस्तार में मत जाइए। इसे जल्दी समाप्त कीजिए।

कुमारी ममता बनर्जी : यह लोक सभा है। वह लोक सभा के सदस्य के रूप में बोल रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण को समाप्त कीजिए। समय खत्म हो गया है। (व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : उन्हें एक मिनट बोलने दीजिए।

श्री भोला नाथ सेन : क्या मैं बोल सकता हूं?

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। बहुत शोर हो रहा है।

अब श्री डी० पी० यादव बोलें। श्री सेन, आपने काफी कुछ कह दिया है। अब कृपा करके बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी : कृपया उन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : सेन महोदय आपने पहले ही अधिक समय ले लिया है। यदि आप अपने भाषण को समाप्त करना चाहें तो मैं आपको एक मिनट का समय दे सकता हूं। कृपा करके इसे जल्दी समाप्त करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रकार कोई चर्चा नहीं होगी। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री भोला नाथ सेन : मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि विद्युत बोर्ड उतने अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं जितना कि केन्द्रीय परियोजनाएं कार्य कर रही हैं।

पिछले आम चुनावों से पहले बिजली के संबंध में कोई कठिनाई नहीं थी लेकिन इसके तुरन्त बाद लोड-शेडिंग होने लगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए। आपने अधिक समय ले लिया है। आपका समय समाप्त हो गया है। (व्यवधान)

श्री भोला नाथ सेन : मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं। वे उस पर विचार करें। उर्जा के उत्पादन के लिए गैस का प्रयोग किए जाने की आशा है।

इसका अधिक मात्रा में उपयोग किया जाना चाहिए। इसके अलावा सरकारी उपक्रमों तथा निजी उपक्रमों को उनके अपने उपयोग के लिए कैपटिव संयंत्र की व्यवस्था करने के लिए कहा जाना चाहिए। सार्वजनिक खपत के लिए संयुक्त क्षेत्र में भी उर्जा का उत्पादन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हम वस्तुतः लगभग प्रत्येक घर में बिजली का लाभ उठा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में यह प्रायः एक कुटीर उद्योग बन गया है।

6.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : सेन महोदय, आप अन्य सभी प्रश्नों को लिखित रूप में माननीय मंत्री जी को उनके विचार के लिए दे दें।

श्री भोला नाथ सेन : मैं समझता हूं कि हम भी यहां उसी प्रकार कर सकते हैं जैसी प्रथा वाशिंगटन में है, जहां भाषणों को लिखित रूप में दिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डी० पी० यादव आप अपना भाषण दीजिए।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सिंचाई और विद्युत मंत्रालय जिसका भार, सर्वश्री शंकरानन्द और अरुण नेहरू जैसे दो सुयोग्य मंत्रियों पर है, की अनुदानों की मागों का समर्थन करता हूं। आज हम पहली बार ही संसद में देश के सिंचाई और विद्युत पद्धतियों के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। इस सभा में इन विषयों पर हमने पहले भी विस्तार से काफी चर्चा की है, और वह हमें याद है।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं।

6.01 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

पांचवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : श्रीमान्, मैं कार्य मंत्रणा समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या 107/85-के० उ० शु० (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो 16 अप्रैल, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 68/83-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं, ताकि 12 से अनधिक ड्रा बार हार्स पावर के ट्रैक्टरों के सम्बन्ध में विद्यमान छूट के स्थान पर, 25 से अनधिक ड्रा बार हार्स पावर के ट्रैक्टरों को उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से पूरी छूट दी जा सके तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एस० टी० 717/85]

6.02 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 17 अप्रैल, 1985/27 चैत्र, 1907 (शक) के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

चौधरी मुद्रण केंद्र, दिल्ली-153